



* पत्र लेखन *

CONVEYANCING IN HINDI

अर्थात्

दस्तावेज़ नवीसी पर हिन्दी भाषा में एक नई
और निराली पुस्तक

जिस को

पन्नालाल वी० ए० एल एल वी०
वकील हाईकोर्ट इलाहाबाद

ने

अपनी बनाई हुई उर्दू की किताब “दस्तावेज़ नवीसी”
से अनुग्रह किया ।

और

पालघार सर्व अलीगढ़ ने प्रकाशित किया ।

प्रथमधार	}	सन् १९३३ ई०	{	मूल्य
१००० प्रति				२) रु०

विषय सूची

भूमिका	पृष्ठ
पुस्तक निर्माण फारण	१
प्रस्तावना	६
दस्तावेज लेखक का प्रारम्भिक कार्य	१०
रुक्का या प्रामेसरी नोट	१८
तमसुक और उसके भेद	२३
✓ द्वैनामा	३२
✓ रहन नामा	६७
पटा और कबूलियत	१२२
दियानामा (दान पत्र)	१४३
तमलीक नामा (समर्पण पत्र)	१४८
घसीयत नामा (निष्ठा पत्र)	१५३
तबोदले नामा (बदल पत्र)	१६४
✓ साक्षा	१६८
✓ घबर (धर्मार्थ या पुण्यार्थ)	१७७
✓ वटवारा	१८८
✓ अधिकार पत्र	१९३
जमानत नामा (लग्नक पत्र)	२०१
दस्त वरदारी (त्याग पत्र)	२०४
तथनियत नामा (गोद पत्र)	२१०
विश्री निश्चय का प्रतिश्वापन	२१३
✓ पचायती निवटारा	२१८
प्रतिश्वापन पञ्जीनसी	२२१
उपयोगी और लाभदायक धातें	२२४
दस्तावेज नवीसी के लफ़र्जों के पर्याय	२२९

आवश्यकीय सूचना

स्टाम्प का क्रान्तुर सन् १९५६ की रिफार्म प्रधलित होने से पूर्व सारे हिन्दुस्तान में एक था। परन्तु अब उसके कम वैश करने का अधिकार सूचे की गवर्नर्मेंटों को हो गया है और कई सूची में इस अधिकार के अनुभार स्टाम्प की दर बदल गई है। जहाँ ऐसा हो गया हो वहाँ पत्र लेखक उस बदली हुई दर से स्टाम्प लगावें। प्रामेसरी नोट के स्टाम्प में जो तपदीली हुई है वह देश भर के लिये है। इस अनुयाद में इस तपदीली को लियदिया है।

दस्तावेज नवीसी

(उर्दू में)

जिसकी यह किताब (पत्र लेखन) उत्थाहै पाल ब्रादर्स अलीगढ़ से १) प्रति मिल सकती है। पहले पडीशन की बहुत कम कापी वची है इस बास्ते जटदी कीजिये, दूसरे पडीशन से इसी किताब की कीमत २) होगी।

ओ३म् भूमिका

दस्तावेज नवीसी जिसका यह पुस्तक "पत्र लेखन" उत्था है सन् १९२२ के अन्त में प्रकाशित हुई उसकी अग्रेजी और उर्दू के बहुत से समाचार पत्रों ने घडी अच्छी समालोचना की और सर्व साधारण को बहुत उपयोगी और लाभ दायक प्रतीत हुई फल यह हुआ कि आधा पेड़िशन थोड़े ही दिनोंमें हाथों हाथ विकाया यह सफलता देयकर बहुत से मिश्री और विशेष करके मातृ भाषा हिन्दी के प्रेमियों ने मुझ से आग्रहकरके कहा कि उसका हिन्दी अनुवाद अपश्य छुपना चाहिये और मैंने यह सोचा कि ऐसा करने से हिन्दी में पत्र लेखन का प्रचार होने के अतिरिक्त प्राम निवासी व्यवहार कर्ताओं को यह सुभीता होगा और वह बहुत से कष्ट से जो उनको उर्दू जानने वाले लेखकों की तलाश में होता है वह जावेंगे और व्यय में भी किफायत होगी क्योंकि हिन्दी जानने वाले लोग आसानी से और कम मजदूरी पर मिल जाते हैं। इसके सिवाय व्यवहार करने वाले अपने कामों को आसानी से समझ सकेंगे।

इन विचारों से उत्साहित होकर मने अनुवाद छुपाने का निश्चय किया परन्तु मुझे घफालत के कार्य से अवकाश बहुत कम मिलता है और ऐसा आदमी जो इस कार्य में सहायता दे सके बहुत दिनों तक नहीं मिल सका। हाई कोर्ट की घडी लुट्रियों में स्वामी रामानन्द सरस्वती जी से, जो हिन्दी फारसी के बड़े योग्य विद्वान हैं, भेट हुई। उन्होंने यह सहायता देना स्वीकार कर

क्षिया और उनके सम्मेलन से यह कार्य पूर्ण हुआ। मैं उक्त स्वामी जी का ध्युत कृतपा हूँ।

अनुयाद करने में सब से अधिक कठिनाई यह हुई कि अर्बी फारसी के ध्युत से शब्दों के जो पत्र लेखन में प्रयोग होते हैं पर्याय वाची सरल शब्द हिन्दी योलचाल में नहीं मिलते। ध्युत से अर्बी फारसी के शब्द ऐसे हो गये हैं जिन को अनपढ़ मनुष्य तक भली भाति जानते और बोलते हैं ऐसे शब्दों के स्थान में कठिन शब्द सहजत निकास के रखना केवल व्यर्थ ही नहीं घरन पुस्तक को निरर्थक बनाना है। ध्युत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान वाची शब्द हिन्दी में होही नहीं सकते जैसे शुफा—मिहर—इत्यादि सब वाचियों पर एषि रखते हुए यह मार्ग स्वीकार किया गया कि जिन शब्दों के पर्याय वाची, सरल और योलचाल के शब्द हिन्दी में मिलते हैं उनको तो उत्था करके लिया दिया है, जहाँ ऐसे शब्द कठिन या कम योलचाल के हैं उन शब्दों को वैसा ही रहने दिया है और पर्याय वाचियों को कोष में लिख दिया है और उनका प्रचार बढ़ानेके लिये कहीं उर्दू और कहीं उसके पर्याय वाची हिन्दी शब्द का एक ही दस्तावेज में प्रयोग किया है। भाषा को सरल और मामूली बाल चाल की बनाने का ध्यान रखा है इस अभिप्राय से कि हिन्दी पत्र लेखकों को अनुवाद के समझने में और आगे को पत्र लेखन में सुभीता और आसानी हो, एक सुचिपत्र अर्बी फारसी के शब्द और उनके हिन्दी अनुवाद का दें दिया है। आशा है कि उसका उक्त प्रयोग करने से ध्युत कुछ सहायता मिलेगी।



दस्तावेज़ नवीसी —

अर्धात्

दस्तावेज़ लिखना सिखाने वाली पुस्तक
पुस्तक निर्माण कारण

दस्तावेज़ लेखन कानूनी शिक्षा का एक आवश्यक अग है, आमेरिका योरोप आदि में जहा कानून की विविध शाखाएँ और उसके अणोपाग पूर्णता को पहुच चुके हैं दस्तावेज लेखन को उसकी उचित पदवी दीजा चुकी है, और उन देशों में इस विषय में अनेक पुस्तकें विद्यमान हैं, जब कोई मनुष्य किसी जायदाद को मोल लेना चाहे किसी और प्रकार से प्राप्त करना चाहता है वह पटारनी चाहे किसी कानूनी सलाहकार की सहायता लेता और कठबीलियि वामवाता है मिन्न २ प्रकार के दस्तावेजों के लिये मिन्न २ प्रतिशा नियत है और मुख्य प्रतिशायें जो लेने देने वाले दोनों पक्षों के बीच में छहर जाती हैं उन दोनों पक्षों के पटारनी कठबीलियों में लिखते हैं और स्वत्व और अन्य अधिकारों

के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहने पाता इसे भक्तार जायदाद के परिचर्तन का काम अत्यन्त सुगमता और उत्तमता के साथ चलता है, भगवान् और मुक्तद्वमे दाजी कम होने पाती है। इसके विपरीत भारत धर्म में अभी तक इस और कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, यद्यपि कानून की शिक्षा तागभग उसी सोमा तक पहुच चुकी है जेसी अन्य सभ्य देशों में पाई जाती है, नित्य प्रति अगरजी कानून के नियम और उनके विषय में नज़ीरे ला रिपोर्टों ने अदालतों के सामने पेश की जाती है और उनके अनुसार सेकड़ों बरन सहस्रों नज़ीरे हिन्दुस्तान की हाई कोर्ट से निकल चुकी हैं, और निकल रही हैं। तावीर (व्यारथ) के नियम जो नियमानुसार लिया हुई दस्तावेजों के लिये याराप आदि में नियत हुए हैं उनको अदालतें बड़ी स्वतंत्रता और वहुतायत के साथ भारतधर्म के अपूर्ण और सदेह युक्त दस्तावेजों के अर्थ लगाने में काम में लाती हैं और सेकड़ों साइलों (न्याय इच्छुकों) के भाग्य का नियटारा इसी प्रकार हो जाता है, परन्तु शोक तो यह है कि उन दस्तावेजों के लेख की ओर जिन के अर्थ लगाने और उनके डारा दोनों फरीकों के स्पत्वों के नियटारा करने में इनना परिधम किया जाता है कोई मन नहीं लगाता।

भारतधर्म में दस्तावेज लिखने का काम अंगरेजी शिक्षा लगभग डेढ़ सौ वर्ष प्रारम्भ होने पर भी अब तक ऐसे मनुष्यों के हाथ में है, जिन को विद्या तथा कानूनी जानकारी तो दूर रही सीधी इवारत (लेप) भी लियानहीं आती। यहुत से दस्तावेज लेपक जो ग्रामों में रहते हैं थोड़ा सा लियना पढ़ा सीधे कर दस्तावेज लिखने लगते हैं दोनों फरीक अन पढ़े हाते हैं इस तिये जो उन दस्तावेज लेपकों की समझ में आजाता है लिया मारते हैं जब

दा लेप यहे योग्य और कानून जानने वाले जग्हों के सामने
 द्वारा प्रयत्न के लिये पेश होता है यह अपने मस्तिष्क को भीति २ का
 वर्षट् देखर उसके समझने और किसीः समय उसके निरर्थक और
 अनमिलन्य जाड़ टुकड़ों का अर्थ लगाने और दानों फसाओं के
 स्पत्यों के नियटारा करन का परिधग करते हैं, ऐसे फेसिली में जो
 दानों फसीओं की हानि होती है वह प्रत्यक्ष है। यह दशा तो
 आमोण दस्तावेज लेवर की है, इस रहे कहाँ पै दस्तावेज
 तियाँ वाले जो गहुआ तहसीलों और रजिस्ट्री के दफ्तरों के
 घरामदे या डर्याजे पर घठत है तिस्सदेह उनकी लिपिया ग्राम के
 दस्तावेज तोखकों से कुछ अच्छा होती है परन्तु उन कच्चीलिपि का
 सम्बन्ध जहा तक कानूनी स्पत्यों के सुलझाने और आयदाद
 परिवर्तन की भिन्न २ शर्तों के समझाने से है दोनों लेखकों में
 कुछ अधिक अन्तर नहीं है, इन कहाँ पाल दस्तावेज लेपक के लिये
 हुए साधारण उधार के दस्तावेज तथा एक सम्बन्ध है कि अधिक
 आकेप के योग्य न पाये जावे परन्तु पेचदार दबला रहा नामे,
 भशरूत उल रहन (रहन की शर्त वाले) वेतव्यका (रहन ये हो
 जाऊ वाले) आदि के दस्तावेज इन लागों के लिये हुए साधारण
 तथा त्रुटि से पाली नहीं होते गहुआ यहुत भद्रा भाषा में लिये
 हुए होते हैं, इगलिश के रहन से ता यह कोग निरे अनमित्य होते
 हैं इन लागों के लिये हुए चसियन नामे गहुआ एसी शर्तों से भरे
 होते हैं। यहुत मे वेत्र नामे और दस्तगरदारी पट्टे वह पेसे लिख
 दते हैं जो कानून (कानून द्वारा नहीं लिये जा सकते जैसे
 पीछे से पैदा होन वाले वारिस (उच्चरा धिकारी) के विरासत के
 हफक (स्पत्य) की वैश्व (विक्री) वा शारीरिक सेवा का पट्टा या
 पैदा द्वारा से पड़ते साकितुल मिलकियत के विषय में दस्तगरदारी
 (त्याग पर) इत्यादि जा शावश्यक शुरू मिलकियत दे नकूल

(त्रुटि) के मध्ये यहुत सी दस्तावेज़ों में लियना आवश्यक होती हैं उनका कहीं पता नहीं चलता, वैश्व नामों (विकी पर्शों) में यद्यपि जायदाद समस्त स्वत्व और 'अधिकारों सहित परिवर्तन होना लिखी जाती है । और कानून का तात्पर्य भी यही है परन्तु तो भी यहुत से शब्द जैसे 'शोर, कल्लर बजर आदि यहुधा अनावश्यक और वे अवसर लिखे जाते हैं 'और दस्ता वेज का आकार जो आवश्यक और उचित विषयों से भरा जाना चाहिये या व्यर्थ किससे कहानी से बढ़ा दिया जाता है जायदादका व्यौरा घटुधा पेसा लिया जाता है कि या तो उससे पूरा पता जायदाद का नहीं मिलता अथवा कोई आवश्यक अवैयव छूट जाता है, यहुधा देखा गया है कि जमीदारी के विवरण में शामिलात देह धा शामिलात थोक की इकिक्यत दोनों उभयपक्ष की इच्छा होने पर भी लिखने से रह जाती है और यहुत सी अनावश्यक मुकद्दमेवाजी का कारण होती हैं । रहन नामों में पेसी शरतें जो रहन करने वाले और रहन रखने वाले के आपस के सम्बन्ध को मुगमता के साथ स्थिर रख सकें नहीं होतीं या पेसे रूप में रखदी जाती हैं जो विवश लडाई और झगड़े का कारण हो जाती हैं । पट्टा और कबूलियत आदि की शर्तों के विषय में भी हर रोज यही दशा देखने में आती है । तात्पर्य यह है कि न्यूनाधिक हर प्रकार के दस्तावेज अनुचित और अधूरी दशा में पाय जाते हैं जब तक भारतवर्ष में दस्तावेज लियने के कामकी ओर पूरा ध्यान न दिया जावेगा यह त्रुटि दूर न होगी और मुकद्दमे वाजी बढ़ती रहेगी । यही भारी कठिनाई जो इसके दूरकरने में आकर पड़ जाती है वह यह है कि भारतवर्ष में दस्तावेज उद्दू भापा में लिये जाते हैं और यहुत समय तक लिये जायें । और कानूनों शिक्षा जो हम लोगों को दो जाती है पह अगरेजी भापा में होती है और कानून पेशा अगरेजी

जानने वाले इस कार्य को नहीं करते और एक प्रकार वे कर भी नहीं सकते । इसके अतिरिक्त 'साधारण मनुष्य जो निधन होते हैं वे घकीलों की फीस नहीं दे सकते और पहिले से देश में प्रथा न हाने के कारण उनको इस प्रकार का व्यय करना बहुत ही असह्य मालूम होता है । कलकत्ता, घरई, मद्रास और दो चार शहरों के अतिरिक्त बहुत कम स्थान देश में मिलेंगे जहाँ इन्तिकाल (परिवर्तन) करने वाले और लेने वाले मनुष्य अपने कार्यों को कानूनी घकीलों के द्वारा कराते हों और उनके कच्ची लिपियों में घकीलों का हस्ताक्षेप होता हो यही कारण है कि घकीलों का इस और मन नहीं लगता और आज तक इस विषय पर किसी ने काई पुस्तक लिखने का साहस नहीं किया । यह पुस्तक इस विचार से लिखी गई है कि इन्तिकाल (परिवर्तन) करने वाले और लेने वाले उस भगडे से जानकार हो जाय जो निकम्मी और अशुद्ध इन्तिकाल के दस्तावेजों से पैदा होता है । और दस्तावेज सेवक जिनकी जीविका इस काम पर निर्भर है, अपने कच्चे व्य को अच्छी प्रकार जान सकें और पहिले जिन दस्तावेजों को यह घेपरवाही और अच्छी तरह ध्यान देने के बिना ही लिख देने थे उचित और अच्छे ढग से लिय सकें । जिन आवश्यक वातों को यह नहीं जानते इस पुस्तक से जान सकें । आशा की जाती है कि यह पुस्तक अनुभवी और बूढ़े घकील महाशयों को नहीं तो कम से कम नये घकीलों के लिये सहायता पहुँचावेगी ।



प्रतावना

सम्पत्ति दो प्रकार की होती है (१) चल (२) अचल

दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का परिवर्तन एक मनुष्य से दूसरे की ओर साधारणतया दो प्रकार से होता है एक कानूनी नियम या प्रभाव द्वारा दूसरे उभय पक्ष के कार्यद्वारा यदि कोई मनुष्य जायदाद छोड़कर मर जाय तो उस जायदाद के स्थानी उसके मरण पश्चात् उस कानून के अनुसार उसके उत्तराधि कारी होंगे जिस कानून पर मरने वाला चलता था। इस प्रकार का परिवर्तन कानूनी प्रभाव द्वारा कहा जाता है। उसके लिये किसी लेख की आवश्यता नहीं होती। इसके विपरीत जब एक मनुष्य अपनी जायदाद को या कि उसमें किसी (परमित) स्वत्व को आरजी तौर (कुछ दिन के लिये) या सदा के लिये किसी दूसरे मनुष्य को दे दे तो उसके लिये कानून ने नियम बनाये हैं और उन नियमों के अनुसार उसका इन्तिकाल परिवर्तन निश्चल हो सकता है जैसे यदि कोई मनुष्य अपनी जायदाद अचल किसी¹ कर्जे में आड़ करना चाहे तो कानून के अनुसार उसका परिवर्तन उस समय हो सकता है जब उसका लेख उचित स्थान पर किया जावे और उस पर वह से कम दो मनुष्यों की साक्षी प्रमाण की रीति पर की जावे और नियमानुसार उसकी रजिस्ट्री कराई जावे, इसी प्रकार अचल सम्पत्ति का दिया (दान) इसी प्रकार होता है, तात्पर्य यह है हर प्रकार के इन्तिकाल (परिवर्तन) के लिये मिन्न मिन्न नियम बनाये गये हैं। ऐसे इन्तिकाल जो इन नियमों के अनुकूल किये जाते हैं वह दोनों पक्षों के करने से कार्यरूप में

आते हैं, और दस्तावेज लेखन इस प्रकार के इन्तिकालों से सम्बन्ध रखता है।

नियम पूर्वक और ठीक २ दस्तावेज लिखने के लिये आवश्यक है कि वे लोग जो इस काम को करें कानून से इतनी जानकारी रखते हों कि जिस से वह यह जान सकें कि खास इन्तिकाल (मुख्य परिवर्तन) किस प्रकार का है और वह किस मूल्य के और कैसे स्टाम्प पर लिपा जावेगा, और उस की रजिस्ट्री आवश्यक है वा अपने अधिकार की और उसके लिये क्या २ शर्तें आवश्यक हैं जो लिखी जावें, इसमें सन्देह नहीं जितनी योग्यता अधिक होगी उतारी ही दोनों पक्षों के स्वत्व की रक्षा होती और दस्तावेज नियमानुसार और शुद्ध लिखी जायगी परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक साधारण योग्यता का दस्तावेज लेखक यदि वह आवश्यक यातों को जान ले तो सब तरह की दस्तावेज शुद्ध और ठीक २ न लिख सके, जो लोग दस्तावेज लिखने की जीविका करते हैं और उनकी लेखनी से सेकड़ों दस्तावेज हर प्रकार की निकलती हैं वह यद्युत सी शर्तें और वन्धनों को जो दस्तावेजों में लिखी जाती है जान जाते हैं, काम करने वाले उनको अपनी ठहरी हुई शर्तें बतलाते हैं और तरह २ के मुआमले (व्यवहार) सामने रखते हैं जिस कारण उनको यद्युत सा त्रिव्यसर व्यवहारों की रगतें और रूप देखने और समझने का मिलता है और कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात् वह लगभग उन सब यातों को जान जाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिये आवश्यक होती हैं, परन्तु ऐसा अनुभव यद्यपि यद्युत मूल्य और वहे परिश्रम के पश्चात् प्राप्त होने पर भी अन्त को नियमानुसार नहीं होता, और कुछ मुरल्य उदाहरण को छोड़ कर यद्युत अपूर्ण और अधूरा होता है।

प्राथकार का विचार है कि दस्तावेज लेखकों की शिक्षा के लिये इस पुस्तक में प्रथम दस्तावेजों के आशयक अध्ययन विज्ञ-

लाये जावें और उनके विषय में सक्रिय व्याख्या की जाए जिस के द्वारा दस्तावेज सेक्सक जो श्रुतिया घेपरवाई और कभी २ विना विचारे कर जाते हैं न कर सकें, और जो उलझन भिन्न भिन्न व्यवहार के प्रकाशित करने में दस्तावेजों में हो जाती है न हो सके, दस्तावेज का सारांश और भिन्न भिन्न टुकड़ों का अर्थ समझने में सुगमता हो, विषय प्रणाली नियम पूर्वक हो सके और वह स्पष्ट धर्णन और व्याख्या जो प्राय दस्तावेजों में नहीं होती पैदा हो जाए, जिससे मुकाबले वाजी कम हो और भगड़े न उठ सकें और दोनों पक्ष अपने स्वत्व और उत्तर दायित्व को अच्छी तरह समझ सकें, आवश्यक अवयवों के पश्चात् भिन्न २ प्रकार की दस्तावेजों के मुख्य अग और उनकी आवश्यक शर्तें लिखी जावेंगी, और यह भी लिया जावेगा कि उनके लिये किस मूल्य का स्टाम्प लगेगा और उनकी रजिस्ट्री आवश्यक है या अपने अधिकार में और कभी कभी दस्तावेजों के भेदों का धर्णन और उनके लक्षण लिखते हुये यह प्रयत्न किया जावेगा कि एक ही ढग की भिन्न २ दस्तावेजों में क्या अन्तर होता है और इस अन्तर से दोनों फरीकों के स्वत्तों पर कितना प्रभाव पड़ता है। पर तु यह याद रहे कि यह पुस्तक दस्तावेज नवीसी की है न कि किसी कानून की व्याख्या। इस लिये यह धर्णन यहुत सक्रिय और उसी सीमा तक होगे जहाँ तक कि यह दस्तावेज लेखक को सहायता दे सकें। जो दस्तावेजों के नमूने इस पुस्तक में लिखे गये हैं वह अधिकतर ऐचदार व्यवहारों के सम्बन्ध में हैं और साधारणतया उनको दस्तावेज सेक्सफ्युल और ठीक तौर पर नहीं लिखते। यह रिमार्क (Remark) साधारण रूपकों और तमस्सुखों से सबन्ध नहीं रखते जो लगभग सबही दस्तावेज सेक्सक यहुत थोड़े अनुभव के पीछे लिये लेते हैं। रहन्नामे। दम्भली मर्हुरतुर्हन (त्रैउलुवफा) वसीयतनामे, तमस्सीक

नामे आदि ऐसी दस्तावेज़ हैं, कि जिनमें विशेष उल्लभता और कठनाई पड़ती है और उन्हीं के विषय में प्रयत्न किया जाता है कि दस्तावेज़ लेखक के विचार स्पष्ट और शुद्ध हों, वह व्यवहार को ठोक और शुद्ध रीति से समझ और लिख सकें। नमूनों में इच्छा पूर्वक भिन्न भिन्न व्यवहार छाट कर सम्मिलित किये गये हैं और आशा है कि जिसका प्रभाव यह होगा कि दस्तावेज़ लेखक जान सकेंगे कि विशेष मुआमिले किस प्रकार और किस भाँति से दस्तावेज़ में रखे जावें। यहुत से परिवर्तन जो साधारण नहीं होते या जो कि यडे यडे शहर जैसे कलफचा, यम्बई, मदरासादि में प्रचलित हैं। उनके नमूने नहीं दिये गये और उसका कारण यह है कि वह जहा कहीं होते हैं अङ्गरेज़ी भाषा में लिखे जाते हैं और साधा रण दस्तावेज़ लेखक को उनसे काम नहीं पड़ता। पुस्तक के अन्त में दस्तावेज़-नवीसों के जानकारी के लिये कुछ ऐसी घाँते लिखी गई हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि किस प्रकार के मुआमलों के विषय में परिवर्तन या दूसरा लेख अनुचित है, और उस प्रकार के परिवर्तनों को दस्तावेज़ लेखक न लिख सके।



दस्तावेज लेखक का प्रारम्भिक कार्य ।

दस्तावेज लिखने से पहिले लेखक का कर्तव्य है कि वह कार्य कराने वालों से उसकी नौइयत (भेद) पूछे और फिर ज्ञात करे कि वह किस प्रकार की दस्तावेज लियाना चाहते हैं, और उसके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें एक एक करके किसी कागज पर नोट करता जाए।

(१) दस्तावेज का लियने वाला बौन होगा और किस के हृषक में दस्तावेज लिया जायेगा ।

(२) दस्तावेज लिखने का कारण ।

(३) मुआवजा (यदल) क्या है और उसका देना किस प्रकार उहरा है ।

(४) यदि किसी जगह से सम्बन्ध रखता हो तो उसकी व्याज की दर और मूल और व्याज तथा 'दोनों के चुकाने' की रीत और उसका निश्चिन समय और चूक हाने पर प्रत्येक पक्ष का अधिकार और उत्तरदायित्य क्या होगा ।

(५) यदि व्यग्रहार किसी अचल सम्पत्ति के प्रियम में हो या उस से सम्बन्ध रखता हो तो उसका व्योरा शुद्धता के साथ जिस से उस की पहचान में कुछ सन्देह न रह सके, और यदि वह किसी चल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता है । जिसमें पते या व्यारथा की आपश्यकता हो तो उसका पूरा पता और व्योरा, आया उसे जायदाद पर कोई पहला भार आड या दूसरी प्रकार का रोटी कपड़े का या मालि, काना इत्यादि का है या नहीं, और यदि है तो उसके चुकाने, पूरा

करने या दूर करने के विषय में दोनों पक्षों का समझोता क्या है।

(६) यदि 'अभीष्ट कार्यवैश्वर्य, रहन दान, आदि' इस प्रकार का 'हो जिस के हारा' एक आदमी स्थायी का 'स्वत्व' 'दूसरे' आदमी की ओर बदलता हो तो 'परिवर्तनीय जायदाद के सत्रित और स्पष्ट चृताना' जिससे कि वर्तमान परिवर्तन करने वाले को 'स्वत्व' प्राप्त हुआ हो और उसके परिवर्तन का उसको अधिकार हो।

(७) अगर जायदाद एक मनुष्य के नाम हो और दूसरा मनुष्य अवली स्त्रामी के हिस्तियत से उसको बदलता हो तो उसे किस प्रकार यह अधिकार प्राप्त है।

(८) अगर व्यवहार से एक मनुष्य की जायदाद दूसरे मनुष्य के अधिकार में रहनी ठहरी हो तो उसकी आमदनी का परिमाण और 'बसूल' का ढग और हिसाध की रीति और मुजरई व व्याज आदि का व्योरा।

इनके अतिरिक्त उस व्यवहार के समन्वय में जो अन्य उचित और आवश्यक याते होती हैं वह भी दोनों करीबों को बतलाइय और उसके विषय में जो दोनों पक्ष निश्चय करें वह नोट करके जेसे रहायशी जायदादकी दखली रहत में साधारण मरम्मत की शर्त तथा 'असासारण टूटे पूटे' की मरम्मत और याली रहने की दशा में किराये की कमी का उत्तरदाता कोन होगा, और पुराने भूग के भारों की दशा में उनके अदा करने का प्रयत्न कोन करेगा और किस तरह करेगा। और वैश्वर्य के विषय में मिलकियत के सत्य के समन्वय में शर्त, कुल वा कुछ हिस्सा मूल्य की घापसी वेची, मुई घन्तु के समस्त वा किसी अश के निकल जाने या किसी

जायदाद का व्यौरा जो लिखा जावे वह पूरा २ होना चाहिये जैसे हकीकृत जिमीदारी की दशा में उसका रकवा, मालगुजारी, महाल, याता सेघट नाम मौजा, परगना, जिला और उसके साथ शामिलात थोक और पही या महाल और शामिलात देह सब लिखने चाहिये ।

इसी तरह जुतऊ जमीन की दशा में उसका नम्बर रकवा, लगान सालाना, मौजा महाल आदि देना चाहिये जायदाद सकनी (रहायशी) की दशा में उसकी हालत तामीर, चारों सीमा नाम सुहल्ला व कस्ता आदि सब लिखा जाना चाहिये । अगर उसके सम्बन्ध में पालाना या चौक या दूसरी चीज़ हो या कोई हक आसाइश, परनाला या चिंडकी आदि का हो तो वह सब लिखना चाहिये इससे लेने और देने वालों का भगडा होने की दशा में यड़ी मदद मिलती है और बहुत से खर्च से बच जाते हैं ।

जब एक धार मुकिर या परिवर्तन ग्रहीता का पूरा पता दस्तावेज में आ जावे तो दूसरी जगह दस्तावेज़ के अन्दर उचित और किसी समय आवश्यक होता है कि उस फरीक को किसी सक्रिय नाम से दस्तावेज के भेदानुसार लिपा जावे जेसा कि चैनामे में लफज वायश्रु (बेचने वाला) और मुश्तरी (मोल लेने वाला) अर रहन नामे में राहिन (रहन करने वाला) और मुर्चदिन (रहन कराने वाला) और हिवथनामा में धाहिव (दाता) और मौहूयिलह (जिसको दान किया जावे) ।

परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि उक्त प्रयोग की शुटि से दोनों फरीकों के सर्वों में गडवड न होने पावे ।

जब किसी दस्तावेज में कई फरीक हों जैसा कि शरकतनामा, तकसीमनामा, मुख्तारनामा, इकारनामा आदि में वहाँ दोनों ही

तो उन मनुष्यों दो जिनके हाफूक यक्कनाई या मुश्तरिक हों अलग २
फरीदू नम्यरवार, कर लेना उचित होता हैं जैसे फरीक, न० १
फरीक, न० २ इत्यादि, परंतु एक ही फरीक, को दस्तावेज में दो
मिन्न नामों से वर्णन, फरना, अनुचित, और वहुधा, स. देहजनक
होता है।

इन सब वातों को समझते हुये और ध्यान रखते हुये, कच्ची
लिपि बनाई जावे, और दोनों फरीकों को सुनाई जावे। इस
में जो अन्तर दोनों फरीक बतलावें या कोई कमी घेशी या
दुरस्ती चाहें वह करदी जावे—दोनों फरीकों की, इच्छा, और
नीयत को सामने रखेना, दस्तावेज, लेखक का काम है उसकी
कच्ची लिपि एक आईना होना चाहिए जिसमें दोनों फरीकों का
मामिला यिना कमी घेशी के देखने घाले को दीख सके।

इसके पश्चात् कच्ची लिपिकों कागज पर या स्टाम्प पर जैसी किंसूरत
हो साफ करना चाहिये जो दस्तावेज किसी नकश किये हुये स्टाम्प
पर लिये जावें तो नकश किया हुआ स्टाम्प ऊपर की तरफ होना
चाहिये दूसरा कागज हो तो भी चौड़ा सा हिस्सा ऊपर छोड़
देना चाहिये जिस पर आधश्यकता पड़ो पर टिकट चिपका दिया
जावे अगर दस्तावेज ऐसा है कि जिस पर इकरार करने वाले के
हस्तांकर करने के अतिरिक्त गधाहियाँ होना भी आधश्यक है तो
दाहिने हाथ की ओर गूँथ चौड़ा किनारा इकरार करने वाले और
गवाहों के दस्तावेजों का छोड़ना चाहिये। साधारण तथा हाशिये की
चौड़ाई सारे कागज की चौड़ाई की चाराई रक्षी जाती है
परन्तु आधश्यकता पड़ने पर कम या अधिक रक्षी जा सकती है।
चौड़ा रखने में पता आदि लिखने में सुगमता रहती है।

इकरार करने वालों के दस्तावेज पहिले हाशिया पर कराने के
पीछे गधाहों की गधाहियों करानी चाहिये चूंकि इकरार करने

'चालोंका पूरा पता दस्तावेजमें बहुधा' आजाता है इस लिए इकरार करने वालों के दस्तावेज कराने में अगर उनको पूरा पता न लिखा जाए तो कुछ हानि नहीं है परन्तु दर पक गवाह का नाम उसके पिता का नाम जाति, निवास स्थान, और पेशा आदि गवाही में लिखना चाहिये। अगर गवाह अपने दस्तावेज उस भाषा में नहीं, फरसकता जिस में दस्तावेज लिखा गया है तो उसका नाम पूरे पते सहित पहिले लेखक, आप लिख देवे और उसके नीचे उसके दस्तावेज की जघान में दस्तखत करना जानता हो कराले अगर गवाह दस्तावेज पूरे पते के साथ खुद लिखाने चाहिये। किसी समय ऐसे 'गवाह' मिलते हैं कि वह केवल दस्तावेज करना जानते हैं ऐसी दशा में अच्छी रीत यह है कि लेखक उसका नाम पूरे पते सहित आप लिखे, और उसके पीछे गवाह के दस्तखत करावे।

दस्तावेज के इकरार करने वालों से उनके दस्तखतों के नीचे इस प्रकार के शब्द कि 'इतने रूपये पाये' "दस्तावेज पढ़कर दस्तखत किये", या गवाहों से यह लिखाना कि दोनों फरीकों के कहने, से गवाही की" दोनों "धनी हाजिर" या इसी प्रकार की और, कोई इवारत लिखाना सदिग्द लाभ है और सम्भव है कि किसी दशा में लाभदायक सिद्ध हो परन्तु साधारणतया उसका प्रभाव या तो कुछ नहीं होता, या सन्देह का कारण हो जाता है अधिकाश यथ किसी मुकद्दमे में दस्तावेज की अस्तित्व और सचाई पर फरेब घोषा यिना बदल गलत वयानी आदि पर घटस होती है तो ऐसे लेखों से सन्देह दूर होने की जगह और यह जाता है निदान यह मुआमिला अधिकतर दस्तावेज के दोनों फरीकों की इच्छा और खुशी पर निर्भर है दस्तावेज लेखक के काम का यह कोई अझ नहीं, और न उसको इस प्रकार के लेख के विषय में किसी फरीक या गवाह से कोई प्रस्ताव करना चाहिये

इकरार करने वाले और गवाह ये पढ़े हों उन्होंने दस्तावेज सुना कर उनके अगृणे के निशान दस्तावेज पर लगाने चाहिये जब से रजिस्टरी में अगृणे लेने का प्रचार हो गया है तब से दस्तावेज लेपक को पहुँच सामान जिसके द्वारा अगृणे के निशान साफ और उत्तम आ सके रखना आधिक है। और उसको अभ्यास कर लेना चाहिये कि वह अच्छे निशानात ले सके। घराव निशानात रोने का फल विशेष कर उन दस्तावेजों की धारत जो ये रजिस्टरी हों किन्हीं मुकदमों में घटा पुरा होता है। और कभी २ दोनों फरीकों का इसी से गला कट जाता है॥

सब से अन्तिम बात जो इस प्रकरण में विचारने योग्य है पह यह है कि जहा तक हो सके दस्तावेज पढ़ी साफ इवारत में लिखी जावे। उत्तम अक्तर हर एक लेपक नहीं लिय सका परन्तु साफ लियाने का प्रयत्न हर मनुष्य कर सका है। घसीट लेपक में अशुद्ध लिये जाने और पढ़े जाने की सम्भावना साफ लेपक की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिये यह अच्छा है कि लेपक सवार कर लिखा जावे, यदि घसीट लिया जावे तो साधानी के साथ जिससे उसके पढ़ने में कोई सदेह न हो सके और दोनों पक्ष लेपक के बुरे तोष से दूरि न उठायें।



रुक्का या प्रामेसरी नोट

परिभाषा—प्रामेसरी 'नोट' 'बहु' लिखी 'दस्तावेज' है '('वे के नोट या करेन्सी नोट की छोड़कर') जिसे मैं बिना शर्त के लियने वाले के दस्तखत से फेले 'एक' नियत 'सख्ता' के नकद रपये के अदा करने की प्रतिष्ठा इस 'फ्रॉर' की' गई हो कि एक सांस मनुष्य को या जिसे को यह दिलाये 'उस' को 'या 'उस दस्तावेज' के हामिल (ले जाने वाले) को दिया जाविए।'

अकसाम [नेद]—प्रामेसरी नोट दो प्रकार के होते हैं। एक बहु जो इन्दुत्तलव मांग पर अदा करने योग्य हो दूसरे जो किसी नियत समय पर देने योग्य हों। मुद्रती प्रामेसरी नोट या मुद्रती हु डी बैंक अन्तर नहीं होता, और मुद्रती प्रामेसरी नोट बहुत कम लिये जाते हैं।

स्टाम्प—प्रामेसरी नोट पर जब कि वह इन्दुत्तलव (मांग पर) अदा करने योग्य हो एक आने का स्टाम्प ढाई सौ रपये तक दो आने वा स्टाम्प एक हजार रुपये तक और उस से ऊपर चार आने का स्टाम्प (टिकट) लगता है, यदि किसी धारे पर अदा करने योग्य हो तो वही स्टाम्प लगता है जो मुद्रती हु डी पर और जो साधारणतया एक आने सैकड़े के लगभग होता है।

देख्नो मह १३ जमीमा १ कानून स्टाम्प एकट सन् १८६० ६०

सामान्य सूचना

प्रामेसरी नोट के लियने मैं यह विचार अवश्य रखा जाये कि उसका रुपया मांग पर अदा करने योग्य हो नहीं तो हु डी का स्टाम्प लगेगा, इस पर गवाहिया क्रदापि न

होनी चाहिये, नहीं तो दस्तावेज के समान हो जाएगा, अगर घटल की अदायगों की गवाहों का प्राप्त करना आवश्यक हा तो रुपये की रसीद अलग लिखाई जा सकी है, और उस पर गवाहिया हो सकी है।

जो चिपकाने का स्टाम्प प्रामेसरी नोट पर 'कृत्या जावे उस' के ऊपर इकरार करने वाले के हस्ताक्षर या अगूठे का निशान तारीग और सन सहित इस प्रकार कराये जाने कि यह 'स्टाम्प' फिर काम में न आ सके।

प्रामेसरी नोट इन्दुत्तलब का नमूना न० १-

"टिकट"	जनाय मुशी अचुल, करीम साहिब, ससलीम करने वाले के ता जो कि मुबलिग, दोस्री २००१ रुपये सिक्के, रीख व सन् सहित सरकार कि जिनके आधे मुबलिग, सौ रुपये, १००) उक्त सिक्के के होते हैं आपसे नकद कर्ज, लिये हैं उक्त रुपये इन्दुत्तलब (मागने पर ही) एक रुपया मासिक सैकड़ा ब्याज सहित अदा किये जावेंगे इस लिये यह प्रामेसरी नोट टिकट चस्पा आपको लिख दिया कि प्रमाण रहे।
--------	---

राकिम

नासिरहीन घलद मिर्यां खा कौम पठान साकिन अलीपुर
तहसील खुर्जा जिला बुते दर्शहरू।

मुकाम अलीपुर,

ता० १३ मई सन् १९७२।

प्रामेसरी नोट नमूना नं० २

टिकट

मैं नौवतराम वेटा रामधन जाति ब्राह्मण निधासी
 शाहनगर तहसील माट जिले मथुरा, इकरार करता हूँ,
 कि एक हजार रुपया अक्षेत्र १०००) सिक्के सरकार कि
 उसके आधे पाच सौ रुपये अक्षेत्र ५००) उक्त सिक्के के
 होते हैं देवकी नन्दन बलद रामसहाय ब्राह्मण साकिन उक्त शाह
 नगर को नीचे लिये हुए मुआवजे के बदले मैं इन्दुत्तलब अदा
 कर गा, इसलिये यह रुपका लिख दिया कि सनद रहे।

दस्तखत
ता० सन्
सहित

अपने लिये रहननामे के मध्ये
 लाला केशलराम साकिन कोल
 के नाम का जो ५ अप्रैल सन्
 १८६७ को लिया-आप के
 पास छोडे।

५००)

मर्ज अदालत के लिये नकद
 आज की तारीय मैं बसूल पाये
 २५०)

अपने लिये हुए रुपके के मध्ये
 जो २४ जूलाई सन् १८६५
 को आप के नाम लिखा था
 "असल" घ सद के मुजरा
 दिये।।

२५०)

इम्ताज़र

नौवतराम बकलम गुद
 मुकाम शाहनगर तारीय २७ अगस्त सन् १८६७ ई०

नमूना नं० ३

टिकट
दस्तगत,
ता० सन्

जनाम मुशी अब्दर्दहमान पा सादिव रईस मोहनपुर
जिला विजनौर तसलीम-

जोकि २८०) रुपये आप के मेरे ऊपर मेरे पहले रुक्के तादादी
दो सौ रुपये तारीय ३ अफ्टूष्टर सन् १९१२ के चाहियें और २०) रु०
आज घरेलू काम के लिये नकद कर्ज लिय हैं।

कुल तीन सौ रुपये कि जिसके आधे डेढ़ सौ रुपये होते हैं,
एक रुपये मासिक सैकड़ा ब्याज सदित जब आप मार्गेंगे तब
अदा करूँगा, इस लिये यह रुक्का टिकट चस्पा लिय दिया कि
सनद रहे और समय पर काम आवे।

ह० । युदावख्य चट्ठ इमाम अली साकिन कस्ता नगीना,
जिं० विजनौर।

स्थान,

तारीय

नमूना नं० ४

म इकरार करता हूँ कि चारसौ रुपये कि जिस के आधे दो सौ
रुपये होते हैं मु० अहमद येर खाँ चट्ठ मु० गुलाम नवीना कौम
पठान साकिन इहसान नगर जिं० गुडगांवा को निस्वत कर्ज जो
मैंने उनसे नकद लिया है मेरे सूद फीसदी एक रुपया माहवारी
इन्दुचलघ अदा करूँगा इसलिये प्रामेसरी 'नोट' लिख दिया कि
सनद रहे।

ह० । प्रेम सुखदास चट्ठ शुनदास कौम शौहरा साकिन
मुहम्मनपुर जिं० गुडगावा, यकलमयुद

ता० १७ । नगर्यर सन् सन् १९६१ मुकाम इहसान नगर।

नमूना रसीद मध्ये प्रामेसरी नोट नं० (१)

टिकट

मैं कि नासिरहीन घलद मियांखां कौम पठान
साकिन परगना व तहसील जि०

का हूँ, जो कि दो सो रुपये कि उसके आधे सौ
रुपये होते हैं, मु० अबदुल करीम खां घलद मु० इनीयत शहमद या
कौम पठान साकिन, जि० से चाहत
मुश्ताखजा प्रामेसरी नोट नविशत खुद मौसूमा मुशी साहिब मौसूफ
नकद घसूल पाये, इस लिये यह रसीद टिकट चस्पा लिखदी कि
सनद रहे।

अल अ द गधाह शु द गवाह शु द
नासिरहीन घकलम खुद
तहरीर तारीख मुकाम

नासिरहीन
घकलम खुद
ता०

नमूना रसीद नं० २

तारीख १६ सितम्बर सन् १९७७ को मुक्त नौवतराय घलद
रामधन ग्रामण साकिन शाह नगर तहसील जि० न
मुदलिग कि उसके आधे मुरलग रुपये होते हैं
प० देवीकीमन्दन घलद राम ग्रामण, साकिन मौजा शाह
नगर मजकूर से बाबत मुश्ताखजा रुकका जो मैंने बहुको उक्त पडित
जी के आज लिखा है नकद घसूल चाये इस लिये यह रसीद
लिख दी ॥

अल अ द गधाह शु द
गधाह शु द
तहरीर तारीख मुकाम

तमस्सुक

लफज्ज तमस्सुक मे,

(अ) हर ऐसी दस्तावेज सम्मिलित है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस शर्त पर रुपया अदाकरने की प्रतिशा करे कि यदि असुक विशेष किया कार्य में आवे या न आवे और जैसा अवसर हो तो उक्त प्रतिशा भग हो जावेगी। और

(ब) हर ऐसी दस्तावेज, शामिल है जिस पर किसी की गवाही हो जो उसका स्पष्ट काबिज (कब्जा रखने वाले) के दृक्म पर हामिल (ज्ञाने वाले) को धाजियुल अदा न हो और उसकी रुप से प्रक शर्त दूसरे को रुपया देने का घायदा करे और

(स) हर पसी दस्तावेज 'जिस पर ऊपर' लिखे हुये 'अनुसार गवाही' लिखी हो और उसमें इस बात का घायदा हो कि मनुष्य अनाज या और कोई खेती की पैदाओं दूसरे शर्त को देगा।

(८) तोट-तमस्सुक के लिये जहरी है कि उसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को रुपया या दूसरा चीज द्वाला करने का घायदा (प्रतिशा) करे आर उस पर गवाहिया हो।

दस्तावेजों की किस्म (भेद)

दस्तावेज व्यायदा इन्दुच्छरण, व्यायदा मुआइयत (नियत समय) या किस्तवंदी के होते हैं। इवालगी गत्ता या दूसरी 'जिम्स' के दस्तावेज सहे वे नाम से बोले जाते हैं।

स्टाम्प

दस रुपये तक दो आने, पचास रुपये तक चार आने, सौरुपये तक आठ आने, एक हजार रुपये तक फी जायद सौ रुपये पर आठ आने, उसके पश्चात् हर पांच सौ या उसके छाड़ पर दो रुपयेक्षण आने। देखो (मद १५ जमीमा १ कानून स्टाम्प)

सामान्य सूचना

किसी दस्तावेज का बदल नकद रुपया होता है, किसी का कर्जा या पुराने हिसाब की घाकी, किसी का कुछ भाग नकद रुपया और कुछ भाग पुराना कर्जा (ऋण)।

इसी तरह अदा करने का वायदा कभी इन्दुत्तलव होता है कभी कोई तारीख या महीना या नियंत फसल। कभी किस्तबन्दी द्वारा, और वायदा सिलाफी (प्रतिहाँ दानि) की दशा में एक या कई किस्तों के चूकने पर वाकी मुतालवा, एक मुश्त, व्याज की दर, कभी सादा होती है कभी व्याज पर व्याज छुमाही या सालवार।

कभी वायदे पर रुपया या सूद अदा होने या न होने की दशा में कम या अधिक और उसका निकाज (बलन) तारीख वायदा खिलाफी (प्रतिहाँ दानि) या तारीख दस्तावेज से होता है। किसी समय सूद पेशगी मुतालवा दस्तावेज में शामिल कर दिया जाता है। इन सभ रह व बदल के विचार से भिन्न २ दस्तावेजों के आशय भिन्न २ होते हैं। यदि प्रत्येक अलग अलग तथदीली दिखाने के लिये अलग अलग नमूने लिखे जाय तो सख्त बहुत यढ जायगा। नीचे के नमूनों में जहाँ तक हो सका है भिन्न २ रहो बदल (परिवर्तन) दिखाने का प्रयत्न किया गया है दस्तावेज लेखक उन को देख कर अधश्यकता के अनुसार बनाए रखा सकता है।

तमस्सुक साधा इन्दुत्तलव

मेरि करीमुल्ला वलद सईदुल्ला कौम पठान साकिन मोजा
अहमदपुर परगनह सआदतपुर जिला हमीरपुर का हूँ जो कि
मुखलग अस्सी रुपया सिर्के चहरेदार कि जिनके आधे चालीस
रुपये होते हैं। मु० सिराजुद्दीन घलद हमीरपुर कोम शेख सा-
किन अमरपुर परगना सआदतपुर जिला हमीरपुर से नकद
कर्ज लिये हैं। इकरार यह है कि उक रुपये इन्दुत्तलव मय
सूद फीसदी सरा रुपया माहजारी दाइन मौसूफ को अदा करूँगा
और सूद का रुपया हर छ मारी पर अदा करता रहूँगा, छमाई
सूद के अदा न करने को दशा में जरे सूद यिना अदा शुद को
शामिल असल के करके सूद पर सूद उक्त दर से दूगा, और निस्वत
तरीका अदायगी यह करार पाया है कि जो दुछ असल वा सूद में
अदा करूँगा उसकी रसीद अलग लेता रहूँगा या तमस्सुक की
पीठ पर तहसीर कराता रहूँगा इस लिये तमस्सुक हिय दिया
कि सनद रहे।

अल अ	—	द	गयाह शु	—	द
निशानी वाएँ अगूठे की			अहमदश्लीघटद मुरतारश्ली		
करीमुल्ला मुकिर की			कौम शेख पेशा नोकरी साकिन		
गयाह शु	—	५	अहमद पुर यक्तमपुद		

मोहन लाल घलद मोती लाल घड्हाम राहतुल्ला घलद विसमिलाह
ग्राह्यण पेशा पडिताई साकिन कौम शेख इस दस्तावेज का
अहमद पुर यक्तमपुद

ता० १५ अगस्त सन् १९२० ई०

लेखक
अहमद पुर

तमस्सुक किरतवन्दी (टीपखन्दी)

मैं कि रामदास घलद मोहनदास जाति वेरागी साक्षिन, कसवा
इयात नगर यलद मम्भल जिला मुरादाबाद का हूँ ॥ जो कि एक
हजार पाच सौ रुपया सिफके चहरेदार कि जिनके आधे, सात सौ
पचास रुपये उक्त सिफके के होते हैं नीचे लिखे अनुसार मेरे ऊपर
लाला परमसुखदास घलद मोतीलाल कौम बोहरे उक्त कस्ते
के रहने वाले के लेने हैं ।

वावत वेगाकी असल व सूद वावत सूद पेशेगी के पाये
एक दस्तावेज लिखा हुआ मुझ
इकरार करने वाले का देने वाले के
नाम का-तादादी आठ सौ रुपये

८००) ता०

११ जनवरी सन् १९१६ को मुजरा किये

। १२५०)

२५०)

जोड़ १५००)

इकरार यह है कि उक्त रुपये विना व्याज दाईं सौ रुपया हुं
मादी के हिसाब से तीन साल में अदा करूँगा, पहली किस्त
वैसाह लम्पत १९७६ और दूसरी किस्त कतिक मास लम्पत
१९७६ में देने योग्य होगी इसी प्रकार अगली किस्तें वेदाकी होने
तक हर अगले साल की वैसाख व कार्तिक में अदा करने योग्य
होती रहेगी, किन्हीं दो किस्तों के चूक जाने पर विना अदा किया
हुआ समस्त रुपया एक मुश्त बारह आने मादियारी सैकड़ा व्याज
सहित किस्त चूकने की तारीख से अदा करना होगा, इस लिये
यह थोड़े से शब्द तमस्सुक किस्त वन्दी की तरह लिख दिये कि
अमाण रहे और समय पर काम आवे ।

अल अ— व्य गवाह शु— द गवाह शु— द
गवाह शु— द तहसीर तारीख माद जनवरी
वकलम लेयक

नियत समय पर भुगतान की टीप

मैं कि नूरमुहम्मद घटद गुलाममुहम्मद को म शेषा जमीदारी के स्वा फरीदनगर जिला बरेली का है जो कि मुवलिग छैसौ रुपय सिक्के सरकार कि उसके आधे मुवलिग तीन सा रुपये उक्त सिक्के के होते हैं देने मिर्जा अंली अहमद घटद गुलाम अहमद कौम मुगल साकिंन कस्वा मज़हूर के नोचे लिये हुए अनुसार मेरे ऊपर चाहिये ।

यात्र असल ३ सूद दस्तावेज
५ मार्च सन् १९१५ ई० के मेरा
लिना हुआ देने वाले के
नाम तादादी २४०)
(४००)

नकद लगान अदा करने को रजी
सन् १३२४ फसली और दीगर
गर्चों को बस्तू पाये
२००)

कुल ६००)

इफरार यह है कि उक्त रुपयों को सधा रुपया सैकड़ा मासिक व्याज समेत देने वाले को एक साल की अवधि में अदा कर दूगा परन्तु यह यह है कि अगर आधा रुपया सूद सहित छु माह के अंदर और शेष १ साल के अंदर अदा करदू तो व्याज सभा रुपया की जगह एक रुपया की दरसे दी जायेगी और नियत अवधि के भीतर कुल रुपया नेवाक न करने की दशा में व्याजदर सधा रुपया सैकड़ा मासिक हर छु माही पर देता रहूगा । और अगर छु माही पर व्याज न अदा कर तो हर छु माही पर यिन अदा किये हुये सूद को मूलधन में शामिल करके व्याज पर व्याज उक्त व्याजके हिसाय से दूगा और कुल रुपया जय मार्गे तभी देना देगा इस लिये यह तमस्तु कलिरा दिया कि प्रमाण रहे ।

अलम —————— द गथादशु —————— द
गथाद शु —————— द तदरीर तारीग्र मुकाम
बकलम होधन

विविध प्रतिज्ञाओं की टीप

मैं कि नौवतसिंह वेदा पदमसिंह जात ठाकुर पुढ़ी साकिन कौड़ियागज परगना अकरायाद तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ का हूँ जो कि २५००), दो हजार पाँच सौ रुपये सिक्के सरफार कि उसके आधे १२५०) एक हजार दो सौ पचास रुपये होते हैं बालकिशन घटद लाल जीवन कौड़ियादरा साकिन पुरागाव परगना अतरौली जिला अलीगढ़ के इस व्यौरे से कि मध्ये टीप रजिस्टरी १३ दिसम्बर सन् १८७३ १००० मध्ये हिसाब बहीखाता ६६८) है सौ 'अडसठ रुपये' चार आठ अब नकूद बसूल पाये ८२१॥) आठसौ इककी रुपये बारह आना कुल २५००। मेरे जिम्मे हैं। और देने रखता हूँ इस लिये इकराम करता हूँ और लिये देता हूँ कि उक्त रुपयों में से १०००) पथ हजार रुपया १।) सबा रुपया माद्वारी सूद सहित एक मुश्त जब मागे तब उक्त व्यौरे को दे दूगा कुछ धनाना न करूँगा ऊपर लिये हुये रुपयों का व्याजें छ माही पर देता रहेगा अगर सूद छ माही पर अदा न करूँ तो घडे हुये सूद को मूलधन में शामिल करके सूद पर सूद १।) सैकड़ा मासिक के हिसाब से अदा करूँगा और वाकी १५००) में से ५०।) उक्त सूद दर से 'अदा फी तारीख तक मार्च सन् १८७७ ई० के आत तक देने ठहरे हैं और उसके मध्ये यह शर्त ठहरी है कि उक्त अदा को मैं आज की तारीख से एक साल के अन्दर अदा करदू तो उस पर १।) सैकड़ा मासिक सूद की जगह १।) सैकड़ा मासिक सूद लगाया जावे और शेष १०००) दो किस्त में विना व्याज के देने ठहरे पदिलो किस्त ३१ जनवरी सन् १८७६ को और दूसरी किस्त ३१ जूलाई सन् १८७६ को देने योग्य होगी। और किसी किस्त के चूकने पर शेष अदा एक साथ १।) सैकड़ा मासिक सूद के हिसाब से चूकने की तारीय से

घसूल करने के योग्य होगा जो रुपया दाता को किसी मध्ये दूँगा उसको इस तमस्तुक की पीठ पर लिया, दूँगा या नियमानुसार रसीद लेता रह गा इस लिये यह टीप लिख दी कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

हस्ता ————— तर सा ————— ती
 नौवतसिंह कौम ठाकुर इकरार भाऊजाल घटद लेखराज वेश्य
 करने थाला पेशा परचूनी साकिन कौडिया
 सा ————— ही ————— सा ————— ती
 दलपतसिंह घटद केसरीसिंह कौम दृष्टादुरसिंह घटद शपाम
 ठाकुर पेशा जमीदारी नगरदार सा- सुदर कौम कायस्थ साकिन
 किन देह वस्त दिन्दो कौडियागज पटवारी दस्ता
 वेज लेखक

लिखतम तारीख ३१ जूलाई सन् १८७५ ई० स्थान दर्जा
 तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ ।

टीप सट्टा सादा —————

मैं कि भग्मनसिंह घटद दुशालसिंह कौम ठाकुर साकिन घ
 काश्तबार मौजा उथलाना पगना मोर्थल नहसील कोल जिला
 अलीगढ़ का हु जा कि ७५) सिकके चलन याजार कि आधे 'जिस
 के ३७॥) होसे है लाला तुलसीप्रसाद घटद लाला' देवीप्रसाद वेश्य
 सिक दरारउ मालिक कोठा नील माज खालरा उक पर्गना और
 तदस ल से मार्फत यामू छोनरमल गुमाश्त के पेशगी लेकर इकरार

फरता है कि उक्त रूपयों के घदले एह सूपया सेफडा माहवारी सूद के साथ अपनी योती की पैदाधार का नील का लांक अन्नल किसम का कारिन्दे के मांगने पर अपनी वाररदारी उक्त कोठी पर पहुँचा कर तुलवा दूगा और उसका मोल २५) सौ मन के हिसाय से मुजरा लेंगा और जो मेरी नील का लाक उक्त कोठी में अधिक पहुँचेगा उसका मोज खुश्यरीद भाष से उक्त लाला साहिय को देना होगा जो लाक कोठा पर न पहुँचाऊगा या दूसरी जगह बैचदू तो उक्त लाला साहिय को अधिकार होगा कि पेशगी दिये हुये रूपये को ३८ सैफडा माहवारी सूद और उस दर्जे के साथ जो मेरी प्रतिष्ठाहानि से हो मुझसे और मेरी जायदाद से जब चाहें और जैसे चाहें बसूल करलें मुझको कुछ उजर न होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द तमस्तुक बदनी लांक नील के तौर पर लिख दिये कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आये।

अलश ————— घट गवाह शु ————— द

भस्मनसिंह घटद खुश्यालसिंह	दस्तव्यत मधुराप्रसाद
मुकिर घकलम खुद	घटद प्रानसुख कौमका
	यस्थ पेशा नौकरी सा०
	मौजा उखलाना मजकूर

गवाह शु ————— द

कट्यानसिंह घटद हीरासिंह कौम ठाकुर पेशा काश्तकारी साकिन सफेदपुर घरत महाजनी —————

तहरीर यतारीय ५ मई सन् १८६६ ई० घकलम अजुध्याप्रसाद
घटद कुज बिहारीलाल कौम कायस्थ साकिन कोल कातिव घसीका हिजा

(विविध प्रतिज्ञाओं की टीप सूटा)

हम कि रामनरायन घटद गगाभर च जीधाराम घटद माधौप्रसाद कौम ब्राह्मण पेशा खेती साकिन मौजा जलपुर सेहौर पर्णना अकरायाद जिला अलोगढ़ के हैं जोकि मुखलिंग २५०) दोसौ पंचास रुपया कि आधे जिसके मुखलिंग १२५) सवा सौ रुपये सिक्के सरकार के होते हैं याफतनी लाला जसराम घटद मोहनलाल कौम बौद्धरा साकिन मौजा मजकूर हमारे जिम्मे नीचे लिखे व्यौरे अनुसार चाहियें।

बायत घकाया एक कितअ
तमस्तुक सादा तादादी
४६) उनचास रुपयालिखा
हुआ इकरार करने वाले का
देने वाले नाम के १३ मार्च सन्
१९२० का लिखा हुआ

४१(१०)

बायत घकाया हिसाय स्थाद
घ बीज आजकी तारीय तक
जो मेरे नाम देने वाले के नि
कले ।

३८=)

गैदू घ जौ जा फ़स्ल रथी
की दुयाई के लिये देने वाले
सत्तिय कीमती ७५)

एक बैल सरीदने के लिये
नकद लिये ७५)

इकरार यह है कि उक्त घृण में से १५०) और उसका व्याज १०) मासिक दर के घद्दे में गैदू घ जौ अगले घेसाथ में अद्यतोज के माव याजार के हिसाय से उक्त महाशय को अदा कर दूगा और पाफो १००) और उसकी ऊपर लिखी व्याज के घद्दे में नील का

लाक अगले साल की पैदावार का ३०) सेकड़ा मन के भावसे दाता की कोठी नील मौजा जल्पुर पर लाकर तुलधा दू गा और इस तरह कुल ऋण दस्तावेज का मूल और व्याज बेचक कर दू गा दोनों अवयवा एक प्रतिशा तोड़ने की दशा में उक्त दाता को अधिकार होगा कि दस्तावेज लिपित ऋण को उक्त दर की व्याज सहित दस्तावेज लिखने की तारीख से हम लोगों की व्यक्ति और सम्पत्तिसे वसूल फर लेवें हमको कोई उजर न होगा और सूद छ माही ऐसी दशा में उक्त रूपयों का हर छ माही पर देना चाहिये होगा और भुगतान न होने की दशा में व्याज पर व्याज हर छ माही बाद देना होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द सट्टे के दस्तावेज के रूप में लिख दिये कि भ्रमाण रहे ।

अलश्च ————— एव अलश्च ————— एव गवा ————— एव गवा ————— ए
लिखने की तारीख ————— मुकाम ————— वकलम ————— लेखक —————

बैनामा (विक्रय पत्र)

- बैश्री की तारीफ (विक्री की परिभाषा) बैश्री के शब्द से तात्पर्य मिलकियत का परिवर्तन कीमत के बदले में जो अदा की जावे या जिसके अदा करने का चायदा (प्रतिशा) किया जावे या कुछ हिस्सा अदा किया जावे और कुछ हिस्से की प्रतिशा हो ————— दुपुर कानून इन्तिकाल जायदाद ।

अक्षसाम व तरीका बैश्री (विक्री के भेद व रीति)

— येसा परिवर्तन जो कि किसी अचल या उस सम्पत्ति के विषय में हो जिसका मूल्य १००) रु० से अधिक हो और

या ऐसे स्वत्व के विषय में हो जो लोट्टो हो या अन्य किसी अप्राकृतिक वस्तु के विषय में हो तो फेवल रजिस्टर्ड विक्रीपत्र द्वारा हो सकता है।

जब प्राकृतिक अचल सम्पत्ति एक सौ रुपये से कम मूल्य की हो तो उचित है कि उसका परिवर्तन रजिस्ट्री की हुई वैच के द्वारा हो या जायदाद के सौंपने के द्वारा और अचल प्राकृतिक सम्पत्ति की सौंप उस समय हो जाती है जब कि घेचने वाला मोल लेने वाले या जिसको वह बतलावे उसको सम्पत्ति पर अधिकारी करदें।

चल सम्पत्ति के घेचने के लिये किसी लेख की आवश्यकता नहीं है साधारणतया मालके सौंपने या मूल्य वसूल पाने की रसीद लिखाई जाती है रसीद पर अगर यीस रुपये से अधिक की मालियत हो तो एक आने का टिकट लगाना चाहिये।

साधारण सूचना- कोई मनुष्य किसी सम्पत्ति के मध्ये उस स्वत्व से अधिक और अच्छा जो आप रखता हो दूसरे को नहीं दे सकता इस लिये आवश्यक है कि वैनामे में भेनने वाले का स्वत्त्व वैची हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रगट किया जावे यदि उक्त स्वत्त्व उसके पास पहिले परिवर्तनों द्वारा आया हो या उसके मध्ये कोई न्यायालय का निवारा हुआ हो तो उसका पर्यां दस्तावेज के भीतर लिया जाने। इसके अतिरिक्त जब तक कोई दूसरी (प्रनिधा) दोगों पक्ष के बीच में निश्चय हुई हो तो उचित है कि घेचने वाले की ओर से यह शर्त लिपी जावे कि उसके स्वत्त्व न होने की दशा में या घेचने वाले के किसी सामी की दावे दारी से या उसके स्वामित्व के किसी खोट से घेची हुई जायदाद या उसका कोई भाग मोल लेने वाले के अधिकार से निकल जाये तो घेचने गाला।

रहित वेची जावे तो किसी ऋण या भार के निकल आने ही दशा में वेचने वाला उसका उत्तर दाता होगा । जो कुछ दोनों उसके विषय में ठहरा तें वह दस्तावेज लेपक को लियना चाहिये ।

जो नियमाधिली उभय पक्षों के पते सम्पत्ति के ब्यौरे और उस के सवन्धित और आधित स्वतंत्रों और मूल्य का विवरण और उस के चुकाने आदि के विषय में लिखी जानुकी है वेश्वनामे के लियने में उनकी सावधानी विशेषतया रखनी चाहिये । क्योंकि वेश्वनामे के द्वारा एक मनुष्य का स्वत्व दूसरे मनुष्यकी ओर स्थायी रूप से पदल जाता है । और वह सदा को स्वत्व प्रमाणपत्रकी भाँति मनुष्यों के हाथ में जाता है और उसीके द्वारा यहूत से स्वतंत्रों का निवटारा हो जाता है ।

रहायशी सम्पत्ति के विक्रय, पत्र में जो सम्पत्ति का विवरण लिखा जावे उसम इस घातका ध्यान रखया जावे कि उस सम्पत्ति का कोई अंग जो परिष्वर्तन होती है रहन जावे न उसके रह जाने का सन्देह हो सके, सन्देह रहने की जगह यह अच्छा होता है कि एक गात दोबार घरने आवश्यकताजुसार तीन बार लिखदी जावे जो आसाई का स्वत्व, परनाले, गोशनदान, पिड़की, जगला, मारी आने जाने का द्वार आदि की भाँति जो प्रेती हुई जायदाद के किसी ओर या किसी मनुष्य के विकल्प हो वह अवश्य लियना चाहिये । वेश्वनामे के लिये अधिकार का परिवर्तन होना आवश्यक है चाहे वह दस्तवेज में हो या नियमपद्धतों इसे लिये अधिकार सांपनेका वर्णन भी विक्रियपत्रमें अवश्य लिया जाना चाहिये ।

- अन्य विषय जैसे स्वत्वादि सम्बन्धी पत्रादिका देना आड और - अय भार मालिकाना खान पान आदिका चुकाना । इस विषय में जो निश्चय दोनों पक्षोंने किया हो, लियना चाहिये ।

स्टाम्प हस्थ मद २३ ज्यमीमा १ कानून स्टाम्प

यदि कोमत के रूपये को सर्वया पचास से अधिक न हो ॥) १
 सौ रूपये तक । २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
 किर एक हजार रूपये तक हर सैकड़े या उसके टुकड़े पर १)
 किर एक हजार रूपये से ऊपर हर पाच सौ रूपये या उस के
 टुकड़े पर ॥ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

रहायशी सम्पत्ति का माध्यारुण विक्रिय पत्र

मंकि रोशन अली बलद जाहिद अली साकिन कस्वा अहमद
 नगर परगना ह व तेहसील खुजां जिला बुलन्द शहर का हू। जो कि
 मुझ इकट्ठार करने वाले को कर्ज़ी (ऋण) चुकान और दूसरे घरेलू
 याचों के कारण अपनी जायदाद का कुछ भाग वेचा स्वीकार है
 और कोई कारण परिवर्तन का रोकने वाला नहीं है इस लिये
 अपनी स्पस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में यिना किसी
 की जबरदस्ती और रुचि दिलाने के एक मकान पक्का बना
 हुआ कस्वा अहमद नगर उक्त परगने और जिले वाले का सात सौ
 रुपये ७००) के बदले (कि जिसके आधे साढ़े तीन सौ रूपये होते
 हैं) उक्त कस्वे के रइस संयद औमाफ़ अली बलद संयद बाकर अली
 के हाथ विक्री किया और विट्कुल वेचदिया और मूर्त्यका रपता उक्त
 मोललेने वालस नीच लिये व्यौरे अनुसार प्राप्त कर लिया, पसा
 कोडी उक्त मोल लेने वाले के ऊपर मेरा शेष नहीं रहा, और वेची
 हुई घस्तु पर अपने समान मोल लेने वाले को स्वत्व और अधि
 कार दे दिया अब मुझ को और मेरे दायमानियों और प्रति
 निधियों को वेची हुई घस्तु से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं
 रहा और न आगे को दोगा, उक्त घस्तु हर प्रकार के ऋणों और

भगव्यों से शुद्ध और पवित्र है, उस में कोई मेरा साभी और
दिस्सेदार नहीं है अगर कोई शरीक या साभी पैदा होकर किसी
प्रकार का दावा वेची हुई वस्तु पर करे उसका मे उत्तर दाता हूँ
और अगर इस प्रकार की दावेदारी या मेरे स्वत्व की किसी ब्रुटि
के कारण कोई अश वा समस्त जायदाद मोल लेने वाले के अधि
कार से निकल जावे और कोई जूण या भार किसी
मेरे कारण से मोल लेने वाले को चुकाना पड़े तो मोल लेने वाले
को अधिकार होगा कि अपने मूल्य का सारा रूपया हानि और
व्यय सहित जो उस पर पड़े पक रूपये मौसिक सैकड़ा व्याज
सहित वेची हुई वस्तु और मेरी व्यक्ति ओर अन्य सम्पत्ति से जैसे
चाहे प्राप्त कर लेवे, किसी प्रकार वहाना न होगा और वेची हुई
वस्तु ऐस जूण में आड समझी जावेगी, वेची हुई सम्पत्ति की
स्वत्व से सम्बन्ध रखने वाली समस्त दस्तावेज़ मोल लेने वाले
को सौंप दी गई जो रूपया मोल लेने वाले के पास मेरा जूण
चुकाने के लिये धरोहर छोड़ा गया है उसको उक्त खरीदार का
कर्तव्य होगा कि वहुत शीघ्र चुका कर दस्तावेज लेटा लेवे और
उसको मेरे सुपुर्द करदे, जो व्याज उक्त दस्तावेज के रूपये पर आज
से पड़ेगा उसका उत्तरदाता आहक है, इसलिये यह थोड़े शब्द
विकर पत्र के सदृश लिख दिये कि प्रमाण रहे और आवश्यकता
के समय काम आये।

वेचे हुए मकान की चारों सीमा

पूर्व — या पश्चिम — प

सड़क

हरदेव माली का घर

दक्षि

ण

उत्त

र

रामयद्वा चमार का घर

गली

मूल्य के रूपये का व्योरा

राम सहाय ग्राहण अहमद नगर निवासी के पहिले ऋण के चुकाने के लिये जो दस्तावेज़ ३ मार्च सन् १९६८ ई० को लिखा गया जिसमें मेरी जायदाद आड है। ग्राहक के पास धरोहर छुड़े।
(१७५)

दस्तावेज़ का रूपया आज फी तारीख तक मूल और व्याज सहित इतना ही होता है।

रजिस्ट्री के समय रोक पाये	पृष्ठ ५२५)
दस्ता	क्षर

साक्षी

लिखतम् २५ जनवरी सन् १९०२ स्थान अहमद नगर

बफलम अहमद यारखा चेटा मुहम्मद यार खा

टीप लेखक—

दूसरी रिहायशी जायदाद का विक्रय पत्र

मैं कि मुस्मात सु दरिया गैराती की खी जाति कठि, यारा रहने वाली काल मुहरला मामू भानजा जिला अलीगढ़ की हूँ। जोकिएक मकान कच्चा यमा हुआ जिसमें भीतर की आर एक बोठा उत्तर मुहाना और उक्त कोठे के भागे एक दरादालान लकड़ी की कड़ी से पटा हुआ और उसके साथ चौथट बाजू और दा जोड़ी किबाड़ और पृष्ठ गज जमीन सहित जो शहर कोल के मुहरले मामू भानजे मे है। उसकी सींगा निम्न लिखित हैं।

पूर्ण व्योरा परियां मी
इस मकान की दोधार उसके इस मकान की दोधार उसके

पश्चात् मकान मोहन लाल	पश्चात् मकान जपम
राज का	और मकान बैनीराम
दक्षि— गी	उच्च—
इस मकान की दीवार और	इस मकान का दरवा
एक परनोला इस बेचे हुए	चक्कर की सड़क
फोटे का फिर रास्ता	
लम्हाई	चौड़ाई
उत्तर दक्षिण	पूरब
१२ गज, १८ रुपय	४ गज

जोड़ ५६ गज

उक्त मकान को वर्तमान भूमि सहित, जिसको मेरे पर्याय
ने १७ अप्रैल सन् १८७६ ई० के लिखे और रजिस्ट्री किये हैं
एवं इतारा खरीदा था पाच मास की अवधि हुई कि दैवतों
पति का स्वर्गवास होगया अब मैं मुन्दरिया उसको हूँ
हूँ और उक्त मकान पर किसी सामी आदि के बिना
अधिकारियों हूँ अब अपने पति के घण्टे .. .
बैनीराम वेटा कूड़ेराम जाति कर्ता
था और अपने खाने पीने के
और स्थिर बुद्धि की अवस्था
कि उसके आधे ४६॥) होने
फठियारा साकिन कोल
और उसके मूल्य का १५५

उक्त सब रूपये को काम में लाँकर उक्त ग्राहक को समस्त वेची हुई घस्तु पर अपनी स्थान स्थामी और अधिकारी यना दिया और रूपया कौड़ी २ भर पाया जो आगे को रूपया न पाने का या कम पाने का बहाना कर, तो वैहै भूता समझा जावे और आज की तारीख से उक्त ग्राहक अपने लिये इस वेची हुई घस्तु का पक्का स्थामी और पूरा अधिकारी समझे अगर किसी समय काई मेरा सामी पैदा होकर वेची हुई चीज पर किसी प्रकार का दावा करे तो मूल्य के रूपये और न्यायालय के व्यय की में उत्तर दात्री है। उक्त ग्राहक से किसी प्रकार का सम्बन्ध है और न होगा यदि दैवत वेची हुई घस्तु मेरे शृणु चाहने वाले के भगवे के कारण ग्राहक के अधिकार से निकल जावे तो ग्राहक को अधिकार है कि अपने मूल्य का रूपया मेरी दूसरी जायदाद और मेरी व्यक्ति से जैसे चाहे प्राप्त करले में कुछ बदाना न कर गी और अब सुभको या मेरे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को कुछ स्वतंत्र और अधिकार शेष नहीं रहा और एक विकिय पत्र उस मकान का जो १७ अप्रैल सन् १८७५ का लिखा और रजिस्ट्री किया हुआ मेरे पास था उक्त ग्राहक को सौप दिया इस लिये यह थोड़े शब्द विकिय पत्र की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और भवय पर काम आवे।

एकलम अनुध्याप्रसाद पुनर धालमुकन्द जाति दूसर रहने वाला
कोल मुहल्ला मियागज । लियतम् ६ जौलाई सन् १८८२ तदनुसार
आसाढ़ सुदी ५ स. ६५०

हस्ता — तूर गदा — ह

निशानी अगढ़ा सु दरिया पत्नी द० सेवाराम घटद कचनसिंह
दीराती जाति कठियारा मुहल्ला कौम कठियारा सार्कन काल
मामूभानजा काल नगर , — महल्ला मामूभानजा ,

नियासी — ह

गोपाल घटद भमानीराम जानि कठियारा सा० मुहल्ला मामूभानजा

युवा हुए स्वामियों का और से पहले संरक्षक के लिये
हुए क्रेण चुकाने के निमित्त

विक्रिय-पत्र

हम देवकीनन्दन व शिघ्रदयालु व तेजपाल वेटे आदेराम जाति
वैश्य चूहाल अग्रवाल सिकन्दराऊ जिला अलीगढ़ निवासी हैं।
जो एक कच्ची व पक्की नील की कोठी समस्त कोठी की सा-
मियो सहित ननामी परगना व तहसील हाथरस जिला अलीगढ़
में निम्न लिखित सीमा बद्द स्थित है। जिसमें आधे के साभी हम
लोग हैं। और एक पक्का मकान डाक याने के सभी पक्का
सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ़ में स्थित है। उसमें आधे साभी
हम लाग और शेष के लाला ताताराम हैं। और जो एक तिहाई
भाग जमीदारों कसबा सिर्फन्दराराऊ महाल एक सुलख तहसील
सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ खाता येषट न०१ में स्थित है उसके
आधे के हम लोग स्वामी और अधिकारी हैं। यह उपरोक्त सर्व
सम्पत्ति अन्य दूसरी सम्पत्तियों सहित दो तमस्तुकों द्वारा
लाला हरमुखराय व लाला दुलीचन्द साहुशान कसबे हाथरस के
यहाँ आड़ है। यह दोनों तमस्तुक हम लोगों को मातों तथा सा-
टीस्टिकट प्राप्त सरक्कर के लिखे हुए हैं (जब हम लोग नावालिंग
थे) एक तमस्तुक ३०००) रुपये का ११ अगस्त सन् १८८४ ई०
का लिखा और रजिस्ट्री किया हुआ है और दूसरा ४५००) का
३ जनवरी का लिखा और ८ जनवरी सन् १८८५ ई० का रजिस्ट्री
किया हुआ है। और सियाय इस आड़ के कोठी और मकान और
उपरोक्त जमीदारों अर तक समस्त परिवर्तनों से हमारे जान और
समझ के अनुकूल वचों हुई और पाक है चूँकि उक्त साहुओं का
तकाजा उपरोक्त तमस्तुकों के रुपये की मध्ये अत्यन्त है और उक्त

तमस्सुक के रूपये के असल और सूदमें से कुछ रूपया हम लोगोंने चुका दिया है और कुछ रूपया उक्त साह साहियों ने छोड़ दिया है अब केवल ५०००) उपरोक्त दोनों तमस्सुकोंके मध्ये हम लोगों को चुकाना है और सिवाय उक्त काठी और मकान और इक्षिक्यत के परिघर्तन करने और बेचने के उक्त साहियोंके प्रष्टण चुकाने का और कोई मार्ग नहीं है। इस लिये अब ऊपर लिये हुये मकान, कोठी और इक्षिक्यते को अपनी स्वस्थ इन्द्री और स्थिर बुद्धि ५० अप्रस्था में अपनी प्रसन्नता और तुशी के साथ ५०००) सिक्के सटकार कि बदले कि जिसके आधे २५००) होते हैं लाला हरमुखराय बदल लाला भगतराम घलाला दुलीपचद बदल उक्त लाला हरमुखराय जाति यनिये अप्रवाल चृद्धाल साह रहने घाले और रईस कस्बा हाथरस जिला अलोगढ़ के हाथ समस्त अधिकार और स्वत्व घाहरी घ भोतरी सहित कोठी नील घ मशान और उपरोक्त जमीन्दारी जुतऊ घ जुतऊभूमि घ बनजर घ जलकर घ शोर घ घरागाह मवेशियान घ चाही

घ याकी घ बजनकशी घ यागात घ चाहात पक्के, कच्चे और ढाका और फलदार और वे फल बाले पेड़ और बगाई भूसा घ करव और मरे हुये ढारों का चमड़ा और रास्ता घ तालाघ, पोपर तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण स्वत्व और अधिकार सुहित विक्री की और बेची और मूल्य का रूपया पूरा २ उक्त दोनों तमस्सुक वो में जिनका घर्णन करपर हो चुका है ग्राहकों से मुजरर और घसूल पा लिया कौड़ी पेसा ग्राहकों के ऊपर शेष नहीं रहा अगर कम पाने या बिलकुल न पाने रूपये का बहाना करें तो अदालत में सुनने योग्य न होगा और ग्राहकोंको विक्रिय पत्र की लिखाने की तारीख से अपनी तरह से बेची हुई जायदाद का मालिक और अधिकारी यना दिया और ग्राहक अपने अधिकार और कब्जे में से आये अर्थात् जो अधिकार और स्वत्व हमको ग्रास था वह आज की तारीख से

ग्राहकों की ओर परिधर्तन हुआ अब इस विक्रिय पत्र के लिखने के पश्चात् हमको या हमारे उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों या हमारे दायभागियों को किसी प्रकार का बहाना और इनकार शेष नहीं रहा अगर कोई हमारा साभी पैदा होकर वेची हुई जायदाद के मध्ये कुछ दावा किसी प्रकार का करे या हमने अपनी ओर से मिलकर या अलग सियाय ऊपर लिखे हुये आड़ के कोई और परिधर्तन कियाहो या वेची हुई जमीदारी किसी प्रृष्ठ से गृसित हुई निफले या पूरा २ अधिकार ग्राहकों को न मिले या दायित्व सारिज का सवाल महकमा माल में गुजरान कर ग्राहकों का नाम खेडट में न लिखवावे तो, ऐसी दशा में खरीदारों को अधिकार है कि कुल रूपया कीमत का अपना दिया हुआ आठ आने सैकड़ा माहवारी व्याज सहित जिस तरह चाहें हमारी व्यक्ति और जायदाद मनकूला और गैर मनकूला हमारी से जैसे चाहें चसूल करलें अगर किसी गैर शख्स के दावा करने के कारण खरीदारों के कब्जे से जायदाद निकल जावे तो वस्तके जिम्मेदार हम इकट्ठा करने वाले नहीं हैं इस लिये ये थोड़े से शब्द वैनामे की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

चारों सीमा कोठी नील निनामह तहसिल हाथरस

पूर	बी	पश्य	मी
खेत चेता चमार ..		रास्ता	
दक्षिण	न	उच्च	र
खेत मन्दिर		आधारी गांव	

चारों सीमा मकान पटा हुआ चांधकरी घ चौखट, घाजू, किंघाड़, वाकन्न फूस्था सिकन्दराराऊ

पूर्ण	य	पश्चिम	म
मकान कल्लू मोती		सड़क सरकारी	
उत्तर	र	दक्षिण	न
मकान मफ्यान लाला		मकान कल्लू भटियारा	
फिर रास्ता			
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
देवकी गन्दन	शिवदयाल	तेजपाल घकलम हिन्दी	
सादी	सादी		
लाला प्यारेलाल मुरनार आम लाला तुलसीप्रस द रईस सि कन्दराराऊ घकलम हुद		गोपालसहाय वेटा हीरालाल काम धनिया साकिन सिक न्दराराऊ	
हस्ताक्षर			
भेषतीराम लैपालक वेटा लाला मिट्टुनलाल अग्रवाल चूड़ीयाल बिकन्दराराऊ निवासी			
हस्ताक्षर			
तोताराम वेटा लाला गुलाबराय जाति धनिया अग्रवाल चूड़ीयाल सिकन्दराराऊ निवासी			

भू सम्पत्ति का साधारण विक्रयपत्र,

म कि मोहनसिंह घट्ट नोलफठ जाति ठाकुर रहनेथाला जमी
दार मौजा शेया परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ का हू
जाकि हविक्फयत एक बोगा छ विस्वा पक्की भूमि वाग नम्यरी १०३
जमई एक रुपय ३ आना मिनजुमला पाच बोघा २ विस्वा जमई १४॥
खेयट न० १० थोक सुमेरसिंह पट्टी हीरासिंह ग्राम शेया परगना
कोल तहसील व जिला अलीगढ़ में मेरी सीर और मेरे अधिकार
कार में है और में उस का इस समय अधिकारी और स्वामी

ग्राहकों की ओर परिधर्तन हुआ अब इस विक्रिय पत्र के लिखने के पश्चात् हमको या हमारे उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों या हमारे दायभागियों को किसी प्रकार का बहाना और इनकार शेष नहीं रहा अगर कोई हमारा साभी पैदा होकर वेची हुइ जायदाद के मध्ये कुछ दावा किसी प्रकार का करे या हमने अपनी ओर से मिलकर या अलग २ सिवाय ऊपर लिखे हुये आड के कोई और परिधर्तन कियाहो या वेची हुई जमीदारी किसी प्रण से गृसित हुई निकले या पूरा २ अधिकार ग्राहकों को न मिले या दास्तिल या रिज का सबाल महकमा माल में गुजरान कर ग्राहकों का नाम येवट में न लिखवावे तो, ऐसी दशा में यारीदारों को अधिकार है कि कुल रुपया कीमत का अपना दिया हुआ आठ आने सैकड़ा माहवारी व्याज सहित जिस तरह चाहें हमारी व्यक्ति और जायदाद मनकूला और गैर मनकूला हमारी से जैसे चाहें बसूल करलें अगर किसी गैर शब्द से दावा करने के कारण यारीदारों के कब्जे से जायदाद निकल जावे तो उसके जिम्मेदार हम इकट्ठा करने वाले नहीं हैं इस लिये ये थोड़े से शब्द बैनामे की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

चारों सीमा कोठी नील निनामई तहसील हाथरस

पूर	बी	पश्य	मी
खेत चेता चमार		राहता	
दक्षिण	न	उच	र
येत मन्दिर		आवादी गाव	

चारों सीमा मकान पटा हुआ चाघकरी घ चौखट, घाजू, किघाड़, वाक़न फूस्या सिक्कद्राराऊ

पूर्व	य	पश्चिम
मकान कल्लू मोती		सड़क सरकारी
उत्तर	र	दफिन्ह
मकान मक्खन लाल		मकान कल्लू भटियारा
फिर रास्ता		
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
देवकी नन्दन	शिवदयाल	तेजपाल घकलम हिन्दी
साक्षी	साक्षी	
लाला प्यारेलाल मुखनार आम लाला तुलसीप्रस द रईस ति कन्दराराऊ घकलम खुद		गोपालसहाय वेटा हीरालाल कोम धनिया साकिन सिक न्दराराऊ
हस्ताक्षर	मेघतीराम लैपालक वेटा लाला मिठुनलाल अग्रवाल चूड़ीवाल मिकन्दराराऊ निवासी	
हस्ताक्षर		तोताराम वेटा लाला गुलाधराय जाति धनिया अग्रवाल चूड़ीवाल सिकन्दराराऊ निधासी

भू सम्पत्ति का साधारण विक्रयपत्र

मैं कि मोहनसिंह बहद नीलफठ जाति ठाकुर रहनेवाला जमी
दार मोजा शेखा परगना कोल तहसील घ जिला अलीगढ़ का हू
जाकि हायिकृत एक योधा हु विस्ता पक्की गूँझ बाग नम्बरी १०३
जमई एक रुपय ३ आना मिनजुमला पाच योधा १ विस्ता जमई १४॥)
खेवट न० १० थोक सुमेरसिंह पहो हीरासिंह ग्राम शेखा परगना
कोल तहसील घ जिला अलीगढ़ में मेरी सीर और मेरे अधि
कार में है और मैं उस का इस समय अधिकारी और स्पासी

हृषीकेश सिंह के भार व आड के अतिरिक्त कि जिसके ब्याज दिन २ बढ़ता जाता है और जिस से सारी जमीदारी हुव जाने का भय है सब प्रकार के भार आड आदि से सुरक्षित और पवित्र है। इस लिये अब अपनी रुपमय इन्द्रियों और स्थितुद्धि की अवस्था में अपनी खुशी और प्रसन्नता से चिना किसके क द्वाय या बहुकाने और फुसलाने के उक्त जमीन को नीचे लिखे हुए बाग के पेड़ों सहित समस्त स्वत्व और अधिकार बाहर और भीतरी समेत जो उक्त भूमि से सम्बन्ध रखते हैं (छ सौ रुपये ६००) चौहरेदार के बदले में कि जिसके आधे ३००) रुपया होते हैं हृषीकेश सिंह घरद मोतीसिंह जाति ठाकुर रहने वाले मौजा चादगज परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ के द्वाय बेच डाली और अधिकार दे दिया और विकी को रुपया पूरा पूरा छुकाने में तीन तमस्सुकों एक आडा मेरा लिखा हुआ बशमूल नाम प्रसादीसिंह व श्यामलाल प्रसिंदि श्यामा भाई हकीकी बनाम मरे हुये मोतीसिंह ग्राहक के पिता के लिखा हुआ और रजिस्ट्री किया १७ मार्च सन् १९०३ का तादादी २००। और दूसरा उपरोक्त ग्राहक के नाम लिखा है १८ सितम्बर सन् १९७ का तादादी ४०) का और तीसरा उक्त ग्राहक के नाम ता० २८ जूलाई सन् १९७४ मेरो लिखा हुआ तादादी ४४) का इन तीनों तमस्सुकों के ब्याज सहित मुजरा देकर ६००) बसूल पा लिये अप एक कौड़ी मी मेरी ग्राहक के नाम शेष नहीं रही अगर आगे को बसूल न होने या कम बसूल होने का बहाना कर तो इस देस्तों घेज के अनुसार नाजाइज होवे और आज की तारीख से ग्राहक को अपनी तरह स्वामी और 'अधिकारी' बना दिया ग्राहक को चाहिये कि अमने को पक्का स्वामी और पूरा 'अधिकारी' ऐसी हुई बस्तु का समझ कर सर्कारी मालगुजारी भुगताने के पश्चात् हानि लाभ उठावे और हर प्रकार का 'अधिकार' परिवर्तन और

वेचने आदि का ग्राहक को प्राप्त है अप मेरा और मेरे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का स्वत्व और अधिकार नहीं रहा और नआगे को होगा अगर वोई मेरा सामी घ अशी पैवा होकर वेचो हुई घस्तु पर किसी प्रकार का दाया करे और उसके दाये से समस्त या कोई अश वेची हुई घस्तु का ग्राहक के अधिकार और फब्जे से निकल जारे तो उसको अधिकार होगा कि कुल उपयोगिकी का १) सैफदा मासिक व्याज सहित वेची हुई घस्तु और मेरी व्यक्ति और हर प्रकार की मेरी दूसरी वर्तमान सम्पत्ति और मेरे उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति से जैसे चाहे प्राप्त करे और दायित एवं भाइज महवमा माल में उपरोक्त ग्राहक वे नाम करा दूगा अगर न कराक तो उसको अधिकार होगा कि नियमानुसार न्यायालय से अपने नाम दानिल हुआ रिज कराक और व्यय और हाति मुझ से प्राप्त करते किसी प्रकार का वहाना न होगा इस लिये यह योद्धे से शब्द विक्रिय पत्र के ढंग पर लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये ।

वृक्षों का व्यौरा

आम के पेड़	सिरस के पेड़	घड़ेरे के पेड़	आमले के घृष्ण
२३	८	३	३

जियने की तात २१ मार्च सन् १९१० ई० उक्लम किशोरीलाल पुष्प मुश्शी रामप्रसाद जाति कायस्थ (कोल) नियासी टीप छेषक स्थान कोल अहाता दीधानी में प्रतिष्ठा करने वाले के कहने पर लिखा गया ।

एस्ता ————— दार गया ————— ह गया ————— ह
 निशानो अगूठा मोहन- नरायनसिंह पल्ल अन्दुल रजाक पल्ल
 सिंहउक्त प्रतिहारी गगारामजाति ठाकुर दमोदुलला कीम
 , साकिनमौजा शेष शेष पटघारी शेषा
 पेशा गेती निशानो अगूठा घकलम रुद

गया ह यु ————— द गया ह यु ————— द
 घानुलाल घुलद नन्दराम फायस्थ मगलमेन घेटा नरायनसिंह
 शेगा नियासी जीविका नौकरी पेशा जमीदारी महादपुर नियासी
 घफलम रुद

जुतऊ भू सम्पत्ति का साधारण विक्रीय पत्र

हम कि नजर हुसैन प्रसिद्ध नजर अहमदखा पुष्प मुहम्मदखा घ
 मुसम्मात मलूकी घेवा अताउरला घ मुसम्मात हरन घेवा अश्वुल
 लतीफयाँ जौजा हाल उक्त नजर अहमद खा जाति मेवाती पेशा
 जमीदारी साकिनान मौजा विलखना तहसील सिरन्दरा-
 राऊ हफिक्यतदारमौजा शेषा परगना घ तहसील कोल जिला
 अलीगढ़ के हैं ।

जोकि मौजा शेषा परगना घ तहसील कोल जिला अलीगढ़ में
 हफिक्यत घ जिमीदारी एक विस्था २ विस्थांसी ४ कचवासी १८
 नन्दासी रकवी ६३ बीघा १२ विस्था पकड़ी भूमि जमई ५५
 खाता घेवट न० ५ थोक जोधाराम पट्टी उत्तमसिंह में इस घ्योरे
 से हमारे अधिकार और स्थानत्व में है ।

'२२ बीघा १२ विस्थे के आधी अर्थात् ११ बीघा ६ विस्थे
 हमारे स्थान और अधिकार में रहन से खुरक्षित है' और

१२ वीघे २ विस्वे मे. से उसकी आधी ५ वीघा, ११ विस्वे हफराहिनी ।

चूंकि यह हकिकयत हमारी और से मुसम्मात प्रज्ञानाकुमरि मगलसेन की पत्नी के पास रहन है और दूसरी जगह हर प्रकार के घार आड से पाक और साफ है हमको इस समय लगान और आपपाशी हकिकयत मौजा पिलावना और दूसरे घरेलू खचोंके लिये रूपये की आवश्यकता है इसलिये हमने अपनी स्वस्थ हदियों और स्थिर बुद्धि की अवस्थामें अपनी आवश्यकताके लिये १६ वीघे १७ विस्वे हकिकयत रहन से सुरक्षित और हक राहिनी दोनों उपरोक्त मौजा शेषा की जमीन छुतक और घे छुतऊ हर प्रकार की ऊसर, घजर, जलकर घकर, खाने, कस्कर, शोरा, आगर, आवादी रास्ता, पुला, परेल, गडिर, डगरों की चरागाह, मरघट, फर्दिस्थान, कुये, घाग, फलवाले घ घेफलके घृत, आवादी के घर गैर आवादी आमदनी सिवाय तुलाई, उघाई भूसा, करव इत्यादि अन्न बाच का रूपया चोकीदारी, सीर खुद, काशत, भूमि स्वत्व त्यक घो, परजौट समस्त अधिकार घ शामिलात खेवट न० १२ तादादी ३२५ वीघा १४ विस्वा समस्त अधिकार घ स्वत्व, याहिरी घ भीतरी सब निधि आधित सहित उक्त हकिकयत को ७००) सिक्के चहरेदार के घदले में कि जिसके आधे ३५०) होते हैं महाराज श्यामलाल घेटा रामजीमल ग्राहण रहने वाला कस्वा जलाली तहसील कोल ज़िला अलीगढ़ पेरा जमीदारी और सेन देन के दाथ घेच ढाली और समस्त रूपया विकी का इस प्रकार कि बास्ते अदा करने आधे मुतालबे रहन अपने हिस्से के मुतहिन हकिकयत ५ वीघा ११ विस्वे के लिये ग्राहक के पास अमानत छोड़े १००) और रजिस्ट्री के समय नजर अहमदखा विकेयता को दिये जायगे ३००) और रजिस्ट्री के समय मलूकी नामी विघ्या अताउल्लाखा, और

हरन नाम्नी विधवा अब्दुललतोफ़ घर्तमान पत्नी नजर अहमदसा
फो दिये जावेंगे ३००) और पक कौड़ी विक्री के रूपये ७००) में से
उक्त ग्राहक के ऊपर शेष नहीं रहा आज की तारीख से उपरोक्त
ग्राहक हमारी व्यक्ति को तरह पक्का स्वामी समस्त उक्त
हृषिक्यत हक्कराहिनी और रहन से बचो हुई का हुआ। दाखिल
'खारिज' मार्च सन् १९२० फसली से 'नियमानुकूल भ्रहमा
माल में कराले और जब चाहे तथा आधा हिस्सा हमारे रहन के
रूपये का जो उसके पास धरोहर छोड़ा जाए उका कर सब को
रहन से छुटादे। हमको और हमारे उत्तराधिकारियों को दाखिल
'खारिज' और इन्फिकाक (रहन छुटाना) के बक्तुछ उज्जन होगा
'अर' हमारा और हमारे उत्तराधिकारियों भ्रतिनिधियों और
'स्थानपन्नों का' किसी प्रकार को 'कुछ अधिकार बेची हुई
हृषिक्यत' के मध्ये नहीं रहा और न आगे को होगा, और दैवयोग
से आगे को हम या कोई हमारा साक्षी अशो 'किसी प्रकार' की
'किफालत' वा भार बाला पदा होकर द्वाषा वा भगदा करे और
उसके कारण से 'समस्त या कोई भाग' बेची हुई। हृषिक्यत का
ग्राहक' के अधिकार से 'निहल' जावे उस दशा में खरीदार
अपना 'विक्री' का 'कुल' रूपया ॥) सैकड़ा मासिक
ब्याज सहित हमारी जात खास और बेची हुई हृषिक्यत और
दूसरो 'जायदाद' घर्तमान और आगामी हर प्रकार हमारी से जिस
तरह ही सके बस्तु करे हम को 'कुछ उज्जन होगा हमने अपना
अधिकार और दसल सभी छोड़ दिया और ग्राहक को कब्जा दे
दिया चाहे आप ये तो करावे या पढ़े पर उठावे या बटगारा करावे
या बेचे तात्पर्य यह कि जैसे चाहे उस का प्रेषन्ध करे हर प्रकार
का बदलने और परिवर्तन करने का उस को अधिकार है और
सन् १९१६ फसली तक का घकाया जाना आसामियों से लेना है
उस को हम उधावें खरीदार को उस के उधाने का अधिकार न

'होगा इस दस्तावेज की लियो सब शर्ते हम पर और हमारे प्रति निधियों और उत्तराधिकारियों को माननीय और प्रमाणित होंगी हम लिये यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । ता० ३ अगस्त खन् १६१२ ई० इतवारस्थानपिलयना ।

दस्तावेज लेखक चचलप्रसाद वर्त्त ठाकुरप्रसाद कौम कायस्थ साकिन पिलयना ।

अल अ ————— व्द अलअ ————— व्द
नजर अहमदया वर्त्त अताड निशानी अगूठा हूरत इकरार
रत्ता या साकिन कसवा पिल करने याली

खना घकलम रुद

दस्तावर

निशानी अगूठा मलूकी नाम्नी प्रतिशा करनेवालो
सा ————— जी सा ————— जी

मनूलाल वेटा वालमुकाद नैनकुमोर वेटा प्रसादीलाल
कसवा पिलखना निवासी ग्राहण पिलखना निवासी

हिन्दू पिता कर्ता कुटुम्बकी ओर सेविक्रिय पत्र घर की आवश्यकता निमित्त

मैंकि धारू कामता नाथ वेटा धारू हरप्रसाद ग्राहण रहने याला
मुहृत्ता श्रिपालिया शदर इलाहायाद का हू ।

जो कि मैं प्रतिशा करने याला और मेरे दो लड़के रामेश्वर नाथ
और अमर नाथ नावालिग अविभक्त हिन्दू कुल के भेष्यर हैं । और
मैं कुटुम्बका अधिष्ठाता और कर्ता हू एवं मकान कच्चाघ पक्का

महला मीर गज शहर इलाहा याद न० १२ मेरी पेंडिक सम्पत्ति है,
और में प्रश्नधक और कर्ता परियार रूप में उस पर बिना
किसी सामी के रामी और अधिकारी हैं उक्त मकान इस समय
हर प्रकार के जूण, परिवर्तन और आट आदि के बोझ भार से शुद्ध
और अलग है, मेरे छोटे लड़के अमरनाथ की सगाई हो चुकी है और
उस का विवाह हाते को है, उक्त अमरनाथ के विवाह के व्यव
और दूसरे घरेलू खर्चों के निमित्त उक्त मकान वा बेचना अभीष्ट
है। इस लिये इन्हियों के स्वस्थ और स्थिर बुद्धि की अप्रस्था में
अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बिना किसी जबर दस्ती या दशाए
और रुचि दिलाने और यहकाने फुसलाने आदि के भौतिक लिखी
सीमा वाले उक्त घर को समस्त भूमि अमला चारों ओर का
दीघार और सर्व प्रकार के बाहरी व भीतरी मकान से सम्बन्ध
रखने वाले स्थत्य और अधिकार के सहित किसी वस्तु या स्थत्य
के छोटे बिना सब का सब नी हजार पाँच सौ रुपये के घदले में कि
जिसके आधे चार हजार सात सौ पचास रुपये होते हैं राधेश्याम
बेटा लाला सीतल चन्द जाति धेश्य बारह सैनी महला मीरगज
गहर इलाहागढ़ निवासी के हाथ बिक्री किया और बेचा और
येची हुई वस्तु पर आहक को अपनी तरह स्वामी और अधिकारी
बना दिया और अपना हर प्रकार का स्वत्य और अधिकार उठा
लिया, शब मुझ बेचने वाले और मेरे उत्तराधिकारियों प्रति
निधियों का कुछ स्वत्य और अधिकार बेचे हुए मकान में नहीं
रहा और बिक्री का रुपया उपरोक्त आहक से नोचे लिखे अनु-
सार प्राप्त कर लिया

३२ अमृतपुर सन् १९१८ई०
साई की रसीद द्वारा

(५००)

सर रजिस्ट्रार साहिव के
सामने रोक लेना ठहरे
(६०००)

अब कोई पैसा उपरोक्त ग्राहक के ऊपर शेष नहीं रहा । अब कोई मेरा आशी साभी पेदा होकर कुछ दाखा बेची हुई वस्तु पर करें तो मैं उसका उत्तर दाता हूँ । अगर किसी साभी या शरीक के दाखा करने पर या गेरे स्वतंत्र की किसी त्रुटि के कारण समस्त मकान या उसका कोइ अश ग्राहक के अधिकार से निकल जावे, या इस प्रकार के किसी दाखा करने से या किसी भार या क्रृष्ण के कारण कुछ रुपया ग्राहक का देना पड़े तो उसको अधिकार होगा कि समस्त विक्री का रुपया और व्यय और हानि जो उठानी पड़े आठ आने मासिक सेकड़ा व्याज सहित सब बेची हुई सम्पत्ति और मेरी व्यक्ति और मेरी दूसरी सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे प्राप्त करले मैं कुछ बहाता न करूँगा और बेची हुई वस्तु उक्त व्यय में आड़ समझी जावेगी इस लिये यह विक्रय पत्र लिया दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

चारों सीमा

पूर्व	व पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
हस्ताक्षर	साक्षी	साक्षी	
लेख तारीख स्थान	घफलम्	इस विक्रिय पत्र का लेखक	

हिन्दू विधवा की ओर से विक्रय पत्र पति का क्रृष्ण उत्तारने के निमित्त

मैं कि जयदेवी विधवा हीरामन ग्राहण रहनेवाली ग्राम यानपुर परगदा अनूपशहर ज़िला मुलन्दशहर की हूँ । जो कि मेरे पति जमीदारी मौजे अटारी तहसील अमरोहा ज़िला मुरादाबाद स्थानी थे और उक्त ज़ायदाद उनकी ओर से दस्तावेज़ आड़ी २५ जून

१९१२ ई० लिखित द्वारा तीन हजार रुपये के बदले मुवारकहुसैन
 चेटा इनाइतुल्ला जाति शेष अनवरगज निवासी के पास आड चला
 आती थी, मेरे पति का मई सन् १९१७ में स्वर्ग वास हो गया,
 और वह अपने जीवन में उक्त दस्तावेज का ऋण न चुका सके थे
 उक्त ऋण की संख्या ५०००) होती है, उपराक्त सम्पत्ति की आय
 केवल ३५०) रुपया व्योपिक है जो द्वाज के लिये भी यर्याप्त नहीं
 होती, इस कारण उक्त जायदाद के हूँ जाने का भय है, मेरे पति
 की सम्पत्ति में उस हकिकयत के अतिरिक्त एक रहायशी मकान
 और है जिस से काई आमदनी नहीं होती, मुझ इफरार फरनेयाली
 के लिये कोई खान पान का सहारा नहीं है, उपरोक्त जायदाद के
 कुछ भाग से पति का ऋण चुक सका है और कुछ भाग मेरे निर्धार
 के लिये बच सका है इस लिये अपनी स्वस्थ इन्ड्रिय और स्थिर
 बुद्धि की अधस्था में मैं चौथाई भाग मिनजुमला तीन विसवा १६
 विसवासी कुछ कसराधिक हकिकयत जमीदारी याता येवट न० ५
 महाल परम सुख मय हकिकयत शामिलात थोक मुन्दरजा येवट
 न० १ और शामिलात देह मुन्दरजा येवट न० २६ चाकिश मौजा
 अटारी तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद मय तमाम हक्क हकूक
 बाहिरी व भीतरी ५०००) रुपये के बदले आधे उस के दो हजार
 पाँच सौ रुपये होते हैं बद्दल नईमुल्ला चल्द करीमुल्ला कोम
 शेष साकिन मौजा नारई तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद के
 बेची और विक्री का रुपया दाम दाम सारा उक्त ग्राहक से
 चास्ते अदा करने वार किफालत उक्त मुगारकहुसैन के अमानत
 छोड़ा उक्त जायदाद पर उक्त ग्राहक को स्वामी के सद्श अधिकार
 दे दिया आज की तारीख से मुझ को और मेरे उत्तराधिकारियों
 प्रतिनिधियों और स्थानापन्नों को कोई लगाव और सम्पन्न बेची
 हुई घन्तु से नहीं रहा न आगे को होगा, ग्राहक को चाहिये कि
 तत्काल पिक्रीका रुपया उक्त आड बाले को देकर सम्पत्ति को छुड़ा लेये

और येची हुई जायदाद पर कागजात सरफारीने मेरी उग्रह अपना नाम लिखा लेवें मुझ को कुछ उज्जून होगा उक्त जायदाद सिवाय मतालिका किफालत जिसके अदा करने के लिये रुपया खरीदार के पास अमानत छोड़ा गया है, दूर प्रकार के ऋण आदि के बाहसे सुरक्षित है, और इस में कोई मेरा साभो अशी नहीं है अगर कोई पुराना ऋण येची हुई जायदाद पर निकल आवे यदि उस के कारण और मुझ इकरार करने वाली के किसी साभी के दावेदारी से या मेरी मिलकियत के किसी योट से येची हुई जायदाद का कोई भाग या सारो जायदाद खरीदार के हाथ से निकल जावे या कोई मुतालिका खरीदार को देना पड़े या और काई हरजा उठाना पड़े तो खरीदार को अधिकार है के अपनी कीमतका रुपया हरजा और खरचा सब आठ आना सेकड़ा महावारी व्याज सहित मुझ से और येची हुई जायदाद और मेरी दूसरी जायदाद से जैसे चाहे घसूलफर लेवे मुझे किसी तरहका उज्जून होगा आजकी तारीख से २५ जून सन् १९१२ ई० के लिये हुये आठी दस्तावेज का सूद खरीदार को देना होगा अगर किफालत के रुपय के भुगतान न करने के कारण कोई भाग या सारा मुतालिका किफालत का उस हकिकियत पर जो येचने के पीछे मेरी मिलकियत रही है पड़ेगा तो उस के घसूल का अधिकार हरजा और खरचा और दस्तावेज की दरसे सूद सहित उक्त खरीदार से मूँझ इकरार दरने वाली का प्राप्त होगा। और मुझ को यह भी अधिकार होगा कि इम येनामे की मनसूखी कराकर हरजा और खरचा और सूद खरीदार से घसूल वर्तु इस लिये यह येनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

अल्प ————— द गवाहशुद गवाहशुद तारीख मुकाम
येनामे का लेखक

उत्तराधिकारियों के साथ सम्मिलित और सहमत होकर हिन्दू विधवा का विक्रय पत्र

हम कि कमला विधवा ब्रज विहारीलाल और चमेली विधवा घनारसीदास व मुसम्मात कैलासी विधवा काशीनाथ तथा विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वर दयाल वेटे मोहनदास जाति खब्री रहन वाले कसवे इटावे के हैं ।

जो कि काशीनाथ, व घनारसीदास व विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वरदयाल सगे भाई लाला श्यामसुन्दरलाल के लड़के ये और दूकान आढ़त आदिके जिस पर श्यामसुन्दरलाल रामरत्नका नाम पसवे इटावा में पड़ता था मालिक ये उक्त भाइयों का कुटुम्ब यदा हुआ था वह घरावर के उस दूकान में साभी थे उक्त दूकान की एक डिगरी न० ११५ सन् १८६६ अदालत सघजजी अलीगढ़ की विजयलाल वगैरह मदयूनों पर थो उक्त डिगरी के इजरा में नीचे लिखी हुई जायदाद नीलाम हुई उसको डिगरीदारों ने तारीख ८ मार्च सन् १८०७ को खरीदा उसके पश्चात् काशीनाथ का स्वर्ग चास हो गया और विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वर दयाल ने वजरिये दस्तपरदारी रजिस्ट्री शुद्ध मुवर्रखे १ मई सन् १८०९ मिल कियत दूकान व जायदाद मुतअल्लका से व शमूल जायदाद मजकूर बहवक ब्रज विहारीलाल काशीनाथ स्वगवासी व घनारसीदास दस्तपरदारी कर्तु से १ सन् १८०९

मुसम्मात कैलाशी काशीनाथ द्वी विधवा है जो मुझ इकरार करने वाली न० १ के साथ रहती और स्थान पान करती है ।

इस इकरार करने वालियों न० १ घ २ को रुपये की अपने पतियों के ऋण चुकाने (तीर्थ यात्रा गया थाद्य पुश्टि के विषयाद्य आदि) के लिये आवश्यकता है और इतनी आमदनी नहीं है कि उसमें उक्त आवश्यकता पूरी हो सके और कोई मार्ग जायदाद बेचने के अतिरिक्त नहीं है ।

ऊपर लिखी हुई जायदाद वस्ते हाथरस में है जो इटावे से सौ मील के लगभग है, और उसमें केवल एक तिहाई हिस्सा हम इकरार करने वालियों का है और यहुत काल से मरम्मत के लिना पढ़ी हुई है, और सामें और दूरी तथा मरम्मत न होने के कारण कोई आमदनी उस जायदाद से हम को नहीं होती, न० ४ घ ५ के इकरार करने वालों का कोई दफ्क उस जायदाद पर सन् १९०६ की दस्तवरदारी के कारण नहीं है परंतु वे ग्राहक को विश्वास इस विषय में दिलाने के लिये विक्रिय पत्र लियने और उसके पूरा करने में सम्मिलत होते हैं कि हम इकरार करने वाली न० १ घ २ को वास्तव में आवश्यकता बेचने की है इस लिये हम समस्त इकरार करने वाले स्वस्थचित्त और स्थिर उद्धि से उपरोक्त सम्पत्ति को जिसका ध्यौरा नीचे लिया है समस्त और सब प्रकार के याहिरी और भीतरी सत्त्व व अधिकारी के साथ 'मुख्लिंग छु हजार पाँच सौ रुपये के बदले जिसके आधे तीन हजार दो सौ पचास रुपये होते हैं लाला गोरख राम वेदा साह अमृतलाल कौम ग्रन्ती साकिन व रईस हाथरस के हाथ पेचा और विक्रय किया और मूल्य का कुल रुपया पूरा पूरा उक्त ग्राहक से अपने पतियों के ऋण चुकाने के निमित्तवसूल पा लिया कौड़ी पेसा शेष नहीं रहा और बेची हुई जायदाद पर खरीदार को कवृजा दे दिया । अब हम बेचने वालों

और हमारे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र वेची हुई जायदाद पर नहीं रहा न आगे को होगा, वेची हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण आदि के बोझ के मुक्त और शुद्ध है। और इस में हम इकरार करने वालियों का कोई साभी और अशी नहीं है। यदि कोई भार किसी प्रकार का वेची हुई जायदाद पर निकले और उस कारण से या किसी साभी या अशी के दावेदारी से या और किसी प्रकार की हमारे स्वतंत्र की त्रुटि से समस्त जायदाद वा उसका कोई अश उत्तरीदार के अधिकार से निकल जावे। या कोई ऋण या भार किसी प्रकार का उसको देना पड़े तो उत्तरीदार को अधिकार होगा। कि समस्त मूल्य धन अपना हानि और व्यय सहित जो उठे तथा आठ आना सैरडा मासिक व्याज समेत हम इकरार करने वालियों से तथा वेची हुई जायदाद और अन्य हमारी जायदाद से जेसे चाहे घस्तुल करले—इस लिये यह विक्रिय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

वेची हुई जायदाद का व्योरा -

(१) एक मकान कच्चा पक्का मुहूर्तला लखपती शहर हाथरस में स्थित नीचे लिखी उक्त मकानके दो परनाले यरसाती एक मजिला के खूरीराम के मकान के आगन में गिरते हैं और तीन रोशनदान पश्चिम की और मीतीराम सर्फ के एक मजिला मकान की ओर घने हुए हैं।

पूर	—	घ	पश्चि	—	म
वेचे हुए मकान का सदर दर-			मकान मीतीराम सर्फ		
वाजा फिर सड़क					
दक्षि	—	ण	उत्त	—	र
मकान खूरीराम गुडिया			कच्चा नाफिजा (रस्ते बाला)		

(२) एक दुकान पक्की पृथर गाजार में नीचे की सीमा वाली,	व	पश्चिम
पूर्व	दरवाजा दुकान फिर सड़क	मकान रामलाल लोहिया इस में
सरकारी		परनाला यरसाती दुत्त दो मजिला
		बैची हुई दुकान का गिरता है।
दक्षि	य	उत्तर
दुकान राम अग्रतार पाडे		दुकान रामधनदास शावक

विक्री के रूपये का व्यौरा

मुकिरा न० १ की पुष्टी पार्वती	गया जगन्नाथ के आने जाने
के विवाह निमित्त ३०००)	तथा ग्रहणभोज के निमित्त
	१५००)

वायत् नेवाकी असल व सूद मुतालया दस्तावेज साधा तादादी	
२५००) लिखा हुआ मुकिरा न० १ के पति का मुवर्रेखा १३ अगस्त	
सन् १९११ का	
२०००)	

दस्तावेज	दस्तावेज
दस्तावेज हिन्दी मुसम्मात कमला	दस्तावेज चमेली इकरार,
मुकिरा	करने वाली
दस्तावेज	दस्तावेज
निशानी सीधा अगृठ बैलाशी	प्रियदेवधर दयाल मुकिर
दस्तावेज	
परमेश्वरी दयाल मुकिर यकलम गुद	साक्षी
तारीख १६ नवम्बर सन् १९१३	स्थान हाथरस
यकलम न दक्षिण येटा धानचढ़ ब्राह्मण हाथरस निवासी	
प्रियदेवधर लोपक—	

विक्रय पत्र सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षिका का

ओर से

मेरे कि मुसम्मान इन्द्रकुबरि पत्ती निर्मल स्वयं तथा मात्र और सार्टीफिकट प्राप्त सरकार का सम्पत्ति सुमेरसिंह पुत्र नाचालिंग अपने की जाति जाट साकिन व हस्तिक्यत दार मौजा पालर परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़ की है। यह कि मौजा पालर परगना टप्पल थोक धर्मसिंह बनम्बरदारी राम प्रसाद नम्बरदार में हस्तिक्यत जमीदारी सुमेरसिंह नाचालिंग पुत्र मेरे की १०७ वीधा पक्की भूमि जिस पर मालगुजारी सरकार १०७) घण्टा है याता खेवट न० १० की विना किसी साझी के और मिन जुमला आठ हिस्सा ११ वीधा ११ विसवा पक्की भूमि खाता खेवट न० १२ की जिस की जमा शामिल खाता असली है साथे में रामप्रसाद आदि के ४ हिस्सा व मिनजुमला २ वीधा है विसवा पुरत आराजी शामिलात खाता न० ११ के आधा हिस्सा मर्य हैक्क व हिस्सा मिन जुमला ६७५ वीधा पुरत आराजी शामिलात देह खाता खेवट न० २३ की है इस में से आधो जमोदारी निर्मल सुमेर सिंह के चाप की छोड़ी हुई है। और आधी सुमेरसिंह को उस के चचा भोला से जो वे श्रौलाद मरा पहुंची है और १०७ वीधा ६ विसवा पुरत आराजी याता न० १० खेवट की असली हस्तिक्यत और मिन जुमला चार हिस्सो दर आठ हिस्सा ११ वीधा ११ विसवा पुरत आराजी खाता न० १२ खेवट के एक हिस्सा हस्तिक्यत भोला भजकुर चमूजिय रहन नामा मुवर्रखा ७ फर्वरी सन् १८८७ बपवज्ञ ३००, पांस रामप्रसाद गत टीकम जाति जाट साकिन व नम्बरदार मौजा भजकुर रहन दिगली है। और धाको हस्तिक्यत पर हम याकिन हैं और रहने पर्याप्त है लक्षित लक्षित (१८८७) १ अर्थ

यथा भुतानव अमल य सूदर पक डिगरी आदालत मुंसिप्पी हवाली
 जोल जिला अनीगढ़ न० ८८५ सन् १९१८ मुकाफसला २५ मई
 वा १८८६ यावत जर कर्जाक्रियार्थी उक्त भोलादादनी गजाधर येटा
 लक्ष्मन दास कीम प्रादरा प्रादुषण साकिन मीजा भोजुगाँवा परगना
 एप्पल और नोज २००) यावत मुनालया जर अमल य सूदर एक
 नमस्तुक आडी तादादी खदा मुनररा कातिक सम्बन्ध १६४६
 लक्ष्मन दास के भोला पर है। कि जिमका सूदर रोज य दौजा
 जाता है। और नमस्त जायदाद के इय जाने का भय है और
 सिवाय इसके मुझ का २००) की आवश्यकता वर्च शादी और दूसरे
 घरेलू घर्वो उक्त मुमेर्तिह नावालिंग के हैं, इस लिये पासते
 मुगन न जरे कर्जा डिगरी य नमस्तुक य जरे रहन प्रजकूरा
 यांचा य वर्च शादा घग्गर दुमेर्तिह नावालिंग मजकूर के मैंने
 लक्ष्मन दास य जयहुण दास पिलान देवी च द्रू कीम प्रादुषण
 साकिन मीजा मीजुयाका परगना। 'टप्पल' को 'आमादा
 वरदोदारी तमाम। इक्षियत मनहका भोजा लायलद मरहम
 अर्गांत् आधा हिस्सा 'मिन जुपना २०९ योधा ६ विस्ता
 पुरन आराजो खाता नम्बर १० रेवट य दो हिस्सा
 मिन जुपला चार हिस्सा आधे आठ हिस्से १४२ योधा ११ विस्त
 पुरन आराजो याता न० १२ य वौथाई हिस्सा मिन जुपला २ योधा
 ६ विस्ता पुरन आराजो शामिलात याता न० ११ रेवट 'मझ
 हक्क य हिस्सा मिन जुपले ६७। योधे पुरन आराजो शामिलात
 देह याता मजकूरा याला मौसूम य ममलूक सुमे सिह मजकूरा
 यालिंग जिसमें मेठा नाम शामिल है और अनल में सब इक्षियतका
 मालिक सुमेर्तिह है यकीमत मुशलिंग १७३०) के आरूढ़ कर के
 इन्नाजत इतिकाल इक्षियत मजकूर की अदालत साहिय जेज
 बहादुर जिला अनीगढ़ से हासिल करली, इस लिये अपनी रुशी
 य रजाम दी से आगा हिस्सा मिन जुपला १०७ योधा ६ विस्ता

पुख्त आराजी खाता न० १० खेवट व दो हिस्सा मिन् जुमला च
हिस्से निसफो आठ हिस्से १६१ बोधा ११ विसवा पुख्त आरा
खाता न० १२ खेवट व चौदाई हिस्सा मिन् जुमला २बीघा ६।
सवा पुरन; आराजी शामिलात खाता न० ११ खेवट मजकूरा वा
हकिक्यत जमीदारी मतरका भोला लावलद मरहम ममलका सु
रसिंह नावालिग मजकूर जिसमें मेरा नाम वशमूल नाम सुमेरसिं
दर्ज कागजात है मथ्र हवक व हिस्सा मिन्-जुमला ६
बीघा पुरन आराजी खाता न० २३ खेवट मथ्र तमाम लवाजमा
हक्क हुरुक दाखिली व यारिजो व आराजियात हर किस्म ज
व बजर व जलकर व शोर व तालाय व चाहात पुरन व खा
फलदार व वेस्ते चूत, आवादो, खेडा, बो, परजोट, हक्क व जनक
उधाई आदि, वकोमन १७००) सिफके सरकार कि उसके अ
८५०) हाते, हैं वदस्त लच्छपनदास, जेकिशनदास पिसरान देवीन
कौम ग्राहण बोहरा साकिनान मौजे मौजुआ का परगना २००
वहिस्सावरावर वेच ढाली और विक्री की ओर कीमत का रुपया १
२ उक्त ग्राहीदारों से नीचे लिखे भनुसार वसूल पाया कौड़ी पै
चाको नहीं रहा वसूल न होने और कम वसूल होने का उज्ज्ञ भु
द्धोय इक्कार यह है कि उक्त ग्राहीदार आज की नारीख से घे
हुई चीज का पक्का मालिक जानकर जो हस्तीयत पास रामप्रस
रहन है उसको रहन का रपया अदा करके छुड़ाले उस पर तारी
छुटाने से और वाका हकिक्यत वेची हुई पर आज की तारीय
मालिक और अधिकारी होकर सर्कारी मालगुजारी अदा होने
वाल लाम, हानिके सहन करने वाले होवें अमानत का रपया अप
जिम्मे जानें अप सुझतो व सुमेरसिंह नावालिग पुर मेरे को कु
दावा किसी तरह का वेची हुई चाज को गाँवत नहीं रहा रजिस्टर
क बाद इसका दाखिल सारिज माल के मदक्कमे से करा दूनी शग

हस्य जावता करा लेंवे इस लिये यह वैश्वनामा लिख दिया ताकि प्रमाण रहे ।

कीमत के रूपये का व्यौरा

आधे रहन के रूपये के अदा करने के लिये जो कि आराजी पुछता १० योधे ह विस्ते न० १० योर्ट में है रामप्रसाद मुरतदिन के लिये चरीदारों के पास अमानत छाड़े ४००)

बायत मुतालधा अमल सूद कर्जा १ डिगरी अदालत मुरसिफी हवाली न० ८६५ सन् १८६५ दादगी गजाधर डिगरीदार बट्ट लक्ष्मन दास चरीदार मुजरा दिये ७३१॥=) ४ पा०

बायत मुतालधा जरे ब्रेसल सूद नर्मसुक तादादी ४६) मुखरिय कातिक सरत १६४६ लिखा हुआ भोला लावलद स्पर्गामासी चचा सुमेर तिह नावालिंग का बनाम लक्ष्मन दास चरीदार को मुजरा देकर बसूल पाये ७००)

नावालिंग की परवरिश के लिये, अयराजात इन्तिकाल सार्टफिकेट दिलाने के लिये नकद लिये ६८०) ८ पा०

अय मामने रजिस्टर रजिस्ट्री के बक शादी उक्त सुमेरसिह नावालिंग के लिये नकद लिये २०)

तारीय १७ अक्टूबर सन् १८६६ मिती क्वार छुदी १३

संवत् १८५६

लेखक दस्तावेज़

-देवीप्रसाद बट्ट राधेमोहन कोम कायस्थ साक्षि ग्रेर पेशा

दस्तावेज़ नवोसी

मु० ग्रेर में लिया गया-

श्रील	बद्र गवा	इ
निशानो श्रगडा सुसम्मात इन्द्र दुर्गाप्रसाद घटदहरप्रसाद कौम फुर्ति इन्द्रार करने वाली	घैश्य पेशा पटगारी मोजा पालर पर्गना टप्पल	
गवा	इ गवा	इ
पहुकरदास घल्द गगाराम कौम ब्राह्मण पेशा लैनदैन साकिन मोजा जट्टारी पर्गना टप्पल	धनोराम घल्द नाथूराम कौम ब्राह्मण घैहरा पेशा, लैनदैन साकिन मोजा मौजुआ का पर्गना टप्पल घर्यत सराफी	

वैनामा इस्तहकाक नालिश

हम कि हेतराम, खूबचन्द पुत्र उत्तमचन्द सरावगी साकिन काल
जिला अलीगढ़ महल्ला छपीटी के हैं।

जो कि एक कितअ दस्तावेज किस्तथन्दी तादादी २६०) तारीय
७ अक्टूबर सन् १९६० नविंश्त शिवलाल घल्द मानसिंह कौम
घनिया बारहसैनी साकिन महल्ला बाघरीमडी शहर कोल मिल
कियत हमारी है और हम को उक्त दस्तावेज के म०ये ४५) जो
दसकी पीठ पर लिखे हुये हूँ बसूल हुये हैं वाको किस्तें अभी तक
शेष हैं और मुतालवा (भृण) दस्तावेज एक मुण्ड होकर हिसाथ
की रुक्स २५०) मदयून के नाम वाको निकलते हैं उक्त मुतालवे
(माग) के लिये मुरलिंग २५०) के बदले जिसके आधे १२५) होते
हैं लाला ज्वालाप्रसाद, डालचन्द वेटे मानसिंह घनिये बारहसैनी
रहने वाले मुहल्ला बाघरीमडी शहर कोल के हाथ चेचा और
कीमत का रुपया दाम दाम खट्टीदारों से नीचे लिखे व्यौरे से
घसूल पाया।

आज की तारीख में एक तमस्तुक खरीदारों से अपने नाम
लिया गया । (४०)

नकद वसूल पाये ।

(२००)

ररीदारों को अधिकार है कि इक दस्तावेज का रूपया मदयून से अदालत द्वारा जैसे चाहें वैसे वसूल करें, हमको या हमारे उत्तराधिकारियों को कुछ उज्ज्ञ न होगा यदि दैवात हमारे किसी कारण से उक रूपया ररीदारों को वसूल न होवे और हम इकार बरने वालों को मदयून से (४५) ने अधिक प्राप्त हाना सिद्ध हो तो ग्राहकों को अधिकार है कि समिस्त कीमत का रूपया १) सैकड़ों माहपारी सूद हजार और सच्ची जो उठे उसके साथ हमारी जात और जायदार से वसूल करले थें हुई असल दस्तावेज, एक हुडवी तादादो (६०) मर्यादित साधन वही है सबत (१५२ जिसके बदले में बेचा हुआ दस्तावेज लिखा गया था ररीदारों को सौप दी गई इस लिये यह कुछ शब्द बैनामे की रीति पर लिखे गये कि प्रमाण रहे तहसीर तां १६ अफ्टर्वर सन् १९१२) कोल में लिया गया ।

घकलम सैयद फजलहुसैन लेखक घट्ट सैयद, हसनबक्ती
साकिन काल ।

अल— एवं अल— एवं अल— एवं
हेतराम घट्ट उत्तमचद घ० खुद, खूबचद घट्ट उत्तमचद घ० खुद
गवा— एवं गवा— एवं
जोराघर घट्ट गोकलचद गवा— एवं
सरावगी, साकिन कोल, रेतती घबद कमाल सरावगी साकिन
घकलम खुद, कोल महतला शाहपांडा पेशा, दुकान-
दारी घ० खुद,

जुतऊ जमीन का विक्रय पत्र

हम कि जहागीरीमल घ ज्यालप्रसाद रेटे भीमसेन ब्राह्मण
निवासी ओर जमीदार मोजा मौहरसा परगना अहार तहसील
अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के हैं।

जो कि हम इफरार करने वाले मोजा मौहरसा परगना अहार
महाल गौरा हटका पट्टो जहागीरीसिंह मुन्दरजा याता खेवट न०
१, तादादो ७ विश्वासी १८ ननधासी ७, है कचगासी रुक्षी २९ थीवा
२ विस्तरा ३ विस्त्रासी जमई ४७।—) के मालिक और हिस्सेदार हैं
और हम को उक्त हपिक्यत पर वेचने ओर वदलने आदि के सर्व
प्रकार के अधिकार प्राप्त है और उक्त हपिक्यत हमारी ओर से
यजरिये दस्तावेज़ रहनामा चिला दरबली मधरख ४- दिसम्बर
सन् १९०३ ई० को जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है पास वारू लीलाधर
वेटा महाराज चुन्नीलाल ब्राह्मण निवासी शहर घरेली हाल रहने
वाले मौहरसा परगना अहार के रहन दखली चली आती है और,
किसी प्रकार की वाधा या रुकावट उस हपिक्यत को हमारे परिव-
र्त्तन करने में नहीं है इसलिये अब स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि से
प्रसन्नता ओर इच्छा पूर्वक उक्त हपिक्यत की समस्त भूमि जुतऊ
और गैर जुतऊ धनजर, जलकर, शोर, कललर, चरागाह, गैरचौरा
गाह, फले, बेफले आपेडगे हुए बृक्ष व वागात, कुए, पक्के, कच्चे,
पोरर, तालाव, खेडा, आवाद गैरआवाद, औ परजोट तुलाई उगाही
भूसा, करव आदि सारांश यह कि उक्त हपिक्यत से सम्बन्ध रखने
वाली जा कुछ चोज हैं सब के 'समेत तथा एक मकान छप्पर
संसार यसपोश मशहूर मदेरा खाना मुन्दरजा खसरा सहनाई नम्बरी
५३६ मिनजुमेला धाग वारु अमैजे मौहरसा परगना अहार ३०००)
के घदले में कि आधे जिस के १५००) सिक्के चतुरेदार होते हैं

चदस्त महाराज शिवदत्त वेटा नौवत एक हिस्सा, गोविन्द सहाय
 कल्लू पुत्र मोहनसिंह व हिस्सा वराधर एक हिस्सा रामचन्द्र,
 लछुमन वेटे दुर्जन के व हिस्सा वराधर एक हिस्सा जाति ब्राह्मण
 निवासी मौजा मुहरसा पर्गना अहार तहसील अनूपशहर जिला
 बुलन्दशहर के विक्षय किये और पेचे और कीमत का रुपया पूरा २
 नीचे लिखे व्यौरे से उक्त खरीदारों से मुजरा व बसूल पा लिया
 कौटी पैसाहमारा आहवाँ पर बाकी नहीं रहा, उक्त वेची हुई हविक
 यत पर उक्त यारीदनेवालों को अपनी तरह से काविज और अधिकारी
 बना दिया और हर तरह के अधिकार दे दिये कि चाहे जिस तरह
 वेची हुई हविक्यत से मालगुजारी सरकार अदा करने के पश्चात्
 लाभ उठावें। और कार्य में लावें इकरार यह है कि यदि कोई
 हमारा साझी और दाय भागी पैदा होकर बची हुई हविक्यत
 के मध्ये दावेदार या उज्जर दार होगा तो उस की जवाबददी हर
 तरह हम वेचने वालों के जिम्मे है मोल लेने वालों से कोई
 सम्बन्ध न होगा और वेची हुई हविक्यत का दायिल सारिज नियम
 पूर्वक मोल लेने वालों के नाम माल में करा देंगे दायिल सारिज न
 कराने की दशा में मोल लेने वालों को अविकार होगा कि अपने
 नाम का अमल दरामद माल के कागजों में कराले हम उसके हज़े
 और यचें के देने वाले होंगे यदि दैधात वेची हुई समस्त हविक्यत
 या उसका कोई भाग किसी कारण से मोल लेने वालों के कब्जे से
 निकल जाये या और कोई भार किसी प्रकार का उक्त हफ्तक्यत
 पर नीचे क भार के शतिरिक निकले या हम दखल न दें या दखल
 देने के पश्चात् घेदखल कर दें या दखल में वाधक हो तो यारीदारों
 को अधिकार हीगा कि अपनो कीमत का रुपया नियम पूर्वक
 नालिशकरके हमसे और हमारी व्यक्ति से और हर प्रकार की जाय
 दाद मनकूला गेर मनकूला, वेची हुई और न वेची हुई वतमान और
 आगामी हमारी से चाहे जिस तरह २) सैकड़ा मासिक व्याज सहित

घसूल फरलैं हमको किसी प्रकार का खोई उजर न होगा और इस दस्तावेज की शर्तें हम पर और हमारे उत्तराधिकारियों, घ स्थाना पन्नों पर माननीय घ प्रमाणित होंगी इस लिये यह बैनामा लिपि दिया कि प्रमाण रहे

व्यौरा, घसूलयादी मुवलिग ३०००) जरे समन का वास्ते चुकाने ग्रृण आडी दस्तावेज रजिस्ट्री ४ दिसम्बर सन् १९०३ हमारी लियी हुई घायू लीलाधर के नाम जिसमें वेची हुई हविकथत आड़ है। हिसाब होकर इस दस्तावेज के दपये जो हमारे ऊपर घायू लीलाधर के निफले घह लीलाधर को देने के लिये उक्त ग्राहकों के पास अमानत छोड़ कर घसूल पाये २५००) वास्ते अदाय मुतालया एक कतथ तमस्तु रहन नामा विलादरली मुवरय २७ मई सन् १९०६५० रजिस्ट्री २० मई सन् १९०६ नविश्त हम मुकिरान मौसूगा घायू लीलाधर विल मुक्ता मूल मय व्याज आज की तारीय तक खरीदारों के पास अमानत छोड़ कर घसूल पाये ४६५)

ता० ६ अगस्त सन् १९१० को मु० अनूप शहर में लिंगा गया घकुलम भवानी प्रसाद वेटा मौहन लाल भार्गव अनूपशहर नियासी

अलश्च	—	ब्द	अलश्च	—	ब्द
जहागीरी मल घकुलम खुद			निशानी अगृठा ज्ञाला प्रसाद		
गचा	—	इ	गचा	—	इ
रेवतीराम घटद दुर्गाप्रसाद लीलाधर घलद प० चुन्नी लाल					
प्राह्णण साकिन मौहरसा पेशा ग्राहण वारिदहाल (घर्तमान यडिताई व खुद			नियासी) मौहरसा पेशा दुकान दारी घकुलम खुद		

गचा	—	इ			
नन्दकिशोर वजाज मुहरसा			घकुलम खुद		

रहन नामा

परिभाषा, रहन, राहिन, मुरतहिन आदि ।

रहन शब्द से आशय किसी मुख्य अचल सम्पत्ति के स्वत्व परिवर्तन से है जो उस रूपये के चुकाने के विश्वास के निमित्त किया गया हो । जो धर्ममान या आगामी के ऋण रूप में दिया गया हो या जिस के लेने की प्रतिशा की हो या किसी प्रतिशा पालन के अर्थ जिससे नकद रूपये की जिम्मेदारी पैदा हो किया गया हो ।

राहिन—इतकाल (परिवर्तन) फरने वाला

मुरतहिन—जिसके पास रहन रक्खी जावे या जिसकी तरफ इन्तिकाल किया जावे

जरे रहन— घद असल मय सूद जिसके अदा के इतमीनान के लिये जायदाद कुछ दिनों तक आड़ की जावे

रहननामा—जिस दस्तावेज के द्वारा एक जायदाद किसी दूसरे की और इन्तिकाल की जावे रहन नामा कहलाता है

रहन सादा वा आड़—जब रहन की हुई जायदाद पर दसल दिये विं राहिन अपन आप को रहन का रूपया चुकाने का पावन्द करे, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिशा करे कि रहन का रूपया प्रतिशानुसार न चुकाने की अवस्था में मुरतहिन को अधिकार होगा कि आड़ी सम्पत्ति को नीलाम कराये और नीलाम के रूपये से रहन का रूपया आवश्यकानुसार चुकावें । ऐसा व्यवहार आड़ या रहन सादा और ऐसा मुरतहिन सादा कहलाता है ।

तारीफ रहन वैयिल घफा—जब राहिन रहनकी हुई जायदाद को प्रत्यक्ष रूप से इन शर्तों के साथ बेचे यानी इस शर्त पर कि यदि रहन का रूपया एक नियत तारीख पर अदा न किया जावे तो रहन का व्यवहार विकी का व्यवहार हो जावेगा । या

इस शर्त पर कि रहन का रूपया ऊपर लिखे हुये व्यौरे के अनुसार अदा हो जावे तो मुआमला वै का फस्ख हो जायगा (दूट जायगा)

या इस शर्त पर कि रहन के रूपये अदा होने पर खरीदार जायदाद को बेचने वाले के नाम परिवर्तन कर देगा तो ऐसा रहन वैयिल घफा कहलाता है । । । ।

और ऐसे मुआमले का मुरतहिन वैश्विल घफादार कहलावेगा

तारीफ रहन दखली—(भोगवन्धक) जब राहिन जाय दादे मरहना पर मुरतहिन को काविज कराई और इसको अधिकार दे कि रहन के रूपये अदा हो । तफ वह उस पर काविज बना रहे और लगान का रूपया और मुनाफा जो उसे जायदाद से पैदा हो लेता रहे और लगान के रूपये और मुनाफे को बजाइ सूद या बजाइ असल जरे रहन या कुछ हिस्से को सूद में और कुछ को असल जर रहन में महसूब करता यह मुआमिला रहन दखली या रहन भोगवन्धक कहलाता है ।

और ऐसे मुरतहिन, मुरतहिन दखली कहलावेगा ।

तारीफ रहन हँगलिशिया—जब राहिन यह इकरार करे कि किसी नियत तारीय पर रहन का रूपया अदा करदेगा और जायदाद मरहना को कराई मुरतहिन के पास मुन्तकिला करदे मगर इस शर्त पर कि जिस बक जरे रहन इकरारके मुधाफिक अदा कर दिया जावे तो मुरतहिन उक जायदाद को फिर राहिन के

पास मुन्तकिल कर देगा तो यह मुआमिला रहन इगलिशिया कहलाता है।

(दफ्तर ५८ कानून इन्तकाल जायदाद)

रहन प्रणाली

जब मूल धन जिसके अदा के लिये जायदाद आड हो एक सौ रुपये या उससे अधिक हो तो उस का रहन केवल ऐसे रहन नामा रजिस्ट्री द्वारा हो सकता है जिस पर रहन कराने वाले के हस्ताक्षर हूँ और कम से कम दो साक्षियोंने उस को प्रमाणित किया हो।

जब जिसके भुगतान के लिये जायदाद आड हुई हो एक सौ रुपये से कम हो तो (रहन साधा की दशा के अतिरिक्त) जाइज है कि उस का रहन दस्तावेज रजिस्ट्री द्वारा जिस पर हस्ताक्षर और साक्षी उपरोक्त रीति से हुई हो या जायदाद की सुपर्दंगी के द्वारा हो।

(दफ्तर ५८ कानून इन्तकाल जायदाद)

तात्पर्य यह है रहन नामा साधा किसी मुतालेका हो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है इसके अतिरिक्त दूसरी प्रकार की रहन सौ या सौ रुपये से अधिक मालियत की रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के द्वारा हो सकती है और इससे कम मालियत वीरजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के द्वारा तथा जायदाद सौंपने के द्वारा भी हो सकती है।

स्टाम्प, साधा रहन की दशा में, तमस्सुक साधा के अनुसार मद १५ जमीमा १ कानून स्टाम्प के अनुसार स्टाम्प लगता है।

(परिशिष्ट) अर्थात्
दस रुपये मालियत तक =)

पचास रुपये तक	I)
सौ रुपये तक	II)

एक हजार रुपये तक फी सौ रुपया अधिक पर II) फिर हर पांच सौ रुपया या उसके अधिक भाग पर २॥

दूसरे रहन की दशा में जब कि रहन की हुई जायदाद रहन ग्रहीता को अधिकार दिया जावे वही रस्म जो विक्रय पत्र के लिये नियत है । (देखो धाव वेश्व)

जो रहननामे उन परिभाषाओं में जो ऊपर घर्णनकी गई हैं नहीं आते वह रहननामे असाधारण प्रतिशाये कहलाते हैं । और जो रहननामे दो प्रकार के रहन नामों की प्रतिशाये सम्मिलित हों वे रहन नामे सम्मिलित कहलाते हैं । ऊपर लिखी हुई परिभाषाओं से प्रकट होगा कि साधारण तथा रहन चार प्रकार की होती है ।

(१) रहन साधा में रहन की हुई सम्पत्ति पर रहन कर्ता स्वयं अधिकार रखता है । और वह सम्पत्ति रहन के स्पये के मूल और व्याज में मकफूल व आड रहती है । रहन कर्ता का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व रहन का ऋण चुकाने का होता है और उस उत्तरदायित्व को पूरा न करने की दशा में रहन ग्रहीता को अपने ऋण के भरपाने का अधिकार रहन को हुई सम्पत्ति से प्राप्त होता है ।

(२) रहन दखली (भोग घन्धक) में इसके विपरीति रहन कर्ता रहन की हुई सम्पत्ति पर रहन ग्रहीता को अधिकार देता है, और रहन की हुई सम्पत्ति की आय से व्याज अथवा कुछ भाग व्याज में कुछ भाग रहन के मूल धन में अदा होता रहता है इस प्रकार की रहन में रहन कर्ता का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व रहन का दपया चुकाने के विषय में नहीं होता न रहन ग्रहीता को रहन काल में रहने का दपया मांगने का अधिकार होता है,

हाँ अगर रहन नामे में दोगों पक्षों ने इस के विपरीत प्रतिशा की हो तो लिखी जा सकी है। और उस दशा में रहन ग्रहीता को रुपया मागने का 'अधिकार' और रहन कर्त्ता का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व दोनों हो सके हैं। और रहन की हुई जायदाद ग्रहण न चुकाने की दशा में नीलाम हो सकी है। परन्तु ऐसा रहा नामा एक सम्मिलित रहन नामा कहलायेगा जिसमें रहन दखली और रहन साथ दोनों की शर्तें शामिल होंगी ।

(३) रहन वैउलवफा (विक्री सम रहन) में रहन की हुई जायदाद, प्रत्यक्ष में तो रहन ग्रहीता के हक्क में विक्री होती है, परन्तु उक्त विक्री किसी सुर्य प्रतिशा या निश्चित व्यवहार के आधित होती है कि जिसको रहन कर्त्ता पूरा कर दे तो विक्री रह होजाती है। और अगर प्रतिशा पूरी न करे तो विक्री पूरी होजाती है। और इस परिवर्तन में सम्पत्ति परिवर्तन ग्रहीता के अधिकार और प्रधन्ध में रहती है और जो तारीख प्रतिशा पूरा करने की होती है उस पर प्रतिशा भाग होने की दशा में रहन ग्रहीता अधिकारी होता है कि उक्त परिवर्तन को अदालत से विक्रीयता करा ले, इस प्रकार के रहन में कोई नीलाम की कार्यवाही नहीं होती, और रहन के रुपये के भुगतान करने की दशा में सम्पत्ति रहन कर्त्ता को वापस मिल जाती है, नहीं तो रहन ग्रहीता उसका स्वामी होजाता है ।

(४) रहन इगलिशिया में पूरा परिवर्तन रहन ग्रहीता के प्रति होता है, परन्तु उस में रहनकर्त्ता अपने को किसी नियंते तारीख पर रहन के रुपया चुकाने का पायन्द करता है, और ऐसा करने की दशा में रहन ग्रहीता उस जायदाद को रहनकर्त्ता के प्रति लौटा देता है, ऐसी रहनकानून के अनुसार केवल विशेष २ दशामें और सुर्य २ कस्थों में जाइज रफ्खी गई है ।

साद् रहन नामे में चूकि रहन कर्ता की व्यक्ति उत्तर दाता होती है इस लिये धास्तय में वह एक तमस्सुक होता है, जिस में तमस्सुक की शातों के अतिरिक्त यह शर्त अधिक होती है। कि आड सम्पत्ति भी दोनों पक्षों को प्रतिश्वापूरा कराने की जामिन व उत्तर दाता होती है इस लिये साधा रहन की कठची लिपि अधिक लिखना विस्तार का कारण होगा, दस्तावेज़ लेखक को चाहिये कि साधारण रहन लिखने में पहले तमस्सुक का आशय दोनों पक्षों की प्रतिश्वापे के अनुसार लिखे, तत्पश्चात् रहन की हुई जायदाद के मध्ये लिखे कि वह दाता के विश्वास के लिये ओड की जाती है, जायदादका व्योरा लियने में उन समस्त घातों का ध्यान रखने जो इस पुस्तक में दस्तावेज़ लेखक के प्रारम्भिक काम के फ्रम और विक्री पक्षों के विषय में लियी जा चुकी। है रहन दसली और विक्री सम रहन के नमूने विक्रिय पत्र के नमूने के सदृश बनाने चाहिये।

जो सूचनाएं पहले लिखी जानुकी हैं। दस्तावेज़ लेखक ध्यान दृप्ये अधिक वातें जो इस प्रकार के दस्तावेजों में लियी जाती हैं वे नमूने से प्रकट होंगी।

रहन इगलिशिया माधारण तथा प्रचलित नहीं है और न हर जगह कानून द्वारा जाइज है। इस लिये उस का कोइ नमूना नहीं लिया गया।

साधारण रहन नामा (दृष्टि बन्धक)

मैं कि राम अवतार वेटा भज राधे धाहाण सारस्तत रहने वाला अतम नया धास परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ का हूँ। जो कि छु सौ रुपये सिक्के चहरेदार कि उसके आधे तीन सौ रुपये होते हैं, नीचे लिखे हुए व्योरे के अनुसार, मिर्जा करीम बदश वेटा मिर्जा रहीम बदश जाति मुगल साकिन मोजा नया धास उपरोक्त के मुझ को देने हैं। प्रतिश्वा करता हूँ और लियेदेता हूँ कि

उक्त रूपये को नीचे लिखी हुई खन्दियों से उक्त (दाता) को बिना प्र्याज के छुका दूगा और कोई सी दो खन्दी चूक जाने पर कुल रुपया एक साथ यारह आने सैकडे मासिक व्याज समेत दूगा और दाता के विश्वास के लिये एक एकका मकान उक्त मौजे थे, नीचे लिखी हुई चौदही अनुसार अपनी मिलिकियत इस दस्तावेज के रूपये में आड करता है, जब तक इस दस्तावेज का रूपया आदा न हो उसको दूसरी जगह किसी प्रकार परिवर्तन न करू गा और अगर करू तो इस दस्तावेज के सामने वे असर होगा। इस लिये यह आड नामा स्थित हिया कि सनद रहे ।

रूपया पाने का व्यौरा

दाता के पहले बहीयाते के शेष के मध्ये हिसाब समझ कर	
मुजरा दिये	(३४५)
दो बैलों के मूल्य के मध्ये जो आज दाता से मोल लिये ह	(१८५)
रजिस्ट्री के समय रोकड़ी लेना ठहरे	(७०)

खन्दी का व्यौरा

वैसाख सम्बत्	(१००)
कातिक सम्बत्	(१००)
घैसाख सम्बत्	(१००)
कातिक सम्बत्	(१००)
घैसाख सम्बत्	(१००)
कातिक सम्बत्	(१००)

आड किये मकान की चौदही

पूर ————— श पश्चि ————— म
दरवाजा आडी मकानका फिर सटक मकान मुगा तेली
१०

दत्ति ————— गु उ ————— चर
 यापरहुसैन की पढ़ी हुई जमीन इस दूकान अद्यमद्यहुसैन श्रचार
 और आड़ किये हुए मकान का एक
 परनाला धरसाती और एक सदा
 का जारी है

दस्ता ————— द्वार गधा ————— द

रामश्रोतार
 (००) गुलामरसूल वेटा गुस्सेनश्ली या
 जाति पठान पेशा नोकरी रहने
 वारा नयावास थकलम गुद

गधा ————— द गधा ————— द

चेदराम वेटा गगाराम कायस्थ गणेशीलाल वेटा भवानीदास
 पेशा नौकरी पटघारी नयावास ब्राह्मण पेशा पडितार्ह अमापुर
 वा० २४।७।१९१३ परगना घ तहसील कोल जिला
 अलीगढ़ निवासी

(००) स्थान नये वास में जिला नया
 (००) दस्तावेज ले ————— घक
 राधेलाल बलद श्यामलाल कायस्थ

(००)

सांधारण रहन नामा (दृष्टि बङ्घक पत्र)

('मैं वि सालिगराम वेटा कृष्ण सद्याय जाति ब्राह्मण रहने घाला
 कैसवे' महावन जिला मधुरा घ इक्कियतदार मोजा पलोर्ह परगना
 अकरंधाद तहसील सिक्कदरह राऊ जिला अलीगढ़)

जो कि एक द्वार ख से आ
 होते हैं जिन्हें काम्योदा या ११८

कोठी विजयगढ़ के मध्ये देने लाला तुलसी प्रसाद^१
 व लाला दुली चन्द्र के अपने ऊपर देने स्थीकार किये ७००)
 अर शृणु लिये रोकडी , ३०६)

पास लाला तुलसी प्रसाद येंदा लाला देवी प्रसाद साहु
 निवासी व रईस फसवे सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ मालिक
 कोठी ग्राम घर्सर्ई से उधार लिये हैं। इसलिये प्रतिज्ञा करता हैं
 कि उपरोक्त रूपये ग्यारह आना संफड़ा मासिक व्याज सहित उक्त
 लाला साहिय को जन मागे तब भुगतान और निश्चेप कर गा और
 उपरोक्त रूपये का व्याज छु माही की छु माही देता रहेगा।
 अगर छु माही की छु माही व्याज अदोन के करु तो चढ़ी हुई छु
 माही का व्याज मूल में सम्मिलित होकर व्याज पर व्याज उपरोक्त
 व्याजदर से उक्त लाला साहिय को नदा व निश्चेप कर गा
 और जो रूपया दूंगा इस तमस्तुक की पीठ पर वसूल लियो
 लूंगा, या दाता के हस्ताक्षर लिखित रसीद से लूंगा, यिना
 तमस्तुक की पीठ पर वसूल लियाये यो रसीद लेने के एक कौड़ी
 मुजरा न पाऊगा, जबानी अदा करने का वदाना अनुचित होगा
 उक्त दाता के विश्वास के लिये, इस तमस्तुक के मूल और व्याज
 के घटते १ विसवा १३ विसवासी ६ कचवासी १३ ननगासी रकवी
 २५६ नीघा १५ विसवा हफिक्यत जमीदार। ग्राम पलोई परगना
 अकरायाद तहसील सिकन्दराऊ जिला अलीगढ़ खाता
 खेडट न० ३ मद्दाल सुदार सिंह में स्थित है और जो खमल
 शृण आडि से सुरक्षित और वच्ची हुई है आड़ कुरता है इस रूपये
 के मूल व व्याज के चुकाने तक दूसरी जगह किसी प्रकार कारहन
 खिन्नी, दान, पहा टेका, आड़ आदि न कर गा, अगर कर तो
 इस तमस्तुक के सामने नाजाइङ्ग होवे, इसलिये यह रहननभा लिग
 दिया कि प्रमथण रहे और समय पर ग्राम आये ॥

लिखने की तारीख १७ जूलाई सन् १९४३

त्रेत्यक दस्तावेज घजयासी लाल कायस्थ, कंसवा सिकन्दराऊ
निवासी

एस्टा	क्षर	सा	क्षी
सालिगराम बकलम खुद	श्री कृष्ण दास यत्तद नयमुल्ल		
सा	क्षी	कायस्थ पटवारी नौरता	
हर नारायण वेटा छाजनलाल	ईसापुर बकलम खुद		
वैश्य सिकन्दरा राऊ निवासी			

साधारण रहननामा (हाइवन्धक पत्र)

मैं कि गुलाथसिंह वेटा बदले जाति जाट पेशा जमीदारी व येती
रहनेवाला ग्राम जाखर मजरआ भान परगना हसनगढ़ तहसील
इगलास जिला अलीगढ़ व जमीदार ग्राम डासौली परगना जेवर
तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर का हूँ।

- जोकि मैंने दो हजार २०००) रपये सिफके चहरेवार कि जिसके
आधे एक हजार रपये होते हैं, बजरत दायित करने मुतालवा
तमस्तुक १३००) तेरहसौ रु० इकरारी रामजीत वेटा चन्द्रसेन जाट
उक्त जाखर निवासी व जयराम व रोमधन व बलदेव व शिवसिंह
जाति जाट रहने वाले कलाखुरी परगना जेवर के नाम लिया हुआ
और रजिस्ट्री किया हुआ ता० २२ जूलाई सन् १९०१ ई० कि जिस
के मध्ये मैंने नालिश शुफा अदालत मुंसिफो खुर्जा में जयराम
आदि के नाम दायर कर के डिग्री पाई और दूसरे यर्च मुकहमा
और घरेलूके लिये पास घल्ला वेटा खुशहाली जाट रहने वाले ग्राम
सहल परगना नोह जिला मधुरा व ननुवांवेटा रामप्रसाद व हरना
रायन वेटा हरीसिंह जाति जाट रहनेवाले ग्राम डासौली परगना

जेवर से— इस व्योरे से कि बहला से ५००) ननुवा से ६००) द्वरनारायण से ६००) रोकड़ी उधार लिये, इस लिये प्रतिष्ठा करता है और लिये देता है कि उक्त दपये छु आनेसैकड़ा मासिक व्याज सहित माँगने पर यिना यहाने के उक्त दाताओं को भुगता। कर निशेप कर दूगा और उक्त दाताओं के विश्वास के लिये खाता खेबट न० ५ तादादी छु विस्वः रकवी १५२ वीदा जमई १६२॥=) में से तीन यटानी है अर्थात् दो विस्वा और खाता खेबट न० ८ तादादी ६२ वीदा १२ विस्वा पक्की भूमि में से हिस्सा रसदी आराजी हकिक्यत जमीदारी मालिकी घाफियतमौजा डाँसौली परमना जेवर द्वारीसिंह धाली कि जो मुझको डिगरी शुफा अदालत सब जजी अलीगढ़ के द्वारा मिली हैं इस तमस्सुक के प्रश्न में आड अर्थात् रहन दृष्टि वन्धक की जय तक इस तमस्सुक का सारा रुपया मूलब व्याजका निशेपन होजाये तब तक जमीदारी आडी को कदापि किसी प्रकार परिवर्तन न करू गा अगर करू तो नाजाइज होगा इस लिये यह तमस्सुक रहन नामा दृष्टि वन्धक लिय दिया कि प्रमाण रहे।

तारीय २२ अगस्त सन् १६०२ स्थान रुजाँ घकलाम घसीधर वेटा रुद्धीलाल वैश्य रुजाँ नियासी दस्तावेज लेखक

दस्ता	क्षर सा	क्षी
गुलायसिह मुकिर घकलाम रुद अज्ञध्या परसाद वेटा राधेलाल		
साही चिन्ह निशानी अगूठा पर जाति कायस्य पटवारी प्राम		
माल वेटा इच्छा जाट वेशा खेती	डसौली	
दासोक्षी नियासी		

सा	क्षी	सा	क्षी
निशाना अगूठा कल्लु वेटा टीका	रामधल वेटा हेमराज ग्रामण		
राम ग्रामण डाँसौली नियासी	रहने धाला ग्राममल परगना		
वेशा खेती	नोह तहसील मदायन जिला		
	मथुरा घकलाम रुद		

दखली रहने नामा

एम कि जहानसिंह पुत्र घ मुसम्मात जल कुवर पत्नी श्री
घसश घ मुसम्मात भवन कुवर पत्नी पदमसिंह घ खुशीराम यें
हरनारायण स्वय घ सार्विकिरट प्राप्त सरक्षक महतावसिंह पुत्र
नायालिंग दरयावसिंह स्वर्गवासी भूतीजा खुद जाति जाट रहनेवाले
भोजा खेडा छूण परगना टप्पल तहसील यैर जिला अलीगढ
के हैं।

जो कि भौजा अद्वारी परगना टप्पल तहसील यैर जिला
अलीगढ में महाल घ पट्टी जहानसिंह में ३५३ बीघा ५ विस्ता
पक्की भूमि जिसकी माल गुज़ारी २६२) जाता येवट न० १
इकिक्यत जमीदारी हमारी निम्न लिखित है।

जहानसिंह घ जलकुवर घ भवन कुवरि सम भाग आधी

खुशीराम घ महतावसिंह नायालिंग समभाग आधी

और चूकि उक्त इकिक्यत पर छूण है और जायदाद के हृष्य
जाने का भय है और मुझ खुशीराम ने महतावसिंह नायालिंग के
मध्ये जज साहिव से आशा प्राप्त करली है, इसलिये उक्त इकिक्यत
में से १७१ बीघा १२ विसघा १० विसघांसी नीचे लिखी हुई पक्की
भूमि को हर प्रकार के बाहिरी और भीतरी स्वत्व तथा अधिकार
सहित, स्वस्यवित्त तथा स्थिर दुद्धिकी अवस्था में हमने ६ ००) ८०
के बदले में जिसके आधे तीन हजार रुपये होते हैं लाला गगा
प्रसाद घ गोपीलाल घेटे लाला नथारामजाति वैश्य निवासी खड्ढा
परगना टप्पल तहसील यैर जिला अलीगढ के हाथ चमान भाग
से नीचे लिखी हुई शर्तों के अनुसार दयाली रहने की और सूख्यका
रुपया उक्त रहनदारों से नीचे लिखे हुए व्यौरे के अनुसार प्राप्तकर

लिया कोडी पैसा शेष नहीं रहा अगर आगे को रूपया न पाने या कम पाने का वहाना दर्ते सो वह भूटा समझा जायेगा, और आज की सारीब से रहन दार कन्जा और अधिकार पाकर लगान उधारें और सरकारी माल, गुजारी देकर जायदाद का लाभ व्याज की जगह लेते रहे रहन दारों को सूद फा और रहन करने वालों को मुनाफे का दावा एक दूसरे से न होगा। जिस समय जेठ मास के अन्त में रहन का सब रूपया भुगता देंगे रहन छुटा लेंगे।

(२) रहन के थीस में हम रहन कर्ता रहन ग्रहीताओं के प्रश्न व अधिकार में किसी प्रकार का दस्तावेज न करेंगे रहनदारों को अधिकार होगा चाहे जमीन में आप खेती फर्ते या आसामियों से करावें अगर हम भूमि के कुछ भाग में रहन ग्रहीताओं की आवाज से, येती करेंगे तो उसका लगान उनको देते रहेंगे। अगर कुछ लगान रहन छुटाने के समय शेष रहेगा वह भी रहन छुटाने के समय अदा कर देंगे और उसके अदा न करने पर रहन न छूटेगी।

(३) तो यकाया आसामियों के ऊपर रहन छुटाने के समय तमादी शुश्रृहोगी वह भी रहन के रूपये के साथ अदा की जायेगी और उसके अदा न करने पर रहन न छूटेगी।

(४) रहनदारों को अधिकार है कि रहन काल में येती के और जारी तथा घर के राचा के लिये रहन की हुई जायदाद के पेड़ों की लकड़ी अपने अधिकार से लेते रहें।

(५) रहन की हुई जायदाद इस मूले के अतिरिक्त कि निसके छुकाने के लिये यदि रहननामा लिखा जाता है और हर प्रकार के भूए और भारसे सुरक्षित तथा निर्दोष है उसमें कोई दमारा सारी

व अशी नहीं है। अगर कोई भार या झुण आदि रहन वारों को देना पड़े-या सब या कोई भाग रहनकी हुई जायदाद का किसी सामझी व अशी की दावेदारी से या किसी हमारे दूसरे कारण से रहनदारों के अधिकार से निकल जावे तो उन को अधिकार होना कि अपने रहन का रूपया हानि व व्यय और उस भार सहित जो उठाना पड़े एक रूपया सैकड़ा मासिक व्याज सहित हमसे और हमारी दूसरी जायदाद से प्राप्त कर लेवें और रहन की हुई जायदाद उस रूपये में आड समझी जावेगी।

(६) हकिक्यत का दाखिल रारिज हम रहन कर्ता रहन अहीतों के नाम नियम पूर्वक करा देंगे। नहींतो रहन अहीता अपने अधिकार से करो लें और उसका व्यय हम लोग रहन छुड़ाने के समय व्याज १) मासिक सैडका सहित अदा करेंगे।

(७) जो आदादीके नम्बर रहन की हुई हकिक्यत के भीतर हैं। उन में रहनदारों को अधिकार है कि चाहे वह मकान यनाकर अपने काम में लावें या दूसरे लोगों को वसावें। इस लिये यह रहनतामा लिख दिया कि प्रमाण रहे ॥

रहन की हुई हकिक्यत का व्यौरा नम्बरों सहित

१७१ घीघा १२ विसवा १० विसवासी वाक़िब मौजा अंटारी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़ ।

नम्बरों का व्यौरा

२६५	२७६	२७७	३१८
२ घीघा ४ विं०	१ घीघा १५ विं०	१ घीघा १५ विं०	२ घीघा २ विं०
३१५ -	३२६ -	३३१ -	३४९
१ घीघा ११ विं०	३ घीघा	२ घीघा ३ विं०	१ घीघा ६ विं०
३४६	३४८	३११	३६८
२ घीघा ७ विं०	१८ विसघा	१ घीघा ५ विं०	१ घीघा ८ विं०

३६९	३७०	३७१
१ घीघा १० विसवा	१० विसवा	१० घीघा ८ निसवा
३७२	३७३	३७४
१६ विसवा	१० विसवा	१८ विसवा
३७५	३७६	३७७
६ विसवा	१६ विसवा	५ विसवा
३७१	३११	३१२
७ विसवा	४ घीघा १५ विसवा	६ विसवा
४०४	४०८	४०
३ घीघा ३ विसवा	१ घीघा १८ विसवा	१ घीघा ८ विसवा
४१०	४११	४१३
२ घीघा	३ घीघा ४ विसवा	१५ विसवा
४१२	४१८	४१९
२ घीघा ७ विसवा	२ घीघा	३ घीघा १२ विसवा
४२३	४२६	४२०
१५ विसवा	३ घीघा ४ विसवा	१ घीघा १५ विसवा
४२०	४२१	४२२
२ घीघा ४ विसवा	१ घीघा ३ विसवा	२ विसवा
४४३	४४९	४४९
१३ विसवा	६ विसवा	१ घीघा १७ विसवा
४११	४३१	४१३
२ घीघा ४ विसवा	२ घीघा १२ विसवा	२ घीघा १ विसवा
४१४	४२६	४२४
२ घीघा ४ विसवा	२ घीघा ११ विसवा	२ घीघा ६ विसवा
४२४	४७२	४७४
२ घागा ८ विसवा	५ घागा ११ विसवा	३ घीघा
४८१	४८२	४८३
३ घीघा १ विसवा	२ घीघा १ विसवा	५ घीघा ७ विसवा
४८६	४८६	४८७
२ घीघा ४ विसवा	१ घीघा १६ विसवा	१ विसवा
४८८	४८०	४९०
३ घीघा ४ विसवा	२ घीघा ५ विसवा	१ घीघा ६ विसवा
४९१	४९३	४९२

४२०	५०२	५०३
४ वीघा १२ विसवा ५०४	३ वीघा १८ ५०१	१ वीघा १८ विसवा ५०६
२ वीघा ४ विसवा	३ वीघा ३ विसवा	२ वीघा ४ विसवा
५११ कायम	५११	५१३
५ वीघा ७ विसवा ५१४	३ वीघा १२ विसवा ५१२	६ वीघा १० विसवा ५५३
१		
२ वीघा १० विसवासी	१ वीघा ५ विसवा	३ वीघा १० विसवा
५६४	५८५	५६६
३ वीघा १० विसवा ५७१	१ वीघा १२ विसवा ५८० कायम	२ वीघा ३ विसवा ५९६
०	३	२
२ वीघा ७ विसवा ५०३	१ वीघा १ विसवा ५०३	१ वीघा ५०६
०	९	४
३ विसवा ५३२	१ वीघा ७ विसवा ५००	४ विसवा ५०१
१ - ९ - ३	५	
१ वीघा ११ विसवा ५८६	४ विसवा	६ विसवा ५१०
		६
२ वीघा १ विसवा १० विसवासी कुल जोड़ १७१ वीघा १२ विसवा १० विसवासी	३ विसवा १० विसवासी	

मूल्य के रूपये का ठ्योरा

चाचत थे याकी दस्तावेज़, ११ अगस्त सन् १६०५ रजिस्ट्री
इकरारी हरनारायण घर्गरह, यनाम मुहरसिंह तादादी ६००) असल
थ मूद्र इस तारीख तक अमानत छोड़ा १५००)

वायत वेदाकी दस्तावेज मुवर्रम्ब १६ फर्वरी सन् १९०६ रजिस्ट्री
शुद्ध इकरारी हरनारायण घग्गरह वनाम मुहरसिंह तादादी ६००)
जिसका असल व सूद इस तारीख तक अमानत छोड़ा १०५०)

वायत वे वाकी दस्तावेज मुवर्रम्बा ६ अगस्त सन् १९०६ ० ई०
रजिस्ट्री शुद्धा नविश्ता जह नसिंह व खुशी राम वनाम मुहरसिंह
जो व एवज दस्तावेज साधिका मुवर्रम्बा १० अक्टूबर सन् १९०५
नविश्ता हरवरथ व हरनारायण मूरिस नाशलिंग लिखा गया
तादादी ७००) जिस की माग आज की तरीख तक असल व सूद
अमानत छोड़ा ६००)

वायत वे वाकी दस्तावेज रजिस्ट्री मुवर्रम्बा ११ अगस्त स्ट्रू
१९०५ ई० इकरारी जहानसिंह मौसूमा मुहरसिंह तादादी ८००)
जिस की माग आज की तारीख तक असल व सूद सहित जोड़
कर अमानत छोड़ा १०५०)

वायत वेदाकी दस्तावेज मुवर्रम्बा १६ फर्वरी सन् १९०६
रजिस्ट्री शुद्धा इकरारी जहानसिंह मौसूमा मुहरसिंह तादादी ६००)
जिसकी माग असल व सूद आज की तारीख तक अमानत
छोड़ा १०५०)

कुल जाड ८०००)

हस्ता ————— छार हस्ता ————— छार हस्ता ————— छार
हस्ताछार—गया ————— ह गयाह ————— —————
लिखे की नारीख स्थान बकलम रामचन्द्र दस्तावेज लेखक

जुतऊ भूमि का दखली रहने नामा (भोग बन्धक पत्र)

हम कि कुवर अन्दुल गफूरया वेटा कुवर सरदारया व
सुसम्मात मुहम्मदी वेगम जोजा कुवर अन्दुलगफूर जाति राजपूत
नौसुसलिम, जमीदारान मौजा हरदुआ गज रहनेवाले व रईस
क़सवा अतरौली जिला अलीगढ़ के हैं ॥ जो कि मुझ इकरार करने
वाले न० १ की ३०० चीधा ८ विसवा हविकयत जमीदारी महाल गैर
सास्तगारान चाकश मौजा हरदुआगज खाता खेवट न० १ मौसूमा
फतह गढ़ी दानपत्र द्वारा अपने पिता कुवर सरदार या साहिय
से मिली है और खेवट शामिलात से सम्बन्धित न० ३ तादादी
दृ००० चीधा ६ विसवा घाकिश हरदुआगज के १२ हिस्सों में से
दो हिस्सा पैत्रिक सम्पत्ति द्वारा मुझ अन्दुल गफूर को मिली हैं

यह दोनों हविकयत मेरी ओर से रहने नामा रजिस्ट्री तारीख
जुलाई सन् १८६२ द्वारा होतीलाल व मातीलाल के पास रहने
दखला हुई, तत्पश्चात् मे ने उपरोक्त रहने छुड़ाने प्रौर आन्य, नूण
छुकान के लिये उस हविकयत को रहने नामे भोग बन्धक तारीख
१५ जून प्रौर रजिस्ट्री तारीख २८ जून सन् १८६४ द्वारा पास
कुवर अन्दुल गफूर वाँ वेटा कुवर अन्दुलजहार वा जाति राजपूत
नो सुसलिम साकिन हरदुआ गज सगे भतीजे अपने के रहने
दखली की । और उपरोक्त रहन प्रहीता उनपर कारिज और दबील
है । इस के पीछे मुझ इकरार करने वाले न० १ ने उपरोक्त जायदाद
का हक्क राहिनो, नीचे लिये हुए नमस्तुतों में प्राप्त किया है ।

(१ नमस्तुत आडी ४५००) नारीय ५ फरवरी मन् १८०८ यनाम
दालचड़, मोदालाल गोपिन्दराम व मक्षवन ताल ।

(२) तमस्सुक आडो ५०००) तारीख ८ सितम्बर सन् १९०८ यनाम
मगलसेन ।

(३) तमस्सुक आडो २५००) तारीख १० रजिस्ट्री १७ अगस्त सन्
१९१० यनाम रघुवर दयालु

(४) तमस्सुक आडो ३००००) तारीख २५ नवम्बर सन् १९१०
रजिस्ट्री ७ दिसम्बर सन् १९१० यनाम मुसम्मात मुहम्मदी
येगम व अन्यासी येगम ।

मुझ अब्दुल गफूर ने कुल इकिकरण का १ सिहाम शामिलात
ऐवट यू डक्टर विक्री पत्र रजिस्ट्री तारीख १५ फर्वरी सन् १९१२
द्वारा मुसम्मात मुहम्मदी येगम अपनी पत्नी के हाथ देच दिया और
जफरथली गा, अब्दुल गफूर के भतीजे का ऐवट शामिलात
में १२ दिसंबर में से १ दिसंबर जफर अली गा के फर्ज में जिसकी
इजराय फिरी उस के मरने पर कु घर अब्दुल जहर या उस के
पिता पर जो उस का दायमानी हुआ हुई नीलाम होकर
मन्यनलात ने खरीदा और मन्यनलाल ने उस को मुझ इकरार
हरने वाले न० १ को देच दिया ।

इस प्रकार ३८० धीया भूमि पर्याप्ती और ऐवट शामिलात में से
१ सिहामकी मालिक मुसम्मात मुहम्मदी येगम इकरार करनेवाली
न० २ है । और ऐवट शामिलात में से दो सिहाम का मालिक
इकरार करने वाला न० १ है । अब हम दोनों इकरार करने वाले
उपराक इकिकरण को समस्त भीतरी व घावरी घरेमान घ
आगमी स्वत्वों सहित विना छाटे किसो बहुत और स्वत्व के
रघम्य विच और स्थिर उद्धि की घघस्था में अपनी इमारा और
प्रसानता से, अब्दुलशकूरया वाली रहने के रपये चुकाए तथा
अपनी दूसरी आपश्यको के लिये गोस इजार रपये ३०००० के
यद्वारे में जिसके आवे पन्द्रह इजार रपये ५०००) होते हैं । लाला

रामलाल व श्यामलाल बेटे लाला फिशोरीलाल जानि येश्य, रहने घाले कोल पेशा लेन देन थ तिजारत के हाथ निम्न लिपित शब्दों के हाथ दखली रहन (भोगधन्धक,) करते हैं ।

(१) उपरोक्त रहन का रुपया पूरा पूरा उक्त रहन ग्रहीताओं से निम्न लिपित विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया ।

उपरोक्त कुधर अद्वुलशकूरगा के नाम सुभ अद्वुलगफरसा मुकिर न० १ के १५ जून के लिये और २८ जून सन् १९१४ ई० के रजिस्ट्री किये हुए दखली 'रहननामे के रुपया चुकाने और रहन नुडाने के निमित्त ग्रहीताओं के पान आमानत छोटे १५०००) एक दस्तावेज आड़ी रहन ता० १२ अगस्त के लिये और १६ अगस्त सन् १९१० के रजिस्ट्री किय हुए तारादी १२०००) रुपये के विक्रिय पत्र के मूल्य का रुपया चुकाने के निमित्त जो आज की तारीख में रहन 'ग्रहीताओं ने मुसम्मान मुहम्मदी बेगम इकरार करने वाली न० २ के हाथ रेचा है १५०००) मुजरा लिये ।

(२) रहन के रुपये का सूद और उपरोक्त हक्कियत का मुनाफा धरायर ठहरा है । अर्थात् न तो रहन ग्रहीताओं को ध्याज का दावा और न हम रहन करने व लों को मुनाफे का दावा होगा और रहन काल में जो लगान थड़े उसके पाने और मालगुजारी की बढ़ती के देनदार रहन ग्रहीता होंगे रहन, कर्ताओं को उससे कुछ सम्बन्ध न होगा ।

(३) १७ फरवरी सन् १९१३ के लिये व रजिस्ट्री किये विक्रिय पत्र के द्वारा मुसम्मान मुहम्मदी बेगम का दायित रा रिज अवतक नहीं हुआ है और न ६ फरवरी सन् १९११ ई० लिखित विक्री पत्र द्वारा सुभ कुधर अद्वुलगफूर्त्या का जफरअलीगा वाली हक्कियत का दायित रा रिज हुआ मुकिरान इकरार करते हैं कि कारवाई

दाखिल खारिज दोनों छुट्टी २ हफ्तियतों की निश्चित अर्थात् पहिली रहन की हुई दृष्टिक्यत और एक दिससा प्रतीदी हुई जो कि मन्त्रनलाल ने मोत लिया है, दाखिल खारिज की दरखास्त देकर दाखिल खारिज उस पर करादिया जावेगा और रहन प्रहीताओं का नाम मुरतहन और अपना नाम राहिमकी मद्दमें दर्ज करालेंगे ऐसा न करने की वशों में रहन प्रहीताओं को अधिकार होगा कि वह नियमानुसार दाखिल खारिज करालें और जा कुछ एवं दाखिल खारिज में हो वह रहन के रूपये का भाग होकर छ आना सैकड़ा मादगारी व्याज सहित रहन छुड़ाने के समय घसूल करने याथ्र होगा और उसको अदा न करने पर रहन न छुड़ा सकेंगे ।

(५) रहन काल में रहन प्रहीताओं को अधिकार होगा कि आसामियों को येदगल फरै-लगान में धृती करावें । और दूसरे अधिकार मालिकाना हमारी तरह यतें और जो रहन काल में अविक मुनाफा हो उस के मालिक रहन प्रहीता होंगे हम रहन पत्तियों का कुछ सम्बन्ध न होगा ।

(६) रहन काल में हम इकरार करने वाले किसी तरह पर रहन प्रहीताओं के अधिकार को न रोकेंगे और रहन प्रहीताओं को आसामियों की इच्छानुसार पक्के कुए खुदवाने की आपश्यकता हो तो हम रहन करने वालों से लेप घद्द भाषा प्राप्त करें ।

(७) उपरोक्त रहन के रूपये का चुकाना और रहन की हुई जायदाद का भार से निर्दोष कराना हम रहन कर्त्तियों का कर्तज्य है । और पिण्डि सातधानी घ विश्वास के निमित्त भाजकी तारीयमें एक जमानत नामा कुपर अब्दुलवासितरा से रहन प्रहीताओं के प्रति लिया दिया गया है कि, यह उसका मुख्यक दाय करा देंगे । और रहन प्रहीताओं को अधिकार होगा कि यह दक्षतावेजों का रूपया स्थय चुका कर रहन को हुई जायदाद के अतिरिक्त जो और

जायदाद उन दस्तावेजों में आड है उस से चुकाया हुआ रूपया बसूल करें।

(८) २५ नवम्बर की लिखी और ७ दिसंबर सन् १९१० की रजिस्ट्री की हुई (३००००) की दस्तावेज जिस के अन्दर रहन की हुई जायदाद का भाग, भी, रहन है, उस के मध्ये रहन कर्ताओं से उक्त रहन को हुई जायदाद का एक त्पाग पत्र आत की तारीख में लिया कर रजिस्ट्री करा दिया है। और उसका भार रहन की हुई जायदाद पर, नहीं रहा।

(९) विदित हो कि जो उपरोक्त रहन की हुई जायदाद का इतिहास हम रहन कर्ता ऊपर वर्णन कर आये हैं वह यों का त्यौठीक है और रहन की हुई जायदाद उन परिवर्तनों के अतिरिक्त जिनका वर्णन उस में है अन्य प्रकार से किसी दूसरी जगह परिवर्तित नहीं है। और दूसरे हर प्रकार के घृण और भार से रहित और निर्दोष है। उसमें कोई हमारा साभी व अशी नहीं है। यदि हमारी जायदाद की त्रुटिके कारण या किसी साभी अशी की दायेदारी से रहन की हुई जायदाद का कोई भाग अथवा समस्त सम्पत्ति रहन ग्रहीताओं के अधिकार से निकल जावे। या हम रहन ग्रहीता प्रतिक्रियानुसार पुरोना घृण न चुकावें और रहन न छुड़ावे जिसका चुकाना हम लोगों ने अपने ऊपर ओट लिया है अथवा किसी हमारे दूसरे भार के कारण रहन ग्रहीताओं को कुछ हानि उठानी पड़े तो रहन ग्रहीताओं का अविकार होगा कि रहन का रूपया आठ आना सेकड़ा माहवारी व्याज सहित रहन की हुई जायदाद और हमारी व्यक्ति और अन्य प्रकार की जायदाद से घसून करलें इस प्रकार की मुकदम्मेवाजी में जबाब दही और रहन ग्रहीताओं के स्पत्यों की रक्षा करना हम रहन कर्ताओं का कर्तव्य होगा। और रहन ग्रहीताओं को रहन की हुई जायदाद की हर प्रकार की रक्षा हमारे समान करना होगा।

(१०) रहन छुड़ाने के समय रहन का रूपया हम रहन कर्ताओं को उस शेष लगान सहित जो काश्तकारों के ऊपर जो मीआद (अवधि) के भीतर सरकारी कागजों में हो, चुकाना होगा, और उसके बिना चुकाये रहन न छुड़ा सकेंगे।

(११) इस रहन नामे का आरम्भ १ जूलाई सन् १९१३ से होगा और रहन की हुई जायदाद पर रहन ग्रहीताओं का अधिकार उस समय होगा जब पहले रहन ग्रहीताओं के रहन का रूपया घर्तमान रहन ग्रहीता चुकादें। उस समय अधिकार दिलाना हम इकरारियों का काम है।

(१२) टोठ मास के अन्त में जब हम रहन कर्ता रहन का समस्त रूपया उस रूपये सहित जो कूद्या घनाने आदि के मध्ये रहन ग्रहीताओं का इस रहन नामे के नियमाङ्गुसार देना हो चुकायेंगे। तब जायदाद को छुड़ा लेंगे। और रहन ग्रहीताओं को रहन के रूपया वापस माँगने का अधिकार किसी समय न होगा। इस लिये यह रहन नामा लिपि दिया कि सनद रहे।

हस्ताक्ष	—	र	हस्ता	—	चर
फुयर अन्दुलगफूर या मुकिर			मुहर मुसम्मात मुहम्मदी येगम		
न० १ यकलम खुद			मुकिरा न० २		

गधा	—	इ	गधा	—	इ
मदनलाल येटा मुन्द्रलाल जाति			निरजलाल येटा मिठ्ठलाल वैश्य		
वैश्य पेशा नोकरी सिक्काराराऊ			घर्तमान तिवासी सिकन्दराराऊ		
निरासी यकलम खुर			यकलम खुद		

- लिखतम तारीय १६ जून सन् १९२१ स्थान सिक्काराराऊ
यूफलम नसीमुल्ला येटा फहीमुल्ला जाति शेष साकिन सिकन्दरा
राऊ दस्तारेजु लेप्ररु

रहायशी सम्पति का देखली रहननामा

मैं कि तुरसी राम वेटा खुशहाल चन्द जाति महाजन पेश
जमीदार रहने वाला कस्बा दहगवां परगना सहावर जिला एटा
का हूँ ।

जोकि सात दूकानें पक्की वाला यानों सहित सब प्रकार से वनों
हुई वाजार सज्जी मरडी कस्बे दहगवा कि जिन की चौहाँही नीचे
लिखी है मैं स्वामी और अधिकारी हूँ । और वे ३२००) के दस्तावेज
ता० २१ मार्च सन् १९०६ द्वारा मेरी ओर से पास गिरधारी लाल
कायस्थ इठाव निवासी के आड हैं । सिवाय इस आड के हर
प्रकार के छूण और भार से रहित और निर्दोष हैं । अब मुझ को
आड का रूपया जिस पर व्याज प्रति दिन बढ़ता जाता है देने के
लिये तथा अन्य अह कार्य के लिये उपरोक्त दूकानों को रहन भोग
वन्धक करना अभीष्ट है । इस लिये स्वस्य चित्त और स्थिर दुखि
की अवस्था में उपरोक्त सात दूकानों को सब प्रकार के वाहिरी
और भीतरी स्वत्व और अधिकारी सहित ५०००) रूपये के बदले
में जिसके आधे २५००) होते हैं वलीमुहम्मद वेटा अली मुहम्मद
जाति शेष पेशा तिजारत के पास रहन दखली की है । और रहन
का रूपया पूरा २ उक रहने दार से निम्न लिपित व्यौरे से बसूल
पाकर रहन की हुई जायदाद, पर अपने समान रहन अहीता
को स्वामी और अधिकारी कर दिया । रहन की शर्तें निम्न लिपित
ठहरीं ।

१-रहन के रूपये का सूद और रहन की हुई जायदाद का मुनाफा
वरापर ठहरा रहन कोलमें रहन अहीता को व्याज का दावा और मुझ
रहन कर्ता को मुनाफे का दावा एक दूसरे पर न होगा ।

२-रहन की अधिकारी आठ साल की उत्तरी इस वीच में न मुझे रहनकर्ता को रहने दुड़ाने का अधिकार होगा और न रहन प्रहीता को रहन का रूपया मागने का अधिकार होगा ।

३-आठ साल की अवधि वीत जाने पर मुझे रहन कर्ता को अधिकार होगा कि जब रहने का रूपया भुगता हूँ रहा की हुई जायदाद को छुड़ाल ऐसे ही अवधि वीत जाने पर रहना दार को अधिकार वसूल करने रहन के रूपये का मुझे रहन कर्ता की व्यक्ति (जात) तथा रहन की हुई जायदाद से नोताम की कार्यगाही द्वारा प्राप्त होगा ।

४-साधारण तिपाई दिसाई ओर छुत्त पर मट्टी डालना रहनदार के जिम्मे है और दूसरी मरम्मत टूट फूट तथा पट्टी किंवाड़ आदि की मुझे रहन कर्ता के जिम्मे है अगर तारीख सूचना देनेसे एक मासके भीतर में रहनकर्ता मरम्मत टूट फूट की न कराऊ तो रहन दार को आशा है कि वह शप्ते अधिकार से मरम्मत करा ले दे और जो कुछ व्यय उसमें पड़े वह मुझे रहन कर्ता ने माग ले न देने की दशा में वह रूपया रहन का भाग समझा जायगा और रहन दुटाने के समय ॥) सैकड़ा माहजारी व्याज सहित उसका अदा करना आवश्यक होगा और यिन्होंने उसके अदा किये रहन न छुट सफेदी ठीक हिसाब इस प्रकार के खच का बना कर रहन कर्ता के पास भेजना रहन दार का काम होगा ।

५-उपरोक्त आठ के व्यतिरिक्त जिसके भुगतान के लिए रहन दार के पास रूपया छोड़ा गया है और अगर कोई भार रहन की हुई जायदाद पर निकले और उसके कारण से या किसी साम्भाल अग्री के दावा करने या किसी मेरे स्वतंत्र की घुट्ठि ने कारण रहन की हुई जायदाद या उसका कोई भाग रहनदार के कब्जे से निकल जान् या कोई रूपया रहनदार का देना पड़े या उन का कोई और

हानि उठानी पड़े तो रहन दार को अधिकार होगा कि रहन वा रुपया अपना व्यय और हानि तथा व्याज सहित मुझ राहिन की छर प्रकार की जायदाद से बखूल कर लेवे और रहन की हुई जायदाद उस रुपये में, आड समझी जावेगी इस लिये यह रहन नामा दखली लिख दिया कि सनद रहे।

रुपया पाने का व्योरा

वास्ते वेवा की श्रसल थ सूद मुतालवा दस्नावेज आड नविष्टा	
मुकिर मौसूमा गिरधारीलाल कायस्थ तादादी	३२००
मुवरदः २१ मार्च सन् १९७७ पास मुरतहिन अमानत छोड़े ४२७५)	
नकद घक रजिस्ट्री लेने ठहरे	७२५)

चोहड़ी उदुकान रहन की हुई एक दूसरे से मिली हुई स्थित वाजार सब्जी मट्ठी कस्तूर दहगढ़ा।

पूरव	पचिंद्रम	उत्तर	दक्षिण
अल ————— व्यगवा ————— ह्यगवाहशु ————— दगवाहशु ————— ६			
तहरीर तारीय	मुकाम	बकलम	कातिय

जुतऊ जायदाद का दखली रहननामा

मे कि खासेराम वेटा सीताराम जाति जाट साकिन व जमीदार मोजा वाजौता परगना टप्पल तहसील और जिला अलीगढ़ का हु जो कि मोजा वाजौता परगना टप्पल थोक फल्लू ब्राह्मण व नम्बरदारी साहबराम नम्बरदारमें मिनजुमला २३२ बीघा १ विस्वा आराजी जमई १९४८)॥ माल गुजारी मुन्दरजा खाताँ न० ७ येवट के आठगा हिस्सा जमीदारी मेरी विना किसी साझी के है और उपरोक्त जमीदारी से सम्बन्धित रसदी हिस्सा मिनजुमले ६२ बीघे ७ रिस्ते पुरता आराजी शामिलात मुन्दरजे खाते येनट न० ८ और

रसदी हिस्सा आराजी शामिलात थोक कल्प ग्राहण का है। इस कुल जमीदारी का मैं इस समय तक स्वामी और अधिकारी हूँ। अपने ऊपर का ऋण चुकाने के लिये उपरोक्त जमीदारी का दा तिहाई हिस्सा अर्थात् धारहरा हिस्सा मिनजुमले २३१ बीघे २ विस्त्रे पुत्ता आराजी मुन्दर्जा खाता खेड न० ७ मध्य रसदी हिस्सा मिन जुमले २२ बीघे १७ विस्ते पुत्ता आराजी शामिलात मुन्दर्जा खाते खेड न० ८ व रसदी हिस्सा आराजी शामिलात थोक के कल्प ग्राहण सब प्रकार के बाहिरी और भीतरी व सम्बन्धित स्वत्व और अधिकारों सहित मुद्रित (३००) रुपये सिफके सरकार के बदले कि जिस के आधे १५०) रुपये होते हैं पास राम दयातु व गिहारो लाल व किशोरी लाल खेटे टोडर माल वैद्य रहने वाले मौजे पिलोरा परगना खुर्जा जिला बुलढ़ शहर समान भाग आधा हिस्सा, व सीताराम व तिरसा राम खेटे नेतराम जाति यनिये रहने वाले मौजा भोर परगना टप्पल तहसील खेर जिला अलीगढ़ समान भाग आधा हिस्सा रहन दराली मुजरई ७ साल की भीथाद से की और गिरवी रक्षी, रहन का रुपया पूरा २ उक्त मुरतहनों से नीचे लिखे हुए अनुसार वसूल पाया कोई कौटी पैसा याकी नहीं रहा, वसूल न होने और कम वसूल होने का वहाना भूठा होये। इकरार और शर्त रहन यह है कि उक्त मुरत हिं आज की तारीख से रहन की हुई आराजी पर काधिज़ और दखील होकर सरकारी माल गुजारी अदा करने के पश्चात् जो कुछ यद्ये असल व सूद जर रहन में लेते रहे और सात साल की अवधि बीतने पर रहन की हुई आराजी को अपने कब्ज व दखल से निकाल कर मुझराहिन के बजे मैं देवें अप तक जो आराजी रहन में लकड़ी मौजूद है उसको मैं राहिन काट लूँगा और रहन की अवधि में जो लकड़ी आगे को पदा होगी उसके काटने व

धेचने का अधिकार मुरतहनों को होगा रजिस्ट्रीकी पूर्ति के पश्चात् उसका दाखिल यारिज नियम पूर्वक सर रिष्ट्रेमाल से करादूगा, आगर दाखिल यारिज न कराऊ या मुरतहनों के दसल में इस्तचेप करू या बाधक छोड़ या मेरी मिलिकियत की त्रुटि या मेरे किसी श्रय कारण से समस्त या कुछ भाग रहन की हुई जायदाद का मुरतहिनोंके कब्जे स निकल जावे तो मुरतहनोंको अधिकार है कि रहननामेका सारा रूपया मअसूद फी सदी १) रूपया माहगारी मुझ से और मेरी जायदाद से बसूलकरतों मुझको उज्ज न होगा इस लिये यह थोड़े शब्द रहन मुजरई के रूप में लिख दिये कि सनद रहे।

तफसील घे धाकी ३००) जर रहन भजकूरा वाला

घावत येवाकी हिस्सा निसफी मुताज्जवा एक डिग्री अदालत मुन्सिफी हवाली अलीगढ़ न० २१६ मुवर्रेखा २७ मार्च सन् १९७८ अजा राम दयाल घ विहारी लाल घ किशोरीलाल घ मनसा राम मुरतहनान मोस्मा खुद शामिलाती युशी राम घगरह दीगर मदयूनान घावत हिस्सा निसफी रहन के मुरतहनान का मुजरा दिये २६०)

अब लिये १०)

इस्ता	क्षर	गवा	ह
यासेराम घक्लम खुद		शाभा राम ब्राह्मण साक्षिन	
		बाजीता घक्लम खुद	
गवा	ह		
रामजीलाल घद्द रामसिंह			
जाट साक्षिन घाजीता घक्लम			
लम हिन्दी खुद			

ता० ३० जनवरी सन् १९२० स्वान
दस्तावेज लेपक

दग्धुली रहननामा (भोग वन्धक, पत्र)

मैंकि पैमराज पुत्र नाथुराम ग्राहण घौहरा निवासी तथा जमीदार ग्राम समराऊ परगना व तहसील जलेसर जिला एटे का हूँ जोकि टो विसवे को एक तिदर्ई जमीदारी का जो चार विसवेकी पट्टो पैमराज महाल १६ विसवा मौजा समराऊ परगना व तहसील जलेसर जिला एटा में है मे स्त्रामा और अधिकारी हु और अप कानूनी घटवारे ढारा महाल पैमराज सेवट न० १ मौजा समराऊ परगना व तहसील जलेसर जिला एटा के कागजों में उस का लेय—१३ विसवासी १६ कचवासी १३ तनवासी तादादी ५६ एकड २२ डिसमिल जमई ४३=) हुआ है यह जमीदारी मेरे लिये आड़नामे रजिस्ट्री ता० २२ अगस्त सन् १८६७ तादादी १२२०) के ढारा प० कृष्णलाल ग्राहण और लोलाधर घौहरे के पास आड़ चली आती है और प्रति दिन व्याज घढता चला जाता है।

इस लिये मे स्वस्थ चित्त और स्थिर उद्धि की शब्दस्था में उपरोक्त सम्पूर्ण जमीदारी १३ विसवासी १६ कचवासी १३ तनवासी छुतऊ वे ज्ञुतऊ भूमि और फलदार और वे फलवाले वृक्ष वाग फच्चे वे पक्के फूप, तालाव, नडी नालौ, पोपर, भील, डूबर जल कर, बनकर, वौ परजौट, बखान, जेगल ढाका, ऊसर, बजर, पशु चारनभूमि, गाडर-पूला सीक व आवादी, व ग्रामदनी सिवाय व सायर व हिस्सा आमदनी ठेका नगला भगवानपुर और ३ एकड ६ डिसमिल भूमि अपनी जात, और सय प्रकार के वाहिरी, भीतरी वतमान और आगामी स्वत्व और अधिकारी समेत २७००) रुपये सिफरे सरकार के घदल में कि जिसके आवे १३५०) रु० होते हैं— पास प० कृष्णलाल व प० द्वालाश्वकरसहाय व प० शरभूनाथ पुत्र प० द्वारिकाप्रसाद जाति ग्राहण गोड रहने वाले कस्ते जले-

सर जिला पटा के नौ आना सैकड़ा माहवारी व्याज पर भोग वधक (रहन दखली) करदी और गिरवी रफयी, और रहन का रुपया पूरा घ कुल नीचे लिखे निवरण अनुसार पालिया, और रहन की हुई, जमीदारी पर उक्त पडितों का अधिकार और दखल करा दिया, और निम्न लिखित नियम उभय पक्ष में ठहरे ।

(१) रहन ग्रहीता हथिकृयत पर स्वामी और अधिकारी रह कर सब प्रकार की आमदनी वसूल करें । और सरकारी मालगु जारी और वेसूल का खर्च काट कर जो कुछ वचे उसको पहले व्याज में फिर मूल में मुजरा दें ।

(२) रहन ग्रहीताओं को सगस्त अधिकार 'लगान उघाने, लगान नियत करने और बकाया व वेदखली की नालिश करने, और लगान बढ़ाने, कुकीं खुद इत्यतियारी 'आदि' के प्राप्त होंगे । मुझको और मेरे दायमांगियों को रहन काल में कुछ अधिकार न होगा ।

(३) रहन ग्रहीताओं को येती के और्जातों के लिये वृक्षों की लकड़ी काटने का अधिकार प्राप्त होगा । उसके मध्ये मेरा कोई दावा किसी समय या रहन छुड़ाने के समय न होगा ।

(४) इस महाल में पृष्ठक १४ डिसमिल आराजी जमई धारह रुपये चौदह आना सालाना खेवट न० २ मेरे लडके छीतर मल के नाम है । और यह मालगुजारी यह जो खेवट न० २ का मालिक है अदा करता रहा है । सो आगे को भी इसी तरह अदा करता रहेगा । प्रगर किसी कारण से यह मालगुजारी रहन ग्रहीताओं को देनी पड़े तो रहन ग्रहीता उसको १) नैकड़ा माहवारी व्याज सहित खेवट न० २ के मालिक से वसूल करेंगे । जो उससे वसूल न हो तो यह मालगुजारी नौ आना सैकड़ा माहवारी सूर

उमेत रहन के रूपये में यद्यतो रहेगी और उसको में इकट्ठा करने गाला रहन के रूपये के साथ रहन दारोंको अदा करूँगा ।

(५) ३ एकड ६ डिसमिल आराजी खुद काशत मुझ इकरा करने गाली की है, जिसकी कथूलित मने ३६) सालाना लगान की रहन दारों के नाम २ साल के लिये लिख दी है। यह लगान का दृष्टिविना किसी घटाने और टाल के मैं रहन दारों को अदा करूँगा। जो अदा न करूँ तो रहन ग्रहीताओं को अधिकार है कि मुझको नियमाङ्कुरूल दफे ५६ कानून लगान की इजराय डिग्री द्वारा घेदयल करादें। और लगान का दृष्टिविना अपना मुझ से घसूल करें।

(६) रहन की मीआद गुजर जाने पर कुल रहन का दृष्टिविना उथा उपरोक्त महों का दृष्टिविना यदि कुछ दो और जितनी वाकी आसामियों पर हो, यह सब जब जेठ मास में खाली खेत पर एक साथ अदा करूँगा तब रहन की हुई वस्तु को रहन से हुडा लूँगा। रहन का दृष्टिविना अदा किये विना मुझ को या मेरे दाय भागियों को रहन हुडाने का अधिकार किसी अवस्था में न होगा।

(७) उपरोक्त जमीदारी ऊपर लिखे हुए दस्तावेज में आड है और उसका भार पूर्व का है, इस लिये रहन ग्रहीताओं को पूर्व भार के समस्त स्वत्व और अधिकार प्राप्त रहेंगे। और दूसरे मनुष्यों के सन्मुख उनको सब प्रकार विशेषता रहेगी।

(८) रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि दो साल की मीआद गुजर जाने पर या जिस समय उचित समझे अपने कुल दृष्टिविना की व्याज आदि सहित नालिश दाइर करके रहन की हुई जायदाद के नीलाम ढारा कुल झूण अपना घसूल करें या।

रहन दो उसी प्रकार स्थिर रक्खें। इस कुल भार में उपरोक्त जायदाद आद और माली रहेगी।

(६) इस दस्तावेज की रजिस्ट्री कराकर दाखिल सारिंग महकमे माल में रहन ग्रहीताओं के नाम का करादूगा । यदि कोई घहाना या टाल कर तो जो कुन्तु हानि और व्यय रहन ग्रहीताओं का होगा वह सब मेरे ऊपर है ।

(१०) इस दस्तावेज के भार के सन्मुख और कोई पूर्व भार या अदृश नहीं है । यदि रहन ग्रहीताओं को कोई ऐसा भार छुकाना पड़े या मुझ रहन कर्त्ता के स्वत्व की त्रुटि से कुल रहन की हुई वस्तु अथवा उसका कोई भाग उनके अधिकार से निकल जावे या कोई व्यय उनको सदृश करना पड़े तो रहनदारोंको अधिकारी होगा कि अपना कुल रूपया रहन की हुई वस्तु व मुझ रहनकर्त्ता की व्यक्ति और मेरी हर प्रकार की दूसरी सम्पत्ति से पूर्व भार के रूप में चलूल करें या अन्य उपाय काम में लावें । इस लिये यह रहन नामा लिख दिया कि सनद रहे ।

। यासिते छुकाने रूपया दस्तावेज २२ अगस्त रजिस्ट्री ३१ अगस्त सन् १८६७ जो घौहरे लीलाधर घेट घौहरे सदासुख जलेसर निवासी के देने हैं रहन ग्रहीताओं के पास छोड़े १४६६) मध्ये दस्तावेज २२ अगस्त रजिस्ट्री ३१ अगस्त सन् १८६७ के मध्ये देने प० कुष्णलाल रहनदार के पहली अदायगी काट कर अब मुजरा दिये १२५१)

तारीख २ सितम्बर सन् १९०५ को भग्गामला वेटा नाथूराम जाति घैश्य अगरवाल जलेसर निवासी सेयक दस्तावेज ने लिखा
इस्ता ————— तर सा ————— ती
सा ————— द्वी सा ————— ती

रहननाम दखली (भोग वन्धक) जमीदारी

इस कि चिरजीलाल घ अमृत लाल येदे लाला सन्तलाल के पयम्। और अपने सगे नायालिंग भाइयों मोहन लाल घ विहारी ल येदा उपरोक्त लाला सन्तलाल के सरकार, घ हैसिय मैनेजर। फर्ना यानदान जाति धैश्य अगुवाल चूहुवाल रहने थाले छल्ला याई दोरा कस्ता गुर्जां जिला शुलन्दशहर के हैं।

जो कि लाला सन्तलाल पुटम्ब के पुरुषा के अधिकार में विक सम्पत्ति थी, उसके सिवाय घद बनाज का व्यापार और आढत गुर्जे को मढ़ी में यदुत काल से करने थे। घोपार और जमीदारी को आमदनी से उन्होंने ऐप्रिक सम्पत्ति के अतिरिक्त शिष्ठ रदायशो जायदाद मोल होकर बनाई। जीधन के अनितम लाल में व्यापार की हानि के कारण उनके ऊपर लगभग पाँच ज्ञार दपये का ग्रृहण हो गया था जिसको घद अदा न कर सके। और १७ फरवरी सन् १९१३ को उन का स्वर्ग यास हो गया। इस तिथि करने थालों ने उक्त ग्रृहण चुकाने के निमित्त २६७ थीथे। यिसवे पक्की भूमि जमई ३५२) दफिक्कयत जमीदारी खाता खेट न० २ थाकिश मौजा नहरई परगना गुर्जां और चौहत्तर ७४ गिंगा आठ विस्था पक्की भूमि जमई १८१) खाता। खेट न० ५ थाकथ मौजा गढ़ी कन्धारी परगना हाथरस जिला श्रीगड़ पास गला छेदा लाल येदा यसीधर जाति सुनार रहने थाले मुहत्ता जियायी कसघे हाथरस छ द्वारा ६०००) दपये के बदले १६ जून तन् १९१५ लिखित दस्तावेज ढारा आड की और कुल ग्रृहण चुका देया पूँजी न होने के कारण व्यापार तथा आढत का काम छुत कम हो गया है। जिसवे कारण से कुटुम्ब पालन में कठिनाई आती है। और कारण के लिये दपये की आवश्यकता है,

इस के अतिरिक्त वीथी चम्पादेवी हमारी बहन का विवाह पिल्ले
फाटगुण में हुआ था और उसके निमित्त रक्षके ढारा नृणाले
पड़ा उस का चुकाना आवश्यक है, आड़ी दस्तावेज की व्याज दर
१) सैकड़ा मासिक है, और प्रत्यक्ष में कोई ढग भूल चुकने
का नहीं है इस लिये पैत्रिक सम्पत्ति के दूष जाने की शका है।
इस बात का ध्यान करके हम प्रतिज्ञा कर्ताओं ने आड़ी हस्तिकरण
को रहन मुजरई करने की इच्छा की है। जिस स सुगमता के साथ
हौले २ ऋण अदो हो जावे। और पैत्रिक सम्पत्ति सुरक्षित रहे
इसलिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में हमने समय
और अपने नाथालिंग भाइयों के सरकार और अधिकारी को यिना किसी
स्वत्व व घस्तु के छोड़ने के समस्त स्वत्व व अधिकार भीतरीं
वाहिरी सहित नी हजार ६०००) रुपये सिंकक सरकार के बदले
कि जिसके आधे चार हजार पाच सौ ४५००) रुपये होते हैं तो
आना सैकड़ा मासिक व्याज दर से उपरोक्त दाता लाला छेदालाल
बेटा वसीधर जाति सुनार रहने वाले मुहल्ला नजर्याई कस्ता
हाथरस के पास निम्न लिखित शर्तों अनुसार रहन दखली
'मुजरई' की ओर गिरवी रक्षयी ।

(न० १) यह कि कुल रहनका रूपया, निम्न लिखित जमीमा (अ)
के व्योरे के अनुकूल उपरोक्त रहन ग्रहीता से बसूल पा लिया,
एक कौड़ी उस के ऊपर शेष नहीं रहा, आगे कम पाने या कुल न
पाने का बहाना हमारी ओर से या हमारे दायमागियों प्रतिनिधियों
व स्थामापानों की ओर से भूठा और सुनने के अयोग्य, होगा ।

(न० २) — यह कि रहन की हुई जायदाद पर इस दस्तावेज के
नीचे लिये जमीमा (ब) के अनुकूल, उपरोक्त रहन ग्रहीता को
अपने न्यमान स्वामी और अधिकारी केरा दिया । रहन की स्थिति

तक हम रहन कर्ता किसी प्रकार का इस्ताहेप उक्त रहन ग्रहीता और उस के दायभागियों, स्थाना पन्नो और प्रतिनिधियों के स्वत्व घ अधिकार में न करेंगे ।

(न० ३) — यह कि उक्त रहन ग्रहीता का नाम कागजात माल में दरखास्त देकर रहन ग्रहीता रूप में लिखा देंगे । और ऐसा न करने की दशा में रहन ग्रहीता का अधिकार होगा कि वह अपना दायित्व खारिज स्वयम् करा ले । जौर जो कुछ दायित्व खारिज में खच पड़े वह रहन के रूपये का भाग होगा और नौ आना सैकड़ा मासिक ब्याज दर से रहन के रूपये के साथ और सम्मिलित चुकाना होगा ।

(न० ४) — यह कि रहन काल में उक्त रहन ग्रहीता स्वामी घ अधिकारी रह कर हर प्रकार की आमदनी रहन की हुई जायदाद की उघावे और उससे पहले माल गुजारी तथा दूसरा रूपया सरकारी देने योग्य अगर फोई हो अदा करे और बाद मिनहाई (काटने) खर्च तहसील घ तशब्बीस और यर्च गाव के जो घच रहे उसको प्रथम ब्याज में तत्पश्चात् मूल धन में मुजरा दे ।

(न० ५) यह कि माल गुजारीकी घटोत्तरी घटोत्तरी हम इकरार फरते घालों के जिम्मे हें रहन ग्रहीता वो हिसाय में वह रूपया मुजरा दिया जायेगा जो वास्तव में वह अदा करे ।

(न० ६) — यह कि हिसाय आमदनी घ ब्याज का उभय पक्ष के घीच में सालाना हुआ करेगा । और रहन के रूपये का ब्याज और रहन की हुई जायदाद की आमदनी भी सालाना मुजरा की जाया करेगी रहन ग्रहीता का कनव्य होगा कि वह उस की नकल हर साल १ अगस्त को रहन कर्ताओं के पास भेज देवे ।

(न० ७) यह कि रहन काल में रहन ग्रहीता को अधिकार होगा कि आसामियों को थे दखल करे इजाफा (बुद्धि) या तगड़ी लगान कराये और हमारे समान स्यामियों के से दूसरे अधिकार काम में लावे । जो बुद्धि लगान में होगी उसके स्वत्वाधिकारी हम रहन कर्ता होंगे । जो सर्व रहन ग्रहीता का लगान बढ़ाने में पहुँचे वह रहन के रूपये का भाग समझा जाकर उसके साथ शामिल उक्त दर के व्याज सहित हिसाब में शामिल होगा और हम रहनकर्ता उस के देनदार होंगे ।

(न० ८) यह कि रहन काल में रहन ग्रहीता को अधिकार होगा कि वह विविध चूँक्हों की सूखी घ गीली लकड़ी खेती के ओजारों के लिये कटवा लेवे । परन्तु उसको लकड़ी बेचने और किसी घाग की कटवाने का अधिकार न होगा ।

(न० ९) यह कि रहनकी हुई जायदाद सिवाय आडके भार के कि जिस के भुगतान के लिये रहन ग्रहीता के पास रूपया अमानत छोड़ा है अन्य हर प्रकार के ग्रृण और भार से रद्दित व निर्दोष है । और नउसमें कोई साझी व अशी हमारा है । अगर किसी पूर्व भार या ग्रृण के या किसी साझी व अशी के दावा करने से अथवा हम रहन कर्ताओं की जायदाद की किसी त्रुटि के कारण कुल या काई भाग रहन की हुई जायदाद का रहन ग्रहीता के अधिकार से निकल जावे । या कोई रूपया या भार अन्य प्रकार का हमारे कारण रहन ग्रहीता को छुकाना पड़े तो उस को अधिकार होगा कि अपनी रहन का रूपया और अ य दूसरा अदाकिया हुआ रूपया नौ आना सैकड़ा मासिक व्याज सहित रहन की हुई जायदाद और हमारी व्यक्ति तथा दूसरी हर प्रकार की हमारी जायदाद से बसूल करे और रहनकी हुई जायदाद उस रूपये में आड समझी जायेगी ।

। (१०) यह कि रहन काल में हम रहन कर्ताओं का कर्तव्य होगा कि अपने स्वत्वों तथा रहन ग्रहीता के स्वत्वों की रक्षा रहन की हुई जायदाद के मध्ये करते रह । और रहन ग्रहीता को उन स्वत्वों की रक्षा करने में सहायता करें ।

। (११) यह कि इस रहन की मीआद (अधिकार) सारीफ सन् १३२६ फसली से अन्तिम रथीय सन् १३३३ फसली अर्थात् आठ साल की ठहरी है । और उपरोक्त मीआद के बीत जाने पर किसी साल जेठ मास के अन्त में जब हम रहन कर्ता रहन ग्रहीता का देना रुपया जो रहन के मध्ये और दूसरे रुपये जो इस रहन नाम की प्रतिशाङ्कुल हम रहन कर्ताओं को देने ठहरे हैं अदा करेंगे जायदाद को रहन से छुड़ा लेंगे । रहन छुड़ाने के समय जितना रुपया आसामियों के नाम मीआद के अद्वारा शेष होगा वह हम रहन कर्ताओं को भद्रा करना होगा उस के चुकाने के बिना भी रहन न छूटेगी ।

(१२) अगर दस साल के बीतने पर रहन का रुपया बेबाकून हो जाए तो रहन ग्रहीता को भी अधिकार होगा कि वह प्रपना रुपया आठ की हुई जायदाद के नीलाम द्वारा घसूल करे ।

(१३) यह कि इस रहन की प्रतिशांशों का पालन करना हम, रहन कर्ता व रहन ग्रहीता और दोनों पक्षों के दायमाणियों प्रतिनिधियों व स्थानापन्थों का कर्तव्य होगा । इस लिये यह थोड़े शब्द रहननामा दखली के रूप में लिख दिये कि सनद रहे ।

जमीमा (अ) रहन के रुपया चुकाने का विवरण
१६ जून सन् १९१५ लिखित आड़ी दस्तावेज के मूल व व्याज के मध्ये उक्त रहन ग्रहीता को मुजरा दिये । ७२५३)

योगी चम्पा देवी के विवाह सर्व निमित्त जो ऋण १७ फरवरी सन् १९१७ लिखित दस्तावेज कल्दैया लाल बटा रामलाल ग्राहण

खुर्जी निवासी से लिया था वह उक्त दाता को दिला कर रुक्का
चापस करा दिया ६४७)

इस रहन नामे की पूर्ति के निमित्त वसूल पाये १५०)

अनाज की दुकान के कार वार के लिये रजिस्ट्री के समय
लिये जावेगे ६५०)

जमीमा (व) रहन की हुई जायदाद का विवरण

(१) आराजी हक्कियत जमीदारी साना खेवट न० २ घाकिअ
मौजा नहरई परगना खुर्जा ज़िला तुलन्दशहर २६७ बीघा ७ वि
सवा जमई ३५२)

(२) आराजी हक्कियत जमीदारी साता खेवट न० ५ घाकिअ
मौजा गढीकन्धारी परगना हाथरस ज़िला अलीगढ़, ७४ बीघे ११
विसवे जमई १८१)

हस्ता ————— द्वार हस्ता ————— द्वार
चिरजीलाल मुकिर न० १ स्वय अमृलतल मुकिर न० २
व मोहनलाल व चिहारीलाल
अपने सगे भाइयों का सरक्कार

सा ————— द्वी सा ————— द्वी
द्वीरालाल सरफ हाथरस तुलसीराम सुनार हाथरस निवासी
निवासी बकलम खुद
तारीख स्थान घफलम रहननामा लेखक

रहायशी जायदाद का दखली रहन नामा

हम कि अद्यमद अली घ घाहिद वग्राअली घेटे घ मुस्तमात नसी उन्निसा स्वयम् घ सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक शाकिरअली पिसर घ नावालिग घ मुस्तमात मासूमन घ रहीमन दुपतरान नावालिगान रजाअली जाति शेष पेशा जगीदारी रहो घाले मौजा रहीमायदाद परगना मुस्तफापुर जिला घदायूँ के हैं। जो कि हम इकरार करने वालों के पुरुषा रजा अली विविध रहायशी जायदादों के स्थाभी और अधिकारी थे। उन्होंने तारीख २६ अक्टूबर सन् १८१४ ई० का घफात (मौत) पाई। उस समय उन पर लगभग ३०००) रुपया छुए था और उसमें कुल जायदाद विविधव्याज दर से आड थी। हम इकरार करने घाले दायमानी शरथ के अनुसार पेत्रिक सम्पत्ति के मालिक घ अधिकारी हुए और जायदाद की आमदनी से अत्यन्त प्रयत्न छुए चुकाने का किया। परन्तु अतीव प्रयत्न घ परिधम करने पर केवल कुछ भाग व्याज का अदा हो सका, छुए की सख्ता दिनों दिन यहतो जाती थी। यिवश होकर मुझ मुस्तमात नसीउन्निसा इकरार करने वाला ने शाकिर अली नावालिग घेटे घ मासूमन घ रहीमन नावालिग घेटियों रजा अली की रक्षा का सार्टी फिकट जज साहित घदायूँ की अदालत से तारीख २१ अगस्त सन् १८१८ ई० को प्राप्त किया। तत्पश्चात् मरे हुए पुरुषा की सम्पत्ति के कुछ भाग के रहन करने की आज्ञा नावालिगों के हिस्से के शामिल तारीख १३ नवम्बर सन् १८२४ को प्राप्त की। उक्त आज्ञा के अनुकून नीचे 'लिखो' हुई रहायशी जायदाद को समस्त आधित घ समन्वित स्वर्त्वों सहित ५०००) के घदले में कि जिसके आवे २५००) रुपये होते हैं 'दस आना' सैकड़ा मासिक व्याजदर से पास मौलगी सभी उठला घेटा हाफिज इनाय तुला जाति शेष रहने वाले उक्त मौजे घ जिले के नीच

मिल्खी शतों के साथ स्वस्यचित्त व स्थिर धुदि की अवस्था में निम्न किसी जवरदस्ती व दयाव के रहन दखली करते हैं। निम्न लिखित समस्त शतों हम इकरार करने वालों और हमारे स्थाना पन्नों व दायभागियों पर रहन की स्थिति तक पालन करने व मानने के योग्य होंगी।

(१) उपरोक्त रहन का ५०००) रुपया निम्न लिखित व्योरे स उक्त रहन ग्रहीता से वसूल पालिया।

रजा अली लिखित आडी दस्तावेज के मूल व व्याज की वेताकी के मध्ये जो उक्त रहन ग्रहीता के नाम २५ दिसम्बर सन् १९१३ को लिखा था मुजरा दिये ७४०)

१२ जनवरी सन् १९१२ ई० को रजा अली लिखित आडी दस्तावेज तादादी १२००) के असल व सूद के भुगतान के लिये जो कन्दैयालाल वेटा रामलोल ग्राहण शेषुपुर निवासी जिला मुजफ्फरपुर के नाम लिया गया रहन ग्रहीता के पास अमानत छोड़े २२१०)

२३ जून सन् १९१२ ई० की रजा अली लिखित साधा रहन नामे तादादी १७००) के बकाया के मध्ये जो लाल मुहम्मद वेटा अली मुहम्मद कौम शेष साकिन रियाजपुर जिला वदाय के नाम लिया गया उक्त रहन ग्रहीता से दिला कर रहन नामा उसको चापस दिलाया =५०)

इस रहन नामे के पूर्ति के निमित्त रहन ग्रहीता से तहरीर के समय वसूल पाये १५०)

कोई भाग रहन के रुपये का उक्त रहन लिखने के ऊपर शेष नहीं रहा न पाने या कम पाने का बहाना हमारी ओर से या हमारे दायभागियों व स्थानापन्नों की ओर से भूठा ओर न सुनने याच्य द्वागा।

(२) उक्त रहनदार को रहन की हुई जायदाद पर अपने समान अधिकारी और मालिक या दिया और वास्तविक में अधिकार दे दिया रहन प्रदीता उस पर अधिकारी या स्थानी रह कर किराया घस्तूल करे और उसको रहन के रूपये के व्याज में लेता रहे, कमती यद्यती के लेनदार और पाने वाले हम रहन करते हैं।

(३) जो रहन काल में किराये में घटती होगी उसके लेनदार हम रहन करता होंगे और रहन प्रदीता के किसी अनुचित व्यवहार के सिवाय अगर किसी और कारण से काइ भाग रहन की हुई जायदाद का याकृति रहेगा उसके ज़िम्मेशार भी हम रहन करता होंगे। रहन प्रदीता जायदाद के वास्तविक किराये का ज़िम्मेशार होगा परन्तु किराया घस्तूल न होने का ज़िम्मेशार रहन प्रदीता होगा।

(४) अगर रहन प्रदीता जायदाद का कोई भाग अपने अधिकार में रखेगा तो उसका उचित किराया रहन प्रदीता को हिसाब में मुजरा देना होगा।

(५) किराये की आमनदनी और व्याज का हिसाब सालाना हुशा करेगा और रहनदार का कर्तव्य होगा कि व्यौरे वार हिसाब की एक प्रति सालाना रहन कर्ताओं को देता रहे।

(६) लिपाई, लिखाई और छुत पर मट्टी ढलाई आदि सामान्य मरम्मत रहन प्रदीता के ऊपर ठहरी है। और असा धारण ट्रूट फ्रूट की मरम्मत हम रहन कर्ताओं के ऊपर है। अगर हम रहन कर्ता न करावें तो रहन प्रदीता को अधिकार है कि अपने प्रबंध और व्यवस्था से बरा लेते वह मरम्मत का रुखा सालाना हिसाब में हम रहन कर्ता मुजरा देंगे। परन्तु ऐसा करने से पहले रहन प्रदीता का कर्तव्य होगा कि हम रहन कर्ताओं को एक सत्रादा

कीं मीशाद का नौटिस देवे और हमारे मरम्मत न कराने की दर्जे में स्वयम् करा लेवे । ॥ १ ॥

(७) रहन की मीशाद ७ साल की उम्र है, मीशाद के बाद न हम रहन कर्ताओं को रहन छुड़ाने का अधिकार न रहन प्रहीत को अपने रूपये मागने का अधिकार होगा मीशाद वीत जिपर हम रहन कर्ताओं को अधिकार होगा कि जिस समय रहन का रूपया और रहन प्रहीता का दूसरा रूपया अगर कुछ हो आकर रहन छुड़ालै इसी प्रकार रहन प्रहीता को अधिकार होगा अपना लेना 'रूपया' हम से मागे । और अदा न करने की दशा रहन की 'हुई जायदाद से 'वसूल करे' । रहन की हुई जायदाद उस रूपये में आड़ समझी जावेगी । ॥ २ ॥

(८) रहन की हुई जायदाद हर प्रकार के प्रृष्ठण व भार से उस रूपयों के चुकाने के पश्चात् जो रहन प्रहीता के पास अमानत हो गये हैं रहित और निर्दोष होगी । यदि कोई अन्य प्रृष्ठण या भार किसी प्रकार का निकले या कोई साखी व श्रशी उत्पन्न होकर बाधक या गोकर्ण घाला रहन प्रहीता का रहन की हुई जायदाद के दखल में हो तो हम उसके उत्तर दाना होंगे अगर इस प्रकार के व्यवहार से रहन को हुई जायदान कुल या उसका कोई भार रहन प्रहीता के अधिकार से निकल जाये अथवा काई भार या प्रृष्ठण अधिक देना पड़े तो हम रहन कर्ता उसके उत्तर दाता होंगे ॥

और रहन प्रहीता को अपने पाने योग्य कुल रूपये वसूल कर का अधिकार हानि और खर्च और उक्त दण से व्याज सहित हम रहन कर्ता और और रहन की हुई जायदाद से प्राप्त होगा ।

इस लिये यह कुछ शब्द रहनोंमा दम्भली के भांति लिये दिये गए सनद रहे ।

जमीमा (अ) रहन की हुई जायदाद का व्योरा

(१) एक मकान पक्का या ना हुआ मौजा रहीमा, वाद में समस्त स्वत्य आसायश भीतरी व बाहिरी सहित। जिस की चारों सीमा निम्न लिखित हैं ।

पूर्व _____ ये

इस मकान का द्वार और द्वाट के आगे मकान का चबूतरा व जोना व पक्का कुशा फिर सरकारी सड़क

पश्चिम _____ म

पठी बुरे भूमि सुदम्मद हुसैन शेष की जिस में इस मकान के तीन परनाले गिरते हैं एक नित्य का व दो घरसातों और तीन जगले पहिली मजिल के थेने हुए हैं ।

दक्षि _____ ये

मकान यारव हुसैन दर्जी का जिस में एक जंगला व दो शन दान इस मकान की दूसरी मजिल का है ।

उत्तर _____ तर

निकल ने की गली-और इस मकान का एक दरवाजा इस तरफ को है और दो जगले गली में है ।

(२) एक पक्की दूकान पूरव मुहानी जिस से लगा हुआ उत्तर में जीना उक्त दूकान का बाजार रहीमाशद में स्थित जिस की चौहड़ी नीचे लियी है और जिस पर इन दिनों बुद्धसेन माली किरायेदार है ।

पूर्व _____ ये

उक्त दूकान का दरवाजा फिर सड़क

पश्चि

श्रीचंचक जिस में दो परनाले उक्त दूकान के गिरते हैं।

दक्षि

दूकान बफाती रगरेज इस ओर को दूकान से मिली हुई काँ
दीवार बफाती की नहीं है।

उ

उक्त दूकान का जीना तत्पश्चात् अन्दुलला भट्यारे तमाह
बेचने वाले की दूकान

(३) एक कच्चा नौहरा। निम्न लिखित चौहड़ी वाला

पूर

व

पश्चि

आम रास्ता

नौहरा गोविन्द राम माली

दक्षि

ण

उ

पहाड़ी हुई भूमि पंचायती

मकान नौयन राम घासिण

(४) दो दूकानें पक्की एक दूसरे से मिली हुई बाजार रहीमा याद
में निम्न चौहड़ी वाली जो आज कल अन्दुल मजीद दरजा के
के पास किराये पर है।

पूर

व

पश्चि

दूकानों के दरवाजे फिर सड़क

मकानात् अन्दुल भट्यारा

दक्षि

ण

उ

गली जिस में दो परनाले दूकानों,
के गिरते हैं। और दो जगले लगे
एप हैं।

घ मुहम्मदी तेली

द

र

हस्ताक्ष

अहमद मुकिर थकलम गद

वाहिद अली मुकिर थकलम

हस्ता

खुद

घार

निशानी अगृदा मुसम्मात् रमा तुनिमा खुद घ सरिशा
मुकिर अला भ मलधान मासवन रहीमन

गदा

F.I.I.

८

अजीम येग वेटा मिजां सआदत येग मुगल साकिन रहीमा
धाद पेशा काश्तकारी घफलम रुद

गदा

९

मस्सू येग वेटा इमदाद येग मुगल पेशा तिजारत साकिन
रहीमा धाद घफलम रुद

गदा

१०

मिर्जा महमूद हुसैन वेटा हाजी अन्दे अली येग मुगल साकिन
रहीमाधाद घफलम रुद

ता० २६ सितम्बर सन् १८१४ स्थान रहीमाधाद
घफलम अहमद हुसैन वेटा इमदाद हुसैन मुगल साकिन
रहीमा धाद इस दस्तावेज का लेखक

रहन नामा मर्शरू तुल रहन (पूर्व रहन)

संयुक्त रहन नामा)

मे कि हुक्म सिंह वेटा राम रतन जाति तगा रहने वाला औ
जमीदार मौजा वेरा फोरोज पुर परगना स्थाना जिला बुलन्दशहर
का है

जो कि ३८ वीधा ६ विसवा पक्की भूमि निम्न लिखित खातों
को मेरी जमीदारी मौजा वेरा फोरोज पुर परगना स्थाना जिला
बुलन्दशहर में १६ सितम्बर सन् १८८७ ई० के रहन नामे द्वारा
(३५००) के बदले राम प्रसाद वेटा गुशहाल सिंह जाट रहने वाला
(गाव इखितयार पुर परगना हापुड जिला मेरठ के पास रहन
दर्गुली चली आती है। आर म १०००) एक हजार रुपया सिक्के
चहरे शाही कि जिस के आधे ५००) पाच सौ रुपये होते हैं

सैकड़ा मासिक व्याज दर से उक्त रहन ग्रहीता से नया, अर्थात् लेकर अपने काम, और, यर्च में लाया है। प्रतिश्ला यह है कि उद्दरोक्त रहन की हुई जायदाद आज की तारीय से दोनों दस्ता वेजों में रहन और गिरवी समझी जावेगी, रहन की हुई जायदाद पर उक्त रहन ग्रहीता पूर्ववत् अधिकारी रहेगा परन्तु उसका अधिकार दोनों दस्तावेजों के बदले समझा जावेगा इस रहन नामे का रूपया मूल व व्याज का १६ सितम्बर सन् १८८७ के रहन नामे लिखित रहनें छुड़ाने के समय भुगताया और निश्चेष किया जावेगा। दोनों रहन नामों के रूपयों के घिना चुकाये रहन की हुई जायदाद न छूटेगी। इस लिये यह थोड़े शब्द पूर्व रहन संयुक्त रहन नामे के समान लिख दिये कि सुनदर है और आवश्यका के समय काम आये।

रहन की हुई ३८ वीघा ५ विसवा भूमि का विवरण

खाता न० ७२ तादादी ४६ वीघा ५ विसवे में से १० वीघा है विसवा।

खाता न० ७३ तादादी ४६ वीघे ६ विसवे में से ११ वीघे १२ विसवे।

खाता न० ७४ तादादी २२ वीघे १३ विसवे में से १६ वीघा है विसवा।

दस्ता —————— क्षर

— हुक्म सिंह प्रतिश्ला कारी बकलम गुद
न्मा —————— क्षी

इरजस सिंह येदा स्थाई सिंह जाति जाट पेशा चेती वैटा कारोज पुर पराना स्थाना ज़िला युक्तम् शहर नियासी बकलम गुद

सा शिवलाल वेटा दुर्गदास वैश्य पेशा दुकानदारी गाय घैरा फीरोजपुर
परगना स्थाना जिला बुलन्द शहर निवासी वयत सराफ़ी

सा क्षी हरदेव सिंह वेटा नरायन सिंह जाट पेशा जमीदारी व लेन देन
गाय घैरा फीरोज पुर परगना स्थाना जिला बुलन्द शहर निवासी।

लियने की तारीख १९ सितम्बर सन् १८८८
स्थान सिकन्दरायाद घकलाम हरदयाल सिंह वेटा शम्भू नाथ वैश्य
अग्रवाल सिकन्दरा वाद निवासी दस्तावेज लेखक।

पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा

इम कि खुश वक्त राय प्रसिद्ध छोटे लाल वेटा मुशी छुड़सिंह
व गिर राज सिंह वेटा उक्त खुश वक्तराय जाति कायस्थ रहने
वाते शहर कोत मुहर्ला सरय धीवी जिला अलीगढ़ के हैं। जो
कि एक हजार दो सौ पचास (१२५०) रुपये सिक्के चहरे दार कि
जिसके आधे छ सौ पच्चीस (६२५) रुपये होते हैं दूसरे प्रण
पर्ति गिर राज सिंह के विवाह के लिय वारू गोकुल चन्द
डाक्टर वेटा पडित जीवा राम ब्राह्मण रहने घाले कबीर परगना
सिकन्दरा राऊ जिला, अलीगढ़ के पास से एक रुपया सेकड़ा
मालिक व्याज दर से टोकड़ी उधार लिये हैं। उक्त रुपये व्याज
सहित व बदले अपने रहने का पक्का मकान नीचे तिथी चौदूही
घाला सराय और शहर अलीगढ़ में स्थित जो उपरोक्त दाता के
पास १७ मई सा १८६७ लियित रहना नामे द्वारा रद्द द्वयलो
घला आता है दूसरी धार राधन रखते और गिरषी करते हैं प्रतिशा
ये है कि उक्त रहादार इस दस्तावेज के रुपय के बदले मी

रहने की हुई जायदाद पर पहिले की तरह अधिकारी रहे। इस दस्तावेज का रूपया सूद सहित १७ मई सन् १८६७ ई० की रहने छुड़ाने के समय अदा किया जायेगा। दोनों दस्तावेजों का रूपया एक जगह और इकट्ठा समझा जायेगा, इस दस्तावेज के मूल व्याज के भुगताये विना जायदाद न छूट सकेगी। इस लिए यह थोड़े शब्द पूर्व सबुक रहननामेके सदृश लिया दिये कि प्रमाण रहे।

रहन की हुई जायदाद की चारों सीमा

पूर

घ

इस मकान का दरवाजा फिर सेडक घ पक्का कूआ
परिच

म

मकान लाला गगा प्रसाद वकील मुसिफी कोल। रहन किये हुए
मकान से इस ओर मिली हुई उक्त मकानकी कोई दीवार नहीं है।
उक्ति

ए

मकान यावू नन्द लाल कायस्थ, आसा राम किराए दार के पास
उक्त

घ

मकान खुश चन्द टीकाराम दरजी
लिखने की तारीख ११ जनवरी सन् १८६२ वकलम खुश घक राय
मुकिर नं० १ स्थान अलीगढ़

र

दस्ता घ	र	दस्ताक्ष	र
खुश घक राय मुकिर	गिराज सिंह मुकिर		
वकलम खुद	वकलम खुद		
सा	सा		सी
विहारी लाल वेटा नेत राम	माधौलाल वेटा नाथूराम जाति		
जाति ठाकुर राठौर पेशा	कायस्थ, रहने घाला सराय		
नौकरी, रहने घाला कोल	घाली शहर कोल पेशा नौकरी		
वकलम खुद	वकलम खुद		

पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा

" "

मेरे किंचित् ज्ञानाप्रसाद येटा रतीराम जाति प्रादृश्य रहने पासा था
नम्यरदार कस्या पटियाली परगना हुद जिला एटा का हूँ ।

जो कि हफिक्यत जमीदारी खाता खेट न० ३ पट्टी हर
गोविन्दप्रसाद शामिलात थोक था शामिलात देह सहित उक्त पट्टी
के हिस्सा रसदी अनुसार कस्या पटियाली जिला एटा में मेरे
अधिकार में है । उक्त हफिक्यत में से आधी हफिक्यत अर्थात् सधा
विस्था है सौ ६००) रुपये के पदले १७ अक्टूबर सन् १९१० ई
लिखित रहन नामे द्वारा लाला काजीप्रसाद येटा लाला मुख्यरी
सिंह जाति कायस्थ रहने वाले उक्त कस्ये पटियाली के पास
सूद था मुनाफे पर घरादर दखली रहन चली आती है । मुझ को
अन्य क्षण लेने की आवश्यकता थी और पिछार था कि उक्त हफिक्य
यत को कम ध्यान पर दूसरी जगह रहन करके पहला रहन
छुड़ा लू । परन्तु उक्त लाला काजीप्रसाद इस बात पर रजामन्द
(प्रसन्न) हो गये कि वह चार सौ ४००) रुपया बस रहन के
रुपये पर और अधिक दे देंगे । और कुल एक हजार १०००) रुपये
में उक्त हफिक्यत घरायर सूद था मुनाफे पर पहिले की भाति उन
के यहा रहन हो जावेगी इस लिये मैं स्वस्थचित् था स्थिर बुद्धि
की शवस्था में चार सौ ४००) रुपये कि जिसके आधे दो सौ २००)
रुपये होते हैं अधिक रुपया उक्त लाला काजी प्रसाद से रोक
खेकर प्रतिश्वाकरता हु और लिखे देता हु कि अपनी जमीदारी में
से सधा विस्था जमीदारी कस्या पटियाली खाता खेट न० ३ पट्टी
हरगोविन्द जो पहिले से १७ अक्टूबर सन् १९१० ई० लिखित
रहन नामे द्वारा उक्त लाला जी के पास रहन दखली है । इस
दस्तावेज के रुपये में भी रहन दखली रहेगी । और 'रहन'

की हुई हक्कियत का मुनाफा पहले रहन नामे घ वर्तमान रहन नामे के सूद के पहले उक रहन दार लेते रहेंगे। इस दस्तावेज का रूपया १७ अम्बूवर संन् १९१० ई० लिखित दस्तावेज के साथ अदा किया जावेगा। और दोनों रहन एक साथ घ एक जाँ छुड़ाये जावेंगे। इस दस्तावेज के रूपये भुगताये बिना रहन न हूटे सकेगी। दूसरी सब शर्तें १७ अम्बूवर संन् १९१० ई० लिखित रहन नामे की इस दरतावेज से भी सम्बन्धित होंगी। इस लिये यह पूर्व सयुक्त रहन नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और आप युक्ता के समय काम आवे।

दस्ता	स्थान	ज्ञान
सा	ज्ञी	सा
लिखने की तारीख	स्थान ग्राम	१३
एकलम इस रहन नामे का लेखक		

‘जुतऊ जमनि का विक्रिय सम रहन नामा

में कि ‘हुक्मसिद्ध’ वेटा ‘रामसिह’ जाति ‘तगा-रहने’ वाला घ जमीदार हिस्सेदार ग्राम वैरा फीरोजपुर परगना स्थाना जिला बुलन्दशहर का हूँ जो कि प्रणकर्ता ग्राम वैरा फीरोजपुर परगना स्थाने में निम्न लिखित जमीदारी का स्थानी है।

खाता नं० ७० रक्खी—साता नं० ७३ रक्खी—खाता नं० ७४ रक्खी	४६ रीधा ५ विसवा ४६ धीधा ५ विसवा १५७ धीधा ७ विसवा
कुल	कुल
	में से २२ धीधा १२ विसवा

यह कुल हक्कियत दो रहन नामों डारा एक १४ नवम्बर संन् १८७० लिखित तादादी दो हजार पाच सो २५००) रूपये घ दूसरा १४ नवम्बर संन् १८७६ लिखित तादादी एक हजार दो सो १२००)

रूपये कुल तीन इजार सात (सा ३७००) रूपये के बदले लिया गया किशन सहाय ब्रेटा लाला रामप्रसाद जाति येश्वर रहने थाले, फूसवे ख्याने के पास रहना चाहिये है । और उसके द्वारा रहनदार अधिकारी घ स्वामी है । इस समय स्वस्थचित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाववाहक घटक से एतद्वय धीरे उ विसवे उपरोक्त पक्षकी भूमि में से जिसका में स्वामी ह ३८ धीरे ६ विसदे 'पक्षकी भूमि तीनों द्वातीनों में से' जिसको मालेगुजारी (४५) और नम्बर तीन लिखे हुए हैं तीन इजार सात सौ ३७०० } रूपये के बदले कि जिसके आधे एक इजार आठ सौ पचास ३८५० } रूपये होते हैं पास किशनसिंह ब्रेटा । खुशहालसिंह जाति जाट निगासी गाँव रजापुड तहसील दापुड जिला मेरठ विक्रिय सम रहने की, और रहन का रूपया कुल और पूरा वास्ते देने किशन सहाय पूर्व रहनदार के पास वर्तमान रहनदार के अमानत छोड़ा ।

प्रतिबा यह है कि आपस के समझोते या न्यायालय की कार्रा वाही द्वारा मैं प्रण कर्ता रहन को हुई सम्पत्ति को किशन सहाय पूर्व रहन दार से छुड़ा दूगा और रहन का रूपया वर्तमान रहन दार से पूर्व रहन दार को दिला दूगा । और पूर्व रहन छूटने के पश्चात् रहन की हुई वस्तु पर वर्तमान रहन दार को अधिकार देकर दामिल पारिज उसका सरिष्ठे माल में करा दूगा । प्रियोप प्रतिबा यह है कि रहन दार स्वामी रूप से उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वामी और अधिकारी रहे । और हर प्रकार के समस्त अधिकार कार्य में लावे । यदि मैं प्रण कर्ता आज की तारीख से पाच साल पीछे जू़ा सन १९१६ में इस रहन नामा का रूपया चुकादू तो ज्ञायदाद रहन से छूट कर मुझ को मिल जाने, अन्यथा उक रहन दार उस का चिर स्थाइ और स्थिर स्वामी हो जावेगा । और मुझ प्रण कर्ता और मेरे दायभारो उत्तराधिकारी या स्थानापत्तों का ऊंट स्वत्व

किसी प्रकार का शेय नहीं रहेगा, रहन की हुई सम्पत्ति हर प्रकार के मूल और भार से रहित और निर्दोष है। और उस में कोई साभी घ अशी मुझ प्रण कर्ता को नहीं है। यदि कोई पूर्व भार निकले था कोई साभी घ अशी पैदा होकर किसी प्रकार का दावा करे तो उसका उत्तर देना मेरे ऊपर है और इस प्रकार के भगडे की दशा में या मेरे खामित्व की किसी त्रुटि के कारण रहन दार को हानि पहुँचे या रहन की हुई सम्पत्ति कुल या उस का कोई भाग रहन दार के हाथ से निकल जावे या मैं प्रण कर्ता, उस के अधिकार और प्रबन्ध में शाधा या रकावट डालूँ तो रहनदार का अधिकार होगा कि घह- कुल अपना रुपया हानि घ आठ आठ सैकड़ा मासिक व्याज सहित रहन की हुई सम्पत्ति और मुझ प्रण कर्ता की व्यक्ति और अन्य सम्पत्ति से प्राप्त कर लेवे। दो नग वैनामे और तीन नग अन्य दस्तावेज जिन का रहन की हुई जायदाद से सम्बन्ध है रहनदार को सौंप दिये। पूर्व के रहन नामे भी रहन छूटने पश्चात् उक रहन दार के पास रहेंगे। रहन छूटने और जायदाद घापस होने की दशा में यह कुत दस्तावेजात मुझ प्रण कर्ता को रहनदार घापस देगा। इसलिये यह विक्रिय सम रहन नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे, और समय पर काम आवे।

दस्ता —————— द्वार सा —————— ती

हुक्मसिंह प्रण कर्ता दस्तावेज जगहर लाल बेटा मोहनलाले
ग्राहण पेशा पडिताई रहने
चाला गाँव वैरा फीरोज पुर

सा —————— ती

अशरफी लाल बेटा गनेशी जाल
जाति वैश्य पेशा दक्षान दारी
निवासी वैरा फीरोज पुर
बख्त सराफ़ी

लिखने की तारीख स्थान
बकलम

विक्रिय समर्थन नामः

मैं कि भोला प्रसाद वेटा छोतर मल जाति कायस्थ पेशा
नीकरी निवासी कोला मुदलला नमाटोला का है ।

जो कि चार नग दूकान पंक्ती वनी हुई शहर कोल में स्थित
नीचे लिखी सीमाऽनुसार मेरी पैदा की हुई सम्पत्ति है । और
इर प्रकार के ग्रृण और भार से शुद्ध और रहित हैं । इस समय
मुझ प्रण कर्ता को ग्रह कार्य के लिये रपये की अत्यन्त आवश्यका
है । इस कारण सम्म चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में
उपरोक्त चारों दूकानों को चार इजार (४०००) रपये सिक्के चाहे
दार के घदले कि जिसके आधे दो इजार (००००) रपये उक्त सिक्के
के होते हैं । हाथ लाला मिश्री लाल वेटा मेघाज जाति बौद्धरा
निवासी कोल मुदलला सराय बीर नरायन के विक्रिय समर्थन की
और रहन का रुपया कुल और पूरा ग्राहक से निम्न लेप अनुसार
प्राप्त कर लिया ।

मध्ये पूर्व ग्रृण के जो प्रामेसरी नोट (१०००) तारीख १४ जून सन् १९११ द्वारा उक्त लाला मिश्रीलाल का देना था मुजरा दिये	१२२५)
मध्ये वही याते द्वारा ग्रृण के उक्त घौषरे को मुजरा दिये	७७५)
रजिस्ट्री के समय रोक लेना ठहरे	२०००)

उक्त ग्राहक को अपने समान जायदाद पर कुन्जा और
अधिकार दे दिया उस लोचाहिये कि मुझ प्रण कर्ता की नाई उस
पर अधिकारी रह कर हर प्रकार के मालिकी के अधिकार धर्तीव
में लावे ।

विक्री की प्रतिक्षा यह निश्चय हुई है कि यदि मैं प्रण कर्ता
आज की तारीख से पाच साल के भीतर इस दस्तावेज़ का

ग्राहक को भुगतान करदूँ तो मैं जायदाद वापस मांगने का अधिकारी होगा । और ग्राहक का कर्तव्य होगा कि जायदाद को मेरी ओर परिवर्तित करे, और जो यर्च जायदाद के वापस करने में पड़ेगा वह मेरे ऊपर रहेगा, ग्राहक के कुछ रखने के समय में जो कुछ यर्च उसके पास से टूट फूट की मरम्मत में या किसी भूमि व आकाश सम्बन्धि दैवी आपत्ति के कारण होगा वह भी सम्पत्ति लौटने की दशा में मुझ प्रण कर्ता को चुकाना होगा, परि जायदाद पर कोई ऋण या भार निकले या कोई साभी या अशी घनफर दावा करे तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है । और किसी भार या ऋण के ग्राहक के ऊपर पड़ने की दशा में तथा कुल या कुछ भाग जायदाद का मेरी त्रुटि या मेरे अन्य दौष के कारण निकल जाने की अवस्था में ग्राहक को अविकार होगा कि कुल रुपया अपना हानि ओर व्यर्थ सहित जो उसे उठाना पड़े मुझ से और मेरी अन्य सम्पत्ति से प्राप्त कर लेवे । इस लिये यह विक्रय सम रहने लियदी कि प्रमाण रहे ।

— १३ — (जायदाद का व्यौरा)

(१) एक दुकान बाजार मियांगज शहर कोल में स्थित जिस पट्ट इस सुभय जगन्नाथ किराए दार घैठता है ।

पूर्व व पश्चिम उत्तर दक्षिण ए मुकान सीलु उडक सरकारी दुकान मुन्ना दुकान मोहन महाजन लाल वैश्य लाल गुजराती

(२) दो दुकानें एक दूसरे से मिली हुई घंडे बाजार शहर कोल में स्थित ।

पूर्व व पश्चिम उच्च घंडे मुकान कम्मू द्या रारेज कायस्वर्य

उत्त	र	दक्षि	ण
मकान लाला शिवप्रसाद प्रण कर्ता का भाई		सड़क	
(३) एक दूकान मुहूर्तशा नगा टोला शहर फोल में स्थित पूर	ष	पश्चिम	म
मकान राधे लाल		कमरा लाला शिव प्रसाद प्रण कर्ता का भाई	
उच्च	र	दक्षि	ण
गली		सड़क सरकारी	
ह	स्ताप्तर	दया	इ
गवा	ह		
स्थान		घफ़लम	
			लेखक
			पट्टा

पट्टे की परिभाषा | पट्टा अचल सम्पत्ति का एक परिवर्तन पत्र है जो उक्त सम्पत्ति के बर्तने और काम में लाने के स्वत्व का किसी प्रत्यक्ष या अर्थापत्ति जनक अवधि के लिये या सर्वदा के लिए उस मूल्य के बदले किया जाए जो दिया गया हो या जिसकी प्रतिशाखी की गई हो, या किसी नकद रूपये या फसल के भाग या किसी सेवा या और मूल्य रखने वाली वस्तु के बदले उहरा हो जिसका चुकाना और देना परिवर्तन कर्ता को परिवर्तन ग्रहीता किस्त वार या नियत समयों पर अपने ऊपर ले। और ऐसा परिवर्तन परिवर्तन ग्रहीता उक्त प्रतिशाखों के साथ लेना स्वीकार करे।

परिवर्तन कर्ता से पट्टा देने वाला तात्पर्य है। और परिवर्तन ग्रहीता से पट्टा लेने वाला।

और टोक या फसल आदि का भाग या सेवा या मूल्यवान और वस्तु जिसके चुकाने की प्रतिशाखी लगान का रूपया या किराया कहलाती है।

(दफे १०५ कानून इन्तिकाल जायदाद)

यह दस्तावेज जिस के द्वारा पट्टा लेने वाला पट्टे की लिखा प्रतिशाओं पर जायदाद पट्टा लेना स्वीकार और आगे कार करता है कुनूलियत (स्वीकार पत्र) कहलाती है ।

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला पट्टा जो प्रति वर्ष के लिये या किसी अवधि के लिये हो जोएक वर्ष से अधिक हो या जिसमें लगान के रूपर्थ के वार्षिक देने की प्रतिशा हो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा होसकी है ।

जाहज (उचित) है कि अचल सम्पत्ति के समस्त पट्टे चाहे रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज द्वारा या मौसिक प्रतिशा द्वारा कुनूली सौप सहित लिये जावें ।

जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होगा पट्टा सम्पत्ति के स्वामी की ओर से लिया जाता है और उसमें समस्त प्रतिशाएं मध्ये अवधिकाल, मूल्य के रूपर्थ, लगान या किराये के बुकाने की लिखी जाती हैं । इसके विपरीति कुनूलियत (स्वीकार पत्र) पट्टा लेने वाले की ओर से लिखी जाती है और उसमें घड़ी प्रतिशाएं लियी जाती हैं जोकि पट्टे, पट्टे के द्वारा सम्पत्तिका स्वामी और स्वीकार पत्रद्वारा पट्टा लेने वाला परस्पर नियतकी हुई प्रतिशाओं को स्वीकार द अग्रीकार करने और उनके पालन करने का प्रण करते हैं पट्टा किरायेदार के लिये और स्वीकार पत्र स्वामी के लिये लिपा जाता है ।

रजिस्ट्री को 'कानून द्वारा पट्टे की परिभाषा में स्वीकार पत्र अनि लिपि पट्टा, खेता करने की प्रतिशा या कब्जा और पट्टा लेने

की प्रतिशा भी जो एक वर्ष से अधिक अवृद्धि के लिये हो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है।

किसी भेट या पेशगी रूपये के चुकाने या न चुकाने के विचार से सामान्य तथा पट्ट दर प्रकार का होता है। एक साधारण जिस में कोई पेशगी रूपया न दिया जावे। और उचित समय पर लगान चुकाने योग्य हो, दूसरा पेशगी रूपये बाला, जिसमें पट्ट दाता कुल या अश, पेशगी लगान पट्ट लेन वाले से लेता है। वह रूपया होले हौल भाग या कुल अधिक काज्ज में चुक जाता है। जरे पेशगी पट्ट हो और रहन दखलो मुजरदे में लगमग कुछ अन्तर नहीं होता कब्जा लौटाने के समय जो पेशगी स्पष्टा किसी पट्टे में वापस देना ठहरे तो वह पट्ट रहन दखली के सदृश होता है, नमूनोंमें विविध प्रतिशाए जो इस प्रकार के पट्टों में होती हैं प्रगट होंगी, अधिकठर प्रतिशाए उभय पक्ष ने समझोते पर निभर हैं। जो कुछ दोनों पक्षों में ठहर जावे दस्तावेज लिखक को लिखना चाहिये।

पट्टे की परिभाषा में डेका भी 'सम्मिलित' है जिसके द्वारा भूसम्पत्ति या रहायशी जायदाद किसी मनुष्य को लगान उघाने के लिये और ब्राह्मिक ठहरे हुए रूपये के भुगतानके निमित्त दोजावे।

कानून स्टाम्प के अनुसार जो पट्टे किसानों को येती करने के प्रयोजन से दिये जावे (येती के प्रयोजन में घृतोंका पट्टा जोग्राम्ते पैदावार खाने पीने की धस्तु के दिया जावे सम्मिलित है) और जिनके मध्ये कोई भेट या पेशगी रूपया न दिया गया हो और नियत अधिके लियेहो और वह नियत अधिक एक वर्ष से अधिक न हो और लगान का वापिक परता एक सौ रुपय से अधिक न हो स्टाम्प से मुश्काफ है।

इसी प्रकार विविध सूचों में ऐसे पट्टे जिनका वार्षिक लगा पचास रुपये और अधिक ५ साल से अधिक न हो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती ।

जो अधिक अवधि और लगान के पट्टे होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन सामान्य रीति के अतिरिक्त कानूनगो द्वारा भी हो जाती है। इस प्रकार के पट्टों के विषय में दस्तावेज लेयक का काम है कि उनके नियमाङ्ककल बर्ताव करे जोकिसी विशेष सूचेमें प्रचलित हों।

स्टाम्प

मह ३५ जमीमा, अब्बल कानून स्टाम्प द्वारा निम्नलिखित लगता है
पट्टा मथ पट्टा ज़ैली या पट्टा शिकमी व इकरार नामा
पट्टा या शिकमी

(अ) जब ऐसे पट्टे के द्वारा लगान का रूपया नियत हो और कोई भेट चुकाई वा सौंपी न हो।

(१) जब कि उक्त पट्टे से एक घर्ष से कम अवधि का होना पाया जाता हो।

(२) जब कि उक्त पट्टे से एक घर्ष से कम और तीन घर्ष से अधिक अवधि का न होना पाया जाता हो।

घड़ी रुसूम जो तमस्तुक के लिये नियत है उस कुल सख्ति के मध्ये जो वैसे पट्टे द्वारा भुगतान या सापने योग्य हो।

घड़ी रुसूम जो तमस्तुक के लिये नियत है उस सख्त्या या मूल्य पर जो उक्त दस्तावेज में वार्षिक लगान का परता हो।

(३) जब उक्त पट्टे से अवधि तीन घर्ष से अधिक होनी पाई जाती हो ।

(४) जब कि उक्त पट्टे से किसी नियत अवधि का होना न पाया जावे ।

(५) जब उक्त पट्टे से सर्वदा के लिये होना पाया जाता हो ।

(६) जब उक्त पट्टा किसी नजराना या भेट या जर पेशगी के घद्दे में दिया जाय, और लगान उसमें लिखान हो ।

(७) जब उक्त पट्टा गियत लगान के अतिरिक्त किसी नज-

घही रसूम जो विक्रिय पत्र के लिये नियत है, उस घद्दल के ऊपर जो उक्त दस्तावेज में लिखे हुए सालाना लगान के परते की मालियत के बराबर हो ।

घही रसूम जो विक्रिय पत्र के लिये नियत है उस घद्दल के ऊपर जो सालाना परते लगान की उस संख्या या मूल्य के घरावर जो पहले इस घर्ष के मध्ये यदि पट्टा उस समय तक स्थित रहता अदा या सुपर्द की जाती ।

घही रसूम जो धैनामे के लिये नियत है उस घद्दल पर जो उस इकट्ठे लगान की घरावर हो जो उक्त पट्टे के पहले ५० घर्ष के मध्ये अदा या सौपा जाता ।

घही रसूम जो धैनामे के लिये नियत है उस घद्दल पर जो नजराना या भेट या जरे पेशगी पट्टे की संख्या या मूल्य के घरावर हो ।

घही रसूम जो धैनामे के लिये नियत है उस घद्दल पर जो

राना या भेट या जरे पैशगी के
घदसे दिया जाये ।

वैसे नजराने या भेट या जरे
पैशगी पट्टे की सत्या या मूल्य
के परावर हो । उस इसमें के
सिवाय जो वैसे पट्टे के ऊपर
उस दशा में ली जाती जब कि
कोई नजराना या भेट या जरे
पैशगी अदा या उपुद न किया
जाता । परन्तु शर्त यह है कि
जिस दशा में इसी पट्टे लिं
खने के प्रतिश्वापन पर स्थान
उस मालियत पर जो पट्टे के
लिये नियत है दिया जा चुका
हो और वैसी प्रतिश्वापन के शर्त
सार कोई पट्टा पीछे से लिखा
जाये तो ऐसे पट्टे की रसम
आठ आने से अविक न होगी ।

सयुक्त प्रात में तथा दूसरों अन्य सूबों में पट्टे और कबूलियत
(स्वीकार पत्र) की जगह यह प्रचार है कि जायदाद का मालिक
कोई दस्तावेज पट्टे के रूप में नहीं लिखता, केवल काश्तकार या
किरायेदार से कबूलियत लियाली जाती है । जूतऊ जायदाद की
दशा में उसको कबूलियत के नाम से बोलते हैं और रहायशी जाय-
दाद की दशा में वह कहीं किराये नामा कहीं सरखत बोली जाती
है । किरायेनामे द्वारा दोनों पक्षों के मध्य में पट्टा देने वाले और
पट्टा लेने वाले का सम्बन्ध होता है या नहीं एक पेसा विषय
है जिस पर हिन्दुस्तान की हाई कोर्ट सहमत नहीं है । परन्तु
इसमें सन्देह नहीं कि किरायेनामे या सरखत द्वारा जायदाद को

किराये पर उठाने का प्रचार बहुत समय से चला आता है। और सामान्यतया लोगों को इसका 'अभ्यास' पढ़ा हुआ है मह. २५। जमीमा अधल कानून स्टाम्प के अनुसार कबूलियत (स्वीकार पत्र) या किसी दस्तावेज के दूसरे परत पर स्टाम्प यदि असल दस्तावेज पर जिस री यह कबूलियत या दूसरा पर्व द्वे उचित स्टाम्प दिया जा चुका हो तो असल दस्तावेज पर एक रूपये से कम स्टाम्प लगने की दशा में असल दस्तावेज के परावर स्टाम्प लगता है, और अन्य दशाओं में एक रूपये का स्टाम्प लगता है, अगर असल दस्तावेज स्टाम्प से मुश्किल हो तो कबूलियत भी मुश्किल होगी।

जुतऊ भूमि का पटा

पटा मिनजानिव लाला देवीदयाल, वेटा लाला निश्वस्माद्याल
जाति वैश्य निवासी च जमीदार, रामपुर तदसील सिकन्दराराऊ
जिला अलीगढ़ जमीदार

थनाम

१३०१

चिरजी वेटा देवी जाति अहीर साकिन ष काशनकार मौजा रामपुर
पुरगना अकरायाद तदसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़

काशनकार

जो मुझ जमीदार ने २५ वीघा पक्की भूमि का जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौजा रामपुर की जिसका मैं स्वामी और अधिकारी हूँ पटा उपरोक्त चिरजी काशनकार को एकसी पचास (५०) रुपयों सालां नियत लगान पर जोतने के लिये सन् १३२५ फसली से सन् १३२८ फसली तक पांच साल के लिये नीचे लिखी गयी पर दिया है।

(१) उक्त काश्तकार नियत लगान को आधा फसल खरीफ में तारीख १ नवम्बर को और आधा फसल रबी में ताठ १ अप्रैल को हर साल पैदा न होने या कम पैदा होने के बहाने बिना मुझ जमीदार को अदा करता रहेगा ।

(२) लगान के नियत मिती पर अदा न करने की दशा में उक्त काश्तकार को १) सैकड़ा मासिक ब्याज देना होगा और दो किस्त का लगान न अदा होने की दशा में बिना विचार अवधिके बेदखली के योग्य होगा ।

(३) उपरोक्त अवधि के चीत जाने पर भूमि को उपरोक्त काश्तकार अपनी जोत से बिना किसी भगड़े या बहानेया किसी प्रकार के दावे के अपने आप छोड़ देगा ।

(४) अपने सिवाय किसी दूसरे को येती में साझी न करेगा न कोई रहने का या अन्य प्रकार का मकान बनावेगा, न कोई वृक्ष लगावेगा । ऐसा करने की दशा में बेदखली के योग्य होगा और मकान या अन्य तामीर या लगाये हुए वृक्षों में जमीदार मालिक हो गा और काश्तकार उस हानि को सहन करेगा जो उसके कार्य से होगी ।

(५) जो वृक्ष लगाये हुए या स्थेय उगे हुए येत की मैड या जेत के भीतर स्थित हैं, या आगे को पैदा होंगे उसकी रखबाली और देखभाल उक्त काश्तकार के ऊपर है ।

(६) काश्तकार के इस पट्टे के नियमानुसार कार्य करने को दशा में अवधि के भीतर में जमीदार किसी प्रकार का हस्तक्षेप या भगड़ा उक्त काश्तकार के फज्जे में न कर दे । इस लिये यह थोड़े से शब्द पाच साला पट्टे के रूपमें लियदिये कि प्रमाण रहे ।

उपरोक्त पट्टेट से सम्बन्धित कृवूलियत

मैं कि चिरंजी वेटा देवी जाति अहीर साकिन घ काश्तकार
मौजा राम पुर परगना अकरा घाद तहसील सिकन्दरा राऊ ज़िला
अलीगढ़ का है ।

जो कि २५ घीघा पक्की भूमि जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं
मौजा रामपुर में स्थित जिसके मालिक व अधिकारी लाला देवी-
दयाल वेटा विश्वम्भर दयाल जाति वेश्य रहने घाले घ जमीदार
रामपुर परगना अकराघाद तहसील सिकन्दरा राऊ ज़िला अलीगढ़
फे हैं ।

उक्त जमीन का पट्टा उपरोक्त लाला साहिव से खेती करने
के निमित्त सन् १३२५ फसली से सन् १३२६ फसली तक पाच
साल के लिये निम्न शर्तों पर लिया है ।

(१) नियत लगान का आधा फसल खरीफ में १ नम्बर को
और आधा फसल रबी में १ श्रेष्ठ को हर साल पैदा न होने या
कम होने या कम पैदा होने के बहाने विना उक्त जमीदार को अदा
करता रहा गा ।

(२) नियत मितो पर लगान न भुगतान की दशा में एक
रुपया सैकड़ा मासिक व्याज का दैनिक रहा गा । और दो किस्त
का लगान अदा न करने की दशा में विना विचार अधिके
थेदसली के योग्य हा गा ।

(३) उक्त अधिके वीतने के पश्चात् भूमि को अपनी काश्त
के कब्जे से विना भगड़े बहाने या किसी प्रकार के दावे के स्वयं
छोड़ दूगा ।

(४) अपने सिवाय किसी दूसरे को खेती में साभी न करूँगा न कोई मकाने रहायशी या अन्य प्रकार का भूमि पर न बनाऊगा नैर्य वृक्ष लंगाउंगों पेंसों करने को देशों में जमीदार को विना विवाह अवधि के मेरे वे वृद्धल करने को अधिकार होगा, और मकान वृद्धरी तामीर या लगाये हुए वृक्षों का मालिक जमीदार होगा उनके मध्ये मैं लिको प्रकार के वृद्धल पाने का अधिकारी न हूँगा, और जमीदार सुझसे उस हानि के प्राप्ति करने का अधिकार होगा, जो ऐसे काम से होगी।

(५) जो पेड़ लगाए हुए या स्थय उगे, हुए खेत की मैड या खेत के भीतर स्थित हैं या आगे को पैदा हो उनकी रखियाँ ही और देय भाल सुझ काश्तकार के ऊपर हैं।

(६) पट्टे की अवधि काले में मेरे हस कुबुलियत की शिर्तों वे अनुसार चलने की दशा। मैं उक्त जमीदार को अधिकार, मेरी वेदखली या मेरे फज्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने, या हस्तक्षेप का न होगा। हस लिये यह थोड़े शब्द कुबुलियत की नाई लिख दिये कि प्रमाण रहे।

नम्बरों का व्यारा

हस्ता	क्षर	गवा
गिर्दा	हृष्टा	गृहा
स्थीत	लिर्पने की तोरीख	स्थीत
स्थीत	बकलीम	लिंगेक

दूसरा पट्टा

मैं कि मौहन लाल घेटा रायन लाल जानि ग्रामण निधासी ए
जमीदार मौजा काजिम पुर पदगना इप्पत तदसील घैरजिला
अलागड का है। जो कि पट्टह घीघा १६ विस्वा पक्की भूमि
जिसके नम्यर नीचे लिने हैं मौजे काजिम पुर महाल घासीराम
मेरी जमादारी व नम्यरदारों की दृश्य) सांकाना लगान पर चार
मुल के लिये सन् १३२६ फसली से १३२६ फसली तक सावलिया
घेटा रामधन जाति घमार निधासी उक्त मौजा काजिम पुर को
पहुँच पर दी है शर्त यह है कि पट्टेदार उक्त जमीन पर नियत
समय तक कायिज और अधिकारी रहकर उसको आप जोते और
सांकाना लगान आधा कातिक और आधा वैमाल में मुझ पट्टेदाता
को देता रहे। पट्टेदार को उक्त जमीन में पेड़ लगाने या उम में से
भट्टी खोदने या कोई दूसरा ऐसा काम करने का अधिकार न होगा
जो उक्त भूमि के जोतमें काम आने के लिए वाधक और हानिकारक
हो जर अवधि का अन्तिम साल आरम्भ हो तो पट्टेदार को उचित
होगा कि उक्त भूमि का त्याग पत्र (इस्तेफा) कानून लगानु
क अनुसार मुझ पट्टेदाता के नाम दाखिल कर देवे और अवधि
षीत जाने पर उक्त भूमि को अपनी जीत से निशाल कर मुझ पट्टे
दाता के अधिकार में दे देवे इन पहुँची अवधि के बीच में पट्टे
दाता पट्टेदार के काजे में किसी प्रकार का हस्तहेत और रक्काषुद्ध
न करेगा यदि पट्टेदार लगान हर फसल पर अद्वा न करे
या काई काये भूमि के विषय में इस पट्टे के नियमों के
प्रतिकूल करे तो पट्टे दाता को पट्टे की अवधि के भीतर भी
पट्टे दार को रेदखल करने का अधिकार होगा। अवधि यीते
जाने पर मैं पट्टेदाता हर दशा में पट्टे दार को प्रेदखल कराने का
अधिकारी हूँगा। इस लिये यह पहा लिख दिया कि साद रहे।

इस्ताद्धर—साक्षी—साक्षी—स्थान—घफुलम—लेखक

दूसरी कुबूलियत (स्वीकार पत्र)

मेरे कि मुनबा वेटा सूरजा जाति लोधा निंवासी व काश्तकार
मोजा चदनिया तहसील कोल जिला अलीगढ़ का है। जो कि
मुझ प्रण कर्ता ने ३७ बीघा १५ बिस्तरा पर्की जमीन जिसके नाम
नीचे लिखे हैं मोजा चदनिया महाल सज्ज लाला देहकी नदी
वेटा लाला ज्योती प्रसाद जाति वैश्य जमीदार व नम्बरदार उक्त
महाल से १६३३) सालाना लगान पर पांच साल के लिए सन्
१३२६ फसली से सन् १३३० फसली तक पट्टे परली है। इस लिए
निम्न लिखित प्रतिश्वा करता हूँ कि ८१॥१) आधा रुपया लगान
का अन्तर के अन्त में और शेष आधा ८१॥२) लगान का रुपया
अप्रैल के अन्त में यिना बहाने पैदा न होने और कम पैदा होने
के उक्त जमीदार को रसीद लेकर अदा करता रह गा।

(२) नियत मितों पर लगान न छुकाने की दशा में उस पर
१) सैकड़ा मासिक व्याज अदा करूँगा। और दो फसल का
लगान अदा न करने की दशा में स्वीकार पत्र की अधिकारियों के विचार
यिना उक्त जमीदार को मेरी वेद्यताली का अधिकार होगा, अपनी
जोत के अतिरिक्त किसी दूसरे से खेती न कराऊगा और न भूमि
पर कोई मकान या गृह बनाऊगा और न कोई इस प्रकार का
क्राम करूँगा जो खेती के अतिरिक्त हो। और भूमि को उससे
छानि पहुँचे और इन शर्तों के विरुद्ध चलने की दशा में यिना
विचार पट्टे की अधिकारियों के वेद्यताली के योग्य हुगा। जो घृत लगाये
हुए या स्वयं उगे हुए खेत की मेंड या उसके भीतर हैं उनकी
खेताली और देय रेख प्रण कर्ता के ऊपर है न मैं स्वयं काम
में लाऊगा न किसी को लाने दूँगा।

(३) उक्त अवधि के यीत जाने पर भूमि को आपनो जोत से विना किसी झगड़े घ यहाँ के स्वयं छोड़ दू गा । श्वैर कोई स्वत्व खेती के फद्दे और भूमि की हैसियत वृद्धि आदि का शेष न रहेगा । इस लिये यह स्वीकार पत्र लिख दिया कि सबनदरहे और आवश्यका के समय काम आये ।

नम्बुरो का व्यौरा

ह	स्ताक्षर सा	क्षी
सा	क्षी	लिखने की मिती
स्थान	वकलम	कुवूलियत लेपक

रहायशी जायदाद का पट्टा

मैं कि कामतानाथ वेटा श्रीनाथ जाति खत्री पेशा जमीदारी रहने वाला मुहुर्तला सराय खिरनी शहर इलाहायाद का ह — ॥

जो कि मने एक पक्की दूकान निभन लिपित सीमा धाली वाजार चोक शहर इलाहायाद में स्थित सोलह रुपये मासिक किराये की दर से खूबचन्द वेटा ज्वाहरलाल जाति कलवार पेशा पजाजी शहर इलाहायाद को तीन साल की अवधि के, लिये नीचे लिखी हुई शर्तों के साथ किराये पर दी है—

(१) उक्त किरायेदार नियत अवधि तक उपराक दकान पर फाविज्ञ घ अधिकारी रहकर उसमें स्वयम् रहे अथवा दूसरे प्रकार से काम में लाए घह विना विचार काम में आने या खाली रहने के किराये का देनदार हागा—

(२) किराया प्रतिमास मुझ प्रण कर्ता को विना किसी झगड़े और यहाँने के रसीद लेकर या पट्टे की पीठ पर लिया कर देता रहे, किसी मास के किराये के शेष रहने की दशा में यह उस पर

एक रुपया सैकड़ा सासिक को दर से ब्याज देने का जिम्मेदार होगा—

(३) किरायेदारी के समय में सामान्य मरम्मत लिपाई पुताई मिट्टो डलाई आदि उक्त किरायेदार के ऊपर है और छट पूट की मरम्मत मेरे ऊपर—

(४) नियत अवधि के बीतने के बिना सुभको उक्त किरायेदार के बेदखल करने का अधिकार न होगा हा, यदि उक्त किरायेदार के ऊपर तीन मास का किराया शेष रहेगा तो अवधि के भोतार भी बेदखली के योग्य होगा ।

(५) अवधि बीतने के पश्चात् किरायेदार का कर्तव्य होगा कि उह उक्त दूकान को अपने कब्जे और अधिकार साली करके मेरे कब्जे और अधिकार में दे देवे ।

(६) नियत अवधि के बीतने पर दूकान साली कराने के लिये किसी खाली कराने के नौटिस देने की आवश्यकता न होगी इस तिथे यह थोड़े शष्द पट्टा किरायेदारी की जाँच लिख दिये कि 'ग्रामाण' रहे ।

दूकान की चारों सीमा

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
हस्ताक्षर गधा ह गधा



“रहायेशी ज्योदाद् के किरायेदारी का”
 स्वीकार पत्र या किरायेनामा” (१)

मैं कि भूर्बचम्द वेदो ज्ञात हरलोल जाति कलेषार्पेशा बजाजी
 रहने वाला मुहरला सराय भीरमा शहर इलाहाबाद का हूँ।

जो कि मैंने एक दुकान पकड़ी निम्न लिखित नीमा बालों और जार
 और शहर इलाहाबाद में स्थित भुन्शी कामतानाथ वेदा आनाथ
 जाति खशी पेशा जमीदारी रहने वाले मुहरला सराय लिरनो शहर
 इलाहाबाद उक्त दुकान के मालिक से नीचे की शर्तों के अनुसार
 तीन साल की अवधि, के लिये किराये पर लेफर किरायेदारी
 स्वीकार की है।

(१) मे किरायादार नियत अवधि तक उक्त दुकान में स्वयम
 निवास करूँगा अथवा अन्य प्रकार से काम में लाऊंगा, और उक्त
 दुकान के किराये को दंनदार बिना विचोर काम में लाने या खाली
 रहने के रहूँगा।

(२) किराया प्रतिमास उक्त मालिक को दिना किसी भगड़े
 और घहाने के रसीद लेफर या किराय नामे की पीठ पर लिखाकर
 देता रहूँगा, किसी मास का किराया शेष रहने की दशा में उस पर
 एक स्पष्ट सैकटा मालिक ध्याज दरम ध्याज का दैनदार हूँगा।

(३) किरायेदारी के समय में साधारण भरमत लिपाई पुताई
 और मिट्टी डंसाई मेरे जपर है और दूट फूट को भरमत उक्त
 मालिक के जिम्मे है

(४) नियत अवधि के बाते जाने तक उक्त मालिक को किसी
 पदाने से मुझ किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार न हांगा-

हां। यदि तीन मास का किराया मेरे ऊपर शेष रह जाय तो मैं प्रबंधि के भीतर भी वेदखली के योग्य हूँगा ।

(५) नियत अधिकार के भीतरे के पश्चात् दुकान के साली कराने के लिये, किसी खाली कराने के नोटिस देने की आवश्यकता न होगी—इस लिये यह थोड़े शब्द किरायानामा या कुबूलियत की भाँति लिख दिये कि प्रमाण रहे ।

दुकान की चारों सीमा ।

पूर्व	पश्चिम
उत्तर	दक्षिण
हस्ताक्ष	हंगवा
लिखने की तारीख	स्थान

बकलम । १२ लेखक । ३७ । १८ । १९ ।

“साधारण किरायेनामा”

मैं कि इमदाद खा घल्द इलाही घळश कौम राजपूत नौमुस्लिम पेशा जरदौजी साकिन कस्था खुर्जा जिला बुलन्द शहर का है। जो कि मैंने अपनी प्रसन्नता घ इच्छा से एक पक्का बना हुआ मकान पश्चिम मुहाना उच्चर मुहाने दो कोठों से समिलित और उसके आगे चौक और पूर्व दयी दुवारी मुद्दलका करोड़ो कस्था खुर्जा में मिम्न किसित सीमा वाला जो लाला प्यारे लाल बेटा तेजपाल जाति धैश्य चूड़वाल रहने वाले कस्था खुर्जा के कब्जे और अधिकार में है अब उस मकान का उक्त मालिक साएर रुपया चार आना मासिक किराए की दर से ग्यारह मास की अधिकार के लिए एक सितंबर संन् १९४८ ई० से एक अगस्त सन् १९४९ ई० तक किराया देना है।

अन प्रतिष्ठा करता हु और लिखे देता है कि ऊपर नियत किया हुआ किराये का रूपया प्रतिमास उक्त मालिक को रसीद लेकर या इस किराए नामे की रीड पर घसूल लिया कर देता रहा गा। और नियत अवधि के बीत जाने पर उक्त मकान को अपने कन्जे और अधिकार ने यिन भगडे और वहाने के छोड़ दूगा। दूट फूट की मरम्मत उक्त मालिक के जिम्मे है, और लिपाई टिहसाई और छुच पर मिट्टी डलाई मेरे जिम्मे है। किराये के न चुकाने की दशा में उक्त मालिक की यिन विचार अवधि अधिकार होगा कि मुझको मकान से नेवखल करदै और किराया चढे हुये को मुझ से जिस प्रकार चाहै घसूल करें इस लिये यह किराये नामा लिख दिया कि सनद रहे।

इति

मकान की चारों सीमा

पूर	—	व पश्चि	—	म दक्षि	—	ए उच्च	—	ह
मकान	दुर्गा	इस	मकान	का	आजम	श्रलीखा	उक्त	मालिकका
राज	दरवाजा	फिर	के	दायभागियों	दूसरा	मकान		
रास्ता				की	रिआया	का		
				मकान				
हस्ता	—	क्षर	गवा	—	ह	गवा	—	ह
इमदाद	या	घटद	संयद	मुमताज	अ-	रोशन	श्रली	चलद
लाई	वरश	व०	ली	घटद	उसमान	घ-	श्रली	कौम स
			सा	कौम	संव्यद	व्यद	पेशा	दृकान
			पेशा	वैद्यक	साकि	दारी	साकिन	गुर्जा
			न	हुजार	व०	मुहरता	सादात	व०
लिखने	की	तारीय				मुहरता	सादात	व०
<u>किराये नामे का लेखक</u>			<u>स्थान</u>			<u>वकलम</u>		

“पेशगी रूपर्ये का पट्टा”

हम कि साक्षिगराम वेटा व मुसम्मात मेंडो विधवा अमरसिंह जाति जाट रहने वाले व सेती करने वाले गांव भीमपुर परगना तहसील अतरीली जिला अलीगढ़ हैं—

जोकि उक्त ग्राम भीमपुर में ३५ वीघा ११ विस्त्रा पक्की भूमि नीचे लिखे हुये नम्बरों वाली हमारी सीर है और हम आपने दूसरे काम धन्धों के कारण उसका प्रबन्ध और रखवाली नहीं कर सकते। इस लिये उपरोक्त भूमि को १७५) रूपर्ये सालाना लगान पर राम दयाल येटा रामकिशन जाति ब्राह्मण उक्त ग्राम निवासी को पाच घर्ये के लिये खरीफ सन् १३२१ फसली के आदि से रवीश सन् १३२५ फसली के आतं तक पट्टे पर देदी और ४०० रुपया कि जिसके आधे २००) रुपर्ये होते हैं उक्त रामलाल से पेशगी लगान की नाई ग्रासकर लिये और उक्त भूमिपर उसको दखल दे दिया, पट्टे दार को चाहिये कि चाहे आप सेती करे या किसी दूसरे मनुष्यों से कराये और लगान के रूपर्ये में पहिले चार साल में १००) रु० साल काट कर ७५) रु० अदा करे आधा आधा लगान का रूपया फसल धार ता० १५ अक्टूबर व १५ अप्रैल दो छुकाने योग्य होगा। नियत तारीख पर लगान वाजिय अदा न करने की दशा में उस पर एक रूपया नेकड़ा मासिक व्याज देना होगा और पट्टे की अवधि के भीतर हम प्रणक्ता वाधक और रुकावट डालने वाले पट्टेदार के न होंगे और उसको ऐदखल न करेंगे। हमारे ऐसा करने की दशा में “मारी दिसी त्रुटि या खोट के कारण उक्त पट्टेदार पट्टे की ऐदखल हा जाये तो उसको अधिकार होगा कि अपना

• जो यिना भुगतान रद्द दो-हानि और व्यय सहित अपना से घटून करे।

पट्टेदार को कोई अधिकार पट्टे की भूमि में पेड़ लगाने, मिट्टी खोदने या दूसरा कोई काम खेती के प्रयोजन के, विद्युत करने वा न होगा और अपनी के बीत जाने, पर उसका कर्तव्य होगा कि पट्टे की भूमि को अपने अधिकार से निकाल कर हमारे कन्नों में दे दे। इस लिये यह याडे स शब्द जरे पेशांगी पट्टे की नाई लिपि दिये कि सनद रहे।

नम्बरी रा व्यौरा

दस्ताव्य ————— र गवा ————— द गवा ————— द
लियाने की तारीय, मुकाम लियाने वाला दस्तावेज का

ठेका जरे पेशांगी

मैंकि मुख्यमान नूरेकातिमा तेटी मौलारी अहमदहुसैन जानि शेष पेशा जमीदारी रहने वाली कस्ते मलीहावाद जिला लाघनऊ की हूँ।

जोकि मुझ प्रतिशा करने वाली को १३ मई सन् १९४१ ई० के लिये और १४ मई सन् १९४१ ई० की रजिस्ट्री किये हुए दान पञ्च ढारा नीचे लिये व्योरे अनुसार जायदाद मौलारी अहमदहुसैन मेरे पिताने पेत्रिक प्रेमस्ती दृष्टिसे दानकी उसपर उसी दिनसे में मालिक की तरह कायिज और अधिकारिणों हु। परन्तु परदे में रहने के कारण मैं स्वयम् उक्त जायदाद का प्रत ध और ररावाली नहीं कर सकती और नार्थवेस्टरन बैंक मेरठ वे छूण का मारी भार बर्तमान प्रभाधक के कुशलन्ध के कारण मेरे ऊपर होगया है, अब तक कोइ मार्ग छूण चुकाने और भार से हतका हाने का प्राप्त नहीं हो सका। वरन् व्याज भी उक्त छूण का नहीं बुझ सका इस कारण उक्त छूण वे दूपये में बृद्धि होकर उसकी सरया तेतालोस हजार (५२०००) दूपये के लगभग होगई है। और दिन पर दिन मेरी

जायदाद घोमिल होती चली जाती है। जिससे मुझको अपनी जायदाद के नष्ट होजाने की शका है, जायदाद की रक्षा और उक्त गृण चुकाने के लिये प्रबन्ध करना आवश्यक और उचित है।

अउ मेरी प्रार्थना पर मेरे पिता उक्त मौलवी अहमदहुसैन साहिय रईस मलीहाबाद जो अदाकात की आज्ञाइनुसार मुहम्मद अहमदसईदखा की ओर से नियम पूर्वक सरकार नियत हैं उक्त नावालिंग की ओर से उसकी जायदाद की आमदनी से साहिय जज बहादुर की आज्ञाइनुसार उपरोक्त जायदाद का ठेका ११ साल के लिये लेने और (४३०००) ठेकेका रु० पेशगी देने पर राजी होगये हैं। और ठेके के नियम निम्न लिखित ठहरे हैं। इस लिये स्वस्थ चित्त और स्थिर दुष्टि व इन्द्रियों की ठीक अवस्था में अपनी इच्छा और प्रसन्नता से चिना किसी दबाव या घटकावट के यह दस्तावेज़ ठेका जरे पेशगी का मुहम्मद अहमदसईदखा पुत्र नावालिंग मुहम्मद अब्दुशश्कूरखा कौम शेख साकिन मलीहाबाद के नाम अपने पिता मौलवी अहमदहुसैन की सरकारिता में लिखती है। और नोचे लिखे अनुसार प्रण और प्रतिष्ठा करती है।

(१) ४३०१०) जरे पेशगी उक्त मौलवी साहिय सरकार मुहम्मद अहमदसईदखा नावालिंग से इस प्रकार घसूल पाये कि कुल उक्त रूपया नार्थवेस्टरन बैंक मेरठ का गृण चुकाने के लिये उक्त मौलवी साहिय के पास छोड दिये कि उक्त गृण का भुगतान करके मेरा लिखा तमस्तुक वापस कर लैं।

(२) ठेके की कुल जायदाद पर आजकी तारीख से उक्त मौलवी साहिय को उक्त नावालिंग के हितार्थ बतार ठेकेदार अपने समान करा दिया। उक्त मौलवी साहिय को उचित है कि कागजात

में टेकेदार के रूप में दाखिल करा लें मुझको किसी प्रकार का वहाना और आवेदन नाम दर्ज होने में न होगा ।

(३) यह कि टेके की अधिग्राहण साल की फसल गरीफ सन् १३०४ से रवीश्र तक १३१४ फसली तक ठहरी और सरकारी माल गुजारी थी अन्य हर प्रकार के खर्चों के अतिरिक्त जो टेकेदार के जिम्मे ठहरे हैं टेके का रुपया सालाना ७५१०) रुपया ठहरा उसमें से ३६१०) रुपया सालाना उक टेकेदार अपनाएँगी रुपया काटते और हिसाब में लगाते रहें और शेष ३६००) सालाना अर्थात् १८००) रु. माहों बैसाथ और कानिक मास में मुझ टेके देने वाली को देते रहें ।

(४) उक जायदाद के द्वृष्टने तक उपरोक्त ठहरा हुआ रुपया पाने के सिवाय मुझको और मेरे दाय भागियों और स्थाना पन्नों और प्रतिनिधियों को जायदाद से कुछ सम्बन्ध न होगा, जायदाद का हर प्रकार का प्रबन्ध उक मोलघी साहिय और उनके स्थानापन्न के अधिकार में रहेगा ।

(५) यह कि जो वकाया लगान था आवपाशी गिरुली साल की आसामियों के ऊपर शेष है उसके उधाने का भी अधिकार टेकेदार को है टेका सालाना नियत करने में उसका विचार कर लिया है ।

(६) यह कि टेके के समय में समस्त भूमि था आकाश सवाधी आपत्ति टेकेदार के जिम्मे ठहरी है । यह सरकारी माल गुजारी और मुझ को टेके मालाना का रुपया अदा करों का जिम्मेवार वित्त विचार पैदायार न होने या कम पैदायार होने के रहेगा । हा अगर काइ किस्त माल गुजारी की मुश्किल या मुलतशी हो जाय तो उसके पाने का अधिकारी टेकेदार है, परन्तु प्रत्येक दशा में उस का १८००) रु. मादी मुझ टेका देंगे वाली का अदा करों हांगे ।

(७) यह कि ठेके के दिनों में कोई हस्तक्षेप ठेकेदार के अविफार और प्रबन्ध में सुभ ठेक देने वाली की ओर से न होगा, यदि मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करूँ या मेरे स्वामित्व की शुटि या किसी अन्य 'मेरे कारण से समस्त या कोई भाग ठेके की जायदाद' का ठेकेदार के अधिकार से निकल जावे तो ठेकेदार को अधिकार होगा कि उतना ही रसृदी रूपया सालाना ठेके वा कुल गावों की मालगुजारी पर जो परतेसे पड़े कम कर लेये। और मैं ठेक देनेवाली ठेकेदार को हानि और व्यय जो ठेकेदार को करना पड़े 'देने की जिम्मेवार हूँ।

(८) यह कि ठेके की नियत अवधि बीत जाने पर ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि जायदाद को अपने अधिकार और प्रबन्ध से निकाल फर सुभ ठेका देने वाली के प्रबन्ध में दे देता।

(९) ठेके के दिनों में ठेकेदार को इमारती लकड़ी या वागात के काटने और बेचने का अविकार न होगा, किन्तु बबूल के पेड़ और दूसरी इधर उधर यड़ी लकड़ी येती के ब्रौजारों के लिये ठेकेदार कटवा सकेगा।

(१०) यह कि इस ठेके नामे के नियम और प्रतिशा दोनों पक्षों और उनके दायमानी और स्थानापन्नों को पालन करना होगा। और कोई उनके प्रिस्त्र न कर सकेगा। इसलिये यह थोड़े से शब्द ठेका जरे पेशगी के रूप में लिप्त दिये कि प्रमाण रहे।

ठेके की जायदाद का व्यौरा।

हस्ता—	चर	गवा—	—
गवा—	—	ह	—



हिंवा नामा (दानपत्र)

परिमाण। दान एक, परिष्वर्तन है किसी पर्तमान, या नियत जायदाद का चक्र हो या छान्नल जो कर्तुप्य इच्छा पूर्यक और विना लेने किसी वदा के दूसरे के प्रति करे।

परिष्वर्तन कर्ता दानी और परिष्वर्तन लेने पाना दानप्रदीता एवं दाना है। यान महीता स्थय या उत्तरकी और संशीर्ण गुण दान स्वीकार करे।

(दफा १२२ क़ानून इन्तिकाल जायदाद)

गिया। अबले जायदाद के दान के लिये आवश्यक है कि उस ही परिष्वर्तन रजिस्टर 'दस्तावेज' घारा हो। जिस पर दानी या उत्तरकी और से विसी और गुण्य का दस्तावर हो और कम से कम 'या साक्षियों ने उसको प्रमाणित किया हो। चल जायदाद के पाँच लिये जाइ़गा है कि उसका परिष्वर्तन घाए किसी 'तिथी' ही रजिस्टर 'दस्तावेज' घारा (जिस पर ऊपर लिखे अनुसार दस्तावर आदि हो) घाए सांखो घारा किया जाए। और जाइ़गा है कि साए उसी प्रकार हो जैसे वेने हुए मात्र की दोती है।

(दफा १२३ क़ानून इन्तिकाल जायदाद)

परि दान में यतामाद और आगामी दानी जायदाद समिलित हों तो शागमी जायदाद के विषय में दान गिरथक समावेगा।

ठ्यारव्या

दान के तिथ आवश्यक है कि ताद गिया सम्पत्ति वा हो शीर पद सम्पत्ति यतेमान स्थिति राती हो। अनियत चार-

सम्पत्ति का दान कानून के अनुसार नाजाइज होता है। इसके सिवाय दानी ने इच्छा पूर्वक उसको दूसरे मनुष्य को दिया हो। ऐसा नहो कि धोये घ छुल आदि से उससे दान पत्र लिया जाये। और दान यिनां किसी वदले के हो, जो दान वदल सहित होता है उसको मुहम्मदी धर्मशाखानुसार हिया विलएवज कहते हैं। घट वेश के समान होता है और वेश नामे की तरह लिखा जाता है सोमान्य सूचना। दान पत्रमें दान की हुई जायदाद की मालियत का परिमाण अधिक लियना चाहिये जिससे उचिन स्टाम्प लगाया जासके।

स्टाम्प : घही रसूम जो वैश्वमामे के लिए नियत है अर्थात् यदि दान की हुई जायदाद का मूल्य ५०) से अधिक न हो तो ॥) सौ रुपये तक १) एक हजार रुपये तक हर सौ पर १) एक हजार रुपये के पश्चात् दूर अधिक पाच सौ रुपया या उसके भाग पर ५)

मद् २३, जमीमा १ कानून स्याम्प प्रकट २
सन् १६६६ ई०

दान पत्र

मैं कि हरफूल वेटा सीताराम जाति ठाकुर जादौं रहने घाला घ हृषिकेयतदार ग्राम स्यारौल परेगना दण्डल तहसील खैर जिला अलीगढ़ का हूँ।

जोकि मेरेपिता सीताराम का लगभग २५ वर्ष

छोड़े किसी जायदाद या घर की सामिग्री

भाई महफूल की शायद उस समाग २३

लग भग उसी सदाय से पौरा में गौकरी करती । अब तक वही गौकर है, और उस सदाय से निष्पर विभाक्तुलक्षणेसामान रहते और शपथ निर्णय करते हैं अपनी सामर्थी पर जो दुर्ल आपदाद उन्होंने से पैदा की है उस पर यह और उनकी समान अत्यन्त अधिकारी है, मुख अद्वेले से भी उस सदाय से व्योपारका काम भगवा प्राप्त किया उक्त कारबाह में यदुत कुछ अफलता ग्राह द्वारा और और अपने यात्रुदल से भी नोने लियी दुर्ल विविध सम्पत्ति उपार्जन की जित पर में विना दिसी की बारकरा और सामी के अव तक प्राप्ति शामिल है, अधिकारी हूँ, यह आपदाद पर प्रकारके द्वारा और भार दो निर्देश हैं, उस में मेरा कोई सामी य भासी नहीं है उसके अप्ते द्वारा को दर प्रकार के परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है मेरी समान में कोई पुरा नहीं है, केवल एक रामकी लीलावती है जो गौका शेषद्वार जिसा मेरठ में दरघशस्त्रिय को ल्यादो है उक्त लाभवी की पेट से एक लड़का रामसदाय सिद्ध शय भग याद दर्ये की शायु का है जो यदुत घोषी अवस्था से मेरे पास रहता है, मैंने उसको अपने पालको समान पाला है, और दुभक्तो उससे आयस्त ग्रंथ है मैं उत्त प्रेम के पश्च जो दुभ को उक्त राम सदाय दिन ल है तोपे लियी दुर्ल आयदाद ताम्भा २०००) के सुख्य याती को उस परे देगा और अपने जीते जो उसको उसका इवानी पगाना पाएता है । और काहि पात परि धर्म में आधक नहीं है, इत्यात पर इषि उल्लार मैंने रवस्थ चित्त और क्षिप्र गुरिय की अवस्था में, अपनी इच्छा और प्रसन्नता से विना दिसी जयरद्दती और ध्वाय तो गाँधे लियी दुर्ल आयदाद अपने पेषते उक्त रामसदाय चिद्द ऐटा दरघश सिद्ध जाति ठाहुर जादो रहने पाएं, ग्राम सारील जिसा अलीगढ़ के प्रति दान की और यानश की ओर मालिकों के समान यास्त-यक अधिकार दान की दुर्ल आयदाद पर वान मर्दीना को है दिया।

आज की तारीख से न रहा मेरा और मेरोदाय मागी स्थान
पन्नों और प्रति निधियों का कोई स्वत्व और अधिकार किसी
प्रकार का रहने की हुई जायदाद पर। ॥ १४६ ॥

दान ग्रहीता के नाम का दांसिल खारिज 'कांगजार्ट' माल में
नियम पूर्वक करा दूंगा, अन्यथा दान ग्रहीता अपने अधिकार से
फरा लेवे किसी प्रकार का विहाना न कर गा इसलिये यह थोड़े से
शब्द दान पद के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दान की हुई जायदाद का व्यौता जो समस्त शहिरी घ भीतरी
स्वत्व व अधिकार सहित विना छोड़ने किसी स्वत्व व वस्तु के
दान की गई। ॥ १४७ ॥

हस्ता—चर गवा—ह गवा—
स्थान वकलम दानपत्र
लेखक
दान पत्र। ॥ १४८ ॥

मैंकि हस्तन वेग वेदा गुलाम हुसैन जाति मुगल 'पैशा खेती
घ व्यौपार' रहने घाँसा 'गाव साक्षनी परगना 'अनूपशहर' जिला
बुलन्द शहर का है। जोकि इस दस्तावेज के नीचे जमीमा (अ)
में लिखी जायदाद मेरी पैदा की हुई है। और इस दस्तावेज के
नीचे जमीमा (व) लिखित जायदाद मुझको "दायमागी" कप में
मेरे चवा य वृथेग मे लगभग सात साल की मुद्रत हुई मिली है।
दोनों प्रकार की जायदादों पर मैं प्रण कर्ता विना किसी आय के
सामें और शरकत के मोलिकों के समान अधिकारी और
स्वामी हु मुझको उक जायदाद के मध्ये दर प्रकार के अधिकार

के कारण वहुधा रोगी रहता है मेरे लड़के एवजहुसैन और उस की पत्नी मुसम्मात रहीमन ने मेरी वहुन कुछ सेवा और सत्कार किया है और मैं उनके चलन व चर्तवि से अत्यन्त प्रसन्न हूँ वहुत काल से मेरा विचार जमीमा (अ) व (ब) में लिखी जायदाद की एवजहुसैन व मुसम्मात रहीमन के प्रति उनकी सेवा और सत्कार के पुरस्कार रूप में देने का है, और कोई बात परिवर्तन की वाधक नहीं है।

इस बात को विचार कर अपनी इच्छा और प्रसन्नता से इस जायदाद के नीचे जमीमा (अ) व (ब) ने लिखी हुई जायदाद को बिना घहफाषट और दबाव के समस्त अधिकार व स्वत्व आधित सहित बिना किसी स्थिति के छोड़े और बिना भाग के त्यागे एवजहुसैन व उक्त मुसम्मात रहीमन के प्रति समान भाग से दान किया और बखश दिया और दान का हुई जायदाद में अपना स्वत्व और अधिकार उठाकर दान प्रहीता को अधिकारी और काविज्ञ कर दिया अब सुझको और मेरे दायमामियों स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों को कोई सम्बंध और प्रयोजन किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा, दान प्रहीता को समस्त अधिकार स्वामियों के समान परिवर्तन के मेरी तरह प्राप्त होगे। इस लिये यह दान पन लिखा दिया कि प्रमाण रहे।

इस्ता ————— सर गवा ————— ८

गवाह

लिखने की तारीफ
एकलम

स्थान
दान पर लेखक



आज की तारीख से न रहा मेरा और मेरे दाय भागी स्थान
पन्हों और प्रति निधियों का कोई स्वत्व और अधिकार किसी
प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर।

दान ग्रहीता के नाम का दाँखिल 'सारिज 'कागजात' माल में
नियम पृथक करा दूंगा, अन्यथा दान ग्रहीता अपने अधिकार से
करा लेवे किसी प्रकार का धर्हाना न कर गा इसलिये यह छोड़े से
शब्द दान पत्र के रूप में लिय दिये कि प्रमाण रहे।

दान की हुई जायदाद का व्यौरा जो समस्त चाहिरी व भीतरी
स्वत्व व अधिकार सहित बिना छोड़ने किसी स्वत्व व स्तु के
दान की गई।

दस्ता	क्षर	गवा	ह	गवा	ह
		स्थान		यकलम	दानपत्र
					लेखक

दान पत्र।

मैंकि हस्साग वेग वेदा गुलाम हुसैन जाति मुगल पेशा खेती
व व्यौपार रहने वालों गाव सास्त्री परगता अनूपशहर 'जिला
बुलन्द शहर का है। जोकि इस 'दस्तावेज' के नीचे जमीमा (अ)
में लिखी जायदाद मेरी पैदा की हुई है, 'और इस 'दस्तावेज' के
नीचे जमीमा (ब) 'लिखित जायदाद मुझको 'दायभागी' रूप में
मेरे चाचा रामेश्वर मे लगभग सात साल की मुद्रत हुई मिली है,
दोनों प्रकार की जायदादों पर मैं प्रण कर्ता बिना किसी अन्य के
भास्के और शरकत के मालिकों के समान अधिकारी और
भवामी हूँ मुझको उक्त जायदाद के मध्ये हर प्रकार के अधिकार
मूल है, मैं कुछ काल स आदों स भव्य हो गया हूँ और निर्वलता

के कारण यदुवा रोगी रहता है मेरे लड़के एवजहुसैन और उस की पत्नी मुसम्मात रहीमन ने मेरी यदुत कुछ सेवा और सत्कार किया है और मैं उनके चलन य चर्तार्वि से अत्यन्त प्रसन्न हूँ यदुत काल से मेरा विचार इमोमा (अ) य (ब) में लिखी जायदाद की एवजहुसैन य मुसम्मात रहीमन के प्रति उनकी सेवा और सत्कार के पुरस्कार रूप में देने का है, और कोई बात परिवर्तन की वाधक नहीं है ।

इस बात को विचार कर अपनी इच्छा और प्रसन्नता से इस जायदाद के नीचे जमीमा (अ) य (ब) में लिखी हुई जायदाद को बिना घहकावट और दबाव के समस्त अधिकार य स्वत्व आदित सहित बिना किसी स्वत्तर के छोड़े और बिना भाग के त्यागे एवजहुसैन य उक्त मुसम्मात रहीमन के प्रति समान भाग से दान कियों और यस्ता दिया और दान की हुई जायदाद से अपना स्वत्व और अधिकार उठाकर दान ग्रहीता को अधिकारी और क्रायिज कर दिया अब मुझको और मेरे दायभागियों स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों को कोई सम्बंध और प्रयोजन किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा, दान ग्रहीता को समस्त अधिकार स्वामियों के समान परिवर्तन के मेरी तरह प्राप्त होंगे । इस लिये यह दान पत्र लिखा दिया कि प्रमाण रहे ।

इस्ता ————— द्वारा गवा ————— ह

गवाह

लियने की तारीख
षक्तम

स्थान

दान पत्र लेपक



तमलीक नामा (समर्पण पंत्र)

तमलीक नामे से तात्पर्य चल या अचल सम्पत्ति के समर्पण से है जो लेख द्वारा किया जाय और वह लेख
 (अ) विवाह के बदले में हो या

(ब) घास्ते यांटने सम्पत्ति के समर्पण करने वाले के सम्बन्धी या उन मनुष्यों के बीच में हो जिनका वह पालन करना चाहता हो। या घास्ते पालन करने किसी ऐसे मनुष्य के हो जो उसका आधित हो या

(स) घास्ते किसी धार्मिक काम के हो या किसी पुण्य के लिये हो। और उक्त शब्द में ऐसा प्रतिष्ठा पत्र भी सम्मिलित है जिसमें वेसे समर्पण की प्रतिष्ठा की जावे।

स्टाम्प। तमलीक नामे पर स्टाम्प तमस्तुक की दर से जायदाद की मालियत पर लगता है। और अगर समर्पण के प्रतिष्ठा पत्र पर पूरा स्टाम्प लगा दिया जावे तो फिर जो तमलीक नामा लिया जावे उस पर केवल ॥) का स्टाम्प लगेगा। तमलीक नामे के यह डन पर भी स्टाम्प तमस्तुक की रीति से लगता है। परन्तु १०) से अधिक का स्टाम्प नहीं लगता।

(कानून स्टाम्प ज़मीमा १ मद्द ५८)

रजिस्ट्री। तमलीक नामा यदि अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता हो और उसका मूल्य सौ रुपये से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

(एकट रजिस्ट्री वफे १७)

तमलीक नामा [समर्पण पत्र]

मैं कि मुहम्मद अहमद येटा सुलतान अहमद जाति शेख रहने वाला मौजा जिला काहू।

जो कि मेरी आयु लग भग सत्तर ७० साल के हैं और घृणा यीमार रहता है, इसलिये दूरदर्शिता के विचार से यह उचित समझता है कि मेरे अपने जीते जो अपने दाय भागियों को अपनी सम्पत्ति का स्वामी बना दूँ, जिस से आगे को लडाई भगड़ा न मचे और मेरे दायभागी उस को सुख शान्ति के साथ भाग सके मुझ प्रण कर्ता के दो लड़के शफीअशहमद और नजीरअहमद नामक मेरी पहली पत्नी कलसूमुनिसा नामी के पेट से हैं जो लग भग दस साल का समय हुआ मरणई, और एक लड़का घशीर अहमद और दो लड़किया जेबुनिसा घ इम्तियाजुनिसा मेरी दूसरी पत्नी न्याज फातिमा नामी के पेट से हैं, और न्याज फातिमा अबतक जीवित है। इस लिये मैं स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि और पच इन्द्रियों के ठोक ठोक हीने की अवस्था में अपनी स्वयं पैदा की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति के निम्न लिखित स्वामी बनाता है।

जायदाद का व्यौरा

शफीअ अहमद	एक पटका मकान	नीचे की सीमा व व्यौरे वालों
नजीर अहमद	" "	
घशीर अहमद	" "	
जेबुनिसा नामी पुत्री	" "	
इम्तियाजुनिसा नामी पुत्री	" "	
न्याज फातिमा नामी पत्नी	" "	

जिस जायदाद का जो स्वामी घनाया गया उसको प्रास्तविक रूप से उस पर अधिकार दे दिया, और आज की तारीख से

उसको निश्चत स्वामी बना दिया, भु सम्पत्ति पर हर एक अधि
कारी का नाम माल के कागजा में लिखा दूगा, अन्यथा वह आगे
अधिकार से लिखालेंगे। आजकी तारीख से मेरे हर एक दाय भागी
को उस सम्पत्ति से कुछ सम्बन्ध वं प्रयोजन नहीं रहा जिस के
स्वामी दूसरे दाय भागी बनाये गये हैं। और न आगे को होगा।
मेरे जीते जी वशीर अहमद उस जायदाद के मुनाफे में से मुझ को
२५) मासिक रोटी कपड़े के खर्च के लिये देता रहेगा जिसका वह
स्वामी बनाया गया है। और वह जायदाद मेरे जीते जी उस भार
की जिम्मेवार होगी और उस में आठ और छातुण्डित रहेगी
शेष मनुष्यों की सम्पत्तियों से मुझ को कुछ सम्बन्ध नहीं रहा।
न आगे को होगा। स्वामी बनाई हुई समस्त सम्पत्ति सर्व प्रकार
के भार और छातुण्डि में रहित व निर्दोष है, ईश्वर न करे यदि किसी
प्रकार का छातुण्डि या भाट निकले या कोई झगड़ा तमलीक (समर्पण)
की हुई जायदाद के मध्ये पैदा हो तो उसका सहन करने वाला
और उसर दाता वही मनुष्य होगा जिसको उस जायदाद का
स्वामी बनाया गया है इस लिये यह तमलीक नामा, लिख दिया
कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

इस्ता —————— हार ।

गवा —————— ह

गवा —————— ह
लिपने की तारीख

स्थान

बफलम

लेखक

दूसरा समर्पण पत्र

मैंकि रामधन वेदा बुद्धिसेन जाति ग्राहण रहने वाला श्रमुक
जिला श्रमुक का हूँ। जोकि मेरी सन्तान में से कोई पुत्र नहीं है

मेरे दो विद्यार्थी हुए हैं और दोनों पत्नियों का देहान्त होगया, पहली खो फी सन्तानमें केवल एक लड़की लोलाघती नाम्नोहै और उस का एक "नापालिंग लड़का" चैनसुध है जो अपने माथाप के साथ सहायत गाव में रहता है दूसरी- पत्नी की सन्तान में भी एक पुत्री रामप्यारी नाम्नी थी परन्तु उसका मेरे जीवन में देहान्त होगया, उसका एक लड़का रामसुगद है जो बहुत छाटी अवस्था स मेरे पास रहता है। और मैंने उसका पालन किया है। उसकी आयु अब ११ सालके लगभग है। इन लोगों के अतिरिक्त और कोई मेरादाय भागी नहीं है। मेरे सर्गे मार सीताराम का एक लड़का सूरजपाल है। यद्यपि वह मेरा दाय भागी विभक्त कुल और बहुत काल से अलग रहने कारण नहीं है परन्तु मुझको उससे प्रेम य प्रीति है। और मैं उसको भी अपनी सम्पत्ति से कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पिता बुद्धलेन धीस विस्वे मौज रामनगर के स्वामो य ऋधिकारी थे मेरे और सीताराम के घटघारे के समय जिसको लगभग २५ वर्ष हुए आधा भाग उक्त गाव का मुभका मिला, और उसका मैंने घटघारा कराकर अलग महाल बनवालिया, जो अब महाल रामधन कहलाता है, और खातों सेवट नम्बर २ में है, पैतृक मकान में जो मुभको घटघारे ढारा मिला था और उसको मैंने बहुत सी लागत लगाकर नये सिरे से बनवा लिया है उस में मैं अपने धेनते रामसुप सहित रहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक नौहरा स्वयं मेरा मोल लिया और बनवाया हुआ है जो पश्चांत्री आदि के काम आता है, इसके तिथाय मौजे, दियातपुर परगने फरीदनगर में पाच विस्वे हृषिकेयत जमीदारी खाता सेवट न० ६ और मौजे मुदसिनपुर परगने जलालायाद में साढ़े सात विस्वे जमीदारी खाता सेवट न० ४ स्वयं मेरी पैदा की हुर है पिछला मौजा सहावत खोलायती, और चैनसुप के निवास स्थान ५ बहुत समीप है।

दूर दर्शिता के विचार से मैं यह उचित समझता हूँ कि अपने जीवन में उसके अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का स्वामी बना दू जिसमें, आगे को कोई लडाई भागड़ा न कर सके। और सन्तोष के साथ उससे सुख और लाभ उठावें।

इस लिये यिनां वैद्यकावर्ण "और दबाव के अपनी इच्छा और प्रसन्नता से दस विसंवेद्यविक्रेयत" मौजा रामनगर अपने हिस्से व महाल को अपने भटीजे सूरजपाल के प्रति और पैतृक मकान और नौहरा नीचे लिखी हुई सीमाड़नुसार मौजे रामनगर में स्थित और पाच विसंवेद्यविक्रेयत "गांग द्वायातपुर में स्थित खाता खेवट न० ६ को रामसुख" अपने धेवते के प्रति, और साढ़े सात विसवा हविक यत जमीदारी "वाकिश्च" मौजे मुहसिनपुर परगना जलालादाद को लीलावती नामी अपनी पुत्री वैचैनेसुख धेवते के प्रति वरावर २ तमस्तीक करता और स्वामी बनाना हूँ, और हर प्रकार के बाहिरी भीतरी समस्त स्वेत्व व अधिकार हर एक जायदाद से सम्बद्धित उसके साथ परिवर्तित करता हूँ।

स्वामित्व प्राप्त सम्पत्ति पर हर एक स्वत्वाधिकारी को अधिकार देवियों और उसको स्थिर और स्थाई स्वामी उसका बना दिया अब मुझ को समर्पण की हुई जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न आगे को होगा। जो जायदाद जिस मनुष्य को समर्पण की गई है वह उस पर अपना नाम दाखिल करा लेये और जिस प्रकार चाहे उससे स्वैमित्व में लाभ उठावे। इस लिये यह समर्पण पत्र लिख दिया कि सनद रहे। और समयपर काम आवे।

हस्ता ————— जर गया ————— ह
गया —————

लिखने की तरीय ————— स्थान —————
परलम ————— लेजह दार्जना

वसीयतनामा (निष्ठापत्र)

शन्द वसीयत (निष्ठा) से अभिप्राय उस सक्ति के राजनीति अनुसार प्रकट करने से है जो निष्ठा करने वाला अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में रखता हो । और जिसका पूरा होना वह अपने मरने के पीछे चाहता हो ।

परिशिष्ट निष्ठा पत्र से तात्पर्य उस दस्तावेज से है जो निष्ठा पत्र से सम्बन्ध रखता हो । और जिसके अनुसार निष्ठा पत्र के अभिप्रायों की व्याख्या, या तथदीली (यदल) या उनमें अधिकता की जाय । और परिशिष्ट निष्ठा पत्र अधिक भाग निष्ठा पत्र का समझा जाता है । प्रोटेट शन्द से तात्पर्य निष्ठा पत्र की लिपि से है जो किसी अधिकारप्राप्त न्यायालय की मुद्रा, से, प्रमाणित हो जब कि उसके साथ अधिकार पत्र निष्ठा करने वाले की सम्पत्ति के प्रबन्ध करने का सम्मिलित हो । वसी (अध्यक्ष) से तात्पर्य उस मनुष्य से है जिसको निष्ठा करने वाले ने अपने अन्तिम निष्ठा पत्र के कार्य करने के लिये उस निष्ठापत्र ढारा नियत किया हो । शब्द एडमिनिस्ट्रेटर (शासक) से अभिप्राय उस मनुष्य से है जिसको अध्यक्ष न होन की दशा में किसी अधिकार प्राप्त हाकिम ने किसी मृत मनुष्य की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये नियत किया हो ।

स्टाम्प । वसीयत नामे के लिये किसी स्टाम्प की आवश्यका नहीं वह सादा कागज पर लिखा जा सकता है रजिस्ट्री उसकी स्वाधीन है सिवाय उन जातियों के जिनसे पक्के सन् १८६५ सम्बन्ध रखता है दूसरे मनुष्यों के निष्ठा पत्र के लिये साक्षियों के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता राजनीति अनुसार नहीं है किन्तु जगानी वसीयत जाइज है ।

घसीयत नामे के प्रारंभिक शब्द वहुवा यह होते हैं।

चूंकि मैं वृद्ध हूँ या कि अब मेरा बुढ़ापे का समय है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं कि कथ काल ग्रसित हो जावे।

चूंकि संसार असार है और स्वप्न के समान है। इस सार के समस्त कार्य अनिस्थिर और चलायमान हैं।

मनुष्य जीवन पानी के घनूले के समान और जल भगुर है और मेरे काहे सन्तति किसी प्रकार की नहीं हैं।

जैसा अवसर हो वैसे शब्द प्रयोग करने चाहिये। और जो धास्तविक कारण निष्ठा पत्र लिखने का हो वह लिखना चाहिये।

वसीयतनामा (निष्ठापत्र)

मैं कि रोम ओतार वेटा महाराज भगवत जाति ग्राम
सारस्यन निवासी ग्राम अमुक परगना व तेहसील अमुक जिला
अमुक का हूँ।

जो कि मेरी आयु ६० साल के लगे भग है और वहुधा शरीर
रोगी रहता है न जाने किस समय जीवन का अन्त हो जा
और प्राण पर्येष शरीर पिञ्जडे से उड़जावे। इस दूर दर्शिता
विचार से आवश्यक व उचित है कि मैं जायदाद का ऐसा प्रयोग
करदूँ जो मेरी मृत्यु के पथ्यात् भगडे पैदा होकर नष्ट न हो जा
जिस कार्य और प्रयोजनमें मेरा सकटप उसके लगानेका है वह
हो जावे। मेरे पहिले विवाह से एक लड़का छप्पाअवतार या
दैव इच्छा से निसन्तान मर गया, उसकी पत्नी डुलारी ना
जीवित है और उसका पालन पोषण तथा रक्षण करना मैं अप
कर्तव्य समझता हूँ। मेरे दूसरे विवाह से एक लड़की रुकमा ना
है, और उसका एक लड़का राम आधीन है जिसकी अपस्था
खाल के लग भग है उस लड़की और धेवते के पालन
पोषण करना चाहना है। इसके अतिरिक्त

मेरे पिता की घनाई हुई है उस के व्यय का कोई प्रबन्ध मेरे स्वर्ग पासी पिता अपने जीवन में नहीं कर सके। इस कारण उसकी दशा अत्यन्त हीन और शोचनीय है मेरे पूज्य पिताकी यह हार्दिक इच्छा थी कि वह धर्मशाला अत्यात थेष्ट और उत्तमता के साथ सदैव स्थित रहे। और मैं उनकी उस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। इस बात पर दृष्टि रख कर स्वस्थ चित्त और स्थिर धुद्धि तथा इन्द्रियों के ठीक होने की दशा में निम्न लिखित निष्पां (घसीयत) फरता हूँ।

(१) जो कुछ हर प्रकार की पैत्रिक सम्पत्ति तथा मेरी पैदा की हुई मेरे अधिकार में है या आगे जो मैं उपार्जन करु उसका मैं अपने जीते जी निश्चित व स्थिर स्वामी रहूँगा।

(२) मेरे मरने के पश्चात् मेरी पैत्रिक सम्पत्ति मे से निम्नस्य जमीमा (अ) लिखित अमुक ग्रामकी जमीदारी की स्वामिनी अपने जीवन पश्चात् मेरे पुत्र रुपण अवतार को रिधग दुलारा नामी होगी उसका अधिकार होगा कि जब तक वह जावित रहे उस जायदाद की आमदनी चाहे जैसे व्यय करे। परन्तु उसका कोई अधिकार प्रत्यक्ष रीति या वहानेसे उक्त सम्पत्तिके परिवर्तन करनेका किसी प्रकार व रूप स प्राप्त न होगा। दुलारी के मरने क पोछे उक्त जायदाद रुक्मा की पुत्र सन्तति को जा उस समय विद्यमान हो चिरस्थाई रूप से पहुँचेगी। और उक्त रुक्मा की कोई पुत्र सन्तति जीवित न होने की दशा में उसके लड़कों के लड़के उस सम्पत्ति के चिरस्थाई स्वामी होंगे।

(३) निम्नस्य जमीमा (ब) लिखित जायदाद को मैं रुक्मा के नाम उसके जीते जी के लिये घसीयत करता हूँ। जीवन भर वह उसकी मालिक रहेगी। और उसके अधिकार होगा कि उ

जायदाद को चाहे जैसे काम में लावे । और उसका मुनाफा अपनी इच्छा व अधिकार से व्यय करे । उक्त रुक्मा के मरने पर उस जायदाद के स्वामी उस के लड़के जो उस समय विद्यमान हों समान भाग से होंगे । यदि उसका कोई वेदा उसके जीवन में मरणया हो परन्तु उसकी पुत्र सन्तति विद्यमान हो तो उसकी सन्तीन मिलकर एक लड़के के बराबर हिस्सा पावेगी । इस अर्थ के लिये यह समझा जावेगा कि मानो उनका वापर रुक्मा के मरते समय जीवित था ।

(४) जमोमा, (ज), लिपित जायदाद को मैं भगवत् नामक धर्मशाला की स्थिति और व्यय के निमित्त पुराय करता हूँ । उस की आमदनी से उक्त धर्मशाला के हर प्रकार के खर्च अदा किये जावेंगे और जो कुछ उस में टूट फूट आदि होगी उस की मरम्मत की जावेगी । आने जाने वालों के सुख और चैत के लिये जो प्रबन्ध और 'सामिश्री आवश्यक हो' उस में याचं होगी । इस के प्रबन्ध के लिये मैं जीते जी स्वयं प्रबन्धक रह गा । मेरे मरने के पश्चात् धर्मशाला और आमदनी व खर्च जायदाद का प्रबन्ध मेरी निष्ठाऽनुसार मेरी लड़की रुक्मा और उसकी पुत्र सन्ततिके जो योग्य और सुपात्र हो पोढ़ी दर पोढ़ी अधिकार में रहेगा । यदि इस प्रकार का कोई मनुष्य न रहे या किसी प्रबन्ध कर्ता की आरसे चोरीया वेईमानी पाई जावे तो मुख्यमान रुक्माकी शौलाद के अन्य मनुष्यों तथा सर्वे साधारणे को अधिकार होगा कि दूसरा मनुष्य प्रबन्धकर्ता और अधिष्ठाता पुल्य की हुई सम्पत्ति और धर्मशाला का न्यायालय स नियत करा लेवे ।

न्यायालय

का नियत किया हुआ प्रबन्ध कर्ता और जायदाद पर अधिकार रखेगा और निष्ठा

मैं मैं वसीयत करता हूँ कि यदि वह या उसके मरण पश्चात् उस की सन्तान में से कोई उम्रका लड़का पूर्ववत् मेरे यहां नौकर रहे और अपना काथ पहले के समान करता रहे तो उन में से जो कोई मनुष्य मेरे मरते समय मेरी नौकरी में हो (उसको १००) रोकड़ी मेरी सम्पत्ति स दिया जावे ।

(६) मेरा किंया कर्म और तेरहवीं आदि उचित रोतिसे करना मुसम्मात् दुलारी और मुसम्मात् रक्षा का कर्तव्य होगा । मेरा दाह कर्म रामाधीन के हाथ से कराया जाए ।

इसलिये यह निष्ठापत्र लिखदिया कि प्रमाण रहे ।

जायदाद का व्यौरा

जमीमा (अ)

जमीमा (ब)

जमीमा (ज)

हस्ता	क्षर गवा	ह
गवा	ह तारीय	
स्थान		

षक्ति	लेचक	

दूसरा निष्ठापत्र

मैंकि लाल गोविंदपालसिंह दत्तक पुत्र ठाकुर रामप्रसादिंशि जाति राजपूत यदुवंशी रईस दसनगढ़ जिला एटो घर्तमान निधासी आम धनीपुर परगना य तहसील कोल जिला अलीगढ़ का हूँ ।

जो कि मैं टियासत् दसरगढ़ के समस्त प्रामों का विना साभे य सयाग किसी दूसरे के स्वामी य अधिकारी हूँ

का विवरण परिशिष्ट (अ) में लिया है। इस समय तक मेरे कोई सन्तान नहीं हैं। सात भास व्यतीत हुए कि मेरी पत्नी ठकुरानी महताव कुवरि का देहान्त हो गया। अभी तक मैंने दूसरा विवाह नहीं किया और चूंकि मैं वहुधा बीमार रहता है जीवन का कोई भरोसा नहीं न जाने किस समय यह क्षण भगुर कलेपर काल का ग्रास हो जावे। इस लिये दूर दर्शिता के विचार से आवश्यक व उचित समझना हूँ कि निष्ठा द्वारा आगे के लिये ऐसा प्रबन्ध करदूँ कि मेरे न होने की दशा में, रियासत, हसनगढ़ पूर्ववत् स्थित रहे। और कोई ऐसा भगाड़ा बखेड़ा न उठे जिससे रियासत नष्ट हो जावे।

। . . .

विदित हो कि मेरी अवस्था गोद लेने के समय केवल १४ मास को थी उस समय से रियासत मुसम्मात मानकुवरि विधवा ठाकुर रामप्रभाद सिंह मेरी उप माता, के स्वाधीन व अधिकार में रही, जब मेरी आयु उन्नीस साल की हुई तब मैंने रियासत पर अधिकार और उसका प्रबन्ध करना अपने आप चाहा, परन्तु उक्त मान कुवरि ने मुझ को रियासत पर अधिकार नहीं दिया वरन् मुझको और मेरी पत्नी महताव कुवरि को

१. ५ सिंह कारिन्दा हसनगढ़ की सहायता और वहकाने से दिया, और कुल गढ़ना और असबाव रियासत और दहेज १५ लिया, उस समय लाचार हो कर मुझे दीवानी अदालत दावा करना पड़ा जो द अफद्दूर सन् १६०७ को अदालत जजी अलोगढ़ से डिगरी हुआ, और हसनगढ़ की हवेली अतिरिक्त रियासत हसनगढ़ से सम्बन्ध रखने वाले समस्त प्रामाण पट मेरा नाम दाखिल हो गया। मुसम्मात मान कु १
१ से उस फैसले का अपील हाईकोर्ट में

न्यायालयकी प्रेरणासे मेरा और मुसम्मात मान कु घरिका परस्पर निवारा हो गया और निवारे के अनुसार जीवन भर तक सान पान के लिये १८०० रुपया सालाना और १० धोया पत्रकी भूमि और हसनगढ़ की हवेली पर रहने का स्वतंत्र मुसम्मात मान कु घरि को दिया गया अब उक जमीदारोंके गावोंमें से जमीदारी व काश्त दखील कारी व मालिकाना मौजा गज गणनी परगना फोरोजायाद जिला आगरे पर मे स्वयम् अधिकारी हु और शेष-गावों का डेका मेरी ओर स सन् १८१७ फसली से सन् १८२४, फसली तक व वर्ष के लिये ठारुग कल्याणसिंह-साहिय राय बहादुर साकिन व रईस बनीपुर के पास था, डेकेदार डेके की हक्कियत पर अन्तिम सन् १८१८ फसली तक काविज (अधिकारी) रहे और सन् १८१८ के अन्त तक का मुनाफा मुझको भुगता चुके और उस का हिसाब में उनसे समझ लिया। उक डेकेदार ने डेके की शेष अवधि के लिये मेरी इच्छाऽसुसार त्याग पंत्र दे दिया। और मैंने भी इस विवार से कि मे कुल रियासत हसनगढ़ के मध्ये निष्टा (धन्तीयत) करना चाहता हु उक डेका शेष अवधि के लिये तोड़ दिया और डेकेदार को यह अधिकार दे दिया कि काश्तकारों के उपर का शेष रुपया सन् १८१७ व १८१८ फसली के मध्ये नालिश द्वारा या जेसे उचित समझे प्राप्त करलें। मेरा उससे कुछ सवन्ध पही है।

आगे दे लिये मैं रियासत हसनगढ़के मध्ये निम्नलिखित निष्टा

। १) जीतेजी मैं रियासत हसनगढ़ का स्वय स्वामी व अधि-

समय मेरे कोई सातान नही है नीरोग हो जाने को
“मरा विधाद करने की है यदि उस विधाद

से कोई पुत्र सन्तान उत्पन्न हो, तो मेरे मरण पश्चात् वह रियासत की स्थामी होगा, और उक्त सन्तान की नायालिंगी के दिनों में भीती पत्ती यदि उस समय जीवित हो सरकारके रूपमें रियासत का प्रबन्ध करेगी ।

(३) मेरे विवाहन करने या विधाह करने पर पुत्र सन्तति पैदा न होने की अश्वस्था में रियासतका स्थामी दुर्गपालसिंह घोटा ढाकुर सरदारसिंह जाति ढाकुर रहने वाला मौजा गागनी परगना फौरोजीगढ़ ज़िला आगरा होगा । और उस के न होने अथवा उस के पुत्र सन्तति जीवितन होने को दशा में दुर्गपालसिंह उस का छोटा भाई स्थामी होगा ।

(४) दुर्गपालसिंह व दुर्गपालसिंह में से जो कोई रियासत का मालिक हो उस का कर्तव्य होगा कि वह मेरी विधवा की अपनी माता के समान सेवा सुश्रुपा तथा आद्वा पालन करे । और उस के जीते जी हसनगढ़ की गढ़ी रहने के लिये उस को दी जावे, और १०० मानिक खान पान तथा दान पुराय के दर्चन के लिये दिया जावे । और जा में पुत्री सन्तति छोड़ उन के विवाह व भात छोल्हा को श्रीत व्यगदार आदि रियासत के नियमानुसार किये जावें ।

(५) चू कि दुर्गपालसिंह दुर्गपालसिंह इस समय नायालिंग है उन में से नायालिंगी के समय में जो कोई हसनगढ़ की रियासत का मालिक हो उस की इफकीस साल की आयु प्राप्त होने तक रायवहार ठाकुर कट्यानसिंह साहिष रईस धनीपुर उस के सरकार और रियासत के प्रबन्धक रहेंगे और उन को अधिकार होगा कि अपनी जगह किसी अन्य योग्य पुरुष को सरकार तथा प्रबन्धक नियत करें या निष्ठा द्वारा किसी को नियुक्त (नामजद) करें जिसे वे नियमानुसार नहीं करते ।

-(६) दुर्गालसिंह पुद्दपालसिंह को मैं अपने व्यय से शिक्षा दिला रहा हूँ। मेरे मध्य पश्चात् जो कोई हसनगढ़ की रियासते का मालिक हो उह तथा उस का सरकार भी उनका पूर्ववन् अपनी देख भाल, मैं इफ्हीस वर्ष की आयु होने तक जिक्षा दिलाते रहूँ और जिक्षा का उचित व्यय रियासत दखनगढ़ से दिया जावे।

(७) दुर्गालसिंह पुद्दपाल सिंह की माता मुसम्मात मोहन फुर्थटि को मैंन (१००) घारिक घृति नियत कर रख्ही है उह उच्च 'मुसम्मात' के जीते जी पूर्ववन् उसको देना रियासतके हर मालिक का अर्तव्य होगा।

(८) यूँ कि यदो हसनगढ़ डकुरानी ग्रानकुर्टि साहिक्षा को जीवन पर्यन्त अदालतसे दिलगाई गई है। इस लिये मैं एक मकान अपने जया उर लोगों के रहने के लिये जित को निष्ठा की गई है हसनगढ़ के खेडे के ऊपर लग भग चार पाँच हजार रुपये की जागत से यनाना चाहता हूँ और मेरी इच्छा सड़क के किनारे पर किसी उचित स्थान पर एक बाग और कृष्ण यादगारी के लिये यनाने की है यदि मैं अपने जीवा में यह दोनों काम न कर सकूँ तो डाकुर करवान्हिन्ह सादिय रायपट्टादुर को अधिकार देता हूँ कि यह अपनी देप ऐव और अधिकार से उक मकान यनवा दें और बाग य कृष्ण उचित स्थान पर सड़क के किनारे लगायें। और दोनों का एर्च रियासत से लिया जावे।

(९) रियासत हसनगढ़ की आमदनी सरकारी मालागुजारी छुकाने के पश्चात् राग भग सात हजार (७०००) रुपया सालाना यालिस होती है इसके अतिरिक्त लग भग (३००) रुपया घारिक मुनाफ़ा मीले गज गार्ह का होता है इस कुल (७३००) सालाना मैं से मैं सूचित फरता हूँ। (१००) सालाना मुसम्मात मान कु घटि

को ८ फर्टवरी सन् १९१० ई० लिखित प्रतिश्वापन के नियमाङ्गुस्तार दिया जावे । और ६००) रूपया सालाना दुर्गपाल सिंह व बुद्धपाल सिंह की पढ़ाई में भर्च किया जावे । और १००) सालाना मुसम्मार मोहन कुपरि की घृति में दिया जावे । शेष रूपया मेरी खी के खान पान और मेरी सम्तात के चलन व्योहार की अगर कोई हो और अन्य उचित खर्चों को काट कर मेरे ऊपर के ऋण छुकाने में लगाया जावे । और यह व्यवहार व वर्तव मेरे ऊपर के ऋण के निश्चेष होने तक मेरे दाय भागियों और सरकार का कर्तव्य होगा ।

ऋण के निश्चेष होने के पश्चात् मालिक रियासत को अधिकार होगा कि वचत के रूपये को अपनी इच्छाङ्गुस्तार व्यय करे । मेरे ऊपर ऋण का विवरण नीचे के परिशिष्ट (ब) में लिखा है ।

(१०) मेरी इस निष्ठा के पालन करने वाले राय बहादुर ठाकुर कल्यान सिंह साहिब रईस धनीपुर होंगे । और उनको मेरे इस लेखाङ्गुस्तार इस निष्ठा का पालन करना होगा ।

इस लिये यह निष्ठा पञ्च लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक के समय काम में आवे ।

परिशिष्ट (अ)

रियासत हसनगढ परगना जलेसर जिला एटा की काश्तकारी दूधोलकारी व वाग आदिक मौजै गज गांगनी परगना फीरोजाबाद ज़िला आगरा सहित हिक्कयत का व्यौरा

नाम मौज़ा तादाद हिक्कयत क्षेत्र फल अव वाय सहित
मास गुजारी

इसनगढ़	बीस विसया	१७३६ एकड़	२५३१)
		६२ डिसमिल	
महमूदपुर	बीस विसया	४२६ एकड़	७७०)
		६३ डिसमिल	
दौलतपुर मुश्की	१५ विसया	४२८ एकड़	८४६)
महाल १८ विसया		७० डिसमिल	
दौलतपुर मुश्की		४० एकड़	१००)
महाल २ विसया		८० डिसमिल	
ग्रजपुर चम्बा		२१३ एकड़ } ४८॥)॥	
महाल १२ विसया		८८ डिसमिल } आधा	
मह की महाल नरायनसिंह		३६० एकड़	७४७)
		५१ डिसमिल	
महकी महाल मुरलीसिंह नवे हिस्से में ६ विसवासी		- ५)	
		८ कच्चवासी	
सलाई		२१ एकड़	७६॥)॥
		८६ डिसमिल	
खाता काशत दखीलकारी मौजे गज गागनी लगानी महाल			
राजा साहब ५५५)			
खाता काशत दखीलकारी उक्त मौजा लगानी महाल रोजा			
साहब ५७७॥) ४ पाई			

बाग ३५ श्रीघापका घाविअ मौजे गज गागनी जिसमें तुरश्यावे
आदि के यूक्त हैं

मालिकाना १००) सालाना मौजा गज गागनी - परगना
फीरोजाबाद जिला आगरा

परिशिष्ट [ध.]

ठाकुर कल्यानसिंह साहिव रईस जलालपुर के दस्तावेज द्वारा
देने ४०००)

राय घटादुर कल्यानभिंह साहिव रईस 'धनीपुर' के देने
लगभग ७०००)

स्थियासत अवागढ घावत् काँशत दर्खीलकारी मौजा गज़ेरागिरी
डिगरी आदि लगभग ॥ ३००६।

दस्ताव्य —————— हर गधा —————— ह

गधा —————— ह लिखतम १७ अगस्त सन् १८११

॥ चक्रघम टीकाराम घेटा लाला श्री कृष्णदास जाति वश्य
अग्रवाल साफिन कोल इस दस्तावेज का लेखक

तवादले नामा (बदले पत्र)

(१ परिभाषा । जब दो मनुष्य परस्पर एक घस्तु की मिलकियत दूसरी घस्तु की मिलकियत के बदले में लें और दूसरी घस्तुओं में से कोई घस्तु रोक स्पष्टे के रूप में न हो या दोनों घस्तु रोक स्पष्टे के रूप में हों तो यह व्यवहार बदल कहलायेगा ।

सम्पत्ति का परिवर्तन जिसकी पूर्ति बदले के रूप में करनी अभीष्ट हो फेवल उस प्रकार हो सकता है जो चैसी 'जायदाद' की विकी द्वारा परिवर्तन करने के लिये नियत हुआ है ।

स्टाम्प- बदल के एरिवर्तन में स्टाम्प चैनामे की नई मालियत के अनुमार बदली हुए जायदाद पर लगता है और उसकी रजिस्ट्री के विषय में भी घटी नियम और वन्धन हैं । बदले की दस्तावेज में स्टाम्प के नियत करने के निमित्त बदली हुई जायदादों के मूल्य का प्रेस्ट करना आवश्यक है ।

बदले को पूर्ति एकत्र दो दरनावेजों के द्वारा दोनों पक्षों की इच्छाइनुसार हो सकती है ।

वदल पत्र दोनों पक्षों का

हम कि अहमद हुसैन, वेटा इमतियाज, अली जाति, शेष रहने वाला, गाव शाहपुर, परगना व तहसील, अलीगज ज़िला पटा पहला पक्ष, व मोहनलाल वेटा, सोहनलाल जाति कायस्थ रहने वाला गाव नदरई, परगना व तहसील कासगुज ज़िला पटा दूसरा, पक्ष जो कि मुझ पहले पक्ष, का एक आम का बाग गाड़ शाहपुर परगना व तहसील अलीगज ज़िला पटा में, स्थित है उस से मिली हुई पश्चिम की ओर एक ढुकड़ा भूमि न० ३५४-दो बीघा ७ विस्ता एक की सेवफल वाली खाता, खेवट, न० ३५५, गाव की दूसरे पक्ष की अधिकार प्राप्त सम्पत्ति है जो बहुत, दिनों से ये जुनक और वेकार है उस से कुछ लाभ दूसरे पक्ष को प्राप्त नहीं होता-मुझ दूसरे पक्ष के रहायशी मकान गाव नदरई से मिला हुआ एक, अच्छा मकान, जो वे की सीमा वाला पूरब की ओर स्थित है। जो, पहले एक मनुष्य मकान लाल का था उससे मुझ पहले पक्ष ने नीलाम द्वारा मोल लेकर। अधिकार प्रीप किया है। उक्त मकान दूसरे पक्ष के रहायशी मकान में सम्मिलित हो सका है और उसकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता है। हम दोनों पक्षों ने अपनी आवश्यकताओं को विचार करके स्वस्थ चित्त विश्वासुद्धि की अवस्था में बिना किसी यहकावट वादप्राव हो अपनी इच्छा व प्रसन्नता से दोनों जायदादों का वदला परस्पर कर लिया। मुझ दूसरे पक्ष ने उक्त अपनी भूमि न० ३५४, उपरोक्त कच्चे मकान के बदले में पहले पक्ष को और मुझ पहले पक्ष ने अपना उक्त मकान उपरोक्त भूमि के बदले में दूसरे पक्ष का दे दिया। और परस्पर एक दूसरे के बदले का अधिकार व्यवहार में आया। और हर एक पक्ष ने बदली हुई जायदाद पर अधिकार और कब्जा पा लिया।

तारीख से मुझ दूसरे पक्ष और मेरे दायभागी, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को कोई समर्थन किसी प्रकार का व्यवस्था और कच्चा भूमि न० ३५५ से और मुझ पहले पक्ष और मेरे दाय भागियों, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को कोई समर्थन किसी प्रकार का स्वतंत्र और कुच्छां गांव नदरई घाले उपरोक्त मकान से नहीं रहा न आगे को होगा एवली हुई दोनों जायदादें हर प्रकारके परिवर्तन व भार से रहित व निर्देश है। इन पर किसी प्रकार का अरण नहीं है। यदि किसी पक्ष की मिलकियत की शुटि या किसी सामी ए अशी की दावेदारी से दूसरे पक्ष के अधिकार से एवली हुई जायदाद समस्त या उसका कोई भाग निकल जावे या कोई भार या अरण उसको देना चाहे तो वही को शुटि घाले पक्ष से अपनी जायदाद को लौटा लेने तथा उससे हानि और व्यय का रूपया जो उठे आठ आने से कड़ा मासिक व्याज सहित लेने का अधिकार ग्रात होगा। मिलकियत के कांगजात जो हर एक पक्ष के कब्जे मे वर्दली हुई जायदाद के मध्ये थे वह अधिकारी पक्ष को सौंप दिये गये।

इस लिये यह बदल पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ)

उस जायदादका विवरण जो दूसरे पक्षने पहले पक्षको परिवर्तनकी ओर का बाग न० ३५५ कवी द्वीघा उ बिलवा पक्की भूमि, साता खेड़ा न० ३- गाव शाहपुर परगना थ तहसील अलीगढ़ जिला एटा में स्थित

परिशिष्ट (ब)

उस जायदादका विवरण जो पहले पक्षने दूसरे पक्षके प्रति परिवर्तन की नीचे की सीमावाला एक कच्चा मकान गाव नदरई परगना व तहसील कोलगढ़ जिला एटा में स्थित।

मकान की चारों सीमा

पूर्व	य	पश्चिम	म
मकान सैनू चमार		रास्ता फिर सड़क	
दक्षि	ण	उच्च	र
मकान सोहन लेजी			गली
इस्ता		ज्ञार 'इस्ता'	ज्ञार
अहमद हुसैन पहला पक्का घं० खुद सोहनलाल दूसरा पक्का घं० खुद			
गधा	ह	गधा	ह
लिखतम		स्थान	
बकलाम		तवादले नामा लेखक	

बदल पत्र पृथके पृथके

मेरे कि अली अहमद येटा शफीय अहमद जाति मुगल रहने वाला कस्था मुहसिनाबाद ज़िला उन्नाय का हूँ। जो कि मेरे स्वामी व अधिकारी एक मकान कच्चे व पक्के बने हुए का हूँ जो नीचे लिखी हुई सीमाओं से घिरा हुआ मुहल्ला बाघरी मण्डी शहर जाथनऊ मेरि स्थित है।

स्वस्थ चित्त विधि की अवस्था मेरे मैंने उपरोक्त मकान को नीचे लिखी हुई चौदही वाले उपरोक्त मुहल्ले व शहर मेरि स्थित एक दूसरे कच्चे मकान के बदले मेरे अहमद अली येटा सआवत अली जाति वढ़ई उपरोक्त मुहल्ला निवासी के हाथ बदले मेरे देकर उसको उक्त मकान का स्थामी व अधिकारी बना दिया, आज की तारीख से उक्त परिवर्तन प्रहीता स्थित स्वामी बदले हुए

का हो गया, मुझको और मेरे दायभागियों स्थाना पन्नी और प्रति
निधियों को अब कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उपरोक्त मकान से
नहीं रहा, यदि वैवाहिक उक्त मकान पर कोई भार निकले या किसी
साखी व श्रन्धी के दाघा करने या मेरी मिलकियत की किसी शुटि
के कोरण बदला हुआ मकान उक्त बदलापाने वाले के कान्जे और
अधिकार से निकल जावे तो उसको अधिकार होगा कि जो मकान
मुझको बदले में दिया है वापस लेंसें। और जो कुछ हानि और
चयन उस पर पड़े वह मेरी व्यक्ति और दूसरी जायदाद से प्राप्त
करलेंगे ।

इस लिये यह बदलापन लिख दिया कि प्रमाण रहे । । । ।
क्रृति चर गवा ह गवा ह गवा ह गवा ह
तारीख स्थान घकगम लेखक

नोट । उसी प्रकार दूसरा दस्तावेज़, दूसरे पक्ष की ओर से
उन्हीं शर्तों के साथ लिखा जाएगा । । । ।

साझा

“साखा, यह सम्बन्ध है जो उन मरुष्यों के बीच में होता है
जिन्होंने अपनी संपत्ति, विरिधि या हुनर किसी में एक साथ
लगाने और उसका लाभ परस्पर बाटने की प्रतिशा की हो ।

जो मरुष्य एक दूसरे के साथ साखे के काम में साझी हाते हैं
उसमें रूप में कर्म कहलाते हैं । । । । । । । । । ।

(दफा २३६ का नूतन मुश्त्रीहारा)

साखा दो यादो से अधिक मरुष्यों के मध्य में हो सकता है ।
यह आवश्यक नहीं है कि हर एक साखी एक ही प्रकार की
संपत्ति, भर्म या हुनर साखे में लंगावे, बहुधा एक मरुष्य का

हुनर दूसरे की पूजी और तीसरे का धम सामें में काम आता है, और उनके विचार से वह विविधि लाभ के अधिकारी होते हैं और विविधि कार्य उनको सौंपे जाते हैं जो प्रतिक्षापनसामी सामें के नियमों के विषय में लिखते हैं उसको शराकत नामा (सामापन) कहते हैं। और जिस दस्तावेज के द्वारा सामी लोग अपनी प्रसन्नता से सामें से अलग होते हैं वह दस्तावेज सामा भगपत्र कहा जाता है।

सामा पत्र के लिखने में भागी का परिमाण-काम की रीति लाभ बाटने के नियम आवश्यक होते हैं। शेष नियम वह होते हैं जो सब पक्ष परस्पर ठहरावें। इसी प्रकार सामा भगपत्र में समस्त पक्षों की पुर्थकता और दिसाय का नियटारा हो जाना आवश्यक अङ्ग होते हैं।

शराकतनामे पर स्टाम्प। यदि सामें की पूजी ५००) रु० से अधिक न हो २॥) रु० लगता है अथ दृश्याओं में पूजी कितनी हो क्यों न हो १०) रु० का स्टाम्प पर्याप्त होता है। सामा भगपत्र पर ५) रु० का स्टाम्प लगता है।

(मह. ४६ जमीमा १ कानून स्टाम्प)

सामापत्र और सामा भगपत्र की रजिस्ट्री स्वाधीन है परन्तु यहीं यह है कि अगर उक्त दस्तावेज किसी अचल सम्पत्ति के मध्ये कोई स्वत्व उत्पन्न या प्रकट या नियत करती हो और उस स्वत्व का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री कानून रजिस्ट्री की धारा १७ के अभिप्रायानुसार आवश्यक होगी। सामा पत्र और सामा भगपत्र सामान्यतया घड़ मूल्य चल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं, और उनकी रजिस्ट्री कराना सुरक्षित रीति समझी जाती है।

साङ्गा पत्र

शिंग मुखराय वेटा शकरराय जाति वैश्य अग्रवाल चूड़वाल
रहने वाले महल्ला शेखान कस्ता खुर्जि जिला बुलन्दशहर प्रथम पक्ष

राम दयाल वेटा भूपालदास जाति लंबी रहने वाला कस्ते
अलीगढ़ी जिला अलीगढ़ द्वितीय पक्ष

सुखानन्द वेटा रामचन्द्रदास जाति ब्राह्मण रहने वाला सुनारान
शहर हाथरस तृतीय पक्ष

जो हम प्रणकर्ताओं ने व्यापार कर्य विक्रय आन्द व कपास
तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं का सामें में शिंग मुखराय सुखानन्द
के नाम से स्थान अलीगढ़ राजार कल्यान गज में कुछ दिनों से
चला रफसा है, परन्तु उसके विपयमें कोई सामेंका प्रतिशापन नहीं
लिखा गया। हम प्रणकर्ता चाहते हैं कि उक्त शराकत के गध
नियमानुसार प्रतिशा पत्र लिख जावे। जिसके अनुसार हम सब
लाग नियम बद रहें। आगे को कोई भगडा पैदा नहो।

इस लिये हम सब उपरोक्त प्रणकर्ता सामें का प्रतिशापन,
स्वस्यचित् और स्थिर बुद्धि की अपस्था, बिना इसी अन्य के
बहुलाने, फुलाने व युचि दिलाने के नीचे के नियम लिखते हैं।

(१) सामें की पूँजी इस सम्यदस-हजार १००००) रुपया है।
जो हमने नीचे लिखे विवरण से दिया है।-

शिंग मुखराय	सुख नन्द	रामदयाल
४०००)	४०००)	२०००)

आगे भी यही पूँजी सामान्य सामें की रहेगी और हसी, परि-
माण के विवार से हम प्रण कर्ताओं का बाट उक्त व्यापार
में उद्धरा है।

(२) सामें का काम को जं साम्राजिं एके किराये की दूर्क्षणि बाजार कल्यानेगज शहर अलीगढ़ में शिवे सुखराय सुखानद के नाम से होता है पूर्ववत् उसी नाम से होता रहेगा। और जो चेत्रियों हु डिया तथा अन्य लेख सामें की आर से लिखी जायगी वह सब इसी नाम से लिखी जायेगी।

(३) सामें के कारवार के मध्ये सामायतया रोकड़ व यही खाते का काम शिवे सुखराय मोल लेने व बेचने का काम सुखानद और बाहिर माल मोल लाने और बाहिर माल बेचने की ले जाने का काम रामदयाल करेंगे। परन्तु सब साफियों को आवश्यकती इनुसार हर काम में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। और हर एक सामी का कर्तव्य होगा कि वह दूसरे सामी को सामें के काम में हर प्रकार की सहायता करें।

(४) सामें के काम काज के मध्ये जो कुछ व्यय होगा वह सामें के यही खाते में रच खाते में ढाला जावेगा। इसके सिवाय जो कोई सामी सामें की दूकान से अपने निजी खर्च और काम के लिये रुपया लेगा वह उसके नाम हिसाब में लिखा जायेगा। परन्तु शर्त यह है कि किसी सामी का २५% मौसिक से अधिक सामें की दूकान में अपने निजी खाते में रुपया लेने को अधिकार न होगा।

(५) सामें के घौषार में दस हजार से जो अधिक पूँजी लगेगी वह भृण से लगाई जायेगी। और उस पर व्याज सामें से दिया जायेगा, हर एक सामी का अधिकार है कि वह छैयना अधिक रुपया भृण के रूप में सामें में अधिशेषक नामुसार लगा देये, वह उस पर दूसरे भृण दानाओं के समान व्याज पाने का अधिकारी होगा। सामें के भृण नी व्याज पर ५% सैकड़ा

मासिक ठहरी है परन्तु इसके विपरीति दोनों पक्ष ठहरा सकते सकते हैं और एसी दशा में व्याज उसी दर से लगेगी ।

(६) सामें के सब काम सब साभियों की सम्मति और सलाह में हुआ करेंगे । और आधशयक्ता की दशा में और अवसर पर हर एक साभी सामें का काम अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार से कर सकेगा और उसका प्रभाव हर एक साभी पर होगा । परन्तु प्रत्येक साभी का कर्तव्य है कि वह सामें का काम अत्यन्त ईमानदारी और धर्म घ परिश्रम से इस प्रकार करे कि मानो उसका निजी काम है ।

(७) सामें का हिसाब कार्तिक मास में वार्षिक हुआ करेगा । और हिसाब समझाना उस साभी का कर्तव्य होगा जिस के अधिकार में खाता और रीकड़ रहेगी ।

(८) समस्त साभी हानि लाभ के सहन कर्ता प्रथम नियम लिखित भागों के अनुसार होंगे ।

(९) सामें के ध्यापार में लाभ का स्पया समस्त साभियों की सम्मति के अनुसार चटा करेगा । या कुछ भाग चटा जायगा और कुछ भाग जमा होता रहेगा और जो कुछ जायदाद आदिक सामें की पूजी से पैदा होगी वह समस्त साभियों की मिलकियत सामें के भागों के अनुसार होगी ।

(१०) सर साभी और उन के दायभागी घ स्थानापन्न और प्रति निधि वर्ग इस प्रतिशापन की समस्त प्रतिशाद्यों के पालन कर्ता होंगे । और दस साल की अवधि तक जब तक कोई प्रत्यक्ष ऐरामानी या दुष्कर्म किसी साभी का न पाया जावेगा, साभा

तोड़ने का किसी साम्ना को अधिकार न होगा इस लिये यह ,
साम्ना पत्र लिए दिया कि प्रमाण रहे ।

, हस्ताक्षर

गणीह

आदि

दूसरा

दूसरा साज्ञा पत्र

राजाराम	प्रण कर्ता नं० १	पहला पक्ष
मोहनलाल	प्रण कर्ता नं० २	दूसरा पक्ष
माधो प्रसाद	प्रण कर्ता नं० ३	तीसरा पक्ष
वरकतुला	प्रण कर्ता नं० ४	चौथा पक्ष
नई मुलका	प्रण कर्ता नं० ५	पाचवा पक्ष
बेनीराम	प्रण कर्ता नं० ६	छठा पक्ष

जोकि बहुत दिनों से हम प्रण कर्ताओं का विचार सामें
एक कारखाना कपास की उटाई घ रुई की गाँठ की विचार का
स्थान हाथरस में आम्भ करने का था और इसी निमित्त ३ शेषा
२ विसंधा पक्की भूमि नं० ५५३ खाता खेबट नं० ५ महाल शयाम
लाल कम्बे हाथरस में स्थित (३५०) में विक्रय पत्र ताठ १६ जून
सन् १९२० द्वारा माधो प्रसाद घ बेनीराम प्रण कर्ता । नं० ३ घे० ६
के नाम से खरीदी गई । अब हम समस्त प्रण कर्ता उक्त भूमि पर
आवश्यक मकान बनाकर और कल अ जन आदि लगा कर उक्त
कार्य प्रारम्भ करना चाहित है । इस लिये यह निम्नलिखित साम्ना
को ख बद्ध करते हैं ।

(१) उक्त 'सामें हम प्रण कर्ता ओं' का हिस्सा इस प्रका
ठहरा है।

न० १ राजाराम न० २ मोहनलाल न० ३ माधोप्रसाद
=) =)॥ =)॥

न० ४ वरकतुल्ला न० ५ नईमुल्ला न० ६ येनीराम जोड
=) =)॥... =)॥ १६ आना

(२) कुल पूजी सामें की कारखाने की स्थिति और चलाने के
लिये डेढ़ लाख रुपये की ठहरी हैं यह हमें सब सामी अपने २ हिस्से
के अनुसार देंगे ।

(३) जो भूमि विक्रयपत्र तारीख १६ जून सन् १९२० द्वारा
मोल लागई है वह सामें की मिलकियत रहेगी । और उसका मोल
१३५० माधोप्रसाद व येनीराम अपने हिस्से की पूजी में से मुजाह
कर लें ।

(४) कुल काम मैशीन खरीदने, और इमारत बनाने का मु०
वरकतुल्ला प्रणकर्ता न० ४ के प्रबन्ध और देयभाल में होगा जो
पास शुद्धा इजनियर और इस काम में अनुभवी है । परन्तु यह सब
सामियों को मैशीन की खरीदारी और इमारत की तैयारी का हिसाब
समझाने के जिम्मेदार होगे ।

(५) कारखाना बनाने के पश्चात् मैशीन को बचाने और
उसकी सुफाई, और देन, भाज आदि का काम मुश्ती वरकतुल्ला
इजनियर के सुपाद रहेगा, और काम से वह इआदि के खरीदने व
बेचने का सब काम लाला राजाराम करेगे और वे ही मुराय अधि-
कारी सामें के कारबाह के होंगे । और सामें का कुल काम उनके
प्रबन्ध और देख भाल में दोगा ।

(६) साम्रें के काम में जो लाभ होगा उस में से साड़े सात प्रति सैकड़ा मूर्खी एरकरुला को और पाच प्रति सैकड़ा लाला राजाराम को उनकी सूधान्क बदले में दिया जावेगा । और साढ़े बारह सैकड़ा रक्षानिधि में रक्षेगा शेष पदहस्तर सैकड़ा सरकारीयों में उनके हिस्से के अनुसार बाट दिया जावेगा । और हानि होने की दर्शामें कुल साम्रें उसको अपने हिस्सों के अनुसार सहन करेंगे ।

(७) लाला राजाराम अधिष्ठाता का कर्तव्य होगा कि साम्रें कारबाने के हानि लाभ, का सालाना हिसाब अन्तिम सत्र जून में पनाकर हर एक साम्री के पास भेजदें और आवश्यकताइनुसार उन को समझाएं और उसके एक मास पश्चात् जो मुनाफे का रूपया हो उस को हिस्सों के अनुसार साभियों में घाट दें ।

(८) हिसाब पहुँचने के पश्चात् सेप साभियों की पंक सालाना फैसली हिसाब की जांच और साम्रें के 'अन्य कारों' की देखभाल और विचारार्थ कारबाने की इमारत में हुआ करेंगी जिसकी तारीख अधिष्ठाता या दूसरे साम्री अंय काम का विचार रखते हुए नियंत्रण करेंगे । उस कमीटी में जो आगामी साल के लिये कार्य प्रणाली माल के नियम शारीरिक रूप से आ और काम करने के लिये नियत की जायगी, उस पर मैनेजर (अधिष्ठाता) और इनियर को चलता होगा ।

(९) साम्रें के 'कार बाट काल में जो रूपया सोधारण मरम्मत' वसफाई कारबाने में लगेगा वह साम्रें के बच्चराते में डाला जावेगा परन्तु जो रूपया असाधारण मरम्मत या किसी नई मौशीन मर्गीने या नई इमारत बनाने के लिये आवश्यक होगा वह रक्षानिधि से छीट उस फरहद में रूपया नहोने की दर्शामें साम्रें की रोकड़ से दिया जायगा ।

(१०) सोधारण कार बाट उटाई कपास व रुई की गाढ़ खिचाई के अतिरिक्त यदि कोई अन्य जया काम साम्रें के मध्ये किया जानेगा

तो सब साभियों की बहुसम्मति अनुसार हो सकेगा परन्तु वह सम्मति निश्चय करने से सम्मति देनेवाले साभी के हिस्सेके परिमाण पर विचार किया जायेगा । जो सम्मति अधिक परिमाण के हिस्से के साभियों की होगी वह माननीय होगी ।

(११) मुंशी वरकुलला इ जनियर और राजाराम मैनेजर अपने काम सचाई और ईमानदारी से करने की दशा में अलग करने वाले योग्य न होंगे । परन्तु उनकी वे ईमानी या चोटी या बुरा कार्य निश्चय होनेको दशा में अन्य साभियों को उनके पृथक करने और उनके जगह अन्य मनुष्य बहुसम्मति अनुसार नियत करने का अधिकार होगा । नया मैनेजर और नया इ जनियर उस वेतन या मुनाफे का हिस्सा पाने का अधिकारी होगा जो साभी लोग उसके नियत करते समय बहुसम्मति से निश्चय करें । और वर्तमान मैनेजर और वर्तमान इ जनियर मर जाने या काम करनेके अव्याध द्वारा जाने की दशा में भी यही रीति नये मैनेजर और नये इ जनियर के नियत करने में काम में लाई जावेगी ।

(१२) यदि कोई साभी अपना हिस्सा साभे के कारखाने का वेचना या अन्य प्रकार परिवर्तन करना चाहे तो उसका कर्तव्य होगा कि दूसरे हिस्सेदारों को एक मास का नोटिस देवे और उन के अस्वीकार करने की दशा में वह अन्य मनुष्यके हाथ परिवर्तन करने का अधिकारी होगा किसी साभी के इसके विपरीत कार्य करनेपर साभियों को उक्त परिवर्तन पर हफक शुफा प्राप्त होगा । एक से अधिक हिस्सेदार शुफा करने और परिवर्तन लेनेके इच्छित होने की दशा में परिवर्तन करने वाले का हिस्सा उन साभियों में उनके हिस्सेके परिमाणानुसार बाटने योग्य होगा ।

(१३) दस साल तक किसी साभी को साभा भगे करने का अधिकार न होगा । दस साल की अवधि बीत जाने पर यदि कोई

सामी सामा तोड़ते, का दाया, दारु, करेतो, दूसरे सामियों को अधिकार होगा कि पृथ्वी उसका हिस्सा उचित मूल्य अदालत द्वारा, खरीद जाए। या हिस्सेदारों में उसका हिस्सा अदालत द्वारा नीलामी कराये और पृथ्वी सब से अधिक मूल्य दनेवाले को दिया जावे।

(१४) इस सामे पत्र की समस्त प्रतिशाओं का प्राप्तन करना, हम प्रण कर्ता वहमारे दाय भागियों व स्थाना पन्नों व प्रतिनिधियों पर आवश्यक होगा। जो कोई सामी मर जावे गा उसके दायभागी उसके प्रतिनिधि और उसकी जगह मिलकर एक हिस्सेदार समझे जावेंगे और उनको समिहित रूप में उक्त हिस्से के मध्ये सामे के अधिकार प्राप्त होंगे। इन लिये यह सामा पत्र लिख दिया कि, प्रमाण रहे।

हस्ता लेपतिथि विवाह आदि

स्थान

वकूफ (धर्मार्थ, या पुण्यार्थ)

किसी घर या अचल सम्पत्ति, को किसी मन्दिर, मस्जिद, ईमामबाड़े, अनाधालय, धर्मगाला या दूसरे पुण्यकार्य या परोपकार के काम में लगा देने को वकूफ (पुण्य) कहते हैं। किसी जायदाद के पुण्य होजानेसे यह प्रयोजन होता है कि उसको स्नामी कोई मुख्य मनुष्य नहीं रहता और वह 'सर्वदा' के लिये दायभाग के धर्योंसे और उस पुण्य कार्य के अनिरिक जिल्हे के लिये वह वकूफ (पुण्य) की गई हो अन्य प्रकार से अपरिषुर्ताय होजाती है। जिस देस्तावेज के द्वारा इस प्रकार का पुण्य किया जावे वह पुण्य पत्र कहलाता है।

पुराय की योग्यता और स्थिरता के लिये किसी मैनेजर अधिकारी नहीं होता, मुतव्वली महन्त या किसी अन्य कमेटी का होना आवश्यक है जिसके द्वारा उसका प्रयन्त्र हो सके, किंभी पुरायपत्र में समस्त नियम पुराय की हुई सम्पत्ति के प्रयन्त्र अधिष्ठाता या मुतव्वली नियत और पृथक करने और अन्य कार्य के विषय में लिये होते हैं किंभी मैनेजर और मुतव्वली के नियत और शलग करने के विषय पृथक दस्तावेज लिखी जाती है। और उसमें उनके अधिकार पुराय का हेतु पूरा करने तक सीमा घद्द और नियत किये जाते हैं। और अन्य उचित और आवश्यक विषय उसमें लिये जाते हैं। इस प्रकार का 'दस्तावेज' बहुधा दस्तीनामा कहलाता है। दस्तीनामे अन्य कार्यों के भी होते हैं।

पुरायपत्र पर जो ट्रस्ट की परिभाषा में आता है स्टाम्प जमीन। मह ६४ कानून 'स्टाम्प के अनुसार तमस्तुक की दर से पुराय की हुई जायदाद की मालियत पर लगता है।' परन्तु यह नियम है कि किसी दशामें (१), से अधिक स्टाम्प नहीं लगता।

पुरायपत्र की जो अचल सम्पत्ति से जिसकी मालियत सौ रुपये से अधिक हो सम्बन्ध रखता हो उसकी रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

धर्मार्थ पत्र

मैं कि इनायतुल्ला वेदा सैरातुल्ला जाति शेख रहने द्याता कश्या हयातनगर जिला मुरादाबाद का हूँ।

जो कि मेरे बाप ने मुहर्ला चावूगज शहर इलाहाबाद में एक मसजिद पकड़ी बनवाई और उससे मिला हुआ एक इमाम बाड़ा यहुन सी लात लगाकर बनवाया परन्तु दोनों के साधारण खर्चों और स्थिति के लिये कोई प्रबन्ध न कर सके और उनका देहान्त होगया उसी समय से भी उक्त मसजिद घ इमामबाड़े का कुल खर्च

उठाता है मसजिद में एक अजान देने शाला रहता है और वंधना घोरिया (चटाई) व हम्माम (स्नान गृह) आदि का भी खर्च होता है इमामबाड़े में एक भाड़ लगाने वाले की नौकरी देनी पड़ती है और ताजियेदारी, मरसिया रथानी व फातिहा आदि अन्य खर्च भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि उचित आमदनी की जायदाद घटक कर के उक्त मसजिद व इमामबाड़े से छुगाड़ जिस से सदा के लिये उनका खर्च चलता रहे और उनकी स्थिरता व देख भाल हो सके, इस बात पर दृष्टि टाल कर स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि व इन्द्रियों की आरामता की अवस्था में विना किसी की यहकावट व फुनलायट तथा दबाव डालने व चन्द्रि दिलाने के निम्न लिखित जायदाद का जो विना किसी सामें व शरकत के मेरी मिलकियत है। उसको उक्त मसजिद व इमामबाड़े के हितार्थ माल 'यकूफ' (पुण्य सम्पत्ति) करार देता है। आज की तारीख से मुझ का या मेरे दाय भागियों स्थानापनों व प्रतिनिधियों का उक्त जायदाद के स्वतर से काई काग और सम्बन्ध नहीं रहा न आगे का होगा उक्त सम्पत्ति समस्त वाहिरी व मात्री स्वतर व अधिकार समेत विना किसी स्वतर व वस्तु के छोड़े सर की सर्व उन इमामबाड़े व मसजिद से सम्बन्धित पुण्यार्थ होगा। जग तक मैं जीता हूँ उक्त सम्पत्ति का 'प्रबन्ध' मुतवहली भूप से मैं करता रह गा-और मेरे 'मरने' के पीछे जो कोई मनुष्य मेरे कुँल में सर्वमंथडा और योग्य होगा वह मुतवहला नियत होगा, और यही क्रम आगे को मुतवहली नियत हान का जारा रहेगा, मेरा और ग्रत्येक मुतवहली का जो मेरे पश्चात् नियत हा यह कतव्य होगा कि वह पुण्य सम्पत्ति का 'प्रबन्ध' भले प्रकार करे के उसकी आमदनी से उक्त मसजिद और इमामबाड़े को स्थिर और स्थित रखें। और जो गर्व उक्त मसजिद व इमामबाड़े के सर्व व भूमि अप तक होता रहा है, यह ५

'धृत' करता रहे। जो आमदनी साधारण सच्च और असाधारण 'दूष फूट' की मरम्मत करने के पश्चात् वें उसको कंगालों द्वारा भिंगारियों के पालन पोषण में सच्च करे। प्रत्येक भुतवल्लीका यह भी कर्तव्य होगा कि पुण्य सम्पत्ति का प्रबन्ध प्रत्यन्ते ईमानदारी व सचाई के साथ करे। उनकी देहमाणी, चोरी या अन्य बुरा काम सिद्ध होने की दशा, मैं घट पूण्यकरा के योग्य होगा। और अन्य भुतवल्ली उपरोक्त नियमाऽनुसार मेरे कुल से चुना और नियत किया जावेता किसी भुतवल्ली को पुण्य सम्पत्ति के किसी प्रकार परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त न होगा।

"इसलिये यह पुण्य पत्र लिख दिया कि सनद रहे।

परिशिष्ट (अ) पुण्य जायदाद का व्यौरा

दस्ता लिखने की दस्ता वेद गवा है

गवा लिखने की दस्ता वेद लिखने की तारीय

स्थान लिखने की दस्ता वेद लिखने की तारीय

दक्षम लेखक दस्तावेज लिखने की दस्ता वेद

दस्ता वेद लिखने की दस्ता वेद लिखने की दस्ता वेद

पुण्य पत्र व ट्रस्टीनामा

हमकि दरमुखराय वेटा लाला भगतराम व बसीधर वेटा

उमराजलाल व छोटेलाल वेटे उक्त लाला हरमुखराय व मोती

राम वेटा लाला डुलीचन्द जाति वेण्य अग्रवाल चूडवाल रहने

घाले व साहुकार कसवे दाधरस जिला अलीगढ़ के हैं।

जोकि तीन चौक बाली धर्मशाला और १३ नगदूक्ति उक्त

धर्मशाल से भिली हुई और एक नगदूक्ति उक्त धर्मशाल से लगी

हुई यह सप्त इमारत पक्की बनी हुई उनके नीचे की भूमि सहित

बाजार शामीघाट शहर मथुरा में स्थित (जिन का ध्योरा नीचे

परिशिष्ट (अ) में लिखा है) और एक यागीचा फलदार घे कल के पेड़ों का कृआ व पक्के मान थे भूमि । जिस में उक्त यागीचा लगा हुआ है सासौ ती दर्शाजा नयागज कसवे हाथेरस में चुंगी की हड्ड के अन्दर सिकन्दरा राऊ की सड़क के किनारे (जिसका ध्यौरो पारशिष्ट (थ) में दिया है) हमारी आर से पुण्यार्थ चले आते हैं, और उक्त धर्मशाला व हवेली घ यागीचा में जान्हों लोग और आने जाने लाले मुफ्त ठहरते हैं । और उक्त धर्म शाला से लगो हुई दूकानों के किराये और यगीचा की आमदनी धर्मशाला और यागीचे के नीकरों वी तनुष्णा और मरमत और पुण्य की जायदाद के अन्य आवश्यक कार्यों में सर्व होती है । उसके आगामी प्रबन्ध के लिये टूस्ट नामा लिखना आवश्यक है जिससे आगे फो हमारे पीछे यह पुण्य कार्य का प्रबन्ध सदैव स्थित रहे और कोई मनुष्य दाय भाग द्वारा उसमें हस्तक्षेप न करे । इसलिये स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी प्रसन्नता, और रुचि से इस पत्र-द्वारा प्रतिशा करते हैं कि उपरोक्त कुल जायदाद मालियती लगभग अस्सी हजार रुपये की सर्व साधारण के उपकारार्थ पूर्व वत पुण्यार्थ रहेगी । और अपने जीवन तक क हैया लाल घ मोती राम प्रण कर्ता सामै में घ अलग २ अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता पुण्य की हुई जायदाद के रहेंगे । और उनके मरण पश्चात् पीढ़ी दर पीढ़ी लाला हरमुख राय के कुल से घोरनुष्य जा सुखिया और याग्य होंगे अधिष्ठाता घ प्रबन्ध कर्ता, होते रहेंगे और उन के न होने की दशा में या कुप्रबन्ध या चोरी या धेरेमानी करने की अर्पस्था में उक्त लाला के खानदान वालों को अधिकार उनके पृथक करने और उस खानदान से अच्य मनुष्यों को अधिष्ठाता प्रबन्ध कर्ता नियत करने का प्राप्त होगा । अधिष्ठाता घ प्रबन्ध कर्ता का उचित है कि पुण्य की हुई जायदाद की आमदनी, उक्त जायदाद की मरमत घ तुरस्ती

उस धर्मशाला के नौ हस्तों की ततुपाह आदि और सर्वे साधारण के उपकार के कामों तथा कगालों के पालन में व्यय और खर्च करते रहें। अपने निजी या किसी अन्य काम, में खर्च न करें और किसी दशा में इम को, और हमारे द्वाय, भागियों, स्थाना पन्नों व प्रति निधियों को उक्त जायदाद, के परिवर्तन का अधिकार रद्दन, तिकी दान व, आड आदि के प्राप्त न होगा न कोई भार। किसी क्रृष्ण या भगवंडे का पुराय सम्पत्ति, पर पड़ेगा। यदि कोई मनुष्य उपरोक्त पुरायार्थ सम्पत्ति, पर किनी प्रकार का दावा या तलब करे या इम अण कर्ता या हमारे द्वाय भागी या स्थानापन्न या प्रतिनिधि वग काई परिवर्तन, किसी प्रकार का उक्त समस्त जायदाद वा उसके किसी भाग के मध्ये किसी मनुष्य के नाम करे, तो वह इस दस्तावेज के सामने अनुचित व भ्रूठा दावे।

इसलिये यह दूसरी नामों लिखे दिया कि प्रमाण हे और शावश्यका के समर्य काम आये।

परिशिष्ट (अ) परिशिष्ट (व)

हस्ताक्षर व गवाहियाँ—स्थान, लेख तिथि लेखक

पुण्य पर पुण्य

इम कि कन्हैया लाल बेटा लां हरिमुख राय घ मोतोरीम बेटा लां दुलीचद घ घसीधर बेटा लां उमर्हां लालि उ मुसम्मात गौमती कुवैर विधवा लां छोटेलाल मालिकान दूकान लाला द्वा मुखराय दुलीचंड जोति वैश्य अग्रवाल चूडगाली साहूकार घ रईस कस्वो दाखरसे जिल्ला ब्रह्मोगढ़ के हैं।

जोकि तीन ब्रीह वालो धम गाला और १३ नग दूकाने उक्त धर्मशाला से मिली हुई और एक नग हृवेली उक्त धर्मशाला से

लगी हुई यह स्थ-इमारत पक्की बनी हुई उनके नीचे की, भूमि सहित, घाजर शामीवाट शहर मधुग में स्थित, (जिन का व्यौरा नीचे, परिशिष्ट (अ) में लिखा है) और एक नागोचा-फलदार घ व फल क। ऐडों का कृशा, व पक्के मकान व भूमि, जिसमें उक्त वागीचा लगा हुआ है, सासनी दरधाजा नया गज कसबे हाथरस में छु गी की हड़ के अन्दर सिकन्दरा राऊ की सड़क के किनारे (जिसका व्यौरा परिशिष्ट (ब), में दिया हुआ है। दूकान लाला हर मुपराय दुलीचाद के मालिकान की ओर से सर्व साधारण के परोपकारार्थ पुण्य चली आती है। और उस के आगामी प्रवाध के लिये उक्त दूकान के मालिकान की ओर स एक टूस्टी पत्र ८ जून सन् १६०७ को लिया जाकर उसी मास की १६ तारीख को इजिस्ट्री हो गया है। और उक्त पत्र के नियमानुसार कार्य चल रहा है। और उसी पत्र क अनुकूल हमें कन्हैयालाल व मातीराम प्रणकर्ता अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता उक्त सम्पत्ति के साखे में और अलग २ हैं चौकि उक्त जायदाद की आमदनी हम को कम प्रतीत हुई इसलिये हमने निम्न लिखित जायदाद मालियती ६५००) (रुपये सिक्के सरकार-को उक्त पुण्याथ भरमशाला और वागीचा से लगाकर पूछ पुण्य-की हुई जायदाद के सम्मलित कर दिया है। और निम्न लिखित विवरण अनुसार भरमशाला और वागीचा से लगा दिया है इसलिये प्रतिशा करते ह और लिखे देते हैं कि जायदाद परिशिष्ट (ज) में इस पत्र के नीचे लिखी हुई उपरोक्त पूछ टूस्टी पत्र लिखित पुण्य सम्पत्ति में सम्मलित रहेगी। और उसके भी अधिष्ठाता प्रवाध कर्ता उक्त लाला कन्हैयालाल व मातीराम साखे में और अलग अलग उक्त टूस्टी पत्र के नियमानुसार रहेंगे। और इस जायदाद के धिपथ में भी उक्त टूस्टी पत्र के नियम हम का और इमारे स्थानापानो और उक्त अधिकारियों को माननीय होंगे। और यह पत्र उक्त पूर्व टूस्टी पत्र का एक अग समझा जायेगा। और

उक्ते पूर्व द्रस्टी पत्र के 'जिन नियमों के अनुसार पूर्व पुण्यार्थ जायदाद की आमदनी गच्छ होती है उन्हीं नियमों के अनुकूल इस पत्र में लिखी हुई जायदाद की आमदनी गच्छ होती रहेगी। इसको और दर्मारे दायमाणी और स्थाना पन्नों को उक्त जायदाद से कुछ सम्बन्ध और स्पत्य किसी प्रकार का नहीं रहा और न आगे को होगा।'

इसलिये यह 'द्रस्टी पत्र' लिख दिया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब)

परिशिष्ट (ज)

इस्ताक्षर—गवाही, स्थान, लेख, तिथि, लेखक।

ट्रस्टी पत्र

इसकि कन्दैयालाल बेटा खाला हरमुखराय व मुखमात भग
मगवानदेवी विघवा रामनरायन जाति वैश्य अथवाल रहनेवाले कुसवे
हाथरस जिला अलीगढ़ के हैं।

जोकि रामनारायन मुझ कन्दैयालाल के सगे भतीजे और मुझ
मगवानदेवी कपति ने ५००००० रुपये हाथरस जिला अलीगढ़ में
एक अनाथालय बनवाने और उसको चलाने के लिये पुण्यार्थ कर
के इस प्रणक्तियों को निर्षा की थी कि हम प्रणक्ता उस अमोष
की पूर्ति के लिये एक उचित कमेटी नियन करदें। और उस के लिये
आवश्यक नियम बनादें जिससे उक्त कमेटी पुण्य के मनोरथों को
भले प्रकार पूर्ण करती रहे।

हम प्रणक्ता उक्त पुण्य और निर्षा को स्वीकार कर के उस
नियम के अनुसार नाचे लिखे भेजुन्हों की कमेटी नियत करते हैं।
और उसके भूत्यें नियम निश्चय करते हैं।

(१ -) अनायासक का नाम "छोटेलाल रामनरायन झुनाधालय घापरस" होगा।

(२) उक्त अनायासक का प्रधन्ध पक्क कमेटी के हाथ में रहेगा जिस के सभासदों की सर्वा होगी। और इस समय हम इस पक्क के नीचे लिये परिशिष्ट (अ) के मनुष्योंको सभासद नियत करते हैं।

(३) ह सभासदों में से लाला कन्हैयालाल अपने जीवन पर्यन्त उक्त कमेटी के प्रधान रहेंगे। इनके सिवाय शेष सभासदों में से एक मंत्री और एक कोपाध्यक्ष सभासदों के बहु पक्काजुसार चुना जावेगा।

(४) विविध पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार घास द्वारा जो कमेटी अपने अधिवशनों में यहु पक्काजुसार निश्चय करे परन्तु वह इस पक्क के अभिप्राय और अर्थ के प्रतिकूल न रहेंगे।

(५) कमेटी को अपने सभासदों की सर्वा न्युनाधिक करने का अधिकार प्राप्त न होगा। परन्तु शर्त यह है कि अपने जीवन पर्यन्त लाला कन्हैयालाल व लाला वसीधर उक्त कमेटीके सभासद रहेंगे। और उनके पश्चात् पीढ़ी दरे पीढ़ी दो मनुष्य जो योग्य हो इमारे कुलमे कमेटी के सभासद होते रहेंगे। और किसी जल्से का कोरम पूर्य करने के लिये दोतिहाई सभासदों की उपस्थिति पूर्याप्त होगी। और सम्पूर्ण कार्य यहु पक्काजुसार निश्चय हुआ करेगे और समान सम्मति भेद होने पर ग्रधान की दो सम्मति होंगी।

(६) सिवाय इमारे कुल के सभासदों के छुनाव हर तीसरे साल कमेटी के सभासदों के करंगा। यदि कोई सभासद मर जावे या

से काम न कर सके या 'त्यागपत्र' देंदे या किसी अपराध केरने के कारण कमेटी उसको सभासद रखना चाहै तो अन्य 'योग्य पुरुष' उसकी जगह बहु पक्षाऽनुसार छुना जावेगा ।

(७) पचास हजार ५००००) रुपये में से दसहजार १००००) रुपये तक 'इमारत' बनाने में खर्च किया जावेगा और शेष 'चालीस' हजार ४००००) रुपये की आमदनी से अनाथालय का खर्च चलाया जावेगा ।

(८) कमेटी को अधिकार होगा कि पुरुषार्थ रुपये को किसी 'सुरक्षित' बैंक में जमा करें या कोई अचल सम्पत्ति मौल लेले मूल धन चालोस हजार ४००००) रुपये में से किसी अशुके खर्च करने का कमेटी को अधिकार नहीं होगा ।

(९) कमेटी को अनाथालय के चलाने और प्रबंध करने निमित्त नियम बनाने का और उनको समय समय पर बदलने का भी अधिकार होगा और वह विशेष काम के लिये ए प्रबन्ध के निमित्त सब कमेटी बना सकेगी ।

(१०) अनाथालयमें हिन्दू यालक लिये जावेंगे जहातक कि समाई हो ।

(११) लड़के १६ साल की अवस्था तक ए लड़किया १४ साल की आयु तक अनाथालय में रखली जावेगी, लड़कियों के विवाह के लिये उचित प्रबन्ध जहाँ तक हो सकेगा कमेटी करेगी ।

(१२) लड़के ए लड़कियों को पालन कालमें प्रारम्भिक शिक्षा अंषश्य दी जावेगी और उनको कोई ऐसा उद्यम अंषश्य सिखलाया जावेगा जिससे वह अनाथालय से निकलने के पश्चात् अपना निर्धारित उचित रीति से कर सके ।

(२३) अनाथों के स्वाक्षर पात्र व शारीरिक स्वास्थ व पाल पोषण तथा चिकित्सा के बिषय में कमेटी उचित प्रधन्ध रक्खेगी।

(२४) भगवानदेवो नामी प्रण करते लाली उक्त अनाथालाल की पैटून (प्रालक) रहेगी।

(२५) कमेटी को अधिकार दिया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रो नियमानुसार कराले और कुल जायदाद अपने नाम से छोड़ करे।

(२६) इस प्रतिक्रिया पत्र का पालन करना हम प्रण कर्ता और हमारे दायरामी और प्रतिनिधियों का आवश्यक कर्तव्य होगा।

इस लिये यह ट्रस्टी प्रति लिख दिया, कि सनद रहे।

परिशिष्ट (अ) सभासदों के नामों का अवौरा

(१) लाला कलहैयालाल वेटा लाला हर मुखराय चूड़्याल साहू हाथरस

(२) लाला यशोधर वेटा लाला उमाघलाल चूड़्याल साहू हाथरस

(३) लाला मुनकुलाल वेटा सेठ वैनीराम चूड़्याल साहू हाथरस

(४) सेठ चिरजीलाल वेटा लेपालक पुत्र लाला मोहनलाल चूड़्याल साहू हाथरस

(५) लाला यावूलाल वेटा लाला किशनलाल चूड़्याल साहू हाथरस

(६) डाक्टर किशनप्रसाद वेटा यावू चुनीलाल ग्राहण कुस्ता मंडू।

(७) यावू विद्याप्रसाद यकील अदालत मुसिफी हाथरस

(८) लोला खुर्येले लि वेटा लोला	तुलसीप्रसादे रईस	सिक
मिरा राऊ	रैस	रैस
(९) बाबू थोटाम मैनेजर अनाधालय आगरा।		
इस्तान्हर	गवाह	गवाह
लेख तिथि	स्थान	
	दस्तावेज़ लेखक	

बटवारा

जो जायदाद एक से अधिक मनुर्झी की मिलकियत हो वह साफे की सम्पत्ति कहलाती है। एक या कई साफे की जायदादों को उसके विविध हिस्सेदारों में बटाने को बटवारा कहते हैं। जिस दस्तावेज़ के द्वारा इस प्रकार का बाट या बटवारा कार्य कर्त में आवे वह विभाग पत्र या बटवारा पत्र कहलाती है।

विभाग पत्र पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से अलग किये हुए हिस्से या हिस्सों की मालियत पर लगता है। परन्तु विशेष नियम यह है कि यदि अलग किया हुआ हिस्सा या हिस्से और उचे हुए हिस्से की मालियत में अन्तर हो तो यिनां विचार इस बात कि कौन हिस्सा अलग हुआ है और कौन सा बच रहा है स्टाम्प सब से अधिक मालियत के हिस्से के मूल्य के विचार से दैन होगा यदि हिस्से समान मालियत के हों तो एक हिस्से की मालियत पर स्टाम्प लगता है।

स्टाम्प के प्रयोजन के लिये विभाग पत्र में हर पेसा प्रभावित है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामी उसके बटवारा करें या अलग हुए करने की प्रतिक्रिया करें और विधि

ऐसा पचायती निवटारा भी सम्भवित है जिसमें शाटने वाले आका की गई हों परन्तु जब किसी बटवारे के घिरव में पहले प्रतिक्षा पत्र थाट करने के लिये लिखा जा चुका हो और उस पर स्टाम्पे लग चुका हो और फिर उस प्रतिक्षा पत्र के अनुकूल बटवारा होवे हो पिछले बटवारा पत्र पर स्टाम्प यहले दिये स्टाम्प की कीमत कटि कर लगता है । परन्तु किसी अपर्याम में आठ आने से कम का स्टाम्प नहीं लगता ।

(मद ४५ जमीमा १ कानून स्टाम्पे)

विभाग पत्र अचल संभवति का जिसकी मालियत सौ १०० रुपये से अधिक हो रजिस्ट्री होना आवश्यक है ।

विभाग पत्र

हमकि रामसहाय वेटा रामरतन घ केवलराम, वेटा हन्दमस घ मोहनलाल वेटा देवीसहाय जाति-घैश्य चूड़वाल रहने वाले कफसवे सादाग्राद जिला मधुरा के हैं ।

जोकि हम प्रणकर्ताओं की विविध पैत्रिक जल घ अचल संभवति सामें की है जिसमें हम तोनों पक्षों का एक र तिहाई धरायर्ट र हिस्से है इसके अतिरिक्त यहुत सी जायदादें हम लोगों ने पैत्रिक संभवति की सहायता तिर्था अपने भुजबल से सामें में पैदा की है और वे कुल जायदादें पैत्रिक संभवति की नाई हम लोगों की सामें की मिलकियत धरायर्ट २ हैं । सामें की जायदाद के काम में लाने और मुनाफे के मध्ये हम प्रणकर्ताओं में झगड़े रहते हैं । शका है कि जायदाद डूब जाने । इसके अतिरिक्त हम लागों का एक कारखाना पेच रहा का स्थान सादावाद, मैसमान, भाग से सामें में चलता

था। घड़-भी भगड़ों के कारण, एक साल से यन्दू है। और उसीके सम्बन्ध में बहुत सी इमारत और मेशनरी के अतिरिक्त, बहुत सा लैन दैन है जो उक्त कारखाने के वही स्थानों में लिया है। कारखार यन्दू को जाने के कारण-उस में बड़ी हानि हा रही है, आपस के सुभीते के विचार से, आपने इष्ट, मित्रों और शुभचिन्तकों के समझाने पर हम लोगों ने हर प्रकार की साझेको जायदाद के तीन कुरे समान मालियत के तैयार करके आपस में वांछ लिये। कुरा, न०१ मुझ प्रणकर्ता न०१ के हिस्से में आया है। और इसी प्रकार कुरे न०२ व ३ अलग अलग प्रणकर्ता न०२ व ३ के हिस्से में आये हैं।

कुरों का विवरण इस पत्र में नीचे लिया है। आज की तारीख से जो कुरा जिस पक्षके हिस्से में आया है वह उसका स्थिर स्वामी है। किसी पक्ष घाले को दूसरे पक्षके कुरे से कोई सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं है न आगे का हागा, जा जायदाद जिस पक्षके हिस्से में लगाई गई है उसके मध्ये समस्त कानूनी स्वत्वों का वह पक्ष अधिकारी है और जो मार किसी जायदाद पर है या आगे को निकले वह भी उस पक्ष के ऊपर रहेगा जिसके हिस्से में कि जायदाद इस विभाग पत्र द्वारा पढ़ुची है। वटी हुई जायदाद की मालियत (पचास हजार, २५०००) दृष्टा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य साझे की जायदाद हम तीन पक्षों की निकले तो उसके सब पक्ष समान भाग से मालिक होंगे।

इसलिये यह विभाग पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आपश्यको के समय काम आवे।

कुरा न०१	कुरा न०२	कुरा न०३
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
गधार	गधार	गधार
लेख तिथि		म्यान
	लेखक विभाग पत्र	

विभाग पत्र

हमें कि अद्यमद हुसैन वेदा व मुस्मात् सर्व दुनिसों व जैन शुनिसों वेटिया व मुस्मात् कुलसूमनिसा पिघवा हुसैन वर्णों जानि मुगल रहने वाले फसवे सजादत गज मुहरला रगमहल जिले अहमदाबाद के हैं।

जोकि हमारे पुरुषा हुसैन वरश जुतऊ और रायदीद लग भग १००००) की छाँडकर तीन साल बीते मर गये और हम प्रणकर्ताओं को अपनी जायदाद का दायभागी शरण के अनुसार छोड़ा मृत्यु सम्पत्ति में मुझ प्रणकर्ता न० १ चत्तीस सिहाम में से ४४ सिहाम और हम प्रण कर्ता न० २ और ३ के सात २ सिहाम और मुझ प्रण करने वाले न० ४ के ४ सिहाम होते हैं। हम प्रण कर्ताओं में सभी के कारण भगडे रहते हैं और हर पक्ष अपने जायदाद के हिस्से से पूरा और उचित लाभ नहीं उठाता। भगडों के निवासने के विचार से अपनी प्रसन्नता से हम प्रण कर्ताओं न मृत सम्पत्ति को नाचे लिये हुए चार कुटी पर जो मालियत में हमारे शरड सिस्सों के अनुसार हैं गढ़ कर लिया कुशा न० १ का मालिक आज की तारीख से प्रण कर्ता न० १ और न० २-३-४ के कुटों के मालिक आज की तारीख से कम से न० २ व ३ व ४ हुए और हर एक पक्ष अपने २ कुटे पर अधिकारी और काविज्ञ हो गया अब किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के कुरे से कोई सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं रहा। और न आगे का होगा जो जुतऊ भू सम्पत्ति जिस पक्ष के हिस्से में आई है उस को चाहिये कि अपना नाम सरकारी कागजों में लिखा लें। दूसरे पक्ष को कोई आक्षेप विरोध इस विषय में न होगा। दैन महर मुझ प्रण करने वालों न० ४ का मासव्य मृत हुसैनवरण अपने जीवन में अदा कर चुके थे। उसके

मध्ये कोई भार घटी हुई जायदाद पर नहीं है। और हम प्रण कर्ताओं के विश्वास व ज्ञान में कोई भार या ऋण हमारे पुरुषों का पैदा किया हुआ या अन्य प्रकार का नहीं है। यदि दैवात् कोई भार या ऋण निकले, और किसी पक्षको भुगताने पड़े तो भुगतान करने वाला एक दूसरे पक्षों के हिस्सों के अनुसार उन से लैनदार होगा घटी हुई जायदाद के अतिरिक्त अन्य मृत सम्पत्ति निकले तो हम प्रण कर्ता शरई हिस्सों के अनुसार उस के लैनदार और स्वामी होंगे यद्यधारे की तारीख से घटी हुई जायदाद के मुनाफे का हिसाब आपस में हो गया। आगे अपनी जायदाद का मुनाफा हर एक हिस्सेदार उधारेगा। जमीदारी का लगान और रक्खायशी सम्पत्ति के किररें को उधार्इ जो अब तक शेष है उसके मध्ये यह ठहरा है कि जो जायदाद जिस पक्ष के हिस्से में गई हैं घद प्राप्त कर लेवे और उस के मध्ये लेख हर एक हिस्से वाले को दे दिये गय हैं। यदि एक पक्ष की उधार्इ किसी दूसरे पक्ष का वसूल करना निष्प्रय हो तो अधिकारी पक्ष वसूल करने वाले पक्ष से उसका लैनदार होगा। इसलिये यह विभाग प्रति लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यका क समय काम आदे।

करों का व्योरा

कुरा न० १ अहमद हुसैन के कुरा न० २ सईदुनिसा के हिस्से में।

कुरा न० ३ जैनविनिसा के	कुरा न० ४ कुलसूमुनिसा के
हिस्से में	हिस्से में
हस्तीकर	हस्ताक्षर
गधा	गधा
स्थान	सेव तिथि
सेवक	सेवक

अधिकार पत्र

यह पत्र जिस के द्वारा एक मनुष्य किसी दूसरे मुख्य मनुष्य या मनुष्यों को अपने लिये और अपने नाम में काम करने के लिये नियत करता है अधिकार पत्र कहलाता है। यदि नियत करना किसी एक या एक से अधिक निश्चित कार्यों के लिये होता है तो यह मुख्य या विशेष अधिकार पत्र कहलाता है और जो मुख्य प्रकार के कार्यों के लिये नियत करना सर्वत्र होता है उसको सर्वाधिकार पत्र कहते हैं—

स्टाम्प। मह ४८ जमीमा १ कानून स्टाम्प के अनुसार निम्न लिखित लगता है

(अ) जब वेचल इस तात्पर्य से कि एक या एक से अधिक दस्तावेज एक ही व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले की रजिस्ट्री कराई जावे। या वास्ते स्वीकारी लिखने एक या एक से अधिक ऐसी दस्तावेजों के लिखा जाये ॥)

(ब) जब खफोफे को नालिशों में प्रेसीडेंसी शहरों में पेस्ट सन् १८८२ के अनुसार दायित करने के लिये आधश्यका हो ॥)

(ज) जब उसके द्वारा एक या एक से अधिक मनुष्यों की एक ही व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य करने का अधिकार दिया जावे मह (अ) फोलोड कर ॥)

(द) जब उसमें अधिकार दिया जावे कि पाच या पाच से कम मनुष्य एक से अधिक व्यवहारों में या साथारणतया मिलकर और अलग २ कार्य करें ॥)

(ह) जब उस में अधिकार दिया जावे कि कुछ मनुष्य जिनकी सद्या पाच से अधिक दो परन्तु दस से अधिक दो एक

अधिक व्यवहारों में या साधारणतया मिलकर और अलग ३ कार्य करें । १०)

, (ब) जब किसी घटल के घट्टले में लिखा जावे और अधिकारी को किसी अचल सम्पत्ति के बैं करने का 'अधिकार दिया' जावे रसूम है। नामे को दूर से उस जायदाद की मालियत पर जो बैं करनी हो।

१ (स) किसी और अवस्था में । ११)

मुख्य अधिकार पत्र

मैं कि मनोहरलाल वेटा लाला नथमलदास जाति वैश्य सरावगी पेशा आङ्गत कपड़ा रहने वाला मुहल्ला धर्म पुरशहर दहली काह। जो कि एक नालिश नम्यरी ५३१ सन् १६७८ अदालत सव जजी शाहज़हापुरमें फर्म राम सुपदास व्यारेलाल की ओर से मुक्त प्रण कर्ता के नाम चिचाराधीन है और में व्यापारिक कार वार के वारण उस की दौड़ धूप करने से लाचार है। इसलिये मे अपनी ओर से लाला ज्योतीप्रसाद वेटा लाला बनारसीदास जाति वैश्य सरावगी शहर देहली निवासी और गोरधन लाल वेटा शिवचरन लाल जाति ग्राहण शहर मेरेठ निवासी को अपना 'मुर्याधिकारी नियत करके अधिकार देना ह कि उक्त नालिश में उपरोक्त दोनों मुर्याधिकारी मेरी ओर से किसी घफील वेरिस्टर या अन्य कानून पेशा को नियन करें। यथान्तहरीरी (अभियोग उच्चर) पर मेरी ओर से तसदीक (सही) लिखें और उसको दखिल करें। बागजात या अन्य लिखित प्रमाणों को तलब करायें या पेश करें या वापिस ले या प्रश्नोउच्चर करें मुलेषनामा (सधियें) ऐसी

गामा (मेल 'पत्र) त्यागे पंत्रे'या' निवृत्ति' 'पंत्रे'देव' 'या' पर्वायत' का
प्रतिक्षा पत्र 'दाखिले' करें 'या पर्वायत स्वीकार करें' यकील और
ऐरिस्टर को 'मिहन्तोना देवें और उसको प्रामाणित करें या अन्य'
'व्यापार इक्षुफो ('सशुपथ 'कथन) देवें या व्यापार लिखावें 'या अ-य'
ई दरगास्त किसी विषय की पेश करें या मोर्द रूपया किसी
मुद्दमे'के' सम्बन्ध में 'दाखिल' 'करें या व्यापस लें 'और मुकद्दमा
एट जाने पर डिगरी का जारी करावें और दरगास्त इजराय
र मेरे हस्ताक्षर अपनी 'लेखनी से लिये और उसको प्रमाणित
रें और इजराय डिगरी को रूपया उपसूत करें और उसके सम्बन्ध
जो कुछ कार्यगाही 'हो करें, सब' कियो हुआ उक मुख्तारों
गे अपने किये समान स्वाकार और अगीकार है।

इसलिय वह मुरथ अधिकार पत्र लिय दिया कि प्रमाण रहे,
और आवश्यका थे समय काम आये। -

हस्ताक्षर व साक्षी आदि। -

सर्वाधिकार 'पत्र'

मे कि सोहनलाल येटा प्यारेलाल 'जाति' कायस्थ 'मटनागर'
ने घासा मलीहायाद जिला लखनऊ का है।

जो कि बहुत से मुकद्दमे मेरी आर्द्धे आर्द्धे मेरे नाम दीवानी
फौजदारी व कलकट्टरी आदि की अदालतों के चिंटिश इटिया में
र उस के धाहिर रहते हैं और म दूसरे कारवार क कारण स्वय
भी पैरवी नहीं कर सका, इस लिये मैं अपनी ओर से रामचन्द्र
पाठ्यना सर्वाधिकारी नियन उक अधिकारी

मुकद्दमों में जिनमें मेरा पृष्ठाद्वारा माल व फौजदारी व दीवानी की अदालतों से हाईकोर्ट व साहियान बोर्ड की अदालत तक और डाक खाना व रेलवे व आवकारी व नहर व नमक घन्दोवस्त के मुद्रकमों में तथा श्रीमान् गवर्नर व गवर्नर जनरल घटाकुर की सेवा में उपस्थित हाकर हर प्रकार को पैरवी (यत्न) मेरी ओर से करे और उक्त पैरवी के निमित्त कोई मुख्तार घकील या वैटिस्टर नियत करे उनको मिहनताना देवे और उसको प्रमाणित करे कोई घयान तहशीली (लिंग्वित कथन) या अन्य दस्तावेज़ मेरी ओर घाले पर हस्ताक्षर करे या प्रमाणित करे या कोई प्रश्नात्तर करे या कोई दस्तावेज़ दाखिल करे या वापस लेवे या इजराय डिगरी कराने या डिगरी का रूपया या अन्य मेरा लेना रूपया वसूल करे या मेरी आर से कोई रूपया दाखिल करे या किसी मुकद्दमे में पचायती दररवास्त देवे या आपसे का निवटारा करे या इक्याल दावा या त्यांग पत्र पेश करे या नीलाम घरीदे या जमीदारी के गावों में किसी प्रकार का रूपया काश्तकारों मुआफीदारों डेकेदारों अथवा किसी आय से वसूल करे और अपनी रसीद देवे या लगान की तहसील या तश्यपीस नियत करावे या घटजारा करावे या कुरा डलवावे या आसामियों के नाम पट्टे लिये या वेद्यखली की नालिश दाहर करे या युद्ध इग्नियारी (स्वाभीन), कुरकी व्यघहार में लावे नात्पर्य यह कि समस्त आघश्यक कार्यवाही कार्य में लाये वह सब उक्त नवांधिकारी का फिया और यनाया हुआ मुझको अपनी मुख्य व्यक्ति के सदृश स्वीकार व अगाकार है ।

इस लिये यह सर्वाधिकार पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आघश्यका के समय काम आये ।

संवाधिकार पत्र

हम कि पडित भैरवदत्त थे पडित टीकाराम व पडित गुरुदत्त थे एटा उक्त पडित भैरवदत्त जाति घाण्यां पर्वती रहने वाले कसवे अनूपशहर जिला बुलान्दशहर के हैं।

जो कि वहुत से मुकद्दमे व मुश्त्रामले (काम काज) हमारी ओर से और हमारे नाम श्रीराम इडिया के भीतर व बाहिर सरकारी राज्य के हर स्थान व अहाते की समस्त अदालतों दीवानी व माल व फौजदारी व होईकोई और आय सव भवकमो व सरिश्तो व दफतरों तथा अधिकार प्राप्त हिन्दुस्तानी रियासतों में दायर होते रहते हैं और स्वयं उनकी पैरवी व जवाबदिही से हमारे वैद्यक आदि के अन्य कार्य में हानि होती है इससे हमने अपनी ओर से गौरीशकर वेटा राधेलाल जाति कायस्थ पेशा नौकरी रहने वाले अनूपशहर जिला बुलान्दशहर को अपना सर्वाधिकारी नियंत्रित किया ।

प्रतिष्ठा निम्न लिखित यह है ।

(१) यह कि उक्त अधिकारी उपरोक्त किसी अदालत या भवकमा या सरिश्ता या दफतर या प्रारम्भिक अधिकार वाली (अदालत) में या अपील में हमारी ओर से हाजिर (उपस्थित हो या कोई काम या पैरवी या कार्यवाही या जवाबदिही या उच्च वारी या सधाल जवाय करे या कोई नालिश या दरखास्त या इस्तिगासों या अपील या निर्गरानी या तज़ीज सानी अक्साम दीवानी या माले या फौजदारी में या कोई और अर्जी या सधाल या दरखास्त किसी प्रकार या आर्शय को दायर करे या गुज़राने या उसकी जवाबदिही करे या कोई अर्जी दावा या वयान तहतोरी

ररयास्त इजराय डिगरी, या किसी और दख्यास्त या कागज हमारे दरखास्त घरे या इवारत तसदीक लिहो या उन को उले या पेश करे यो वापस ले लिये अधिकारी के समय उस में लो या सशोधन करे या कोई सहायता नहीं लिखे या उस घो गित करे, या किसी घेरिस्टर या घंकीहो या मुख्तार या रेवेन्यू एट अदालत को या किसी विशेष कार्यक्रम को या कोमो के लिये ॥ ३८ जो और पुर्णप को मुख्याधिकारी, नियंत्रित्या या पुर्थक-करे-या, लितनीमा मुख्यतार, नामा खास (मुख्याधिकार पञ्च) लिखे या ॥ ३९ अस्ट्रा कराये या हिदायत, फरे या, मिहनतना चुकाये या उसको जाह लिहत करे या, काई कागज या शहादत (साक्षी) या दस्तावेज ॥ ४० येल या पेश करे या वापस ले गया तलब कराये या इजहार ॥ ४१ बारे, या दूसरे पक्ष से सचाल करे या कोई दररवास्त नकल ॥ ४२ मुआइने, की देवे औरानकल दासिल या मुआइना करे (देवे) ॥ ४३

(२) वह कि, हमारे जमीदारी के गाँवों में हर एक जायदाहार कार्य का स्थगम् उचित रीति से प्रबन्ध करे और खेती कराने, ॥ ४४ र लगान बढ़ान के, लिये वह कुल काम जो राजनीति अनुसार र हमारे लाभ दायक हो परिश्रम और प्रयत्नसे करे या आसा यो यो और मनुष्यों से हमारा लेनों नपया वसूल करे या रसीद या हमारे प्राप्त करने योग्य लगान में आसामियों की पदावार, ॥ ४५ प कुर्क करे या दूसरे को लिखित आज्ञा कुर्क करने की दे और त कार्य कुर्की और नीलाम के सम्बन्ध में राजनीति ॥ ४६ अनुसार करे और कुल नालिशों और दररवास्त, कानून का जो राजी और कानून माल गुजारी हो अनुसार जो उस समय लिन दो दाहर करे और देवे ॥ इत्तलानामा वेदप्रली पर ताक्षर करे या कोई नोटिस या इत्तलानामा कानूनी दे ॥ ४७

(३) किसी मुकाद्दमे 'इतिहार' (ओरमिमक) या अपील या इजराय डिग्री में जीवनामा 'या मुकाद्दमा' (सन्धि पंथ) या 'याजदाया' या दस्तखतदारी परेपरिवत को 'संयोजित हो स्वीकार करेया किसी कापचियत या सिरपच को 'नियन या नियुक्त (नीयजद) करे या कैसिलासालिसी परेपचायत को 'नियटानी' को 'जारी कराने या कोई उज्ज्वलप्रतिधारा' या 'आकृषित' होने किस्त घन्दी या 'किसी खायदाद को कुछ समय का परिवर्तन स्थोक्ताय श्रगीकार करे या 'नम्बरदार या पटवारी या 'मुतिया या चौकीदार' के नियत होने में स्वीकारी देया तिरोध करे या विशद लिखने या 'संयोजन या 'मुजिरिमाना' या मुचलका या 'जोमानत में' 'चलेनी' या 'दिक्षित' अमन (शान्ति रक्षा) किये जाने की शिकायत यी 'इस्तिगामा' होने या किसी शिकायत या 'इस्तिगाम से' की 'जायोर्यदिही' करेया सफाना या 'इत्तलानामा' या 'हुफ्मनामा' जो हमारे नीम हो लेकर 'उस पर रसीद या 'इत्तलायादी' किये । ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

(४) दरवास्त इजराय डिग्री या उसके सम्बन्ध में हर प्रकार की ओर दरवास्त पेश करे या ओर कोई जायदाद इजराय डिग्री को करे या कोई जायदाद कुर्स या नीलाम कराय ओर इजाजत लेकर नीलाम में डिग्री के मताले तक बोली छोलकर उसको हमारे धास्ते यसीद भर्त ओर 'मतालर्प' डिग्री में 'रसीद' दायित बरे या ओर कोई जायदाद हमारे लेने में हमारे लिये यसीद करे या डिग्री के कुल या किसी भाग के धस्त दोने की तसदीक करे ।

(५) धास्ते प्राप्त करने या धैर्य धाने लेस-स हस्तियातो दे या ओर कोई दरवास्त कानून हायियातो के ॥ १६ ॥

ओर कुल कार्य उसके सम्बन्ध में करे या कोई अन्य रूपया हमारा लेनों किसी अदान्त या किसी ओर मनुष्य से या वकील या

घसूल करके रसीद दे या ; जो रुपया हमको देना, या दायित फरना हो उसको रसीद लेकर दायित या आदा करे । ।

सारांश यह कि उक्त अधिकारी हर एक उपरोक्त प्रत्येक कार्यवाही और काम के सचाई और ईमानदारी- से हमारे लाभ के लिये ऐसे प्रयत्न से करे कि भानो स्वयं उसका काम है घह सब हमको स्वीकृत और आगीकार होगा । परन्तु उक्त अधिकारी को प्रत्यक्ष में अथवा किसी बहाने से अमुण्ड लेने-या हमारी किसी जायदाद को आड या परिवर्तन करने का और किसी ऐसे कार्य या प्रतिक्षा करने का कि जिससे हमारी व्यक्ति या जायदाद पर जिम्मे धारी होती हो अधिकार न होगा । और उक्त अधिकारी, आमदनी और खर्च की हर एक रकम का क्रम पूर्वक और ठीक हिसाब तैयार करता और समझता, रहेगा और रोकड़ याकी हमको आदा करके उसकी रसीद नियमानुकूल लेता, रहेगा । - उक्त अधिकारी को किसी ऐसे पट्टे का जिसकी मीआद तीन साल या लगान सालाना पचास रुपये से अधिक हो देने का अधिकार न होगा और किसी रुपये के घसूल करने या किसी राजानामा सुलहनामा या बाजदाना और थोड़े समय का परिवर्तन स्वीकार करनका जिसकी तादाद पाच सौ रुपये से अधिक हो अधिकार उसको न होगा ।

उक्त अधिकारी कुल कानूनी जिम्मेवारियों का जघाब देने वाला और पावन्द होगा इस लिये यह मुख्तारनामा लिख दिया कि सनद रहे ।

इस्तात्तु ————— र इस्तात्तु ————— र
प० भैरवदत्त बकलम खुद प० टीकाराम बकलम खुद

इस्ता ————— र इस्ता ————— र
प० गुरुदत्त बकलम खुद प० गणेशदत्त बकलम खुद

गवा ————— र गवा ————— र
लेख तिथि स्थान अनुपश्चात
बकलम लेखक

जमानत नामा (लग्नक पत्र):

लग्नक पत्र (जमानत नामा) यह पत्र है कि जिस के द्वारा एक मनुष्य यह भार लेता है कि दूसरा मनुष्य जिसको यह जमानत (लिग्नक) करता है अपनी प्रतिष्ठा को या किसी अन्य ठहरे हुए कार्य या कर्तव्य को पूरा करेगा या किसी कार्य के करने या न करने से उच्चा रहेगा और ऐसा न करने की अवस्था में जमानत करने पुला उस के कर्तव्य को स्वयम् पूरा करेगा या दैनदार यद्गत या हानिका उक पत्र लिखित सर्त्या तक होगा ।

जमानत करने वाले को जामिन क़हते हैं और जिस मनुष्य की जमानत की जाती है यह किसी रूपये की देन दारी होने की अवस्था में मदयून (ऋण) कहलाता है ।

स्टाम्प जमानत नामे पर जय जमानत भी सर्त्या १०००) रुपये तक हो तमस्तुक की दर से लगता है और अन्य दशाओं में ५) का ।

जय जमानत नामे में अचल सम्पत्ति आड़ की जावे तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है जमानत की सर्त्या चाहे कुछ भी हो । परन्तु इपक्ति की जमानत में रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है ।

लग्नक पत्र

मैं कि अद्यमदयार या नेटा सद्दुहीन खा जाति पठान रहने वाला प्राम मातुवा तदसील अतरीली ज़िला अलीगढ़ भा हू ।

जो कि बद्रहीन नेटा सद्दुहीन खा जाति पठान निवासी मात्रुये से जो ढाकगाने के महकमे में पोस्टमास्टर पद पर नौकर है जमानत नेकचलनी व ईमानदारी की १०००) की मागी गई है । इसलिये मैं यह जमानत नामा (लग्नक पत्र) सेफेटरी आफ म्टेट फार इडिया इन कास्तिक के हवक में अपनी राजी व इच्छा से

स्वस्थ चिंता और स्थिर बुद्धि की अवस्था में लिखकर उक बद
रहीन का जमिन होता है और प्रण करता है और लिखे देता है
कि यदि उक बदरहीन अपनी नौकरी के समय में कोई सरकारी
रूपया चारी करे या खां लेवे या घेरमानी उस से बन पड़े तो
उपरोक्त बन सख्त तक में जामिन उसका दैनदार है। और एक
नग हवेली पक्की भौजा माँचुवा तहसील अतरोली जिला अलीगढ़
में स्थित मालियती दो हजार रुपये जो मेरी मिलकियत है इस
जमानत नामे के गृह में आँड और प्रसित करता है मेरे न अदा
करने की अवस्था में उपरोक्त जायदाद से कुल रूपया जो बदरहीन
के ऊपर निकले घर सूल किया जावे। मुझे को या मेरे द्वाये भागी
उत्तरोधिकोरी स्थानोंपन्नों को कुछ विरोध न होगा। आँड की
हुई जायदाद हर प्रकार के गृहण और भार से रहित और निर्दीश है।

‘इसलिये यह जमानत नामा लिख दिया गया कि सनद रहे
और समय पर कोम आवे।’

१ हस्ता — १५२१०० द्वार रघा १३११००
भवा १५२१०० द्वार
लेख तिथि १४८८ स्थान
लेपक

‘जमानत नामा निस्वत हलतिवाय हजराय डिगरी
मैंकि रामसहाय वेटा दुर्जन जाति लोधा निवासी देवरिया
जिला गोरखपुर का है।

‘जो कि अहमेद हुसैन मुहर्रे ने दावा जम्हरी ३७ सन् १८८८
धर्म को वला भाईदास मुहाम्मले सब जजी गोरखपुर की अदालत
में दाइर किया और १५ नवम्बर सन् १८८८ को डिगरी मुहर्रे के
हफ्क में सादिर द्वारे मुहोश्ले ने उक डिगरी की नीराजी में अवैल

साहिय, जज घटाडुर गोरखपुर की अद्यतन में बाहर किया जो अब तक जेर तजवीज़ (विचाराधीन) है।

अब यह कि सुदृढ़ हिंगरीज़ार ने इन्हरा की दरखास्त पेश की है और सुदृढ़ अले की दरखास्त इलातिवा पर उसको जमानत दाखिल करने का हुक्म हुआ है।

इस लिये मैं अपनी प्रसन्नता व इच्छा मे ३०००० रुपये के मध्ये जामिन होकर जमानत नामा साहिय जज घटाडुर गोरखपुरके प्रति लिखता हू, और इस दस्तावेज़ के नोन्हे परिशिष्ट में लिखी जाए दाद को आड करता हू और प्रतिक्षा करता हू कि यदि भारतीय अदालत की हिंगरी अपील की अदालत से यहाँल या तरमीम होगी तो उक्त सुदृढ़ अले अदालत अपील की तामील (पालन) व पावन्दी करेगा और जो फुछ मतालथा उसके लिए जामिन अदा कर गा और उसके विद्धि करने की अपरस्था मे उक्त रुपया इस दस्तावेज़ में आड़ की हुई जायदाद से वृस्तु खोग्य होगा और यदि उक्त जायदादों के नोलाम के मूल्य के रुपया देने योग्य रुपये की घेग्राकी के निमित्त अपर्याप्त हो तो मै और मेरे स्थानपन्न व प्रतिनिधि कानूनी वाकी का रुपया भुगताने के लिजी रूप में जिम्मेदार होगे।

इस लिये यह जमानत नामा लिय दिया कि समद रहे और समय पर काम आये।

स्थस्थ चिंता और स्थिर हुद्दे की अवस्था में लिखकर उक बद-
रुहीन का ज़मिन होता है और प्रण करता है और लिये देता है
कि यदि उक यदरुहीन अपनी नौकरी के समय में कोई सरकारी
रुपया चोरी करे या खा लेवे या वेर्हमानी उस से घर्त पड़े तो
उपरोक्त धन सरया तक में ज़मिन उसका देनदार है। और एक
नग हवेली पक्की मौजा मादुवा नहसील अतरौली ज़िला अलीगढ़
में स्थित मालियती दो हजार रुपये जो मेरी मिलकियत है इस
ज़मानत नामे के भृण में आड और प्रसित करता है मेरे न अदा
करने की अवस्था में उपरोक्त जायदाद से कुल रुपया जो बदरुहीन
के ऊपर निकले घसूल किया जावे। मुझ को या मेरे दीये भागी
उत्तराधिकारी स्थानापन्नों को कुछ विरोध न होगा। आड की
हुई जायदाद हर प्रकार के भृण और भार से रहित और निर्दीश है।

‘इसलिये यह ज़मानत नामा लिख दिया गया कि सनद रहे
और समय पर काम आवे।’

१ हस्तां लिखा है
२ भागी है
लेप तिथि ‘स्थान
लेखक

‘ज़मानत नामा’ निस्यत हलतिवाय हजराय डिगरी
। मैकि रामसहाय वैटा दुर्जन आति लोधी गनवासी देवरिया
ज़िला गोरखपुर का है।

‘जो कि अहमेद हुसैन मुहर्रे ने दावा नभरी १७ सन् १८८८
ब मुकाबला भाघीदास भुदाशले सब ज़ी गोरखपुर की अदालत
में दावर किया और १५ नवम्बर सन् १८८८ को डिगरी मुहर्रे के
एक मेसादिर हुई मुदाशले ने उक डिगरी को नारोजी में अपील

साहिव जज बहादुर गोरखपुर की अदालत में दाहर किया जा अब तक जेर तज्ज्वीज़ (विचराधीन) है।

लेकिन सुदूर डिगरीहार ने इनकी दरसास्त पेश की है और सुदाअले की दरसास्त इच्छातिवा पर उसको समझने त दाखिल करने का हुक्म हुआ है।

इस लिये मैं अपनी प्रसन्नता व इच्छा से ३००० रुपये के मध्ये जामिन होकर जमानत नामा साहिव जज बहादुर गोरखपुर के प्रति लिखता हूँ, और इस दस्तावेज़ के नीचे परिशिष्ट में लिखी जाए दाद को आड़ करता हूँ और प्रतिश्वाकरता हूँ कि यदि प्रारम्भिक अदालत की डिगरी अंपील की अदालत से घटाल या तरमीम होगी तो उक्त सुदाअले अदालत अपील की जामील (पालन) व पांचन्दी करेगा और जो कुछ मतालगा, उस डिगरी के अनुसार देने योग्य होगा उसको मैं जामिन अदा करूँगा और उसके प्रिरद्द करने की अवस्था में उक्त रुपया इस दस्तावेज में आड़ की हुई जायदाद से वृस्त योग्य होगा और यदि उक्त जायदादों के नीलाम के मूल्य के रूपया देने योग्य रुपये की प्रेषाकृति के निमित्त अपर्याप्त हो तो मैं और मेरे स्थानपन्न व प्रतिनिधि कानूनी वाकी का रूपया भुगताने के लिये कर में ज़िम्मेदार होगे।

इस लिये यह जमानत नामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

परिशिष्ट जायदाद

नोट—यदि सुहर्द डिगरीदार से इजराय काल में जमानत घापसी जायदाद के निमित्त जो इजरा में ली जावे तलब हो तो उसका जमानत नामा भी इसी भाति लिया जावेगा और उन शब्दों की जगह जिनको माटे अक्षरों में लिखा गया है निम्न लिखित क्रम से इवारत लियी जावेगी।

- (१) "सुहर्द को जमानत दायिल करने का इकम इआ है"
- (२) मन्त्सूर्य (३) उक्त सुहर्द जो कुछ जायदाद इजराय डिगरी में ली गई हो या ली जावे घापस करेगा।

दस्त वरदारी (त्याग पत्र)

वह पत्र जिस के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति या किसी विशेष सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने स्वत्व को त्याग करे वह त्याग पत्र कहलाता है। त्याग पत्र को निवृत्ति भी बोलते हैं।

दस्त वरदारी (त्याग पत्र) पर स्टाप्ट तमस्सुक की दर से मालियत के विचार (मेरे १०००) रुपये तक लगता है, अन्य अवस्थाओं में ५) यदि दस्त वरदारी किसी अचल सम्पत्ति के स्वत्व से जिस की मालियत सौ रुपये से अधिक हो सम्बन्ध रखती हो तो उस की रजिस्ट्री आवश्यक है।

त्याग पत्र

मेरे कि सुमेरसिंह वैदा रनधीरसिंह जाति ठाकुर गहलौत पेशा जमीदारी निवासी कसवा जहागीरादाद जिला बुलन्दशहर का है। जोकि इस पत्रके परिशिष्ट (अ) घो (ब) में लिखित जायदादे भौजा बढ़पुरा परगना अहार में स्थित १७ जून सन् १९११ के

लिखे सादा रहनामे द्वारा गगासदाय थे दौलत राम बेटे जोरापर
 सिंह जाति जाट रहने थाले घडपुरा परगना अहार ज़िला बुलन्द
 शहर की लियी छु हजार रुपये के घदले में मेरे पास आड हैं।
 उक रहन नामे का रुपया अप तक अदा नहीं हुआ और उस की
 तादाद लगभग साढ़े घ्यारह हजार रुपये के होते हैं, कुल आडी
 जायदाद लगभग पन्डह हजार रुपये के मोल की है। मालके परते
 के विचार से परिशिष्ट (अ) की सम्पत्ति पर साढ़े चार हजार रुपये
 के लगभग भार आता है उक गंगा सहाय थ दौलत राम परिशिष्ट
 (अ) की सम्पत्ति को छु हजार रुपये के घदले बेचने और बेची हुई
 सम्पत्ति को १७ जून सन् १९११ के आड पत्र के प्रश्न भाग भुगताने
 में देने के लिये प्रेरित हुए और मैंने उस को स्वीकार कर लिया
 तदनुसार उक विक्रय पत्र की पूर्ति थ रजिस्ट्री नाहरसिंह बैटा
 केहरसिंह जाति जाट निःसी भौजा घडपुरा परगना अहार
 ज़िला बुलन्दशहर के नाम हो गई उक प्रतिशानुसार ४५००) रुपये
 कि आधे जिसके २२५०) होते हैं उक नाहरसिंह से रजिस्ट्री के
 समय रोकड़ी घसल पाये और सम्पत्ति परिशिष्ट (अ) लिखित को
 भार और प्रश्न आडनामा तारीख १७ जून सन् १९११ से रद्दित
 और निर्दोश किया और उस का त्यागन कर दिया अब मुझ की
 पा मेरे दाय भागियो, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को स्वत्य
 किसी प्रकार का आड नामा ता० १७ जून सन् १९११ के प्रश्न के
 पसूल करने का उक सम्पत्ति से नहीं रहा न आगे को होगा।

ये प्रश्न उक आडनामे का सम्पर्कि परिशिष्ट (य) के ऊपर
 चालू और उस से घसूल करने योग्य होंगा इसलिये यह त्याग पत्र
 लिख दिया गया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ) येचो हुई जायदाद जो भार से मुक की गई,

— परिशिष्ट (ब) जायदाद जिस के ऊपर प्रश्न स्थिर थ चालू रहा

दस्ता — दार गवा —

दूसरा त्याग पत्र

हम कि मौलवी जैनुदीन साहित्य कालाकार बहादुर अलीगढ़ मेनेजर कोट्ट आफ वार्डस घ प्रयन्ध कर्ता रियासत कुपर विक्रम सिंह घ गुलजारसिंह घ जगवीरसिंह घ स्वयम् विक्रमसिंह वेटा यलूबन्तसिंह घ गुलजारसिंह घ जगवीरसिंह वेटा ठाकुर नरायन सिंह जाति जाट रहने वाले पिसाचा परगना चडास तहसील खैरजिला अलीगढ़ पहला पक्ष घ उक्त मुसम्मात भगवान कु घरि विधवा ठाकुर नौजिद्धसिंह जाति जाट निवासी पिसाचा घर्तुमान निवासी मौजा प्रानगढ़ तहसील सिफन्दरायाद जिला बुलन्दशहर दूसरा पुङ्क। जोकि ठाकुर तेजसिंह रईस पिसाचा विधिध जमीदारी जायदादो व मालिक घ अधिकारी थे, उनके सरने पर उनके तोन लहके ठाठ हजारन्तसिंह व नरायननिह घ नौ निद्धसिंह वेटो और हिन्दू अधिभक्त कुल शेष धिकारियों के रूप में उक्त जायदाद के मालिक हुए ठाकुर नौजिद्धसिंह ने भी कुल की अधिभक्त दशा में सन् १८६५ में मृत्यु पाई उन की जगह उक्त जायदादके एक तिहाई भाग पर मुसम्मात भगवान कु घरि मुझ दूसरे पक्ष का नाम माल के कागजों में चडा सत्पश्चात् नरायन सिंह कुल की अधिभक्त दशा में मरे और उनकी जगह कु घर शयोवरन सिंह घ गुलजार सिंह घ जगवीर सिंह उन के लड़कों का नाम माल के कागजों में लिखा गया।

इस काल में ओर इस के पश्चात् रियासत शर बहुत आश्ल हो गया और भय था कि जायदाद वरेवाद हो जावे ठाकुर यलूबन्तसिंह ने जो कुल के मुखिया थे कटमियों की रजामन्दी से कुल जायदाद को सन् १८६३ में कोट्ट आफ वार्डस के प्रबन्ध में करा दिया उस समय से बुरावर जायदाद कोट्ट आफ वार्डस

के प्रधनमें चली आती है कुछर शयोवरन सिंह को निष्क्रियाता मृत्यु हा गई उनकी काई पिधर नहीं है कुछर गुजरात सिंह और जगबीर सिंह उनके हिस्से के मालिक हैं ब्रह्म का बड़ा भाग अंगत चुका है जो कुछ शेष रहा है उस के भूगताने का प्रधन्ध हो रहा है और आशा है कि जायदाद शोष स्वधिकारी पुरुषों को धापस दी जावे मुसम्मात भगवान कुरुरि नौनिद सिंह की विधवा का नाम उनके सन्तोषार्थ एक तिहाई हृषिक्षयत पर कागजात माल में दर्ज चला आता है परन्तु धृष्ट कुल के अधिभक्त और उनके पति कुल की अधिभक्त दृष्ट में मरजाने के कारण के बल धार पान पाने की अधिकारिणी हैं। मुसम्मात भगवान कुरुरि अब आंगामी फिराडा पूरा करने और कुल के हितार्थ अपने स्वत्व से जो उनका उपरोक्त जायदाद में समझा जावे साठ रुपये भावधार खान पान पाने के बदले में हम प्रण कर्ता पहले पक्ष के प्रति त्यागन करना स्वीकार करतो हैं और हम प्रण कर्ता पहले पक्ष को उपरोक्त खान पान देने में कोई विरोध नहीं है। इस लिये इस प्रतिक्षा पत्र द्वारा हम प्रण कर्ता निम्न लिखित प्रतिक्षा करते हैं।

(१) आज की तारीख से मुसम्मात भगवान कुरुरि दूसरे पक्ष को नीची लिखी हृषिक्षयत से जिस पर उनका नाम कागजात माल में लिखा चला आता है काई समझ या स्वत्व किसी प्रकार की सिवाय है) मालिक खान पान पाने के नहों रहा न आगे की होंगो।

(२) कोई आफ घार्डस का प्रधन्ध रहने तक यह खान पान आमदनी रियासत से कोई आफ घार्डस के मैनेजर दते रहेंगे और उक्त प्रधन्ध हूट जाने पर कुछर विक्रमसिंह धृष्ट गुजरात सिंह धृष्ट जगबीर सिंह अब तक साफे रहे उक्त रुपये को साफे से छोड़ा जाने से रहेंगे और रियासत उनके धीरे में बढ़ जाने पर

रूपया विक्रमसिंह के ऊपर और आधा गुलजारसिंह व जगवीरसिंह के ऊपर रहेगा ।

(३) उक्त खान पान किसी महीने का उस महीने से आँगोमी मंहीने की दस तारीख को लेने योग्य हुआ करेगा और न अशा होने की दर्शा में मुसम्मात् भगवान कु घरि उस पर व्याज दस आना सैकड़ो मासिक की दर से पाने की अधिकारिणी होगी ।

(४) खान पान के रूपये और उस के व्याज का भार जायदाद के उस हिस्से पर रहेगा जिसके बिषय में यह त्याग पत्र लिखा जाता है और मुसम्मात् भगवान कु घरि खान पान और व्याज का रूपया सर्वदा उक्त जायदाद के नीलाम ठारा उस्तूर करते की अधिकारिणी होगी और यह भार उन समस्त भारों पर विशेषता रखेगा जो पहले पक्ष धाले था उनके दायभागी स्थानापन्न और प्रति निधि पेंदा करें ।

(५) मुसम्मात् भगवान कु घरि के नाम की जगह आधे, पर नाम कु घर विक्रम सिंह का और आधे पर कु घर गुलजार सिंह व जगवीर सिंह का कागजात माल में लिखा जावेगा और पहले पक्ष धाले उसको अपने अधिकार से करालें ।

(६) जो कुछ और इस समय तक रियासत पर शेष है उसके दैन दार प्रण कर्ता पहले पक्ष धाले हैं मुसम्मात् भगवान कु घर दूसरे पक्ष को और जुकाने और उसकी दैन दारी से कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन न होगा ।

(७) कु घर विक्रम सिंह व गुलजार सिंह व जगवीरसिंह पहले पक्ष और उनके स्थानापन्न दायभागी और प्रतिनिधि जो जायदाद के मालिक हों खान पान और उसके व्याज के रूपये के दैनदार

होंगे और इस प्रतिक्षा पत्र के समस्त नियम और सम्बन्ध उन को माननीय होंगे ।

(८) मुसम्मात भगवान् कुवरि दूसरे पक्ष की रहायश इस समय गांव प्रानगढ़ में अपने भतीजे के पास है उनके रहने के लिये कस्बे पिसावे में एक नग मकान कच्चा पक्का थना हुआ जीते लिखी सीमाओं का निश्चित किया जाता है उनको अधिकार है कि चाहै घट गाँव प्रानगढ़ में रहे चाहै घट उक्त मकान में पिसावे में रहे उनके पिसावे या प्रानगढ़ के रहने का कोई प्रभाव उनके जान पान पाने के स्वत्व पर न पड़ेगा और हर दशा में घट उसके पाने की अधिकारिणी होंगी ।

(९) जो कुछ गहना आदि या अच्य चल सम्पत्ति भगवान् कुवरि के पास है या घट गाँवे को अपने जान पान के रूपये से या अन्य प्रकार से पैदा या इकट्ठा करें उससे कुवर विक्रमसिंह गुलजारसिंह व जगदीरसिंह और उनके दायभागी व स्थानापन्नों व प्रतिनिधियों को कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन न होगा हा मकान रहायशी पिसावे वाला मुसम्मात भगवान् कुवरि के मरने पर कुवर विक्रमसिंह आदि की मिलकियत रहेगा ।

(१०) इस पत्र की पूर्ति दो पत्तों में कराई गई है असल प्रतिक्षा पत्र मुसम्मात भगवान् कुवरि के अधिकार में और दूसरा पत्त कुवर विक्रमसिंह आदि पढ़ते पक्ष के अधिकार में रहेगा ।

इस लिये यह प्रतिक्षा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

ब्योरा जायदाद जिससे दूसरे पक्षने पहले पक्ष के प्रति व्यागन किया ।

ब्योरा और सीमा मकान पिसावे का जो दूसरे पक्ष के रहने के लिये नियत किया गया ।

हस्ताक्षर व साक्षी आदि ।

(गोद पत्र) तिवनियत नामा

मैं कि हरीराम वेटा नथमल जाति घैश्य अग्रवाल चूड़वाल
रहने वाला कस्बा हाथरस जिला शलीगढ़ का हू।

जोकि मेरी अवस्था लगभग पचास वर्ष के पूर्ण त्री मेरे कोई
पुत्र सन्तान नहीं है न आगे को होने की आशा है धाढ़ तर्पण व
पिण्ड दान के विचार और हिन्दू धर्म के अन्य चलन व्यवहार के
निमित्त मेरी तथा मेरी पत्नी की इच्छा यहुत दिन से लड़का गोद
लैने की थी चुनाच मैंने अपनी पत्नी संहित धार्मिक रीति व्यवहार
करके मोहनलाल और स पुत्र राधेलाल जाति घैश्य चूड़वाल
निधासी प्राम वैरमगढ़ी परगना व तंहसील हाथरस जिला
शलीगढ़ को जो अपनी विरादरी का लड़का चार वर्ष की आयु
का है उसके माता पिता की प्रसन्नता से गीदा लिया और दत्तक
पुत्र अपना बनाया।

इस दस्तावेज़ द्वारा प्रसिद्ध करता है और लिखे देता है कि
उक मोहनलाल गोद लेने की तारीख से मेरा ज्ञान पालक पुत्र है और
मेरे पास रहता है। मैं उसका कर्ण वेध व यज्ञोपवीत व विवाह
आदि उसके पिता के रूप में विरादरी के चलन व्यवहार के अनुसार
करू गा और उसका पोषण घ शिङ्गण करू गा और उसको गोर
लेने की तारीख से घ ह समस्त स्वत्व घ अधिकार प्राप्त है और
आगे को होने जो और स पुत्र को राज नियम तथा शास्त्र छार
होते हैं वही मेरा और मेरी पत्नी का किया कर्म पिण्डदान और धाढ़
तर्पण करेगा और मेरी जायदाद का दाय भागी और स्वामी होगा।

इसलिये यह गोद पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और
समय पर काम आवे।

हस्ती द्वारा गवा हुए स्थान पर लेख तिथि
लेपक

गोद पत्र पर स्टाम्प मढ़ दे जामीमा, १ कानून स्टाम्प द्वारा दस
रुपया लगता है। स्टाम्प के प्रयोजन क्षेत्रिये गोद लेने का शास्त्र,
पत्र भी गोद पत्र के सदृश होता है। और उस पर भी यही स्टाम्प
लगता है। गोद लेने के आड़ा पत्र की रजिस्टर शावश्यक है।

गोद देने वाले की ओर से प्रतिज्ञा पत्र

मैंकि राधेलाल येटा रामानुज जाति धैश्य चूड़गाल रहने वाला
आम वैरमगढ़ी परगना ध तहसील हाथरस ज़िला अलीगढ़ का हूँ

जो कि मोहनलाल मेरा दूसरा लड़का चार साल की अवस्था
का है, और दरीराम येटा नथमल जाति धैश्य चूड़गाल के कोई
लड़का नहीं है, उसकी तथा उसकी पत्नी की इच्छानुसार मैंने स्वस्थ
चित्त और इन्द्रियों के ठीक होने की दशा में अपनी ली फी सह-
मति और रजामन्दी से उसको धार्मिक सीति रिधोज करके उक्त
दरीराम की गोद रख दिया और उसका लैपालक येटा कियों
अब मुझको उक्त मोहनलाल से कोई सम्बन्ध 'किसी प्रकार का
नहीं रहा' उक्त दरीराम को चाहिये कि उसका पालन ध शिवण
करे और जो धार्मिक सहकार यथा कर्णवेध (कन्द्रेदन) यशोपवीत
विवाह आदिक होते हैं उनको करे।

उक्त मोहनलाल को दरीराम की पैतृक सम्पत्ति और उसकी
स्वयम् उपार्जित के बे समस्त स्वत्व लैपालक पुत्र के रूप में प्राप्त
होंगे जो औरस पुत्र को प्राप्त होते हैं। यदि उक्त मोहनलाल पिन्ड
प्रेम तथा किसी अंग कारण से दरीराम के पास से चला आँ

तो मैं उसको हरीराम के पास पहुँचा दूँगा । इस लिये यह प्रतिशापन गोद देने के विषय में लिय दिया कि प्रमाण रहे ।

इस्ताज्ञर घ गधाहियां आदि

जोट-गोद देने और लेनेवाले के बीच में कोई प्रतिशा आगामी दाय भाग के मध्ये और स पुत्र के उत्पन्न होने की दशा में ठहरे तो गोद के प्रतिशा पत्र तथा त्याग पत्र दोनों में लिखी जा सकी है यथा । यह शर्त कि गोद लेने के पश्चात् कोई और स पुत्र गोद लेने वाले के उत्पन्न हो तो पैतृक स्वत्व दस्तक पुत्र और और स पुत्र में धर्म शाश्वत के अनुसार होगा या कि और रीति से और यदि एक से अधिक लड़के पैदा हों तो फया दशा होगी और इसी प्रकार की अन्य शर्तें जो दोनों पक्षों में ठहरें लिखी जा सकी हैं ।

गोद का आज्ञा पत्र

मैं कि पूरनचन्द वेटा ज्ञानचन्द जाति ब्राह्मण औहरा मारवाड़ों रहने वाला फस्था खुजां जिला युलन्देश्वर का हूँ ।

जोकि मैंने एक के पश्चात् दूसरे तीसरे तीन विवाह किये पहली दो लिंगों से जो सन्तान उत्पन्न हुई वह सब मर गई और वे दोनों लिया भी मर गई तीसरे विवाह को किये हुए पन्दरहूँ वर्ष बीत गये इस से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई मेरी अवस्था अब पचपन स्ताव की है । बहुधा रोगी रहता हूँ और आगे को कोई आशा सन्तानोत्पत्ति की नहीं है चूंकि हिन्दू धर्म में किया कर्म आद्व तर्पण आदि धार्मिक टीति पूरा करने के लिये लड़के का होना आवश्यक है और मेरा विचार अपने जीवन में लड़का गोद लेने का है यदि मैं अपने जीवन में इस इच्छा को पूरा न कर सकूँ तो अपनी पत्नी सुखभाव इन्द्र कुर्वित को अधिकार देता हूँ - कि वह मेरे मरने के

पश्चात् पिरादर्दी के किसी योग्य लड़के को मेरे लिये सैपालक
पुत्र यना लेवे यदि उस लैपालक पुत्र की आयु पूरी न हो तो दूसरा
योग्य लड़का गोद ले लेवे इस प्रकार एक के पश्चात् चार लड़के
तक गोद रखने का अधिकार मेरी पत्नी को प्राप्त होगा गोद लिये
लड़के के बालिग (जवान) होने तक या अपने जीवन तक जो
घटना पहले घटने में आवे मेरी छोटी लैपालक लड़के की व्यक्ति
की सरक्षिका और मेरी जायदाद की अधिकारियों घ प्रबन्ध कारि-
णी रहेगी यदि लैपालक लड़का विवाह के पश्चात् कोई पुत्र
सन्तान छोड़ कर मर जावे तो मेरी पत्नी को दूसरे लड़के को गोद
लेने का अधिकार न होगा ।

इस लिये यह गोद का आक्षा पश्च लिख दिया कि सनद रहे ।
‘हस्ताक्षर गवाह गवाह तारीख सेक्कक

नोट—स्टाम्प मह १ जमीग १ कानून स्टाम्प के अनुसार
स्टाम्प १०) ८० लगता है और रजिस्ट्री आवश्यक है। यदि गोद
लेने का अधिकार निष्ठा पत्र द्वारा दिया जावे तो कोई स्टाम्प नहीं
लगता न उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है ।

विक्री निश्चय का प्रतिज्ञा पत्र

मैं कि घासीराम बेटा भोजानाथ जाति वैश्य अपवाल पेशा
जमीदारी निवासी हरदुमागज ज़िला अलीगढ़ का हूँ

जो कि इस पत्र के नीचे लिखे परिशिष्ट की जायदाद का जो
मेरी मिलकियत है : विक्री निश्चय सात हजार रुपये के
भूल्य में मु० उल्फतराय बेटा मुश्ती नरायनलाल जाति कायस्थ
पेशा जमीदारी निवासी व रौस कृष्ण हरदुमागज ज़िला

से डहरा है और पांचसौ रुपया कि आधे, जिसके दो सौ पचास होते हैं उक्त मुशी साहिव से उपरोक्त विक्री निश्चय की सार्व से आज की तारीख में रोक बस्तूल पाये जाएँ।

इस लिये मेरे प्रतिवाकुरता है और लिखे देता है कि आज की मिती से एक मास के भीतर अपत्ते व्यय और खर्च से विक्रीय पत्र नियमानुकूल उपरोक्त जायदाद का उक्त मुशी उल्फतराम के नाम लेख बढ़ पर्ति करके रजिस्टर करा दूगा और शेष मूल्य का रुपया उक्त मुशी साहिव से रजिस्टर के समय रोक लूगा। विक्री पत्र का स्टाम्प व पूर्ति व रजिस्टर का खर्च मेरे ऊपर ठहरा है।

विक्रीय पत्र की क्रच्ची किपि उक्त मुशी साहिव को आज की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मुझको देता होगा और इसमें साधारण घटान्त विक्री और मूल्य छुकाने के विषय के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रतिवापे वेची हुई जायदाद के बारे में कर्ता की मिलकियत होने और हर प्रकार के भार और ज्ञान से शुद्ध और रहित विक्री होने के विषय में लिखी जावेगी और प्रतिवाकुर भग होने की दशा में मैं प्रण कर्ता उसका उत्तर दाता और जिम्मेदार ठहराया जाऊगा। जायदादि का ब्लौटा निश्चय करने और दिल भाल के पश्चात् इस पत्र में लिखाया गया है, देवात् उसमें कोई अशुद्धी या अन्तर पाया जावे तो वह अन्तर कोई कारण निश्चय भग करने का न होगा बरत एक पक्ष दूसरे पक्ष से जैसो अवस्था हो उसके विषय में को पचो और एक सरपत्र के जितको दोनों पक्ष नियत करने नियमानुसार हाति पाने का अधिकारी होगा मेरी इस विक्रीय निश्चय को प्रतिवाकुर भग करने की वशा में उक्त मुशी साहिव को अधिकार विशेष पालन कराने उक्त विक्रीय निश्चय और पाने पक्ष

हेजार (३०००) रु० हानि का होगा । और उक्त मुँशी साहिव के विक्रिय पक्ष न लिखाने या शेष मूल्य धन न बेचे की अवस्था में साईं का हृषया लीटाने योग्य न होगा, यदि 'एक मास' के भीतर 'कोई उचित श्रुति मेरे स्वामित्व की विकाने घाली जायदाद के विषय में उक्त मुँशी साहिय को प्रतीति और प्रमाणित हो तो वह विक्रिय तिश्चय एडिट कराने और साईं का हृषया लीटाने और पांच सौ ५००) रु० विशेष हानि के रूप में 'मुझ प्रण' कर्ता से घटक करने के अधिकारी होगे । इस लिये यह विक्री निश्चय का प्रतिज्ञा पंच लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

ब्योरा जायदाद का परिशिष्ट

इस्ताक्षर	गधाह	गधाह	लेख तिथि
स्थान		पत्र लेपक	

मह ५ जमीम १ कानून स्टाम्प द्वारा समस्त प्रतिका पत्रों पर एस्यु स्टाम्प आठ रुपया का लगता है और उनकी रजिस्ट्री राखीन है ।

प्रतिज्ञा पत्र पंचायत अधिभक्त कुल सम्पत्ति के विभागार्थ

हम कि राम सहाय देटा चतुर भुज पहला । पक्ष य भगवतराम देटा चन्द्रसेन दूसरा पक्ष । जाति धैश्यनिवासी फस्वे पागा ज़िला फुतहपुर के हैं । जो कि भगवानदास हम प्रणकर्ताओं के दादा और उनके दो पुत्र चतुरभुज और चन्द्रसेन अधिभक्त-द्वादू हुक्म के मैम्यर्ट थे और जायदादें जमीदारी य रहायशी अभियिक्त कुल की पैतृक सम्पत्ति थीं । भगवान दास और उनके दोनों पुत्रों ने कुल की

अधिभक्त दशा में मृत्यु पाई और हम प्रण कर्ता शेषाधिकारी रूप से उपरोक्त सम्पूर्ण कुल की सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति के जो उसके द्वारा उपाञ्जित और प्राप्त हुई स्वामी व अधिकारी हैं। हम प्रण कर्ताओं में उक्त सम्पत्ति के विषय में तरह तरह के भगड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि उक्त सम्पत्ति दो समान भागों में बट जावे। इस के अतिरिक्त एक धर्मशाला कूस्बे खागा में स्थित उक्त भगवान दास की बनाई हुई है उसकी स्थिरता और आगामी प्रबन्ध के लिये आवश्यक है कि सम्पत्ति का कुछ भाग धर्मशाला से लगाकर कोई मनुष्य उसका प्रबन्ध कर्ता नियत कर दिया जावे। इस बात पर हाए रखते हुए सम्पत्ति के बटारे और धर्मशाला के प्रबन्ध के लिये लाला मोहन चन्द वेटा गुलाब चन्द जाति वैश्य निवासी खागा को पच रामसहाय पहले पक्ष की ओर से और शादीलाल वेटा नेकराम जाति ग्राहीण निवासी खागा को पच भगवतराम दूसरे पक्ष की ओर से और लाला उलफत राय वेटा खुश उक्त राय जाति कायस्थ निवासी खागा को सर पच दोनों पक्षों की ओर से नियत करते हैं और अधिकार देते हैं कि उक्त दोनों पच और सर पच दोनों पक्षों की सामें की सम्पत्ति में से जितनी सम्पत्ति उक्त धर्मशाला की स्थिरता और यर्जु के लिये उचित आवश्यक समझे पृथक करदें और उसका प्रबन्ध कर्ता और अधिष्ठाता हम दोनों पक्षों, मे से जिसको योग्य समझे या किसी अन्य मनुष्य को अपनी सम्मति से नियुक्त करदें और शेष सम्पत्ति को दो समान भागों में बांट कर एक २ भाग हम दोनों पक्षों का देदें और जो कुछ निष्टारा उक्त पच और सर पच करेंगे वह हम दोनों पक्षों को स्वीकार और अगीकार होगा मत भेद होने की देश में जिस पंच की सम्मति से संरपच सहमत होगा उस अद्वार अन्तिम निष्टारा होगा।

‘ विदित रहे कि सम्पूर्ण सम्पत्ति जपीड़ारी और रहायशी चाहे—
चह किसी कुल के मेघवर के नाम से मोल ली गई हो सभकी,
सम्पत्ति है और उक्त पक्षी को अधिकार है कि जो कुछ और
सम्पत्ति साभे की निश्चय हो वह सब को बाट देवें। इसलिये यह
प्रतिज्ञा पत्र पंचायती लिख दिया कि प्रमाण रहे और आयश्यका
पर काम आवे ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	ग्रन्थाद	ग्रन्थाद
स्वान	बकलम हेस्क—लेख तिथि		

प्रतिज्ञा पत्र पंचायत साभे के क्षणद्वे के विषय में

एहला पक्ष—दूसरा पक्ष—तीसरा पक्ष—चौथा पक्ष । जो कि इम
सम्पूर्ण पक्षों के साभे में कारणाना हरमुखराय गोदिंदराम नामक
जूत्या द्वुर्जी जिला बुलन्द शहर, कृष्णगढ़ जिला अलीगढ़ में
कुछ काल से चल रहा था परन्तु इम सब पक्षों के बीच में इस
प्रकार के भगडे पड़ गये कि लग भग छु मास से व्यवहार संवैधा
याद है और सब पक्षों को द्वानि हो रही है इम सब पक्ष आपस
में उनको नियटार करने से अशक्त हैं। इस लिये इम अपनी और
से लाला मोहनलाल वेटा लाला यनारसोदास जाति वैश्य अमराल
निवासी हाथरसे को पञ्च नियत करके निम्नलिखित अधिकार
देते ह (अ) वही चाते और अन्य साभे सम्पन्धी कागजों को
जाच परताल करके जो कुछ दिसाय इम सब पक्षों द्वा है उसको
निवटाड़ और जो एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर निकले घट दिलाद
(ब) जो जायदाद मैशोनरी और अन्य सामान हर प्रकार वा साभे
में फारसाने का है वह इम सब पक्षों में उनके दिस्स क भनुसार
पाट दें चाहे उसको नीलाम करके दपया दिस्सों के अनुनार पाट
दें । (ज) जो चर्चाई साभे की कागजों के अनुकूल तिष्ठते ॥

उधाने के लिये किसी मनुष्य को नियत करदें और जो प्रयुण सका निफले पहले उधाई से उसके चुकाने की आशा दें और हम अग्रण और समस्त खर्च चुक जाने के पश्चात् जो कुछ बचे वह हिस्सों के अनुसार हम सब पक्षों में बाट दिया जावे ।

हिस्सों का व्यौरा इस प्रकार है

पहला पक्ष—दूसरा पक्ष—तीसरा पक्ष—चौथा पक्ष
।) (।) (॥) (॥)

इस लिये यह प्रतिश्वापन लिख दिया कि प्रमाण रहे ।
हस्ताक्षर व साक्षी आदि

पंचायती निवटारा

हम कि भोइनलाल वेदा मानिकचन्द जाति वैश्य अग्रवा
निवासी कस्ते कीटोजायाद व शादीलाल वेदा नेकराम जाँ
ग्राह्युण निवासी आगरा पचान व उलफतराय वेदा खुशवकरा
जाति कायस्थ निवासी आगरा सरपच ।

जो कि प्रतिश्वापन तारीख ७ मई सन् १८१३ लिखित द्वारा
नायुराम व मगलसेन ने हम लोगों को अधिभक्त कुल की जायदा
और कारबार वांटने के लिये पच व सर पच नियत किया और
अधिकार दिया कि हम लोग जिस प्रकार उचित समझे उनका
साझेकी जायदाद तथा व्योपारिक कारबार राधाकिशन नौकरतराम
नामक फतहआयाद और दौलतपुर घासे को समान भागों में उन
में विभक्त करदें । हम लोगों ने उसके सम्बन्ध में कई पचायत
को बैठकें की और जो कुछ लिखित और मुहसाद (जयानी
साक्षी दोनों पक्षों ने उपस्थित की उसको लिखा और उसके बाद

फरते हैं कि नाथूराम व मगलसेन दोनों पक्ष खानपान का रुपया बेरायर २ मुसम्मात लीलावती को देते रहे यदि उक्त मुसम्मात श्रीकृष्ण एक मनुष्य से घसूल करते तो अदा करने वाला आधे रुपये के घसूल, करने का अधिकारी दूसरे पक्ष से आट आना मासिक व्याज से हित होगा, रहायशी मकान जिस में दोनों पक्षों की रहायश। है मंगलसेन के हिस्से में दिया गया है नाथूराम को उचित है कि एक साल के आदर खाली कर देवे यदि ऐसा न करे तो मगलसेन को अदालत द्वारा उसके खाली कराने का अधिकार प्राप्त होगा और एक धर्य की अवधि बीत जाने पर दखल मिलने की तारीग तक जितने दिन नाथूराम अधिकारी रहेगा, उसके मध्ये मंगलसेन को दस रुपये मासिक किराये का देनदार होगा।

इसलिये यह पचायती निवटारा पञ्च लिख दिया कि प्रमाण रहे।
भाग (अ) जो नाथूराम को भाग (ब) जो मगलसेन को दिया गया।

(१) एक नग नौदरा।

(२) एक नग दुकान पक्की।

(३) एक नग नौदरा।

(४) जमीदारी मौजा रामनगर।

(१) एक नग रुचेली पक्की रहायशी।

(२) एक नग नौदरा।

(३) एक नग दुकान।

(४) चार हजार रुपया रोकड़ी जो एक साल की अवधि के भीतर नाथूराम मगलसेन को देंगे।

(५) जमीदारी मौजा राम नगर

दस्तावेज़ दे सा हो सा ही
लेखतिथि स्थान पञ्चलेख

(नोट) पचायती निवटारे पर स्टार्प तमस्सुक की देंट से जायदाद की मालिपत गर जिससे उक्त निवटारा सम्बन्ध रखता

हो जाता है परन्तु यह दर एक बजार रूपये की मालियत की जायदाद तक रहती है। अधिक मालियत होने पर केवल पोच ५) रूपये का स्टाम्प जाता है। यदि पचायती निषटारे में जायदाद के घट्यारे की आशा हो तो उस पर स्टाम्प बिभाग पत्र की दर के अनुसार जागेगा जो पद्धते लिखी जा सकती है।

प्रतिज्ञा पत्र एजेन्सी

'मैं कि मुद्रमद यूनिक बेटा शेख नियाजश्ली नियासी फोल मुद्रला मदार दरवाजे का है।

जो कि मैंने हाजी मुद्रमद इस्माईल घ दाजी मुद्रमद इसहाक अदमद ताले दे व्यापारी नियासी शहर बदली बाजार चादनी चोक के साथ उनके भंगेर मु शो चूरमुद्रमद के द्वारा काम एजेन्सी करने की प्रतिज्ञा बास्ते देचने तालों घ अन्य सामान उक्त सौदागरों के किया है।

इस लिये^१ म प्रतिज्ञा पत्र नीचे लिखित शर्तों के साथ उनके प्रति लिप्तता है।

(१) विविध स्थानों में अपने व्यय से यात्रा (सफर) करके उक्त 'सौदागरों के' लिये 'बेरीकारी भाल' के 'आर्डर' 'ग्राहकों से छुनके' 'सुन्दी' तंत्र में लिखी दें ऐसे 'ग्राहक' करके बेल्यू येएविल 'पासला छोरा' संपर्लाइ के लिये भेजता रहेगा।

(२) किसी आर्डर के माल के मूल्य पर दस रूपये सैकड़े से अधिक पेशगी रूप में ग्राहक से न लूंगा और उ कोई अन्य रूपया उक्त सौदागरों का लैमा उनकी स्पष्ट आशा के विना बसल कर गा और जो रूपया उनका सेरे अधिकार में आवेदा उसको विना देर करके उनके पास भेजता रह गा।

(३) सम्पूर्ण माल पर कमीशन की दर साढ़े सात रुपये सैकड़ा ठहरी है परन्तु वह उस समय पाने योग्य होगी जब माल आहक के पास पहुंच कर उसके मोक्ष का रूपया उक्त सौदागरों को घसूल हो जावे ।

(४) जो माल मेरे भेजे हुए आर्डरों के अनुसार आहक वापस करेंगे और वह उक्त सौदागरों को वापस मगाना या अन्य प्रकार से बेचना पड़ेगा उसकी घापसी के कुल यर्च और हानि का मैं जिम्मेवार हूंगा और उसके मध्ये किसी कमीशन पाने का अधिकारी न हूंगा ।

(५) जो आर्डर मेरे भेजे हुए आवें उन के विषय में उक्त सौदागरों को आहकों से सही की चिट्ठी मगाने और सही की चिट्ठी न आने या अस्वीकार करने की दशा में उस आर्डर के माल को सपलाई न करने का अधिकार होगा ।

(६) कुल हिसाब काम पजैन्सी का ठीक और नियमानुकूल रखलूंगा और उसकी मासिक लिपि उक्त सौदागरों को भेजता रहूंगा और समस्त हिसाब धार्यिक दृष्टिली में उक्त सौदागरों का समझा दिया करूंगा ।

(७) भाव के घटने घटने और अन्य कार्यों के विषय में जो पजैन्सी के समय में पैदा या उपस्थित हैं आवश्यक शिक्षा उक्त सौदागरों के मैनेजर से देश काल के विचार से लेता रहूंगा और उनके अनुसार कार्य करूंगा ।

(८) पजैन्सी का सारा काम भचाई और ईमानदारी के साथ चतुराई और सापधानी से करता रहूंगा । वे ईमानी चोरी कुकर्म या अन्य हानि कारक कार्य की दशा में उक्त सौदागरों को हानि का दैनदार हूंगा ।

(६) पघास ५०) रुपये प्रक पेशगी रूप में और साठ ६०) रुपया सामाजिक धानगी के लिये उक्त सौदागरों से मने लिया है पेशगी का रुपया कमीशन के हिसाथ से मुजरा घ वेदाक कर गा धानगी का सामाजिक सौदागरों की इच्छामुहूल या पजैन्सी की समर्पित पर उनको सौंप दूगा ।

(१०) पजैन्सी की अधिकारी इस समय दो साल ठहरी है उक्त अधिकारी के बीत जाने पर उसको नवीनता और शर्तों में घटाने वहाने का अधिकार होगा ।

इसलिये यह पजैन्सी का प्रतिशा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आने ।

हस्ताक्षर घ गधाही आदि ।

॥ इति ॥

उपयोगी और लाभ दायक वातें ।

- (१) शब्द अचल सम्पत्ति में भूमि और इमारत व चिरस्थाई घास द्वास्ता, रीशनी और पुल और मछली के शिकार का स्वत्व या और प्रकार का लाभ जो भूमि से पैदा हो और वह वस्तुएँ जो भूमि से छुड़ी हुई हों या ऐसी वस्तु के साथ जिसका सागी हुई हो जो भूमि से छुड़ी हुई हो सम्मिलित हैं पड़े हुए पेड़ उभी हुई फसल और घास को छोड़ कर ।
- (२) शब्द चल सम्पत्ति में खड़े हुए पेड़ उगी हुई फसल और घास और पेड़ों का मेवा और रस और हर प्रकार की सम्पत्ति जो अचल सम्पत्ति न हो सम्मिलित है
- (३) नावालिग से अभिप्राय उस मनुष्य से है जो उस धर्म शाल के अनुसार जो उस की व्यक्ति पर मान नीय हो वालिग (युवा) नहुआ हो ।

सम्पत्ति के परिवर्तन के लिये जो मनुष्य अठारह वर्ष से कम आयु का हो वह राजनीति अनुसार कोई प्रतिश्वाया परिवर्तन नहीं कर सकता उसकी ओर से काई परिवर्तन पत्र नहीं लियना चाहिये यदि नावालिग का सरक्षक किसीन्यावालय की आशा द्वारा नियत हो गया हो तो वह अठारह साल की जगह २१ साल की आयु में वालिग होता है और देसे नावालिग का सम्पत्ति परिवर्तन करना इफकीस साल की आयुके पश्चात् सम्पत्ति परिवर्तन करना उचित हो सकता है ।

(४) नीचे लिये लेखों की रजिस्ट्री राजनीति अनुसार अनिवार्य है ।

अचल सम्पत्ति का दान पत्र ।

- (व) अन्य अनिष्टित पिना वसियती) पत्रों(दस्तावेजात) की जिनसे यह विदित होता हो या जिनका यह प्रभाव हो कि वर्तमान में या आगे को कोई अधिकार स्वामित्व (इकिरुपत) या स्वत्व उपस्थित या हेतुक (शर्तिया) एक सौ रुपये या उस से अधिक मालियत का किसी अचल सम्पत्ति में पैदा होता है या निश्चय होता है या सम्बन्धित या परिमित या नष्ट होता है।
- (ज) अन्य अनिष्टित पत्रों की जिनसे प्रतिशा घस्त या अदा हो जाने वदल की भाष्ये पैदा होने या नियत किये जाते तथा सम्बन्धित या परिमित या नष्ट होने किसी उपरोक्त प्रकार के अधिकार या स्वागित्य या स्वत्व की विदित हो।
- (द) पट्टे या सरखत अचल सम्पत्ति के साल पसाल या एक साल से अधिक अवधि के लिये हो या जिन में 'लगान' या किराये का स्वया सालाना देने की प्रतिशा हो। परन्तु ऐसे पट्टे या सरखत जिनकी अवधि पाँच साल से आर किराया या लगान ५०) रुपये से अधिक न हो यहुत सी जगह रजिस्ट्री से चर्जित है। अनिष्टित गोद के आक्षा पत्र की रजिस्ट्री राज नीति अनुसार अनिवार्य है।
- (ह) निम्नलिखित पत्र (दस्तावेज) रजिस्ट्री से चर्जित है।
- (अ) सम्बन्धपत्र (सुनवानामा)
- (घ) यह पत्र जिस से स्वयम् कोई अधिकार या स्वामित्व या स्वत्व किसी अचल सम्पत्ति में पैदा या प्रगट या परिवर्तन या परिमित या नष्ट न होता हो घरन जिस के अनुसार अधिकार प्राप्त करने ऐसे पत्र (दस्तावेज) का पता होता हो जो किस जाने पर उसी मालियत का कोई या स्वत्व या स्वामित्व पैदा या प्रगट हो या परिमित या नष्ट करता हो।

(ज) पर्चायेत के निवेदारे

(द) रहन नामे को पीडे पर उसुल पानेको लेखे जिससे समर्पते रहन के 'रूपये या उसके भोग का 'अदा होना 'स्वोकार' किया जाय तथा 'कोई अन्य रसीदे जो रहन के रूपये हैं मौज्ये की जावे परन्तु उस रसीद से रहन के रूपये की वेगकी साधित न होती हो ।

(६) जिन पत्रों (दस्तावेजों) को रजिस्ट्री आविष्यक नहीं है और जो रजिस्ट्री से ध्येहुए हैं उनके विषय में रजिस्ट्री कराना इच्छीन है ।

(७) रजिस्ट्री कराने की अधिकारी पत्रों को छोड़कर लिखने की मिति से बार महीने की है । यदि किसी अत्यन्त आवश्यकता या अचानक आपत्ति के कारण कोई पत्र जिसका रजिस्ट्री कराना अभीष्ट हो चार मास की अधिक के भीतर पेश न किया गया हो तो रजिस्ट्रार विशेष चार मास दे भीतर दण्ड लेकर रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर सकता है । दण्ड की संख्या रजिस्ट्री की उचित फीस के दस गुने से अधिक न होगी । और हर एक सबरजिस्ट्रार को जाइज है कि वह उसको तत्काल अपने से ऊपर जो रजिस्ट्रार हो उसके पास भेजदे ।

वसिथत नामा (निष्ठापत्र) हर समय रजिस्ट्री के लिये या अमालत रखने के लिये दायित दो संका है ।

(८) अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जावेंगे जिसके हिस्से किले में कुक्की या कोई भाग जो यद्यपि का जिसवे उक पत्र सम्बन्ध रखता हो स्थिते हो । अन्य पञ्च उस संघ रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होंगे जिसके हिस्से जिले में वह पत्र लिखा गया हो या लिपने वाले रहते हो ।

(६) निम्न लिखित स्वतं परियर्तन के अयोग्य है उन के-
पर लेखक को चाहिये कि काई परियर्तन पश्च लिये ।
(अ) दाय भाग का सम्पादित स्वतं या अन्य सम्पादित स्वतं
जिसका उपस्थित होना स देह उक्त हो या जिसका निर्भर
किसी अन्य मनुष्य की मांत या किसी अन्य घटना के होने
पर हो ।

जैसे किसी दिन्द विधय के मरने पर उसके किसी सम्बन्धी
दाय भाग का स्वतं यदि वह सम्बन्धी विधय की मृत्यु स
पहले मर जाये तो वह स्वतं कभी उत्पन्न न होगा । इस प्रकार
का स्वतं परियर्तन के अयोग्य है ।

(७) किसी जायदाद के घर्तने का व्यक्ति गत स्वतं ।
(अ) शुभाभिकार (इकु आप्तायश) उस जायदाद संचलना जिस
से वह सम्बन्धित हो ।

(८) केषका नालिश करने का स्वतं । जैस एक मनुष्य ने दूसरे
मनुष्य की मान हानि की हो तो जिस मनुष्य की मान हानि
हुई हा उसको हज़ जी की नालिश करन का अधिकार उस
मनुष्य पर हाता है जिस ने मान हानि की हो परन्तु वह
स्वतं परियर्तन के अयोग्य है इसाप्रकार मान हानि शास्त्रीक
वीट आदिके मध्ये जो नालिश का अधिकार होता है वह
नहे मनुष्य की ओर परियर्तन नहीं हो सकता ।

रस्थाई छपक का स्वतं (इकु दखीलकारी) भूमि
त्यक छपक का स्वतं (इकु साकितुल मिलकियत,)
य भूमि जोतने का स्वतं सिधाय उस सीमा तक कि
य प्रचलित राज नीति अलुसार हो सका हो ।
स्वतं त्यक छपक के स्वतं का त्याग पश्च फर्ज -
स्वतं पैदा हुआ हो ।

(क) पर्चायेत के नियंत्रणे

(द) रहन नामे की पोट पर यसूल पानीका लेख जिससे समस्त रहन के हपये थे उसके भाग का अदा दोना 'स्वीकार' किया जाय तथा कोई अन्य रसीद जो रहन के हपये में दी जवि परन्तु उस रसीद से रहन के हपये की वेबाकी सांखित न होती हो ।

(६) जिन पनों (दस्तावेजों) की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है और उन रजिस्ट्री से ध्येय 'दुए हृ उनके' विषय में रजिस्ट्री कराना वाधीन है ।

(७) रजिस्ट्री कराने की अवधि निष्ठा पत्रों को छोड़कर लिखने की मिती से चार महीने की है । यदि किसी अत्यन्त आवश्यका या अचानक आपत्ति के कारण कोई पत्र जिसका रजिस्ट्री कराना अभीष्ट हो चार मास की अवधि के भीतर पेश न किया गया हो तो रजिस्ट्रार विशेष चार मास के भीतर दण्ड लेकर रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर सकता है । दण्ड की सख्त रजिस्ट्री की उचित फीस के दस गुने से अधिक न होगी । और हर एक सवरजिस्ट्रार को जाइज है कि वह उसको तत्काल अपने से अपर जो रजिस्ट्रार हो उसके पास भेजदे ।

घसियत नामा (निष्पापत्र) हर समय रजिस्ट्री के लिये या अमांड़त रखने के लिये दाखिल हो सकता है ।

(८) अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जावेंगे जिसके हिस्से जिले में कुल या कोई भाग जायदाद का जिसमें उक्त पत्र सम्बन्ध रखता हो स्थित हो । अन्य पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होंगे जिसके हिस्से जिले में वह पत्र लिखा गया हो या लिखने वाले रहते हों ।

(६) निम्न लिखित स्वतं परिवर्तन के अयोग्य हैं उन के- मध्ये पञ्च जेष्ठ को चाहिये कि कोई परिवर्तन प्राप्त नहिये ।

(अ) दाय भाग का सम्भावित स्वत्व या अन्य सम्भावित स्वत्व जिसका उपस्थित होना सन्देह युक्त हो या जिसका निर्भर किसी अन्य मनुष्य की माँत या किसी अन्य घटना के होने पर हो ।

जैसे किसी हिन्दू विधया के मरने पर उसके किसी सम्बन्धी दाय भाग का स्वत्व यदि वह सम्बन्धी विधया की मृत्यु से पहले मर जाये तो वह स्वत्व कभी उत्पन्न न होगा । इस प्रकार का स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है ।

(श) किसी जायदाद के घर्तने का व्यक्ति गत इत्तम् ।

(ज) सुखाधिकार (एकक आसायश) उस जायदाद से आज्ञा जिस से वह सम्बन्धित हो ।

(ट) केवल नालिश करने का स्वत्व । जैसे एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मान हानि की हो तो जिस मनुष्य की मान हानि हुई हो उसको हर्ज की जालिश करने का अधिकार उस मनुष्य पर होता है जिस ने मान हानि की हो परतु यदि स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है इसी प्रकार मान हानि शारीरिक चोट आदि के मध्ये जो नालिश का अधिकार होता है वह दूसरे मनुष्य की ओर परिवर्तन नहीं हो सकता ।

(इ) विरस्थार्द्ध कृपक का स्वत्व (एक दखीलकारी) भूमि स्वत्व त्यक्त कृपक का स्वत्व (एक साकितुल भिलकियत) या अन्य भूमि जोतने का स्वत्व सिधाय उस सीमा तक कि जो समय प्रचलित राज नीति अनुसार हो सकता हो ।

(घ) भूमि स्वत्व त्यक्त कृपक का त्याग पञ्च प्रमेय कि उक्त स्वत्व पैदा की

‘ जब कोई जमीदार अपनी जमीदारी विक्री या रहने द्वारा परिवर्तन करता है तो सीर की जमीन में जो, परिवर्तन के समय उसके लूपी अधिकार में हा भूमि स्वत्व त्यक्त लूपी अधिकार प्राप्त हा जाता है । यह अधिकार चिरस्थाई लूपक के समान होता है ऐवल इतना अन्तर होता है कि उसका लगान चिरस्थाई लूपक के लगान से २५% सैकड़ा कम होता है । यहूधा देखा गया है कि लेखक लोग परिवर्तन पत्र लिखते समय भूमि स्वत्व त्यक्त लूपक स्वत्व का त्याग पत्र परिवर्तन ग्रहीता के नाम लिय देते हैं जो स्वयथा राज नीति विरुद्ध और प्रचार के अव्याध्य होता है । काई किसी स्वत्व को उस समय त्याग कर सका है जब कि उसको यह स्वत्व प्राप्त हो जावे इसके अतिरिक्त त्याग पत्र के लिये भूमि अधिकार के कानून में विविध रीति दी हुई हैं जिनका पालन करना पूर्ण त्याग पत्र के लिये आवश्यक और अनिवार्य होता है ।

(१०) कोई प्रतिष्ठा पत्र जिसके द्वारा कोई मनुष्य ऐसा काम करने पा प्रण करे जो भारत दण्ड सम्राट् (ताजीरात दिन्द) या अन्य किसी नीति के अनुसार अपराध (जुर्म) की परिभाषा में आना हो राज नीति अनुसार अनुचित हो और पत्र लेखक को नहीं लिखना चाहिये ।

(११) पत्र लिखने के पश्चात् यदि उसके लेख में कोई काट, फास या घटाना यढाना किया जावे तो उस पर प्रण कर्ता के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है । यदि समझ हो तो पत्र के अन्त में उस काट, फास या घटाने का घर्णन कर दिया जावे और उस पर भी प्रण कर्ता के दस्तख़त, करा देना चाहिये जिससे आगे को सन्देह या ग्रन्त उसके पीछे बनाये जाने का न हो सके ।

(१२) पत्र लेखक अपना नाम पूरे पते और तारीख और लिखने के स्थान सहित स्थान सहित, पाछे पत्र के अन्त में लिखे यदि उसको साक्षी के रूप में पत्र को प्रमाणित करना स्वीकार हो तो आवश्यक है कि यह अपने हस्ताक्षर साक्षी की नाई पत्र के किनारे पर करे और यह सब यात्रे लिखे जो साक्षी के सम्बन्ध में लिखी जाती हैं ।

दरतविज् नवीर्सांके दपजों के पर्याय

उद्दं

हिंदी

उद्दं

हिंदी

(अ)

आग्ज़=प्रदण, पकड़ ।

आज्ञाकृष्ण कानू०=न्याया नुसार

आदालत=न्यौयालय ।

अम्न अमान=सुम्न शान्ति ।

अर्ज़=भूमि ।

अज=प्रार्थना ।

अर्ज़ी=भूमि सम्बन्धी ।

अर्टी=प्रार्थना पत्र ।

अर्जी दावा=स्वत्व प्रार्थना ।

अगास=पुनरी सन्तति ।

अइदाल=थदल ।

अइलियान दानिदान=हुटम्पी

अशहज्जुरत=अरपन्त आघश्यका ।

असल=मूल ।

(आ)

आराज़ी=भूमि ।

आराजी साफितुल मिलकियत=स्वामि त्यक्त जोत ।

आराजी दखीलकारी=चिरस्थाई जोत ।

आराजी गेर दखीलकारी=शन स्थाई जोत ।

आफत=आपत्ति ।

आफत अर्ज़ी=भूमि सम्बन्धी आपत्ति

आफत समाया=आवाशी आपत्ति

आलात वशुधर्जी=येतीके ढीजार

आलम जई फी=पुढ़ापा ।

आसारा=सुम्न ।

आयन्दर रथ दगान=आने जानेषा के आरिज़ी=ऊपरी ।

(इ)

इकरार=प्रतिशा ।

इकरारनामा=प्रतिशा पत्र ।

इफयाल=स्वीकारी ।

इफयाल दावा=स्वत्व स्वीकार ।

इजदिवाज=धिवाह ।

इजाजतनामा=आशा पत्र ।

इजाजत नामा तयनियत=गोद का आशा पत्र

इजहार=धर्णत करना ।

इजहार=दगाध ।

इतमीनान=विश्वास ।

इत्तिकाक नागुजीर=अचानक आपत्ति

इनकिकाक इहन=रहन ।

इन्तजामिया कमेर्टी=प्रयत्नध का
 रिणी सभा ।
 इन् हिसार=निर्भरता ।
 इन्तिफ़ाल=परिवर्तन
 इमकानी हफ़क=सम्भव स्थत्व
 इवारत=लेख ।
 इस्तिगासा=अभियोग ।
 इस्तिम्बाती=आर्धपत्ति जनक ।
 इहतिमाल=भ्रम ।
 इहतियात=सावधानी ।
 इश्तिराक=साभा ।
 ईफा=पूरा करना
 ईमा=प्रेरणा
 उ उ =
 उच्च =विरोध
 उलूफा=धास
 ए औ ए औ
 एतराज=आक्षेप
 औलाद जुकूर=पुत्र सन्तति
 औलाद अनासन्पुत्री सन्तति
 औसत=पर्ता
 (क)
 कतई=सर्वथा ।
 कन्जा=अधिकार
 कन्जा धाकिई=वास्तविक अधि-
 कार ।
 किरावत दार=सम्बन्धी ।
 कृषि खाद=लेनदार ।

कर्जा मूरिस=पेत्रक झूण ।
 कमी येशी=घटाव दढाव ।
 काइमो=स्थिति ।
 काइम मुकाम=प्रतिनिधि ।
 कानून=राजनीति ।
 कानूनन=राजनीति प्रनुसार ।
 काविज़=अधिकारी ।
 काविल पायन्दी=माजनीय ।
 काविल नफ़ाज=व्यवहार योग्य ।
 काविल लिहाज़=विचार योग्य ।
 काविल वसूल=प्राप्त योग्य ।
 काश्तकार दखीलकार } चिरस्थाई
 " मौकसी } रूपक
 काश्तकार गैर दखीलकार } अन } स्थाई
 " " } मौकसी } रूपक
 काश्तकार साकिं } भूमि स्वत्व
 तुल मिलकियत } व्यक्त रूपक
 क्रासिर=चूक करने वाला ।
 कानून कृच्छा आराजी=भूमि
 अधिकार का कानून
 कारयन्द होना=चलना
 किस्त=खन्दो ।
 किफालत=आड ।
 कीमत=मूल्य ।
 कुबूल=स्वीकार ।
 कुबूलियत=स्वीकार पत्र ।
 कुरा=भाग-लाना ।
 कुसूर=ओटन्चूक ।
 कौम=जाति ।

(स)

स्वदशा=भ्रगदा ।
 यानगी=घरेलू ॥
 यानदान मुशतका=अधिभक्त कुल ।
 यानदान मुनकुसिमा=विभक्त
 कुल ।
 खिलाफ घर्जी=प्रतिष्ठा भग ।
 गिलाफ कानून=राजनीति विश्वास
 पूरोडूनोश=यान पान ।
 खुद इप्तियारी=स्वाधीनता

(ग)

गदन=चोरी ।
 गेर झरई=वे जुतऊ ।
 गैर मुसमिरा=वे फले ।
 गैर मजरुआ=वे जुतऊ ।
 गौर परदावन=देवभाल, जाच :

(च)

चरागाह=पशु चारन भूमि ।

(ज)

जलसा=वैठक
 जलसा पचायत=पचायत को
 वैठक
 जब=दवाव
 जगाज=ओचित्य, उचित होना
 जमानत=लग्नक
 जमानत नामा=लग्नक पञ्च
 जवाय=उत्तर
 जवायदह=उत्तर दाता
 जवायदिही=उत्तर द्वायित्व
 जवायदाधा=ग्रन्त्युत्तर

जमीमा=परिशिष्ट

जपानी=मौखिक

जरोथा=सहारा

बबत=दाश लेना

जर रसदी=पर्ता का रूपया

जरई=जुतऊ

जईफी=बुढापा ।

जईफुल चम्प=बूदा

जाइज=उचित

जायदाद=सम्पत्ति

जायदाद जरई=भू सम्पत्ति जुतऊ

जायदाद सकनी=रहायशी सपत्ति

जायदाद मौजूदा=वर्तमान सपत्ति

जायदाद आयद्वा=आगामी सपत्ति

जायदाद आराजी=भू सम्पत्ति

जायदाद मनकूला=चल सम्पत्ति

जायदाद गौर मनकूला=अचल
 सम्पत्ति

जायदाद इस्तिमरारी=चिरस्थाई

भू सम्पत्ति

जायदाद आयाई=ऐतृक सम्पत्ति

जायदाद } अधिभक्त
 इजमाली } सम्पत्ति } सयुक्त

जायदाद } अधिभक्त } सम्पत्ति

मुशतका } सपत्ति } सम्पत्ति

जायदाद मुनकसमा=विभक्त
 सम्पत्ति

जायदाद मुआफी=अफरद भूमि

जायदाद मुतनाजआ=रिवाद

प्रस्त सम्पत्ति

जा नशीन = स्थानापन
 जात=व्यक्ति
 जी इयतियार=अधिकार प्राप्त
 जुज्ज्व मजीद = अधिक माग -
 जुर्म = अपराध
 जीज़ = जोड़ा, मर्द
 जौज़ा = खो

(त)

तगलुय=चोरी
 तरफ़क़ा=चूदि
 तथा थला=घदल
 तथादिला नामा=यदल पत्र
 तसदीक़ = सही प्रमाण
 तसदीक़ शुष्टा=प्रमाणित
 तुशरीइ=व्यारया
 तश्चास लगान = लगान लगाना
 तज्ज्योज सानी=पुनर्विचार
 तज्जदीद=नर्यानता
 तहक़ाक़ाह = घनुसन्धान
 तद्दरीर = लेप
 तफसीत=धौत, चिह्नण
 नमाज़ा = झगड़ा
 तपस्तुक़ = टीप
 तरीक अमल = कार्य प्रणाली
 नमहोही = प्रातिमिक
 तमस्तोक = समर्पण, मालिर्क
 एनाना
 तमसीक नामा = समर्पण पत्र
 तपस्तीक तुनदा = समर्पण कर्ता
 तदिमा=परिशिष्ट-पूरक

ततिमा वसीयत नामा=परिशिष्ट
 निष्ठा पत्र
 तथनियत नामा=गोद पत्र
 तामील = पालन करना
 तावान = दराह
 तामील मुण्टस = घिशेप पालन,
 मुख्य पालन
 तौजोह = व्यारया
 तौहीन = मानहानि-अपमान
 (द)
 दस्तस्त = दस्तावज़र
 दस्तावेज = पत्र
 दस्तपादारी=त्याग पत्र
 दस्त आदाज़ो=इस्तक्षेप
 दस्तावेज किफायत=आट पत्र
 दररन = घृन
 दररास्त = निवेदन पत्र
 दर्यून = प्रण
 दर्ग़ल = प्रधिशार—प्रय ध
 दज = लिघ्ना
 दधाम = सधदा
 दफा = धारा
 दामे दिरमे=पंसा कीटो
 दागिली = भोतरी
 दालिलग्यादिज = बटना उताना
 दारमदार = निर्भर
 दाया = अर्थ माँग
 दाइमा = सर्वदा
 दागर = दूसरा अर्थ
 दीटान = काल अग्रण

न
नफा=लाभ
नुक्त = श्रुति
नक्त्वा=लिपि
नक्त्वा=रोक
नज़्राना=भेट
नवीरा=पोता
नवासा=भेटता
नस्लनवाद } पीढ़ी दर
नस्लेन } पीढ़ी
नविश्ता=लेख, लिखित
नामज्जद=नियुक्त
नाननफक्ता=खान पान
नाकायिल नफान=प्रधार के
अथाम्य

(प)

परदागत=देयभाल
पट्टा दिदादा=पट्टे दाता
पट्टा गोड़ा=पट्टा ग्रहीता
पट्टेदार

पेशकश=भेट
पेशगी=पहले
पंपस्ता=लगाहुआ
फ)

फस्त्य=दूटना
फक्तुरहन=रहन दूटना,
फरीक=पद
फरीपैन=दोनों पक्ष, उभयपक्ष
फरीक इच्छादार=प्रारम्भकपक्ष

फरीक सानी=विपक्षी
फर्ज=कर्तव्य
फेसिला=नियारो निर्णय
फैसला अदालत=नियालय को
निर्णय

(घ)

घकाया=शेष
घतदराज=कमश शन २।
घमजिला=समान सदय जगह
घददयानती=वेहमानी
घयात तहरीरी=लघ घचन
अभियोग उत्तर
घाये=विक्रेता, बेचने गाला
घाजायिता=यावायिधि।
घावाइद=नियम पूर्वक
घाजदाया=त्याग पत्र।

घार=भार।
घाको मादा=शेष, घचा हुआ
घार मुकहम=पूर्व गार
घिला शरफत=विना साम्ना।
घिला मुसाइमत=विना अशत्य
घिला घसीयती=अग्निप्रित
घेवा=प्रिधवा।
घओ=प्रिकी।

घैअनामा=घैगामा } विकी पत्र
घै उल्लयका=घैचे के समाए
घैथाना=साई।
घै यात=प्रतिपेध।

(भ)

मसफूना=रहायशी ।
 मजाज=अधिकार प्राप्त ।
 मददूद=परिमित ।
 मद्दत्तल=सम्बन्धित ।
 मक्सूरा=उपार्जित ।
 ममदृह=उक्त ।
 मजकूरायाला=उपरोक्त ।
 मजकूर=उक्त ।
 मजमूथा ताजीरातहिन्द=भारत
 दरड सग्रह ।
 मज़कुरा=जुतऊ ।
 मजमश्वन=इफ्टु ।
 मनकूला=चता ।
 मतन=लेखाशय ।
 मतरुका=मृत सम्पत्ति ।
 मशहद=नियम वद्ध प्रणयन
 मशहदतुलरहन=रहन सयुक्त रहन
 मकवूजा=अधिकार प्राप्त ।
 मेमलूका=स्वतंत्र प्राप्त ।
 मासूद्य=यदित ।
 महफूज फएड=रक्षानिधि ।
 मालिक=हरामी ।
 माइ=पाण्डुतिक ।
 मिक्कार=परिमाण ।
 मिट्क=स्वतंत्र ।
 मीआद=अवधि ।
 मुमहफा=प्रसारित ।
 मुस्तलेमा=स्थाहत ।

मुतवन्ना=दक्षक पुत्र लैपालक ।
 मुआहदा=निधय प्रतिष्ठा ।
 मुआघजा=प्रदल, पलटा प्रत्यु
 षकार ।
 मुस्तकज्ञ=अचल, स्थिर ।
 मुस्तगरफ=आड ।
 मुस्तगीस=न्याय प्रार्थी ।
 मुश्तरी=माइक=क्रेता ।
 मुख्तारनामा=अधिकार पत्र
 मुख्तारनामा यास=मुख्याधि-
 कार पत्र ।
 मुख्तारनामा आम=सर्वधिकार
 पत्र ।
 मुख्तार=अधिकारी ।
 मुख्तार मजाज=पूर्णाधिकारी ।
 मुराफिक=आश्रित ।
 मुजाहिम=बाधक ।
 मुस्तगरफ=झुणु ग्रसित ।
 मुहतमिम=प्रधनधकर्ता ।
 मुलजिम=प्रधनधक ।
 मुयाहसा=याद प्रतियाद ।
 मुलसिक=जुडा हुआ ।
 मुकम्मल=पूरा ।
 मुकिर=प्रणकर्ता ।
 मुस्तकल=स्थिर ।
 मुतजम्मन=सम्मलित ।
 मुतमत्ता=लाभ उठाने वाला ।
 मुस्तफीद=उपयाग प्रहीता
 मुआफीदार=अकरद ।
 मुसाहमत=अशत्व ।

मुनावश्चारा = झगड़े का ।
 मुस्तसना = यज्ञित ।
 मुपेयन = नियत ।
 मुश्चामला = व्यवहार ।
 मुसन्ना = पैठ, प्रतिष्ठ ।
 मुसम्मा = नामक नामधारी
 मुसम्मात = नामनी
 मुरतहिन = रहन प्रहीता, रहनदार
 मुसमिरा = फलदार ।
 मुथाइदावैश्च = विक्रिय नियय ।
 मुथाइदा रहन = आड प्रतिष्ठा
 मुथायजा = झूण भार ।
 मुतालया = झूण
 मुतालया मुकद्दम = प्रथम ग्राह्य
 झूण ।
 मुतालया मुनवख्यर = पश्चात्
 ग्राह्य झूण
 मुसच्चदा भसौदा = कच्ची लिपि ।
 मुहतमिम = प्रदन्धक ।
 मुतवट्टी = प्रहन्त सरक्कर ।
 मुलइक = मिला हुआ ।
 मुनफरदन = अलग अलग ।
 मुशतका = मिलकर ।
 मैम्पर = सदस्य
 मैम्पर खानदान मुशतर्फ =
 अविभक्त कुल सदस्य
 मैम्पर खानदान मुनकसमा =
 विभक्त कुल सदस्य
 मैनेजर = अधिष्ठाता = प्रबन्धक
 मौहृष लह-दार प्रहीता

मौहृषद्दल = ड्रिप ॥ १ ॥
 मौसूफ = उत्तर ॥ २ ॥
 मौर्खी = पैतृ ॥
 मोसमा = नामह ॥
 मौजूदा = उपाधिक ॥
 (३)
 यादगार = ड्रिप ॥ ३ ॥
 (४)
 रदोषद्दल = उत्तर ॥ ४ ॥
 रहन शैउत्तरपात्र = उत्तर, उत्तर ॥
 रहन = आट
 रहन दामली = उत्तर ॥ ५ ॥
 रहन साधा = उत्तर ॥ ६ ॥
 रहन नामा = उत्तर ॥ ७ ॥
 रवाज = घरम प्रधान ॥
 रजा = प्रसानना ॥
 रगवन = उत्तर ॥
 राहिन = रहन ॥ १ ॥
 राजीनामा = उत्तर ॥ २ ॥
 रिफाह आप = उत्तर ॥ ३ ॥
 (५)
 लघाइक = सरक्कर ॥
 लाजिमा = मानमीद ॥
 (६)
 घक्क = पुराप
 घक्कपनामा = पुराप प्रभ
 घसीयतनामा = निहारन
 घसी = विषा कला

लिया = सरक्षित
 आरिस = दांगभागी, ८ -
 उक्तराधिकारी
 आरिस माकवल = पूर्वदायभागी
 आरिस माराद = पश्चात दाय
 भागी
 आरिस पसमादा = शेपाधिकारी
 आकिअ = स्थित
 आदिव = दानी
 आवस्ता = आश्रित
 (श)
 अर्त = प्रतिष्ठा, नियम प्रण
 अर्त यारिजी = वाई नियम
 अर्त जुरुरो वा लाजिमी =
 अनियंत्र्य प्रतिष्ठा आपेशयक
 नियम
 अर्त मा करल = पूर्व प्रतिष्ठा
 अर्त मा वाद = उत्तर प्रतिष्ठा
 अर्त मुकदम = पूर्व प्रतिष्ठा
 अर्त मवरपर = उत्तर प्रतिष्ठा
 अराकत = सामा,
 अराकत नामा = सामा पत्र
 अरथ = मुस्लिमानी धर्म शाखा
 अरीक = सामी
 अर्तिया = हेतुक
 अहादत तहरीरी = लिखित साक्षी
 अकिस्त रेरन = टूट फूट
 (स)
 समद = प्रमाण

समावी = आकाशी,
 सरीही = प्रत्यक्ष
 सरीहन } } प्रत्यक्ष रूप से
 सरीहतन } }
 सरमाया = पूजी
 सर्फ, सर्फा = व्यय, खर्च
 सवात अबल = स्थिर वृद्धि
 सहीम = आशी
 सरीह = प्रत्यक्ष
 माकितुल मिलकियत = भूमि
 स्पत्व त्यक्त
 साकिन = निःसी
 सालना व परदालना = कियाहुआ
 साकित = नष्ट
 से हते नफ्स = स्वरूप चित्त
 (ह)
 हक्क = स्वतंत्र
 हक्कदार = स्वत्वाधिकारी
 हक्कियत = रियासत
 हक्क हुक्क = स्वतंत्र व अधिकार
 हवालगी = सौप
 हर्जा = हानि
 हक्कदायिलो = भीतरी स्वत्व
 हक्क खारिनी = पाहरी स्वत्व
 हिंग = दान
 हिंग नामा = दान पत्र
 हीनहयात = जीतेजी जीवन भर
 हीलतन = पदाने से
 हैमियत = रूप अनुरूप

IN PRESS

TO BE OUT SHORTLY

PRE PUBLICATION PRICE RS 4/8 AFTER PUBLICATION RS 5/-

"TAR-TIB-A-MUKADMA"

تاریخ مقدمہ

BY

Mr Panna Lal B A L L B

Of

The Allahabad High Court Bar

A book on Pleading in Urdu An unique publication which will be the only one of its kind on the market It is expected to be very helpful to legal practitioners It will tell them how to conduct their cases to the best interests of their clients, how to argue, in fact any thing and everything that a lawyer is required to know New practitioners and mosussil lawyers will do well to have a copy with them The book is written by an experienced and successful lawyer, who has over 25 years High Court and District Court work to his credit

First class, get up Cloth Bound Printed at the Indian Press Allahabad

As the demand will be heavy and only a limited number will be published make sure of your copy by registering your order at once with —

MESSRS PAUL BROTHERS

(PUBLISHING DEPARTMENT)
Aligarh U P

